अष्टम माला, खंड 39, अंक 50

11th April, 1988

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

LIBRARY
No. 60
Date 17/11/88

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 39 में अंक 41 से 53 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 11 अप्रैल, 1988/22 चैत्र, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 24, पंक्ति 4, "यत्रालय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।

पृष्ठ 25, पंक्ति 13 के आरंभ में "(ग)" पढ़िये।

पृष्ठ 25, पंक्ति 19, "अज्ययन" के स्थान पर "अध्ययन" पढ़िये।

पृष्ठ 25, नीचे से पंक्ति 8, "(व)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 27, पहली पंक्ति के आरंभ में "(ज)" पढ़िये।

पृष्ठ 40, पंक्ति 4 के आरंभ में "(क)" पढ़िये।

पृष्ठ 40, नीचे से पंक्ति 6, "खतरनाका" के स्थान पर "खतरनाक" पढ़िये।

पृष्ठ 50, पंक्ति 20, "कार्यवाही" और "है" के बीच "की" पढ़िये।

पृष्ठ 66, नीचे से पंक्ति 6, "सामग्री" और "किए" के बीच "मुहैया" पढ़िये।

पृष्ठ 69, पंक्ति 7 के आरंभ में "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 71, पंक्ति 11, "मचली" के स्थान पर "मछली" पढ़िये।

पृष्ठ 72, नीचे से पंक्ति 10, "श्री वांगफा लोवांग" के स्थान पर "श्री वांगफा लोवांग" पढ़िये।

पृष्ठ 73, पंक्ति 7, "आन्नद" के स्थान पर "आनंद" पढ़िये।

पृष्ठ 78, पहली पंक्ति, उत्तर के आरंभ में "(क)" पढ़िये।

पृष्ठ 79, नीचे से पंक्ति 17, "किसानों की" के स्थान पर "किसानों को" पढ़िये।

पृष्ठ 79, पंक्ति 12 के आरंभ में "(ग)" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 38, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 32, सोमवार, 11 अप्रैल, 1988/22 चैत्र, 1910 (शक)

विषय

निधन संबंधी उल्लेख ... 1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या : 634 से 637, 640 और 643 ... 1-18

प्रश्नों के लिखितउत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या : 638, 639, 641, 642 और 644 से 653 ... 18-27

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6500 से 6522, 6525 से 6560, 6562 से 6568, 6570 से 6661, 6663 से 6669, 6671, 6672, 6674 से 6679 और 6681 से 6701 ... 28-176

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... 186-188

प्राक्कलन समिति

52वां और 53वां प्रतिवेदन ... 189

नियम 377 के अधीन मामले ... 189-193

(एक) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत लंबित पड़ी सिंचाई योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देना

श्री शांति धारीवाल ... 189

(दो) भुवनेश्वर से होकर जाने वाली कतिपय रेलगाड़ियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाना और कोणार्क एक्सप्रैस रेलगाड़ी के साथ अतिरिक्त डिब्बे लगाना

श्री लक्ष्मण मलिक ... 189-190

(तीन) बायोमास बनाने के लिए कृषि उत्पादों के अवशेषों का उपयोग करना

श्री चिन्तामणि जेना ... 190

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

पृष्ठ 80, नीचे से बंक्ति 11, "स्लफर न्यूट्रिएंटस" कोष्ठकों में पढ़िये ।

पृष्ठ 84, पंक्ति 3 के आरंभ में "(ख)" पढ़िये ।

पृष्ठ 84, पंक्ति 12, "श्री अन्नत प्रसाद सेठी" के स्थान पर "श्री अनन्त प्रसाद सेठी" पढ़िये ।

पृष्ठ 99, नीचे से पंक्ति 2, "डा0एल0शैलेश" के स्थान पर "डा0बी0एल0शैलेश" पढ़िये ।

पृष्ठ 108, नीचे से पंक्ति 13, उत्तर के आरंभ में "(क)" पढ़िये ।

पृष्ठ 112, नीचे से पंक्ति 13, "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।

पृष्ठ 119, नीचे से पंक्ति 11, "(घ)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 123, नीचे से पंक्ति 16, "अमृता शेरमिल" के स्थान पर "अमृता शेरगिल" पढ़िये

पृष्ठ 138, पंक्ति 12, "श्री प्रकाश वी0पाठिल" के स्थान पर "श्री प्रकाश वी0 पाटिल" पढ़िये ।

पृष्ठ 163, नीचे से पंक्ति 9, "हटाओ" और कार्यक्रमों" के बीच के "का" का लोप करें ।

पृष्ठ 172, पंक्ति 8, "कासी" के स्थान पर "काली" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 38, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 32, सोमवार, 11 अप्रैल, 1988/22 चैत्र, 1910 (शक)

विषय

निधन संबंधी उल्लेख ... 1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या : 634 से 637, 640 और 643 ... 1-18

प्रश्नों के लिखितउत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या : 638, 639, 641, 642 और 644 से 653 ... 18-27

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6500 से 6522, 6525 से 6560, 6562 से 6568, 6570 से 6661, 6663 से 6669, 6671, 6672, 6674 से 6679 और 6681 से 6701 ... 28-176

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... 186-188

प्राक्कलन समिति

52वां और 53वां प्रतिवेदन ... 189

नियम 377 के अधीन मामले ... 189-193

(एक) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत लंबित पड़ी सिंचाई योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देना

श्री शांति धारीवाल ... 189

(दो) भुवनेश्वर से होकर जाने वाली कतिपय रेलगाड़ियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाना और कोणार्क एक्सप्रेस रेलगाड़ी के साथ अतिरिक्त डिब्बे लगाना

श्री लक्ष्मण मलिक ... 189-190

(तीन) बायोमास बनाने के लिए कृषि उत्पादों के अवशेषों का उपयोग करना

श्री चिन्तामणि जेना ... 190

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(चार) बस्तर जिले के लिए अनाज की आपूर्ति में कटौती करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना

श्री मानकूराम सोढी ... 190-191

(पांच) आंध्र प्रदेश इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम द्वारा प्रस्तुत की गई रंगीन पिक्चर ट्यूब परियोजना को शीघ्र मंजूरी देना

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव ... 191

(छः) गुवाहाटी से तिनसुखिया/डिब्रूगढ़ तक बड़ी रेल लाइन का विस्तार करना

श्री एम. आर. सैकिया ... 191-192

(सात) इन्दिरा गांधी नहर से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि को पीने का पानी प्रदान करने हेतु योजनाएं बनाना

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 192-93

(आठ) उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को उन्नत किस्म का चारा प्रदान करना

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश ... 193

अनुदानों की मांगें, 1988-89 ... 193-272

कृषि मंत्रालय—(जारी)

श्री जुझार सिंह ... 193-196

श्री एम. आर. सैकिया ... 196-197

श्री उत्तम राठौड़ ... 197-199

श्री बीरेन्द्र सिंह ... 199-203

श्री आर. प्रभु ... 203-206

श्री वी. एस. विजयराघव ... 207-209

श्री जार्ज जोसफ मुन्डाकल ... 209-210

श्री तपेश्वर सिंह ... 210-212

श्री नित्यानंद मिश्र ... 212-215

श्री अजय मुशरान ... 215-220

श्री शमिन्दर सिंह ... 220-223

श्री के. पी. सिंह देव ... 223-228

श्री भरत सिंह ... 228-229

श्री एम. वाई. घारेपडे	...	229-232
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	232-238
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	....	239-242
श्री एन. डेनिस	...	242-244
श्री पीयूष तिरकी	...	244-246
डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी	...	246-248
श्री डी. पी. यादव	...	248-250
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	...	250-251
श्री कमला प्रसाद सिंह	...	252-254
श्री सैफुद्दीन चौधरी	...	254-256
चौधरी राम प्रकाश	...	256.257
श्री मोहम्मद अयूब खां	...	257-259
श्री रणवीर सिंह	....	259-263
श्री जगन्नाथ चौधरी	...	263-265
श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव	...	265-267
श्री हरीश रावत	...	267-270
श्री भीष्म देव दुबे	...	271-272

लोक सभा

सोमवार, 11 अप्रैल, 1988/ 22चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, तमिलनाडु के करूर निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के इस सभा के वर्तमान सदस्य श्री ए. आर. मुरुगई के अचानक निधन की सूचना सभा को देते हुये मुझे दुख हो रहा है।

वह एक कृषक थे और अपने राज्य में कृषि के विकास में गहरी रूचि लेते थे।

वह एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होने समाज के कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के कल्याण के लिये सदैव कार्य किया।

उन्होने अनेक स्थानों की यात्रा की तथा अनेक देशों में कृषि तथा औद्योगिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया।

श्री मुरूगई का शनिवार, 9 अप्रैल, 1988 को 47 वर्ष की अल्प आयु में हृदय गति रूक जाने से नई दिल्ली में निधन हुआ।

हम अपने इस दिवंगत मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में सदन मेरा साथ देगा।

दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान में सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहें।

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे]

प्रश्नों मौखिक उत्तर

सातवीं योजना के दौरान पर्यटन विकास

*634. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान पर्यटन के विकास की दृष्टि से किन-किन क्षेत्रों का, प्राथमिकता के आधार पर, चयन किया गया है;

(ख) इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पर्यटन के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इनसे अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सातवीं योजना के दौरान पर्यटन के विकास की दृष्टि से, प्राथमिकता के आधार पर, चयन किए गए क्षेत्र इस प्रकार हैं :---

(i) संस्कृति अभिमुखी पर्यटन से अवकाश तथा सावकाश पर्यटन की ओर झुकाव;

(ii) पैदल-भ्रमण, हिम क्रीड़ाओं, वन्यजीव और समुद्रतट विहार-स्थल पर्यटन का विकास;

(iii) अलग-अलग पर्यटक केन्द्रों पर सस्ता आवास मुहैया कराना;

(iv) राष्ट्रीय विरासत केन्द्रों का जीर्णोद्धार;

(v) बौद्ध परिपथों सहित चुनिंदा पर्यटक परिपथों का विकास;

(vi) राष्ट्रीय छवि निर्माण तथा विदेशों में प्रमुख मार्केटों में विपणन योजनाएं शुरू करना और संस्कृति से संबद्ध क्षेत्रों एवं देशों में नए मार्केट स्रोतों का पता लगाना;

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में सेवा सम्बन्धी कुशलता में सुधार करना ।

(ख) और (ग) प्राथमिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पर्यटन का विकास करने के लिए अनेक स्कीमें तैयार की हैं जिसमें शामिल हैं—स्वदेशी पर्यटन का विकास, यात्री निवासों तथा यात्रिकाओं का निर्माण, समुद्रतट विहार-स्थलों का विकास, स्की-धावन, पर्वतारोहण, पैदल-भ्रमण एवं साहसिक पर्यटन के लिए सुविधाओं में सुधार, परिवहन सुविधाओं में वृद्धि, चार्टर उड़ानों का संवर्धन, राष्ट्रीय विरासत केन्द्रों का संरक्षण, बौद्ध परिपथों पर सुविधाओं का विकास, वन्य जीव पर्यटन का संवर्धन और राजमार्गों पर मार्गस्थ सुविधाओं का व्यवस्था तथा विदेशों मार्केटों में निरंतर प्रचार करना एवं विपणन अभियान चलाना इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हुई है ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मेरे इस प्रश्न का कि उठाये गये कदमों से क्या परिणाम निकला, मंत्री ने जवाब दिया है कि भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हुई है ।

विश्व पर्यटक यातायात में भारत का हिस्सा मात्र 0·4 प्रतिशत है । मैं जानना चाहूंगी कि क्या इन मुख्य बाधा पहुँचाने वाले घटकों अर्थात् पर्याप्त विमान सेवा का अभाव, वास्तविक आवास व्यवस्था का अभाव मैं 'वास्तविक' शब्द पर जोर दे रही हूं । तथा मौसम संबंधी घटक आदि को दूर कर सरकार इस मसले को सुलझाने के लिये एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने पर विचार करेगी तथा पर्यटन को उद्योग विशेष रूप में निर्यात उद्योग का दर्जा प्रदान करेगी । यदि हां, तो किस हद तक ?

श्री गिरिधर गोमांगो : प्रश्न सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्रों से सम्बन्धित है। मैंने अपने विवरण में पहले ही बता दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन-कौन से हैं।

योजना आयोग ने सातवीं योजना के दौरान 7 प्रतिशत विकास दर निर्धारित की है तथा विश्व पर्यटक यातायात में 1984 से 1986 के बीच 3.3 प्रतिशत निर्धारित की है। पर्यटकों का आगमन जैसा कि मैंने बताया है, सन् 1981 से बढ़ता हो रहा है इनमें पाकिस्तान तथा बंगलादेश से आने वाले पर्यटक भी शामिल हैं। 1986 के दौरान हमने 1985 से 29·1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है 1987 में भी 1986 से 7·8 प्रतिशत अधिक पर्यटक आये हैं। 1990 में हम योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार कर जाएंगे।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : समेकित दृष्टिकोण अपनाने के बारे में आपने उत्तर नहीं दिया है।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न उड़ीसा के बारे में है। मैं जानना चाहूँगी क्या उड़ीसा में पुरी-कोणार्क समुद्रतट के लिए समुद्रतट पर्यटन विकास हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। दूसरे क्या उड़ीसा में 'गोल्डन ट्राइएंगल' अर्थात् भुवनेश्वर, पुरी तथा कोणार्क को पर्यटन के लिये प्राथमिकता दिये जाने वाले स्थानों में शामिल किया गया है ? यदि हां तो कब और यदि नहीं तो कारण बताईये ?

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, हमने उदयगिरि, ललितगिरि और रत्नगिरि के साथ-साथ कोणार्क और चिल्का झील के लिये एक वृहत-योजना तैयार की है। वह वृहत-योजना विचाराधीन है और चिल्का झील से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। पुरी और कोणार्क के बारे में हमें राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पृथक-पृथक परियोजना के आधार पर राज्य सरकार से प्रस्ताव आने शेष हैं। उच्च ज्वार स्तर से 500 मीटर दूरी तक के समुद्रतट क्षेत्र में विहार स्थलों की स्थापना करने पर प्रतिबंध था जिसे घटाकर अब 200 मीटर कर दिया गया है। जब तक राज्य सरकार पृथक-पृथक परियोजना के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करती है तब तक हमारे लिये परियोजना को स्वीकृति देना कठिन होगा। जहां तक 'गोल्डन ट्राइएंगल' का संबंध है, हमने यात्री निवास के निर्माण के लिये राज्य सरकार को सहायता प्रदान की है। इस सब के बावजूद प्रगति की गति कुछ धीमी है। अतः उन तीनों स्थानों का विकास और भी किया जाएगा बशर्ते कि राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

श्रीमती डी. के. भंडारी : पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता था और यह विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित किया करती थी किन्तु इस समय इस क्षेत्र में चल रहे आन्दोलन के कारण पर्यटकों का आवागमन लगभग न के बराबर रह गया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने इसके कारण हुई विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाया है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं कुल अर्जित विदेशी मुद्रा और आने वाले पर्यटकों के आंकड़े दे चुका हूं ! हमारे राज्य-गणना नहीं की है तथापि आन्दोलन के कारण पर्यटकों के आवागमन में कमी आई है।

श्री बृजमोहन महंती : बौद्ध केन्द्रों के विकास की वृहत-योजना मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस वृहत-योजना में ललितगिरि, उदयगिरि और रत्नगिरि

उन तीन पहाड़ियों को सम्मिलित किया गया है जहां ईसा से 5वीं शदी पूर्व बुद्ध कालीन संस्कृतिपल्लवित हुई थी और यह महायान वज्रयान सम्प्रदाय का केन्द्र था। खुदाई में असंख्यक ऐतिहासिक सामग्री मिली है जिनसे पता चलता है कि यह देश के प्रमुख केन्द्रों मे से एक था किन्तु इन केन्द्रों के विकास के लिये अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। मन्त्रालय ने यह रवैया अपनाया है कि राज्य सरकार ने विशिष्ट विशिष्ट प्रस्तुत नहीं की है। मेरी सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने बार-बार योजना प्रस्तुत की है। वहां न संचार व्यवस्था है और न अन्य प्रबंध जिससे कि पर्यटकों को उस स्थान का भ्रमण करने में सुविधा हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय तत्काल कुछ उपाय करेगी जिससे कि बौद्ध पर्यटकों को उस स्थान का भ्रमर करने की प्रेरणा मिल सके ?

श्री गिरिधर गोमांगो : हमने बौद्ध केन्द्रों के विकास के लिये एक बृद्ध-योजना तैयार की है। उसके आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लिये बौद्ध परियत्न के संबंध में एक वृहद-योजना तैयार की गई थी। 1987 के दौरान हमने बौद्ध परियत्न और बौद्ध स्मारकों का पता लगाकर वृहद-योजना बनाने का कार्य एक कार्य-बल को सौंपा था। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा अन्य स्थान शामिल हैं।

यह कार्य बल उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुका है। इसने राष्ट्रीय बौद्ध परिपथ में ललितगिरि, उदयगिरि और रत्नगिरि को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है ! तथापि मूलभूत ढांचे सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता, विकास व्यय आदि की गणना कार्यबल के अन्तिम प्रतिवेदन में की जायेगी। उड़ीसा का बौद्ध परिपथ ललितगिरि, उदयगिरि और रत्नगिरि को पर्यटक स्थान के रूप में विकसित करने का काम उड़ीसा सरकार और भारत ररकार दोनों ने हाथ में लिया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना से संबद्ध पहला प्रश्न समुद्र-तट विहार स्थानों से है। जब तक वे विभिन्न स्थानों में होटल स्थापित करने के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते तब तक उन्हें स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को काकीनाडा के निकट 'होप' द्वीप को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में कोई प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है।

श्री गिरिधर गोमांगो : आंध्र प्रदेश सरकार ने 'होप' द्वीप के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 1988-89 के दौरान, उस द्वीप को विकसित करने के लिये सहायता देने के प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पर्यटन के विकास के लिए सप्तम पंचवर्षीय योजना में बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई है और बुद्धिस्ट सर्किट को भी चुना है और मंत्री जी ने बताया है कि बिहार और यू.पी. को बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल किया जायगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बिहार के दोनों चम्पारण जिले, जहां से मोतीहारी, केसरिया और अरेराज हो कर महात्मा बुद्ध कुशीनगर गये थे, उस के विकास के लिए क्या खर्च करेंगे और बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित करेंगे।

श्री गिरिधर गोमांगो : उपाध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान में बुद्धिस्ट सर्किट बिहार के लिए

इन्क्लूड किया गया है। नालन्दा, कुशीनगर और श्रीवस्ती उसमें हैं। इसके अलावा बिहार में बौद्ध गया, राजगीर और नालन्दा हैं। जो छोटे छोटे बुद्धिस्ट सर्किस्ट बुद्धि साइडस हैं, उनके लिए हम लोगों के पास कोई प्रोपोजल नहीं है। जो आइडेंटीफिकेशन किया गया है मास्टर प्लान के मुताबिक, उनको हम डैवलप करते हैं। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और साइट्स रह गये है, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को स्पेसीफिक प्रोपोजल भेजने चाहिए और अगर पैसा होगा, तो उन पर खर्च करेंगे। मेम्बर साहिबा ने जो पूछा है, उसका कोई प्रोपोजल नहीं आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वेश्चन न. 636।

उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालम को बढ़ावा देना

[हिन्दी]

*635. **श्री राजकुमार राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार हानि होने की दशा में मत्स्य पालकों को कोई वित्तीय सहायता देती है; और

(ग) यदि हां, तो दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) उत्तर प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए "जलकृषि विकास" की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 28 मछुआ विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। ये मछुआ विकास एजेंसियां मछली पालन के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता तकनीकी और विस्तार समर्थन प्रदान करती है।

मछली पालन के लिए उत्तम किस्म के डिम्पोना की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5 वाणिज्यिक डिम्पोना हेचरियां स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।

मछली पालन के लिए गंदे पानी का उपयोग करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश में मंजूर की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजकुमार राय : उपाध्यक्ष जी, मछली पालन देश के लिए बड़ा उपयोगी कार्य है और मैं समझता हूं कि यह न भोजन में बाधक है, न भजन में बाधक है। हमारे कृषि राज्य मंत्री जी बैठे हैं जो कि स्वयं उत्तर प्रदेश के हैं, पता नहीं वे उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को क्या बढ़ावा दे रहे हैं जब उन्होंने मेरे ही प्रश्न के उत्तर में बताया कि 86-87 में 82 लाख रुपया और 87-88 में 47.64 लाख रुपया इसके लिए दिया गया। यह तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पता नहीं आप क्या बढ़ावा दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तकनीकी विकास का क्या स्वरूप है और उत्तर प्रदेश में वह कहां कहां है ? क्या उत्तर प्रदेश के जलाशयों की, खास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जलाशयों की विशेष स्थिति को देखते हुए बनारस और गोरखपुर कमिश्नरियों में आजमगढ़,

बलिया या बनारस, गोरखपुर कमिश्नरियों में अपनी तरफ से कोई ऐसी हैचरियां खोलने का विचार कर रखा है या नहीं ?

श्री श्याम लाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि तालाबों और पोखरों में जो मछलीपालन का इन्तजाम है वह 1 लाख 25 हजार हेक्टेयर में, जलाशयों में 1 लाख 31 हजार हेक्टेयर में, झीलों में 1 लाख 89 हजार हेक्टेयर में और बारहमासी नदियों में 7 लाख 23 हजार हेक्टेयर में है। यह मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो मछली उत्पादन हो रहा है उसका 87-88 में 85 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान है और सातवीं योजना के अन्त तक 89-90 में मछली उत्पादन के एक लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। सातवीं योजना के दौरान तकनीकी तौर पर क्या किया जा रहा है वह मैं बता रहा हूं कि यह डवलपमेंट किया जा रहा है। सातवीं योजना के दौरान तालाबों, पोखड़ों में मछली पालन के लिए विकास, मानसिकी बदलना, पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडे पानी में मछली पालन या जल में मछली पालन का विकास, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि का निर्माण, मछुआरा समूह दुर्घटना बीमा योजना, मत्स्य हेचरियों का निर्माण और मछलीपालन विकास एजेंसियों के विकास पर बल दिया गया है।

मान्यवर, मछली उत्पादक एजेंसियां अकेले उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में काम कर रही हैं। जो काम कर रही हैं उनको रुपया दिया जाता है। सालाना रुपया 2 लाख 50 हजार रुपया दिया जाता है। जो आपने पूछा है कि पांच हेचरियां कहां कहां हैं, उनमें से एक गोरखपुर में, जिसकी कि आप मांग कर रहे हैं, एक गोमती नगर लखनऊ में, एक अमेठी में, एक इलाहाबाद में और एक फैजाबाद में है। इनमें से प्रत्येक पर प्रति वर्ष 51 लाख व्यय किया जाएगा।

श्री राजकुमार राय : मैंने पूछा क्या था, उत्तर कुछ हो गया। माननीय मंत्री जी बड़े प्रबुद्ध हैं, वे सारी चीजें समझ रहे हैं कि यह अमेठी में क्यों है, लखनऊ में गोमती में क्यों है और गोरखपुर में क्यों है और क्यों इलाहाबाद में हो गयी है। वे अपने आप सारी चीजें समझ रहे हैं। मैंने साहब पूछा था आजमगढ़ और बलिया को दे रहे हैं या नहीं। उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि 86-87 में जब 82 लाख रुपया था तो अब आप लोगों के आ जाने के बाद, एक साल बाद 47 लाख रुपया क्यों हो गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है ? इन दोनों का माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, न मैं उम्मीद करता हूं कि जवाब आयेगा। आपने भाषण दे दिया है और वह प्रेस में छप जाएगा।

दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, तीनों मंत्री जी और पूरा सदन जानता है कि मत्स्य पालन बड़ा जोखिम भरा काम है। कभी पानी बढ़ गया, कभी पानी घट गया, किसी की दुश्मनी से बच्चे मर गये, कहीं कोई रखवाली में कमी आयी। इस काम में किसी न किसी तरह का जोखिम भरा हुआ है। गेश में ऐसा कोई उद्यम नहीं है जिसमें जोखिम को कंपशेट न किया गया हो, जिसमें ऐसा कोई प्रावधान न हो, लेकिन यह सरकार जो किसानों की हामी भरती है (व्यवधान) जब सबसे अधिक जोखिम इस काम में है तो इस जोखिम को पूरा करने के लिए कंपशेट करने के लिए, कोई पारितोषिक देने के लिए क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री श्यामलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जिन जिलों के बारे में पूछा है, उनके बारे में बताया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि जिन जिलों में विकास एजेंसियां बनी हैं, उनमें बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ जिले शामिल हैं और इनके लिए रुपया

दिया हुआ है। मैंने बताया है कि 28 जिलों में विकास एजेंसियां बनी हुई हैं, उनमें आजमगढ़ शरीक है।

श्री राज कुमार राय : मैंने 5 जिलों का पूछा था।

श्री श्याम लाल यादव : इन 5 जिलों में भी है, लेकिन इन 5 जिलों में सारा प्रदेश तो नहीं आ सकता। (व्यवधान)

इसमें आपका जिला शरीक है और जो खर्च की बात कही गई है तो प्लान योजनाओं के अन्तर्गत 1250 लाख रुपए का व्यय अनुमोदित है, जिसमें से 1987-88 तक 788.02 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, इसी हिसाब से योजनाओं पर काम आगे बढ़ रहा है।

आपने कहा है कि मछली उत्पादकों को जो नुकसान हो जाता है, उसके लिए एक्सीडेंट बीमा मछुआरों का होता है, उसके लिए अलग से स्कीम चल रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्याय महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। अब, मैंने अगला प्रश्न पूछने के लिए है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जायगा।

खाद्यान्नों की उपलब्धता स्थिति

[अनुवाद]

*436 प्रो: पी. जे. कुरियन :

श्री राम पूजन पटेल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के कुछ भागों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम की वर्षा से फसल को नुकसान और खाद्यान्नों के आरक्षित भंडार की कुल स्थिति पर इसके प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) क्या फसलों को हुये नुकसान के समाचारों को देखते हुए सरकार का खरीद लक्ष्य और आयात किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा की भी समीक्षा करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) : खाद्यान्नों

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। गेहूं, धान और मोटे अनाजों की वसूली मूल्य समर्थन योजना के अधीन और चावल की वसूली चावल के मिल मालिकों और व्यापारियों पर लेवी के अधीन की जाती है।

प्राप्त सूचनानुसार, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ ही स्थानों में केवल सीमित मात्रा में क्षति हुई है। इस क्षति का खाद्यान्नों के आरक्षणों वसूली अथवा आयात करने की जरूरत पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, आपने उत्तर सुना। यह कितना टालू और निराशा जनक है। खाद्यान्न की खरीद के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। या तो उनका उत्तर तथ्यों के आधार पर सही नहीं है अथवा यदि तथ्यों के आधार पर सही है तो आप ही देखिये कि मंत्रालय किस प्रकार कार्य कर रहा है। खाद्यान्न की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किये बिना ही आप खाद्यान्न कैसे खरीद रहे हैं ? मुझे यह आशा है कि आप को कुछ अनुमान होगा कि इस वर्ष आप कितना खाद्यान्न खरीद रहे हैं। यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूँ उसकी मात्रा कितनी है ? दूसरे, आपने कहा था कि सूखे अथवा ओलावृष्टि से केवल सीमित मात्रा में नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि बिहार में तथा आपके साथी के निर्वाचन क्षेत्र में भी हुई थी। और सूखे से भी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सूखा और ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है और उसके कारण उत्पादन में कितनी कमी हुई तथा उसके परिणाम स्वरूप खरीद की मात्रा कितनी कम हुई। खरीद में जो गिरावट आई, उसे आप किस प्रकार पूरा करेंगे ?

श्री सुखराम : माननीय सदस्य ने अनुमान लगाने और लक्ष्य निर्धारित करने के बीच अन्तर की ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई खाद्यान्न की किसी भी मात्रा को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य है। इसलिये लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है। वास्तव में अनुमान उत्पादन और अन्य कारकों के आधार पर लगाया जाता है। आगामी रबि की फसल के लिये लगभग 1 करोड़ टन गेहूं खरीदने का अनुमान लगाया गया है।

जहां तक ओलावृष्टि और वर्षा से कुछ राज्यों में हुए नुकसान का संबंध है, मुझे बिहार के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। इस सभा की सूचना के लिये मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि नुकसान होने का हमारी खरीददारी के अनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, यह मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है। क्या मैं यह समझ सकता हूँ कि सूखा और ओलावृष्टि के कारण उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई. और खरीद में भी कोई गिरावट नहीं आई है।

प्रो. मधु दंडवते : यह सम्पन्न सूखा है।

श्री सुखराम : माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जो केन्द्रीय पूल को बहुत सारा खाद्यान्न देते हैं, रबि की फसल बहुत अच्छी हुई है। इसलिये, जहां तक अनुमान लगाने का संबन्ध है, मेरे विचार से हम स्तर तक पहुंच जायेंगे।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं इस सूचना से प्रसन्न हूँ और मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक और प्रश्न नहीं कर सकते हैं। दो प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैंने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

प्रो. मधु दंडवते : उन्होंने केवल स्पष्टीकरण मांगा था।

प्रो. पी. जे. कुरियन : गेहूं, धान और अन्य खाद्यान्नों की खरीद समर्थन मूल्य योजना के अधीन की जाती है। महोदय, देश भर में कृषक वर्ग द्वारा कृषि जिन्सों और नकदी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की गई है। वास्तव में किसान और कृषक इसके लिए शोर मचा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कृषि जिन्सों और अन्य नकदी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने के बारे में विचार कर रही है।

श्री सुख राम : मुझे नहीं पता कि समर्थन मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि कृषि मंत्रालय इसके बारे में निर्णय लेता है।

श्री ए. चार्ल्स : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह सुनिश्चित होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्न की खरीद पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें इसकी प्रसन्नता है ? लेकिन समाचार पत्रों में यह समाचार था कि केरल राज्य को खाद्यान्नों के आवंटन में कमी की गई है।

समाचार पत्रों में यह प्रचार क्यों किया गया कि केन्द्र खाद्यान्नों के वितरण में भी राज्य की सहायता नहीं कर रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या इनमें कोई सच्चाई है अथवा यह एक झूठा प्रचार था और क्या मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि उस राज्य की जरुरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन किया जायेगा ?

श्री सुख राम : गत वर्ष, हमारे पास खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार था और उस राज्य को उदारता से आवंटन किया गया था। लेकिन इस वर्ष जैसाकि यह माननीय सदन जानता है, भयंकर आपदा गंभीर सूखे और बाढ़ के कारण, अधिक मात्रा में खाद्यान्न उठाए गए हैं।

अब हमें भण्डारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए आवंटन नीति को युक्तिसंगत बनाया गया है।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, उस युक्तिसंगत योजना अथवा नीति के अन्तर्गत, हम अन्य बातों के अलावा उस राज्य विशेष द्वारा उठाए गए खाद्यान्नो के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन कर रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर, जहां तक केरल का संबन्ध है, दिसम्बर के महीने में, उनके लिए चावल का आवंटन 1.45 लाख टन था जबकि उन्होंने केवल 1.31 लाख टन ही उठाया था। इसी प्रकार जनवरी में 1.45 लाख टन आवंटन की तुलना में 1.44 लाख टन ही उठाया गया था। मार्च महीने के लिए मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि जिस राज्य द्वारा जितना खाद्यान्न उठाया गया, आवंटन उसके आधार पर किया गया है।

श्री सोमनाथ रथ : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि खाद्यान्नों की वसूली में कोई कमी नहीं हुई।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में चावल की सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उस राज्य में भारी सूखा है ? क्या यह

सच है कि उड़ीसा सरकार द्वारा लगातार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी उनकी केवल एक चौथाई मांग ही पूरी की गई है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उड़ीसा की पूरी मांग पूरा करने जा रही है क्योंकि वहां के लोग भारी सूखे से पीड़ित हैं ?

श्री सुखराम : उड़ीसा के बारे में भी स्थिति वही है। जनवरी महीने में चावल के 30 हजार टन की आवंटन की तुलना में केवल 18.7 हजार टन ही उठाया गया था।

अब उस राज्य में व्याप्त कमी और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मैंने अगामी महीने के लिए उनकी कुछ मात्रा बढ़ा दी है।

राष्ट्रीय डेरी विकास निगम के कार्यों में विविधता लाना

*637. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास निगम का अपने कार्यकलापों में विविधता लाकर बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का अपने कार्यकलापों में विविधता लाकर बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रस्ताव है।

(ख) गुजरात के खेड़ा जिला को शामिल करके ग्रामीण बिजली सहकारी समितियां स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पर वे विचार कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह बल्कि रूचिकर बात है कि राष्ट्रीय डेरी विकास निगम अपने कार्यकलापों में विविधता लाकर बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।

सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या इस की प्रेरणा इस तथ्य से मिली है कि गुजरात राज्य बिजली बोर्ड में 35 प्रतिशत पारेषण नुकसान होता है, अतः यह आशा की जाती है कि वे इसमें और बेहतर नहीं कर सकते और इससे कुछ बेहतर करने के लिए इस डेरी विकास निगम को आगे लाया गया।

दूसरा, यह कहा गया है कि ग्रामीण बिजली सहकारी समितियां न कि समिति स्थापित करने से संबंधित एक प्रस्ताव विचाराधीन है; इसका अर्थ है बहुत सी सहकारी समितियां—जिनमें खेड़ा जिला शामिल है; लेकिन मैंने यहां श्री कुरियन द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि खरिया जिले में प्रायोगिक आधार पर एक सहकारी समिति की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। अतः क्या मंत्री जी कृपया मुझे उस परियोजना के लिए प्रेरणा के ब्यौरे तथा उस परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में बताएंगे ?

श्री श्याम लाल यादव : यह सच है कि गुजरात सरकार से डेरी बोर्ड को अनुरोध प्राप्त हुआ था और उस अनुरोध पर उन्होंने इन मामले पर सोचना शुरू किया है। लेकिन वर्तमान स्तर पर यह केवल वैचारिक स्तर पर है, और इसके लिए कोई विशेष परियोजना तैयार नहीं की गई है।

दूसरा, यह सच है कि यह बोर्ड सहकारी समितियों के माध्यम से अपने कार्यकलाप करता है। इस मामले में उन्हें कुछ अनुभव है, कुछ राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 2 अथवा 3

सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। अतः यह उस आधार पर है। लेकिन इस समय मैं यह कह सकता हूं कि यह केवल वैचारिक स्तर पर है। कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जो भी हो, इस वैचारिक स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के चेयरमैन इसमें काफी आगे बढ़ गए है और उन्होंने हमें उस परियोजना का ब्यौरा दिया है जोकि तैयार किया जा रहा है··· (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे किसी चीज पर विचार (कन्सीव) कर रहे हैं।

प्रो. मधु दंडवते : यह विवरण (डिलीवरी) के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जो भी हो, इसका अर्थ है कि ऐसी कोई बात है जोकि सीधे नहीं कही जा रही है।

अतः मेरा दूसरा प्रश्न यह है : आप किसी को भी यह काम सौंपे—चाहे इस राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अथवा किसी और को—चाहे वे डेरी अथवा बिजली का कार्य करे, शायद एक चीज आवश्यक है अर्थात श्रमिकों के साथ उनके सम्बन्ध अच्छे होने चाहिये। क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है इस राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में, गत 23 दिसम्बर को, राष्ट्रीय डेरी कर्मचारी परिसंघ के आह्वान पर, श्रमिकों को सताने और परेशान किये जाने की बहुत सी शिकायतों के लिए श्रमिकों को प्रदर्शन करना पड़ा था—उन शिकायतों में एक शिकायत यह भी शामिल थी कि कुछ समय पहले एक वाक्य द्वारा 31 श्रमिकों की छंटनी कर दी गई थी और उसका अब तक कुछ हल नहीं निकला ?

प्रो. मधु दंडवते : क्या उन्हें बिजली उत्पादन के कार्य पर लगा दिया गया था ?

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस प्रकार की शक्ति का गुजरात में श्रमिकों को सताने और परेशान किये जाने में उपयोग किया जा रहा है ? मैं यह जानना चाहती हूं।

श्री श्याम लाल यादव : डेरी बोर्ड बहुत ही शानदार कार्य करता आ रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि इसका मुख्य कार्य डेरी कार्य करना है। लेकिन इसके साथ-साथ यह फलों, सब्जियों के बारे में कुछ बहुत ही अच्छा कार्य करता रहा है। वे इसे दिल्ली में करते रहे हैं। इसके अलावा तिलहनों और वड़ास्याति तेल परियोजनाओं को भी शुरु किया गया है। वे कुछ अन्य परियोजनाओं को भी शुरु कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि श्रमिकों को किसी प्रकार से हटाया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री श्याम लाल यादव : जी, हां, मैं जानता हूं। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं जोकि माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के पहले भाग में पूछा है। अपने प्रश्न के दूसरे भाग में उन्होंने कहा है कि वहां कुछ प्रदर्शन हुए थे। आजकल आप जानते हैं कि यह एक नैमी कार्य है अर्थात श्रमिक, जहां कहीं वे कार्य करते हैं, वे जो भी वेतन लेते हैं, वे प्रदर्शनों का आयोजन करते रहते हैं और सताए जाने का आरोप लगाते रहते हैं। ऐसी बातें हमारे नोटिस में नहीं आई है। यदि ऐसी बातें हमारी नोटिस में आती हैं तो हम निश्चित ही उनकी जांच करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, यदि एक मंत्री को 9 महीने तक अपना वेतन नहीं मिलता तो उसका नैमी प्रदर्शन कैसा होगा ? (व्यवधान)

प्रो. एन. जी. रंगा : मैं माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी को उनके बहुत ही गंभीर बमारी से ठीक होने पर उनको मुबारकबाद देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं और उनके ठीक होने के पश्चात यहां आने पर अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहने के लिए उनकी प्रशंसा भी करता हूं ? (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि भारतीय डेरी विकास निगम गुजरात राज्य में ग्रामीण बिजली सहकारी समितियां स्थापित करने की जांच कर रहा है । ग्रामीण बिजली सहकारी समितियां आम तौर पर बिजली के उत्पादन में नहीं बल्कि बिजली के वितरण के कार्य में लगी हुई हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात में इस विशेष क्षेत्र में, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड गुजरात में जो बिजली परियोजनाओं की स्थापना का कार्य शुरु कर रहा है क्या ये बिजली उत्पादन के लिए है अथवा ये वितरण के लिए हैं ?

श्री श्याम लाल यादव : ये सभी चीजें केवल वैचारिक स्तर पर हैं । हम निश्चित रुप से नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है । लेकिन यह मुख्य कार्यों में से एक है ।

श्री अनिल बसु : विचार क्या करने का है बिजली का उत्पादन या वितरण ?

श्री श्याम लाल यादव : वही तो सबसे बड़ी समस्या है ।

प्रो. मधु दंडवते : वहां कोई वितरण प्रणाली नहीं है ।

श्री अनिल बसु : आप वितरण प्रणाली की बात करते हो । आप यहां वितरण प्रणाली लाए ।

सी. माधव रेड्डी : क्या सरकार वैचारिक स्तर पर एन. टी. वी. सी. को एक डेरी स्थापित करने की अनुमति देगी ?

श्री श्याम लाल यादव : यदि हमें प्रस्ताव प्राप्त होगा तब हम उस पर विचार करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री बलवंतसिंह रामूवालिया : डिप्टी स्पीकर साहेब नैशनल डेरी डवलपमेंट की तरफ से एक्टिविटीज डाइवर्सीफाई करने की बात है, लेकिन दूध की सप्लाई कम होती जा रही है और दिल्ली में रु. 3.50 पर लिटर जो दूध था वह लेकर प्राइवेट वाले रु. 7.50 बेच रहे हैं और जब मदर डेरी के एम. डी. श्री शेख से पूछा गया कि दूध की सप्लाई क्यों कम है, तो उन्होंने कहा कि पानी की कमी है चारे की कमी है इसलिए दूध की सप्लाई कम है ।...

कृषि मंत्री श्री भजन लाल : यह तो पेपर में आ गया है, बिजली के बारे में है ।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : अगर पेपर में आ गया है, तो मैं छोड़ देता हूं । मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप दिल्ली में दूध की कीमत बढ़ा रहे हैं ?

श्री श्याम लाल यादव : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

चित्तोड़गढ़ किले में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम प्रारम्भ करना

*640. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को चित्तोड़गढ़ किले को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाने हेतु वहां ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो चित्तोडगढ़ किले में यह कार्यक्रम कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या चित्तोड़गढ़ को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाने का कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पर्यटन मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने चित्तोड़गढ़ किले की प्रकाश-पुन्ज व्यवस्था करने के एक प्रस्ताव को सिद्धांतरूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

[हिन्दी]

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि भारतवर्ष में दिन पर दिन पर्यटक कम होते जा रहे हैं और विश्व पर्यटक की दृष्टि से हमारे देश में केवल 0.4 परसेंट पर्यटक आते हैं और जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं उनको डवलप करने के बारे में आपने अब तक कोई योजना नहीं बनाई है। मेरा यह निवेदन है कि चित्तोड़गढ़ दुर्ग जोकि एक ऐसा दुर्ग है जहां पर वीरों और वीरांगनाओं की गाथाएं भरी पड़ी हुई हैं, जहां पदमिनी का जोहर, पन्नाबाई का त्याग और मीरा का भक्ति संगीत गूंज रहा है, ऐसे दुर्ग के बारे में साउंड एण्ड लाइट प्रोग्राम के बारे में नहीं सोचा, यह दुख की बात है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यदि राजस्थान सरकार की तरफ इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आए, तो क्या आप उसे शीघ्र मंजूरी देंगे ?

श्री गिरिधर गोमांगो : सर, राजस्थान सरकार ने तीन प्रोपोजल भेजे थे-जयपुर, जैसलमेर, चित्तोड़गढ़ फोर्ट और महाराणा जोधपुर के प्रपोजल एप्रूव करके हम लोगों ने 5 लाख रुपया सैंक्शन किया है। सवाल साउण्ड एन्ड लाइट के लिए है, सर लेकिन हम लोगों ने जब एग्जामिन किया, उसी में, फ्लडलाईटिंग के बारे में कंसीडर किया चित्तोड़गढ़ फोर्ट के लिए नीतिगत रूप से हम लोगों ने चित्तोड़गढ़ फोर्ट को स्पाट लाईटिंग का जो प्रपोजल भेजा था उसको माना, जब 13 लाख 58 हजार था, अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में 16 लाख 42 हजार रुपए दिए गए हैं। यह फाइयेशियल ईयर में एक ही प्लान है, जिसको सैंक्शन करने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं।

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि साउन्ड एंड

लाइड ना सही, फ्लड लाइट के बारे में आपने सोचा है, किन्तु पर्यटकों की दृष्टि से इस क्षेत्र को आकर्षक बनाना है इसलिए क्या इसे आप कंसीडर करेंगे ?

इसके विकास के लिए जो आपने वैस्ट जोन कल्चर सैंटर बनाया है, उसके माध्यम से मेवाड़ उत्सव जो मनाए जाते हैं वे बिल्कुल नगण्य हैं, केवल सूखी हुई झील में मामूली सा फंक्शन मना लिया जाता है। चित्तौड़गढ़, जहाँ जीवित इतिहास है, जिसका नाम लेने से ही रोमांच हो जाता है, वैसे स्थान को आकर्षक बनाने के लिए क्या भविष्य में आप और कुछ सोच रहे हैं ?

मेरा खुझाव है कि सरकार को इस स्थान को एयर-लिंक से भी जोड़ना चाहिए। उदयपुर में आपका एयरपोर्ट है, क्या उदयपुर से चित्तौड़गढ़ को आप हैलीकोप्टर सर्विस से जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं ताकि पर्यटक स्थल की दृष्टि से इस स्थान को और आकर्षक बनाया जा सके ?

श्री गिरिधर गोमांगो : चित्तोड़गढ़ के लिए जो एप्रूव किया गया है, उसके लिए आर्कलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया की परमीशन और क्लीयरेंस भी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और हमने भी आर्कलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया को लिखा है और डिस्कस भी किया है। वहां से क्लीयरेंस हो जाने के बाद पैसा सैंक्शन किया जाएगा।

चित्तोड़गढ़ फोर्ट बहुत इम्पार्टेन्ट मोन्यूमैंट्स हैं और वहां कीर्ति स्तम्भी हैं, उन सब को देखते हुए सामने फ्लड लाइट्स का इन्तजाम किया है।

एअर-लिंक के बारे में सिविल एवीएसन मिनिस्ट्री से सवाब करने पर आपको उत्तर मिल सकेगा, फिर भी हम टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक उनसे डिस्कस करते हैं जहा जहां टूरिस्ट्स को एयर-लिंक की जरूरत होती है।

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : आर्कलाजिकल सर्वे .....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। कुछ भी कार्यवाही वर्तान्त में शामिल न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : मौतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, राजस्थान का पूरा इलाका प्राचीन जमाने से लेकर आज तक किलों और हवेलियों से जुड़ा है और वहां, जहां वीर-गाथाओं के स्थान मौजूद हैं, उनके साथ-साथ धार्मिक स्थान भी हैं, जिनमें हमारा झूंझूनू भी आता है।

झूंझूनू में उदयपुर वाटी एक ऐसी जगह है जहां लोहागरजी के जमाने का एक धार्मिक स्थान है जहां तमाम यात्री तीर्था से आने के बाद अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसी के साथ-साथ झुंझुनू में सालासर, खाटू श्याम जी, जीन्द, सकराम और लोहागर जी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां पर पर्यटक बहुत तादाद में आते हैं। क्या मंत्री महोदय राजस्थान सरकार से इनके बारे में जानकारी मंगवाएंगे और इनके बारे में मंजूरी देने का कस्ट करेंगे ?

श्री गिरिधर गोमांगो : यह चित्तोड़गढ़ फोर्ट के लिए सवाल है, इनके बारे में आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा व्यय की गई विदेशी मुद्रा की उपयोगिता

[अनुवाद]

*643. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को अपने विभिन्न क्रियाकलापों पर अपनी कुल आय के 10 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा व्यय करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1984-85 से वर्ष 1986-87 के दौरान किन-किन क्रियाकलापों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक कार्य से भारत पर्यटन विकास निगम को कितना लाभ हुआ है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम को अपने विभिन्न कार्यकलापों का संवर्धन करने के लिए होटलों और यात्रा अभिकरण अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा आय में से अधिकतम 10% तक कि विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति दी गई है।

1984-85 से 1986-87 तक के वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्य-कलाप-वार खर्च की गई विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	1984-85	1985-86	1986-87
(1) खाद्य सामग्री	—	—	1.92
(2) बीयर, मदिरा और स्प्रिट्स	2.09	2.89	—
(3) पूर्जीगत माल और कलपुर्जे	4.51	3.77	12.59
(4) सदस्यता शुल्क	2.67	12.02	9.38
(5) यात्रा व्यय	6.11	4.86	6.68
(6) व्यवसायिक एवं परामर्शी शुल्क	7.74	—	—
(7) अन्य खर्चे	1.30	—	—
(8) विज्ञापन, प्रचार और बिक्री संवर्धन	13.35	9.02	12.02
जोड़	37.95	32.56	42.59

प्रत्येक कार्यकलाप से भारत पर्यटन विकास निगम को निम्नलिखित लाभ हुए :—

(क) **खाद्य-सामग्री, बीयर, मदिरा, स्प्रिट्स आदि**

ग्राहकों, विशेषरूप से विदेशी पर्यटकों, को आकर्षित करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में इस्तेमामल के लिए विभिन्न खाद्य सामग्रियों, वीयर, मदिरा और स्प्रिट्स का आयात करना आवश्यक है।

(ख) पूंजीगत माल और कलपुर्जे

भारत पर्यटन विकास निगम के एककों के दिन-प्रतिदिन के रखरखाव और सुचारू कार्य-निष्पादन हेतु आयातित होटल उपकरणों के लिए अपेक्षित कलपुर्जे मंगाना आवश्यक है।

(ग) विज्ञापन, प्रचार और बिक्री संवर्धन

विज्ञापन प्रचार और होटल बिक्री पर किए गये खर्च से विदेशी मार्किटों में भारत पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियों के संवर्धन में वृद्धि होती है और अन्य संविदाजांत बाध्यताओं की पूर्ति होती हैं। भारत की ओर पर्यटन का संवर्धन करने के लिए विदेशी मीडिया में विज्ञापन और प्रचार करना आवश्यक है जिसके लिए विदेशी मुद्रा में खर्च किया जाता है।

(घ) सदस्यता और यात्रा खर्चे

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का संवर्धन करने और डब्ल्यू. टी. ओ, आई. टी. वी. बर्बिन पी. ए. टी. ए.,-ए. एस. टी. ए. आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मंचों में भाग लेने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों को विदेशों की संवर्धनात्मक यात्राएं करनी होती हैं।

(ङ) व्यवसायिक और परामर्शी शुल्क

गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल व्यवसाय के साथ प्रतियोगिता करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम को अपनी प्रतिभाशाली सम्पत्तियों यथा अशोक होटल को अद्यतन रूप प्रदान करने के लिए जाने-माने वास्तुशिल्पियों, डिजाइनरों, आदि की सेवाओं का उपयोग करना और व्यावसायिक तथा परामर्शी शुल्क के रूप में भुगतान करना पड़ा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह बताया जाता है कि भारत पर्यटन विकास निगम ने 1987-88 में रिकार्ड मुनाफा कमाया है। यह कहा गया है कि यह मुनाफा पिछले वर्ष के 6.59 करोड़ रुपये की तुलना में 1987-88 में 7.75 करोड़ रुपये हुआ। भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक ने समाचार पत्रों को सारे आंकड़े दिये, जिनमें यह दर्शाया गया था कि उत्पादन कितना बढ़ा है; कुल लाभ कितना बढ़ा है; शुद्ध लाभ में कितनी वृद्धि हुई है; विदेशी मुद्रा आय कितनी बढ़ी है और भारत पर्यटन विकास निगम के अन्तर्राष्ट्रीय उत्पाद विक्रय प्रभाग ने भी काफी अधिक मुनाफा कमाया है। इसलिए यह अच्छी बात है कि सरकारी क्षेत्र का यह निगम कई वर्षों के पश्चात सुचारू रूप से कार्य कर रहा है जबकि पहले इसने इतना अधिक मुनाफा नहीं दिखाया था। मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि उनकी वित्तीय स्थिति इतनी अनुकूल लगती है तो फिर भारत पर्यटन विकास निगम में प्रबन्ध-निदेशक के समाचार पत्रों को दिये गये वक्तव्य में से उद्धृत कर रहा हूं—गैर सरकारी पार्टियों के साथ अधिकाधिक संयुक्त उद्यम परियोजना क्यों आरम्भ कर रहा है। जहां तक भारत का संबंध है। उन्होंने पटना में गैर सरकारी पार्टी के साथ सहयोग से होटल एवं वाणिज्यक परिसर विकसित करने का जिक्र किया है जिसमें घूर्णायमान मीनार रेस्तरां होगा और दूसरी परियोजना कानपुर में है : अन्य संयुक्त उद्यम परियोजनायें भोपाल, पुरी, रांची पांडिचेरी और इटा नगर में क्रियान्वित की जा रही हैं। और विदेश में भारत पर्यटन विकास निगम ने पश्चिम

जर्मनी, मारीशस, न्यूजीलैंड, अमरीका के साथ इक्विटि के आधार पर संयुक्त उद्यम समझौता किया है और लास एंजेल्स तथा कराकस में संयुक्त उद्यम होटल और रेस्तरां खोलने का प्रस्ताव किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत पर्यटन विकास निगम की अब क्या नीति है, क्या यह अधिकाधिक संयुक्त उद्यम परियोजनायें शुरू करने की है। या नहीं होटल परियोजनायें आदि पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली परियोजनाओं के रूप में चलाने की है। किस तरह से वे अब इसे विकसित करना चाहते हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय,भारत पर्यटन विकास निगम अब अधिक लाभ कमा रहा है। सभी संयुक्त उद्यम परियोजनायें, गैर सरकारी क्षेत्र के साथ नहीं हैं। सातवीं योजना के दौरान हमने फैसला किया है कि भारत पर्यटन विकास निगम राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में होटलों का निर्माण करेगा। (**व्यवधान**)

प्रो मधु दंडवते : क्या राज्य सरकार गैर-सरकारी है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : नहीं महोदय, मैं भारत पर्यटन विकास निगम का राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में सहयोग करने के बारे में बात कर रहा हूँ···(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानना चाहते हैं कि वह कौन सी राज्य सरकार है।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं संयुक्त उद्यम के बारे में उत्तर दे रहा हूँ। (**व्यवधान**)

श्री एस. जयपाल रेड्डी। संयुक्त उद्यम भारत और अमरीका के साथ है। (**व्यवधान**)

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र का जिक्र किया है। यह न केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ है बल्कि राज्य सरकार के साथ भी है। यह बात नहीं है कि अकेले भारत सरकार ही सारे देश में होटल परियोजना के विस्तार के लिए होटलों का निर्माण करेगी। अतः यह भारत सरकार की नीति है कि होटल परियोजनायें भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। परन्तु पुरी, रांची और इसी प्रकार की परियोजनाओं के बारे में हमारी राज्य सरकारों से साथ सहमति हुई है कि इन्हें संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के रूप में लिया जायेगा। जहां तक विदेशों का संबंध है हमने हाल ही में उन देशों में संयुक्त उद्यम परियोजना आरम्भ की है, जिसका माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है। यह हमारी कोशिश है कि केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र के प्रयासों से देश में पर्यटन के विकास में सहायता मिलेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक ने इस बात पर संतोष जाहिर किया हैं कि भारत आ रहे विदेशियो की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और उन्होंने कुछ परियोजनाओं की रूप रेखा पेश की है जोंकि इस देश में विदेशी पर्यटकों के भविष्य में आगमन को बढ़ावा देगी, जिसमें भारतीय पर्यटन विकास निगम भी एक भूमिका अदा कर रहा है। विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से विदेशी पर्यटकों का आगमन निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन सभी योजनाओं और परियोजनाओं में, जो कि भारत पर्यटन विकास निगम बना रहा है, न केवल विदेशी पर्यटकों के लिए अपितु स्वदेशी पर्यटकों के लिए भी होटल, विश्राम गृह अतिथि गृह आदि की सुविधायें मुहैया कराने का कोई विशेष विचार है क्योंकि स्वदेशी पर्यटन व्यापार में भी हो रही है ? आमतौर पर भारत पर्यटन विकास निगम के प्रतिष्ठान इस प्रकार के और उनमें इतना खर्चा होता है कि जहां साधारण मध्यम वर्ग का भारतीय पर्यटक, जोकि हमारे देश के विभिन्न भागों का चक्कर लगाना चाहता है, इन भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रतिष्ठानों

के खर्चे को वहन नहीं कर पाता है। जो कुछ आप विदेशी पर्यटकों के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। परन्तु उपयुक्त, उचित प्रतिष्ठान, होटल आदि उपलब्ध आदि कराने के लिए अधिक ध्यान दिये जाने हेतु क्या किया गया है जोकि हमारे मध्यम वर्गीय पर्यटकों के सीधे साधे माध्यम की पूर्ति करेगा जो विदेशी नहीं हैं बल्कि भारतीय हैं ?

श्री गिरिधर गोमांगो : जहां तक स्वदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देने की बात है मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कोई और परियोजनायें हैं ?

श्री गिरिधर गोमांगो : 1982 में 405 होटल थे 1988 में जिनकी संख्या बढ़ाकर 539 हो गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह क्या कह रहे हैं ?

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं स्वदेशी पर्यटन के बारे में तथ्यों को बयान कर रहा हूं। मैं स्वदेशी पर्यटन के बारे में माननीय सदस्य के दावे से सहमत हूं। परन्तु यह मुख्य प्रश्न से सम्मलित नहीं है। प्रश्न इस बात से संबंधित हैं कि हमने कितनी विदेशी मुद्रा कमाई।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हमने स्वागत किया। परन्तु मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 59 होटलों को विदेश से कोई चीजें आयात करने की अनुमति दी गई है, जोकि भारत में उपलब्ध है जैसे संगमरमर, छुरी कांटा जबकि समान गुणवत्ता की ये सब चीजें भारत में उपलब्ध हैं। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठायेगी कि अन्धा धुन्ध आयात को ठीक प्रकार से रोका जा सके ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तमिलनाडु में मछली पकड़ना

*638. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य पोतों द्वारा मछुआरों के क्षेत्र में मछली पकड़ने के कारण जिसके परिणामस्वरूप, मछली पकड़ने की संभावनाएं और जोखिम प्रभावित होती है, स्थानीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत नावों और मत्स्य पोतों के आपरेटरों के बीच कई बार संघर्ष होने की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मत्स्य पोतों पर निगरानी रखने का कार्य तटरक्षकों को सौंपने का है ताकि इन मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित की जा सके ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) 1987 में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में स्थानीय मछुआरों तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के बीच झगड़े होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। 1987 के दौरान परम्परागत मछुआरों तथा यांत्रिकृत नावों के आपरेटरों के बीच

कोई बड़ा संघर्ष होने की रिपोर्ट भी नहीं मिली है। तथापि, 1987 में कन्याकुमारी तथा रामनाथपुरम के तटीय क्षेत्र से परम्परागत नौकाओं और यांत्रिकृत नौकाओं के बीच दो छिटपुट घटनाओं की रिपोर्ट दी गई थी।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि भारतीय कम्पनियों के स्वामित्व वाले गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के प्रचालन के नियमित करने का पर्यवेक्षण तट-रक्षकों (कोस्ट गार्ड) को सौंप दिया जाए। तथापि कोस्ट गार्ड को भारत के समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रवर्तन को पदनामति एजेंसी बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत भारत के एक मात्र आर्थिक क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी मत्स्यन जलयानों को चार्टर किया गया है।

सहकारी क्षेत्र में खाद्य पदार्थों का संसाधन

*639. **श्री सुभाष यादव :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र को खाद्य पदार्थों के संसाधन के क्षेत्र में इस समय की तुलना में बड़े पैमाने पर भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कृषि संसाधन के कार्य में उन्हें दी गई सहायता एवं प्राथमिकता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहकारी क्षेत्र ने खाद्य पदार्थों के संसाधन की अनेक योजनाओं के प्रस्ताव रखे हैं;

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इनके कार्यान्वयन में सरकार उनकी जिस सीमा तक सहायता करने के लिए सहमत हुई है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) (क) से (ङ) सहकारी क्षेत्र को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा खाद्यान्नों के प्रोसेसिंग तथा फल और सब्जियां प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। खाद्यान्नों की प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा तथा फलों और सब्जी प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए केन्द्रीय खाद्य विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

सहकारी क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए फलों तथा सब्जियों की खरीद करने प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने, परिवहन वाहनों की खरीद करने तथा बागवानी उत्पादों के लिए गोदामों तथा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने जैसे प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता दी जाती है।

निगम ने 31.3.1988 तक खाद्यान्नों की 696 प्रोसेसिंग इकाईयां स्थापित करने के लिए 17.72 करोड़ रुपए और फल और सब्जी की 39 प्रोसेसिंग इकाईयों के लिए 8.18 करोड़ रुपए की सहायता दी है।

देश में बेरोजगारी

*641. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के अन्त तक युवावर्ग के बेरोजगार स्नातक तथा स्नातकोत्तर पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या थी;

(ख) वर्ष 1984 से प्रतिवर्ष डिग्री प्राप्त करने वाले तथा रोजगार प्राप्त करने वाले युवा पुरुष और महिलाओं के बीच अनुपात क्या है; और

(ग) ऐसे बेरोजगार स्नातक तथा स्नातकोत्तर युवाओं को और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना जो वर्ष 1983 में किये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 38वें दौर के परिणामों तथा एक जुलाई 1983 के लिए जनसंख्या प्रक्षेपों पर आधारित है, नीचे दी गई हैं :—

(एक) मुख्य तथा गौण दोनों स्तरों को हिसाब में लेते हुए सामान्य स्तर के स्नातक तथा ऊपर के बेरोजगार व्यक्तियों, जो 15+आयु के हैं, की अनुमानत संख्या।

	(लाख रु.)
पुरुष	4.89
महिलाएं	2.03

(दो) मुख्य तथा गौण दोनों स्तरों को हिसाब में लेते हुए सदृश्य श्रम बल में से सामान्य स्तर के नियोजित स्नातक तथा उससे ऊपर के व्यक्तियों जो 15+आयु के हैं की अनुमानित प्रतिशतता

	(प्रतिशतता)
पुरुष	93.0
महिलाएं	79.8

(ग) शिक्षित जनशक्ति को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों की रूप रेखा 7वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अध्याय 5 खंड II में दी गई है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकलापों के प्रौद्योगिकीय विकास तथा विस्तार के परिणामस्वरूप शिक्षित जनशक्ति के लिए रोजगार अवसरों में पर्याप्त विस्तार हुआ है। विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जनशक्ति की मांग में अतिरिक्त स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों के लिए रोजगार अवसर मुख्यत: उद्योग बैंकिंग परिवहन संचार तथा जन सेवाओं में सृजित होंगे। इस उद्देश्य के लिए इलैक्ट्रानिकी कम्प्यूटर पद्धति नाभिकीय विज्ञान उपग्रह संचार पर्यावरण इन्जीनियरिंग बायो इन्जीनियरिंग गैर अभिसामयिक उर्जा साधन विकास तथा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संस्थानों/विश्वविद्यालयों तथा इलैक्ट्रानिकी में विकसित प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण देने जाब प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने उच्च प्रशिक्षण संस्थाए स्थापित करने, विद्यमान दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्रों को अद्यतन करने में लगे अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार देने की योजना जिसका उद्देश्य

शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार उद्यम अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देना है, भी स्नातकों तथा स्नातकोत्तर की लाभान्वित करती हो।

तेल की पिराई करने वाली इकाइयों की तिलहनों की आवश्यकता

*642. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तिलहनों का उत्पादन तेल की पिराई करने वाली इकाइयों की आवश्यकता पूरी करने हेतु पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं तो इसका तेल की पिराई करने वाली इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यवार क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं अथवा करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) देश में तेल निष्कर्षण एककों की क्षमता तिलहनों के उत्पादन से अधिक है। क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

(ख) सरकार तिलहनों के उत्पादन को अधिक से अधिक करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, जो कि नीचे दिए गए हैं :—

(1) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को लागू करना।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना।

(3) तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे गैर पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) प्रधानमंत्री के आदेशानुसार तिलहन उत्पादन के बारे में एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करना।

तिलहन उगाने वाले राज्यों में दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन संवर्द्धन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। ये योजनाएं आन्ध्र प्रदेश असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं के तहत 9 तिलहन अर्थात मूंगफली, तिल, रेपसीड, सरसों सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम नाइजर अलसी तथा अरण्डी आते हैं।

चीनी मिलों के लिए प्रोत्साहन

*644. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं योजना में नई चीनी मिलें स्थापित करने और मौजूदा चीनी मिलों के विस्तार के लिये प्रोत्साहन देने संबंधी किसी प्रस्ताव की जांच कर रही है।

(ख) क्या सरकार चीनी उद्योग के कार्यकरण के लिये कतिपय दक्षता मानदण्ड भी निर्धारित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंसशुदा नयी चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहनप्रदान करने तथा चीनी उद्योग के लिए कार्यकुशलता के मापदण्ड निर्धारित करने विषयक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

दुग्ध उत्पादन का आकलन

[हिन्दी]

*645 **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली द्वारा वर्ष 1990 तक दुग्ध उत्पादन के बारे में हाल ही में किये गये आकलन की जानकारी है;

(ख) क्या इस आकलन के अनुसार देश में दुग्ध की उपलब्धता आवश्यकता से बहुत कम होगी; और

(ग) वर्ष 1990 तक दुग्ध की अनुमानित उपलब्धता और आवश्यकता कितनी-कितनी होगी ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक 75वीं भारतीय विज्ञान सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में 1990 तक दूध उत्पादन के संबंध में अपना मूल्यांकन दिया है।

(ख) और (ग) दूध की मांग क्रय की शक्ति उपभोक्ता की आदत आदि जैसे तथ्यों पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार पशु तथा डेरी विकास के लिए किए गए विभिन्न उपायों के माध्यम से सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमानित 514 लाख मीटरी टन की मांग 1989-90 तक प्राप्त हो जाने की आशा की जाती है।

उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की खेती

*646 **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने संबंधी कोई विशेष प्रोत्साहन योजना तैयार कर रही है ?

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य सरकार को सोयाबीन की खेती के विकास के लिये कितनी धनराशि देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना की राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और केन्द्रीय क्षेत्र योजना की तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (ग्रस्ट) परियोजना 16 जिलों में चलायी जा रही हैं जिसमें सोयाबीन का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन कर.. के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण आदानों पर वित्तीय सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है और प्रौद्योगिकी का अन्तरण किया जाता है।

(घ) वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना के अन्तर्गत सोयाबीन सहित नौ (9) तरह की तिलहनों का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिये 178.078 लाख रुपए राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा इसी वर्ष में ही 1988 89 में तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (ग्रस्ट) परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिये सभी तिलहनों का विकास करने के लिये 325.40 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसमें से 90.40 लाख रुपए की राशि अकेले सोयाबीन के विकास पर ही खर्च होगी ?

"कश्मीर हाउस" खाली कराना

[अनुवाद]

*647 **प्रो सैफुद्दीन सोज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में राजाजी मार्ग स्थित कश्मीर हाउस रक्षा मंत्रालय के कब्जे में है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को दिल्ली में आवास की कमी से बड़ी असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस भवन का उपयोग करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में सूचित किया है।

(ग) रक्षा मंत्रालय इस भवन को छोड़ने के लिए असमर्थ है क्योंकि वास की काफी कमी होने के कारण वैकल्पिक वास उपलब्ध नहीं है। रक्षा मंत्रालय के लिए एक कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। कार्यालय वास की सम्पूर्ण अपेक्षताओं, जो उस समय होंगी, को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के पश्चात ही कश्मीर हाउस को छोड़ने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम

*648. **श्री एस जी घोलप** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के समस्त क्षेत्र में गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा योजना के लिए कितना ऋण दिया गया है और किन शर्तों पर;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) मलिन बस्ती सुधार/उन्नयन योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार योजना प्रावधानों में से तैयार की जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को वृहद बम्बई में आवास तथा मलिन बस्तियों की विकट समस्या पर काबू पाने के लिए स्वीकृत किए गए तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान खर्च किए जाने वाले 100 करोड़ रुपये के योजना भिन्न अनुदान में से महाराष्ट्र सरकार का मलिन बस्ती उन्नयन पर 22 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग) विश्व बैंक सहायता प्राप्त बम्बई शहरी विकास परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ 340 लाख अमरीकन डालर की अनुमानित लागत का मलिन बस्ती उन्नयन घटक शामिल है। यह राशि, ऋण करार हस्ताक्षर करते समय प्रचलित मानक शर्तों पर उपलब्ध की गई है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग

*649 **प्रो नाराणचन्द परांजपे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की इस बीच स्थापना कर दी गई है;

(ख) क्या राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों की भी स्थापना की गई है जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकें;

(ग) क्या उन दोषी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त संस्थाओं को भी इस आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया गया है। जिनके द्वारा समय पर विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित न किए जाने के कारण, या विद्यमान योजनाओं/परियोजनाओं से नियमित और संतोषजनक सेवाएं, जो उनकी जिम्मेवारी है, प्रदान न किए जाने के कारण उपभोक्ताओं/जनता को हानि अथवा असुविधा होती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुख राम : (क) से (घ) उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्द तथा कम खर्च पर निपटाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू किया है। अधिनियम में, उपभोक्ता की शिकायतों का सरल रूप में तथा तेजी से निपटान करने के लिए, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित करने के लिए कार्यवाही कर रही है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। बिहार सरकार ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अधिसूचना कर दी है। कुछ अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित करने की कार्यवाही को अन्तिम रूप दे दिया है।

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त तथा सहकारी क्षेत्रों आदि द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है। इस अधिनियम के तहत परिकल्पित अर्धन्यायिक तंत्र, सभी क्षेत्रों, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाएं शामिल हैं, द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई दोषपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं आदि से संबंधित उपभोक्ता विवादों के बारे में निर्णय करेगा।

गन्ने की खरीद

[हिन्दी]

*650. **श्री शांति धारीवाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी मिलों ने वर्ष 1987-88 में निर्धारित मूल्यों पर किसानों से गन्ने की खरीद नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां से इस प्रकार के मामलों की जानकारी सरकार को दी गई है;

क्या इन चीनी मिलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) (क) : ऐसे किसी मामले के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है जहां फैक्ट्रियों ने 1987-88 मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर गन्ने की खरीदारी की हो।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

उर्वरक विभाग में अध्ययन दल

[अनुवाद]

*651 **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक विभाग के मुख्य सलाहकार के नेतृत्व में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया था,

(ख) क्या अध्ययन दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है,

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं,

(घ) क्या नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की मांग के सम्बन्ध में कोई दीर्घकालीन अनुमान लगाये गये हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार है.

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) मुख्य सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए नाइट्रोजन युक्त संयंत्रों की संख्या, प्रकार, स्थान और फीड स्टाक संबंधी सुझाव देना था।

(ख) अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट 5 मई, 1987 को प्रस्तुत की।

(ग) से (ङ) लम्बी अवधि के मांग अनुमान, अनुमानित उत्पादन और अध्ययन दल की सिफारिशें तथा मांग को पूरा करने के प्रस्ताव सहित मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

लम्बी अवधि के मांग अनुमान, उर्वरकों का अनुमानित उत्पादन और अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार है—

(आंकड़े लाख टन न्यूट्रियन्ट्स में)

मांग अनुमान और अनुमानित उत्पादन वर्ष	मांग अनुमान	नाइट्रोजन अनुमानित उत्पादन	कमी	P_2O_5 मांग अनुमान
1989-90	91-93	63.67	27.31	30-32
1994-95	129	77.69	51.31	45

अनुमान है कि P_2O_5 का आयात 15 से 20 लाख टन के बीच होगा।

सिफारिशें

अध्ययन दल ने सिफारिशें की कि उर्वरकों की भावी कमी को उत्पादन और क्रय विकल्पों के संयुक्त माध्यम से पूरा करना ठीक रहेगा। जहां तक P_2O_5 की कमी का प्रश्न हैं, इसे आयात के माध्यम से ही पूरा करने की सिफारिश की गई थी।

2. यह भी सिफारिश की गई थी कि उत्तरी क्षेत्र में 1350 टन प्रतिदिन क्षमता वाले अमोनिया और अनुरूप क्षमता वाले यूरिया के 4-5 संयंत्र स्थापित करना आवश्यक होगा।

3. नए नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस को भीड स्टाक के रूप में इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई।

मांग को पूरा करने के लिये उपाय

वर्ष 1994-95 में 51·52 लाख टन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिये अध्ययन दल द्वारा यह सुझाव दिया गया हैं कि उसे आंशिक रूप से (लगभग 36 लाख टन) आयात द्वारा और आंशिक रूप से (15-16 लाख टन) अतिरिक्त क्षमता स्थापित करके पूरा किया जाय। अध्ययन दल की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

उर्वरकों की औसत खपत

*652. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर और उड़ीसा में उर्वरकों की औसत खपत कितनी है;

ऐसे राज्यों में, जहां उचित संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का उपज और कृषि के क्षेत्र में पिछड़ेपन के आधार पर अल्पकालिक ऋणों पर उर्वरकों का वितरण करने का मानदंड त्याग देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) 1987-88 के दौरान उर्वरक की प्रति हैक्टेयर अनुमानित खपत राष्ट्रीय स्तर पर 51.56 कि.ग्रा./हैक्टेयर और उड़ीसा में 17.76 कि.ग्रा./हैक्टेयर है।

(ख) किए गए उपायों में ग्राम स्तर पर अतिरिक्त खुदरा केन्द्र खोलना, खंड प्रदर्शन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, खंड मुख्यालयों से ग्राम स्तर तक उर्वरक ले जाने के लिए परिवहन राज सहायता प्रदान करना, मृदा परीक्षण संबंधी सुविधाएं बढ़ाना, संवर्द्धन कार्यक्रमों आदि को शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले के मुख्य उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करना शामिल है।

(ग) जी, नहीं। कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण को मंजूर करते समय ये मानदंड भी ध्यान में रखे जाते हैं।

बंधुआ-मजदूर

[हिन्दी]

*653. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि मध्य प्रदेश में अभी भी कितने बंधुआ मजदूर हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक मुक्त करके बसा दिया जायेगा; और

(ग) उनके पुनर्वास संबंधी योजना का ब्योरा क्या है ?

श्रम संत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 29-2-88 तक, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 6,793 बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया गया तथा उन्हें मुक्त कराया गया, जिनमें से 5422 को पुनर्वासित किया गया है। शेष 1,371 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया जाना है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वे पता लगाए गए तथा मुक्त कराये गए सभी बंधुआ श्रमिकों को 1988-89 के अन्त तक पुनर्वासित करें।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं उनकी व्यक्तिगत अभिरूचियों तथा रुझान को ध्यान में रखते हुए तैयार करें। ये योजनाएं भूमि पर आधारित या गैर भूमि पर आधारित दोनों हो सकती हैं। राज्यों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को अन्य गरीबी निवारण कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों का गैर-कानूनी आवंटन

[अनुवाद]

6500. डा. बी. एल. शैलेश :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री पी. एम. सईद :

श्री एच. एन. नन्जे गौडा :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री जी. एस. बसवराजू :

श्री एस. बी. सिदनाल :

श्री हरिहर सोरन :

श्री सी. माधव रेड्डी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों द्वारा हाल ही में वाणिज्यिक और आवासीय भूखंडों को गैर-कानूनी रूप से आवंटित किये जाने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निवारण उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्राधिकरण द्वारा प्राप्त पुलिस रपट के अनुसार प्लाटों के कथित अवैधानिक आवंटन में दिल्ली विकास प्राधिकरण के 4 कर्मचारी सम्मिलित हैं। उपर्युक्त मामले के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्नलिखित कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस की अपराध व रेलवे शाखा द्वारा धारा 406/420/120-ख भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दिनांक 28.1.88 की प्रथम सूचना रपट संख्या 35 का एक मामला दर्ज किया गया है :—

1. श्री ओ. पी. कौशिक, सहायक समझौता अधिकारी

2. श्री रूपचन्द चौकीदार, उद्यान विभाग

3. श्री हरीश वत्स, } मलिन बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ी
4. श्री राम दर्शन }

दिल्ली पुलिस की अपराध व रेलवे शाखा जांच कर रही है।

(ग) इसके मंगोलपुरी, दिल्ली शाखाओं में तैनात स्टाफ को अत्यधिक सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं।

(घ) गिरफ्तारी रपट प्राप्त होने पर इन कर्मचारियों को पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी की तारीख से निलम्बित कर दिया गया है।

उर्वरक कम्पनियों द्वारा दी गई छूट

6501 श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र, और सहकारी क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक संयंत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की बिक्री के लिए वास्तव में कुल कितनी छूट प्रदान की गई,

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान 200 रुपये से 800 रुपये तक की छूट दी गई थी,

(ग) यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है,

(घ) क्या भारत उर्वरक संघ ने उर्वरकों की बिक्री पर छूट देने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है, और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिचौलियों ने किसानों की अपेक्षा अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त की है,

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) से (ग) उर्वरक आपूर्तिकर्त्ता सामान्यत: आफ सीजन के दौरान उर्वरकों की बिक्री पर थोड़ी सी छूट देते हैं। तथापि, 1986-87 में लगातार खराब मानसूनों से उत्पन्न बहुलता की स्थिति की वजह से आपूर्तिकर्त्ताओं ने भारी छूट दी। यह अनुमान है कि 1986-87 के दौरान सरकारी और सहकारी क्षेत्रों ने 145.62 करोड़ रु. की छूट दी।

(घ) सरकार ने स्थिति की गंभीरता महसूस की और जुलाई, 1987 में उद्योग को निर्देश दिया कि अधिसूचित मूल्यों पर उर्वरकों की आपूर्ति करें।

(ङ) उर्वरक प्रतिधारित मूल्य योजना के अन्तर्गत, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता का भुगतान उद्योग को सीधा किया जाता है।

कटक में मत्स्य पालक विकास एजेंसियां

6502. श्री चिंतामणि जेना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के दौरान कटक में एक नई खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसी स्थापित की जानी थी,

(ख) क्या क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से 50 प्रतिशत सहायता से खारे जल के तालाबों का निर्माण कार्य जारी रहेगा,

(ग) क्या पारादीप में झींगा हैचरी का निर्माण वर्ष 1988-89 के दौरान पूरा हो जाएगा,

(घ) क्या विकसित किये जाने पर इस हैचरी में डिमक उपरान्त अवस्था के 5 करोड़ झींगा मछली के बीज पैदा किये जाने की संभावना है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण से खारे पानी के क्षेत्रों के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को खारे पानी में मछली पालन का समेकित विकास के नाम से सातवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जा रहा है। इस योजना में उड़ीसा सहित तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खारे पानी में मछली फार्मों को स्थापित करने का एक घटक है। इस योजना में राज्य सरकार को अनुदान सहायता के रूप में इस प्रकार के फार्मों का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली 50 प्रतिशत देयता की व्यवस्था है।

(ग) भारत सरकार ने पारादीप में किसी झींगा हैचरी की मंजूरी नहीं दी है।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य नौकाओं के लिए ऋण

6503. **श्री एन. डेनिस :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों, व्यक्तियों आदि का ब्यौरा क्या है, जिन्हें गत पांच वर्षों के दौरान देश में भारतीय फर्मों तथा विदेशी फर्मों द्वारा मत्स्य नौकाओं के निर्माण के लिए ऋण दिए गए हैं, और

(ख) उन्हें कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

	पार्टी का नाम जिसे ऋण दिया गया था	गत तीन वर्षों अर्थात 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 (4.2. 1988 तक) के दौरान वितरित किए गए कुल वास्तविक ऋण की धनराशि
1.	मैसर्ज श्रीनिवास सोफूडस लि.	3, 11, 84, 615. 57
2.	मैसर्ज यमुना सोफूडस लि.	2, 88, 11, 385. 75
3.	मैसर्ज मराइन फिशरीज (प्रा.) लि.	55, 40, 133. 08
4.	मैसर्ज एस.बी.एस. मराइन एक्सपोर्ट लि.	2, 20, 40, 213. 14
5.	मैसर्ज डान फिशरीज (प्रा.) लि.	49. 01, 400. 00
6.	मैसर्ज लोला सोफूड्स (प्रा.) लि.	49, 01, 400. 00
7.	मैसर्ज मुलगाडा मराइन (प्रा.) लि.	61, 26, 750. 00
8.	मैसर्ज गोल्डन फिशरीज लि.	1, 43, 36, 081. 50
9.	मैसर्ज ट्रोपिकल शिपिंग लि.	83, 57, 767. 75
10.	मैसर्ज गोल्डन प्रोटोन लि.	52, 62, 300. 25

	1	2
11.	मैसर्ज वरूण मराइन प्रोडक्ट लि.	2, 71, 93, 501. 50
12.	मैसर्ज पोर सोजन फिशरोज लि.	2, 96, 12, 110. 00
13.	मैसर्ज वी. बी. सी. एक्सपोर्ट लि.	2, 96, 12, 110. 00
14.	मैसर्ज एकमा मराइन लि.	2, 44, 04, 377. 05
15.	मैसर्ज श्रिम इंडिया लि.	2, 43, 61, 522. 70
16.	मैसर्ज कीस्टल ट्रावलर्स लि.	2, 57, 74, 086. 60
17.	मैसर्ज उषा सोफूड्स लि.	1, 40, 98, 039. 00
18.	मैसर्ज सर्व शक्ति फिशरोज लि.	1, 22, 03, 000. 00
19.	मैसर्ज मात्स्यिका एक्सपोर्ट्स लि.	1, 09, 67, 880. 00
20.	मैसर्ज बाबको सीफूड्स लि.	44, 30, 580. 00
21.	मैसर्ज ओसन प्रोडक्ट एंड शिपिंग लि.	1, 34, 24, 864. 00
22.	मैसर्ज जी. पी. मराइन प्रोडक्ट्स इंडिय लि.	57, 67, 671. 20
23.	मैसर्ज कंचन गंगा सीफूड्स लि.	57, 67, 671. 20
24.	मैसर्ज येदुगिरी सीफूड्स लि.	2, 22, 46, 730. 10
25.	मैसर्ज शबरी फिशरीज (प्रा.) लि.	42, 16, 871. 00
26.	मैसर्ज श्रेयास सीफूट्स (प्रा.) लि.	42, 16, 871. 00
27.	मैसर्ज कप्रोकोर्न फिशरीज (प्रा.) लि.	42, 16, 871. 00
28.	मैसर्ज सरवनान मराइन प्रोक्ड्स (प्रा.) लि.	26, 71, 740. 00
29.	मैसर्ज कोंटिनेन्टल फिशरोज (प्रा.) लि.	22, 15, 290. 00
30.	मैसर्ज रेलियान्स सीफूड्स लि.	1, 40, 98, 039. 00
31.	मैसर्ज शिपिंग कंसोर्टियम लि.	1, 40, 98, 039. 00
32.	मैसर्ज जबिली मराइन (प्रा.) लि.	22, 15, 290. 00
33.	मैसर्ज तशिना सीफूड्स (प्रा.) लि.	1, 40, 039. 00
34.	मैसर्ज रघु सोफूड्स (प्रा.) लि.	55, 30, 371. 00
35.	मैसर्ज सगरिका सोक्राफ्ट लि.	22, 15, 290. 00
36.	मैसर्ज जेमिनी सीफूड्स (प्रा.) लि.	22, 15, 290. 00
37.	मैसर्ज श्री मुरूगन फिशरीज (प्रा.) लि.	55, 56, 296. 90
38.	मैसर्ज वैंकटेश्वरा फिशरीज (प्रा.) लि.	64, 95, 850. 00
39.	मैसर्ज सीमेन फिशरोज (प्रा.) लि.	80, 73, 450. 00
40.	मैसर्ज होलो आइलैंड फिशरोज (प्रा.) लि.	80, 73, 450. 00
41.	मैसर्ज सोगुल सोफूड्स (प्रा.) लि.	1, 02, 10, 018. 00
42.	मैसर्ज चोलमंडल सीफूड्स कम्प. (प्रा.) लि.	1, 02, 19, 018. 00

	1	2
43.	मैसर्ज पल्लव सीफूड्स (प्रा.) लि.	86, 37, 480. 00
44.	मैसर्ज दाना शिपिंग लि.	2, 08, 88, 400. 00
45.	मैसर्ज श्री लक्ष्मी मराइन प्रोडक्टस लि.	1, 01, 04, 750. 00
46.	मैसर्ज सेन्नाई फिशरीज लि.	90, 28, 800. 00
47.	मैसर्ज काजा सीफूड्स लि.	57, 67, 671. 20
48.	मैसर्ज नक्कान्ती शीफूड्स लि.	57, 67, 671. 20
49.	मैसर्ज हाई सीफूड्स लि.	33, 01, 375. 00
50.	मैसर्ज प्रेमीयर ट्रावलिंग (प्रा.) लि.	26, 71, 740. 00
51.	मैसर्ज गोस मराइन प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि.	26, 71, 740 00
52.	मैसर्ज स्वागत मराइन प्रोड्क्ट्स (प्रा.) लि.	41, 98, 460. 00
53.	मैसर्ज क्राउन फिशरी (प्रा.) लि.	26, 71, 740. 00
54.	मैसर्ज महालक्ष्मी मराइन प्रोटक्ट्स (प्रा.) लि.	26, 71, 740. 00
55.	मैसर्ज शरमिला फिशरीज प्रोड्क्टस (प्रा.) लि.	73, 85, 380. 00
56.	मैसर्ज विक्टोरिया फिशरोज लि.	1. 77, 93, 125. 00
57.	मैसर्ज मिचल सीफूड्स (प्रा.) लि.	71, 34, 192. 00
58.	मैसर्ज गीता मराइन प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि.	3, 85, 070·00
59.	मैसर्ज भवानी मराइन (प्रा.) लि.	3, 90, 020. 00
60.	मैसर्ज सोबे वेंचरेस (प्रा.) लि.	3, 90, 020. 00
61.	मैसर्ज वैस्टर्न बाटरक्राफ्ट (प्रा.) लि.	3, 61, 574. 20
62.	मैसर्ज गंगा कावेरी (प्रा.) लि.	7, 63, 320. 00
63.	मैसर्ज उड़ीसा मेरोटइम एंड चिल्का क्षेत्र विकास निगम लि.	3, 16, 470. 00
	योग	रुपए: 59, 04, 29, 890. 89

साबरमती आश्रम में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

6504. **श्री मोहन भाई पटेल :**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने और किन-किन स्थानों पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं;

(ख) क्या अन्य शहरों में भी यह कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) क्या गुजरात में साबरमती आश्रम में भी यह कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) निम्नलिखित स्थानों पर ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन शुरू किए गए हैं :—

(1) लालकिला, दिल्ली

(2) शालीमार बाग, श्रीनगर

(3) साबरमती आश्रम, अहमदाबाद (गुजरात)

(4) बक्सर (बिहार) में राम रेखा घाट

(5) तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके निम्नलिखित स्थानों पर ध्वनि-व-प्रकाश कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं :—

(1) गोलकुण्डा किला, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

(2) मन मन्दिर, ग्वालियर किला (मध्य प्रदेश)

(3) जोरासांको, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में रवीन्द्रनाथ के घर (रवीन्द्र भारती)

(4) सेल्लूलर जेल, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह

(ग) गुजरात में साबरमती आश्रम में ध्वनि-व-प्रकाश कार्यक्रम पहले ही दिखाया जा रहा है।

काली मिर्च का उत्पादन लक्ष्य

6505. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान काली मिर्च के उत्पादन के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उपर्युक्त वर्ष में काली मिर्च के उत्पादन में कितनी उपलब्धि हुई; और

(ग) काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) योजना आयोग ने 1987-88 के दौरान काली मिर्च का उत्पादन करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, काली मिर्च का उत्पादन 32, 850 मीटरी टन था।

(ग) काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1987-88 से कार्यान्वित की जा रही मसालों के समेकित विकास करने की केन्द्र द्वार प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलित उपाय किए जाते हैं।—

(1) काली मिर्च की जड़ वाली कलमों का उत्पादन तथा वितरण।

(2) उर्वरकों तथा पौध संरक्षण रासायनों के आदान किटों का वितरण।

(3) प्रदर्शन उद्यानों की स्थापना; और

(4) पुराने तथा अनुत्पादक उद्यानों का नवीकरण।

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में जमा उपकर

[हिन्दी]

6506. **श्री नन्द लाल चौधरी :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में जमा की गई उपकर की राशि का क्षेत्रवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में इस निधि से क्षेत्रवार/राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई और यह किन-किन प्रयोजनों के लिए व्यय की गई;

(ग) गत तीन वर्षों में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में क्षेत्रवार/राज्यवार कुल कितनी धनराशि जमा कराई जानी थी और वस्तुतः कितनी धनराशि जमा कराई गई; और

(घ) इस निधि में शेष राशि जमा कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1984-85 से 1986-87 तक तैयार की गई बीडियों पर उपकर (उत्पाद शुल्क) के माध्यम से जमा कराई गई राशि के क्षेत्र-वार ब्योरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) उक्त निधि से 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के दौरान खर्च की गई राशि के क्षेत्र-वार और शीर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण 2,3 और 4 में दिए गए हैं।

(ग) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन उत्पाद शुल्क के रूप में तैयार बीड़ियों पर उपकर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में कलैक्टरों द्वारा एकत्र किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलैक्टरों से तीन वर्षों 1984-85 से 1986-87 तक की मासिक विवरणियां प्राप्त हो गई है और यह राशि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में स्थानांतरित हो गई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिए निर्मित बीड़ियों पर उपकर (उत्पाद शुल्क) के रूप में क्षेत्रवार जमा की गई राशि

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1984-85	1985-86	1986-87	टिप्पणियां
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़।	21.05	22.41	26.02	
2.	बंगलौर	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप	65.75	70.54	71.22	
3.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	5.01	4.88	4.95	
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	31.62	34.50	4.02	1984-85 और 1985-86 के लिए कलकत्ता क्षेत्र से संबंधित आंकड़े शामिल हैं।
5.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम	—	—	32.27	1986-87 के दौरान कलकत्ता क्षेत्र बनाया गया
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू, पांडिचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	106.24	109.14	118.05	
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	77.54	79.76	81.32	
8.	करमा	बिहार	17.49	19.14	19.43	
9.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव	32.06	32.27	39.54	
	कुल		356.76	372.64	396.82	

विवरण-2

1984-85 के लिए व्यय के आंकड़े बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

(रुपये लाखों में)

क्षेत्र	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	कुल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
इलाहाबाद	2.58	8.86	4.00	0.04	0.60	16.08	
बंगलौर	4.79	31.68	6.89	—	0.32	43.68	
भुवनेश्वर	4.19	21.25	6.00	—	0.45	31.89 ×	कलकत्ता क्षेत्र के आंकड़ों सहित
भीलवाड़ा	1.97	12.75	3.00	0.02	—	17.74	
कलकत्ता	—	—	—	—	—	—	1986-87 में यह क्षेत्र बनाया गया था
हैदराबाद	2.57	16.30	8.12	—	—	26.99	
जबलपुर	3.41	13.33	10.96	0.05	0.25	28.00	
करमा	1.18	10.64	3.88	—	—	15.70	
नागपुर	5.37	5.44	9.00	—	—	19.81	

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त के अतिरिक्त 4.29 लाख रुपये की राशि "आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों" के लिए आवास योजना के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रुप में दी गई थी और 0.94 लाख रुपये की राशि 1984-85 के दौरान बीड़ी कर्मकारों को "आवास के लिए ऋण" के रुप में दी गई थी।

विवरण-3

1985-86 के लिए व्यय आंकड़े बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

(रुपये लाखों में)

क्षेत्र	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	कुल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
इलाहाबाद	4.51	11.98	4.41	0.11	0.49	21.50	
बंगलौर	4.75	37.36	9.18	—	0.32	51.61	
भुवनेश्वर	4.55	26.17	6.52	0.18	0.28	37.70	कलकत्ता क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों सहित
भीलवाड़ा	1.76	12.94	4.80	0.04	—	19.45	
कलकत्ता	—	—	—	—	—	—	क्षेत्र को 1986-87 में बनाया गया था
हैदराबाद	3.32	19.11	9.99	—	0.08	32.50	
जबलपुर	3.63	19.27	8.92	0.09	0.23	32.14	
करमा	1.59	11.83	4.00	0.30	—	17.72	
नागपुर	5.03	10.95	16.91	—	0.24	33.13	

नोट : उपर्युक्त के अतिरिक्त 9.56 लाख रुपये की राशि "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए आवास योजना हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में दी गई थी और 0.64 लाख रुपये की राशि 1985-86 के दौरान बीड़ी कर्मकारों को आवास के लिए ऋण के रूप में दी गई थी।

विवरण-4

1986-87 के लिए व्यय के आंकड़े बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

(रुपये लाखों में)

क्षेत्र	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	कुल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
इलाहाबाद	4.80	13.27	7.00	0.16	0.69	25.92	
बंगलौर	6.19	41.54	14.64	—	1.92	64.29	
भुवनेश्वर	3.58	21.40	2.80	0.04	0.20	28.02	
भीलवाड़ा	3.10	18.40	8.25	0.21	4.50	34.46	
कलकत्ता	6.29	13.31	10.11	—	0.25	29.96	
हैदराबाद	3.29	25.41	8.48	0.01	0.01	37.20	
जबलपुर	4.40	19.42	11.81	0.01	0.15	35.79	
करमा	1.84	11.39	6.03	0.30	—	19.56	
नागपुर	7.00	20.07	15.50	—	0.05	42.62	

पाद-टिप्पणी : उपर्युक्त के अतिरिक्त, 4.50 लाख रुपये की राशि "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए आवास योजना हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में दी गई थी और 0.15 लाख रुपये की राशि गोदामों और वर्कशेडों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के रूप में दी गई थी तथा 2.40 लाख रुपये की राशि बीड़ी कर्मकारों को आवास के लिए ऋण के रूप में 1986-87 के दौरान दी गई थी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इन्जीनियरों की संख्या और उनके रिक्त पद

[अनुवाद]

6507. **श्री आनन्द पाठक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1 जनवरी, 1988 को प्रत्येक ग्रुप में अर्थात निर्माण, रखरखाव/भंडार, योजना समन्वय सैल में तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के लिये जुनियर इन्जीनियरों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी थी तथा उनमें कितने पद खाली पड़े हुए थे;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा तथा बिहार से लौह अयस्क की खरीद

6508. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा तथा बिहार की गैर-रक्षित खानों से सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा कुल कितना लौह अयस्क खरीदा गया;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का इन खानों से लौह अयस्क की अतिरिक्त मात्रा खरीदने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गैर-रक्षित खानों से लौह अयस्क की खरीद में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार और उड़ीसा की गैर-रक्षित खान से "सेल" के इस्पात कारखानों ने लौह-अयस्क की निम्नलिखित मात्रा खरीदी थी :—

वर्ष	मात्रा (लाख टनों में)
1985-86	16.6
1986-87	16.0
1987-88 (अप्रैल, 87 से फरवरी, 88 तक)	12.6

वर्ष 1988-89 में "सेल" के कारखानों द्वारा बिहार और उड़ीसा की गैर-रक्षित खानों से लगभग 15,2 लाख टन लौह अयस्क खरीदे जाने की समावना है।

तथापि, "सेल" द्वारा अपने निजी स्रोतों से लौह अयस्क की अपनी आवश्यकता को पूरा करने पर जोर देने से केवल अवशिष्ट आवश्यकता ही बाहरी स्रोतों से खरीद कर पूरी की जाएगी।

विशेष किस्म के इस्पात एच. आर. डी. ओ. और सी. आर. एन. ओ. का आयात

6509. श्री मट्टम श्री राममूर्ति : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले तीन वर्षों के दौरान एच. आर. डी. ओ. और सी. आर. एन. ओ. विशेष प्रकार के इस्पात का वार्षिक आयात कितना किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि नये मध्यम एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता का 5 प्रतिशत भी स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड से प्राप्त नहीं कर सके हैं; और

(ग) इस्पात की अनुपलब्धता के कारण ऐसे एककों के बन्द होने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों में गर्म बेलित ग्रेड डाइनमों ग्रेड की वैद्युत इस्पात चादरों का कोई आयात नहीं किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान माध्यम अभिकरण खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत कोल्ड रोल्ड नाम-ओरिएन्टिड वैद्युत इस्पात की चादरों का आयात निम्नानुसार किया गया है :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)
1985-86	10565
1986-87	21979
1987-88 (अप्रैल-फरवरी)	39652

(ख) "सेल" द्वारा वैद्युत इस्पात की चादरों की सप्लाई गर्म बेलित डाइनुमों ग्रेड की वैद्युत इस्पात चादरों की खरीद/क्षमता पर आधारित पात्रता तथा कोल्ड रोल्ड नाम-ओरिएन्टिड के आयात/क्षमता के आधार पर की जाती है। तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत माध्यम दर्जे की दो नई इकाइयों को जो पिछले दो वर्षों के दौरान अस्तित्व में आई हैं, वर्ष 1987 में अपनी पात्रता के 40 प्रतिशत से अधिक माल प्राप्त हुआ है।

(ग) माध्यम अभिकरण की मार्फत वैद्युत इस्पात चादरों के आयात के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं, ताकि देशी उपलब्धता में अपर्याप्तता के कारण उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो।

खतरनाक कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग

6510. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कीटनाशक दवाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया है लेकिन उनका देश में अभी भी उपयोग जारी है, और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो हानिकारक घोषित कीटनाशक दवाओं का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं तथा कौन-कौन सी प्रमुख फसलों के लिए इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा कृमिनाशक दवाओं का पंजीकरण कराना एक सांविधिक आवश्यकता है। समिति सिर्फ उन कृमिनाशकों का ही पंजीकरण करती है जिनका प्रयोग मानव तथा पशुओं के लिए सुरक्षित समझा जाता है और जो वैज्ञानिक आंकडों/अध्ययनों के मूल्यांकन के आधार पर जैव-प्रभावी है। इसके फलस्वरूप, जो कीटनाशक दवाएं हानिकारक पायी जाती हैं, वे देश में प्रयोग के लिए पंजीकृत नहीं की गई हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता

अरहर की दाल का उत्पादन

6511. **श्री आर. एम भोये** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक विपदाओं के कारण अरहर की दाल के उत्पादन में कमी आयी है, और

(ख) यदि हां, तो अरहर की दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना के दौरान अरहर का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. उत्तरी राज्यों में सिंचित खेती की पद्धति में चक्रानुक्रम के आधार पर अतिरिक्त क्षेत्र में गेहूं के बाद अरहर की जल्दी पकने वाली किस्में लगाया जाना।
2. सिंचित और असिंचित दोनों ही परिस्थितियों में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली आदि में अरहर की अन्तवर्ती खेती।
3. अरहर के उन्नत बीजों का संवर्धन और उपयोग, फास्फेट युक्त उर्वरकों तथा राइजोबियम कल्चर का उपयोग और वनस्पति रक्षण संबंधी उपाय अपनाना।
4. भारत सरकार ने दालों, जिनमें अरहर भी शामिल है, का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना शुरू की है।
5. अरहर का उत्पादन बढ़ाने के लिए अरहर को भी विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

चावल और गेहूं की नई संकर किस्में

6512. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके संबद्ध संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा चावल, गेहूं तथा अनाज की फसलों की कितनी नई संकर किस्में विकसित की गई हैं;

(ख) उनमें से किसानों ने कितनी किस्मों का उत्पादन शुरू कर दिया है और उनका कौन-कौन से राज्यों में उत्पादन किया जा रहा है, और

(ग) खाद्यान्नों की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किये जा रहे नये प्रयोगों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक पूरा किया जाएगा और उपयोग में लाया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) और (ख) चावल और गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली अनेक किस्में विकसित की गई हैं और इन फसलों से संबंधित नियोजित संस्करण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई हैं। मक्के की कई अधिक उपज देने वाली संकर और कम्पोजिट किस्में भी विकसित करके जारी की गई हैं। विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की विकसित और जारी की गई लोकप्रिय संकर और दूसरी किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अधिक उपज देने वाली किस्मों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों में टिशुकल्चर और आनुवंशिक इन्जीनियरी भी शामिल हैं। इन अध्ययनों के परिणाम कुछ समय बाद मिलेंगे। पर अधिक उपज देने वाली, स्थान विशेष के लिए उपयुक्त किस्में विकसित करने के लिए समेकित प्रयास किए जा रहे हैं, जो मुख्य रोग और कीट-व्याधियों, प्रतिरोधी हो तथा मिट्टी और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सूखा सर्दी, पानी जमा होने की हालत में और लवणीयता वाली मिट्टियों में भी उगायी जा सके। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजन के तहत विभिन्न परिस्थितियों में उगाने के लिए कई आशाजनक किस्मों की समाहार जांच की जा रही है। उगाने की नजर से अनुकूलता की जांच के लिए धान की 36, गेहूं की 12, मक्के की 17, दालों की 23, सोर्घम की दो और जौ की 5 नई आशाजनक किस्मों की पहचान की गयी है। अनुकूलता और मिनिकिट परीक्षणों में बेहतर साबित होने पर इन किस्मों को जारी किया जाएगा।

विवरण

विभिन्न राज्यों के लिए संस्करण द्वारा विकसित चावल, गेहूं, मक्का और जौ की लोकप्रिय किस्में संकर किस्में/कम्पोजिट किस्में

क. चावल

किस्म	प्रजाति	जिस राज्य के लिए सिफारिश की गई
जया	टी. (एन.) 1×टी. 141	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, नागालैंड
बाला	एन. 22×टी. (एन.)	उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा असम।
कृष्णा	जी. ई. बी. 24×टी. (एन.)	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात
रत्ना	टी. के. एम. 6×आई. आर. 8	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा।
रासी	टी. (एन,) 1×को 29	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, उड़ीसा।

1	2	3
सस्यश्री	टी. के. एम. 6 × आई. आर. 8	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल केरल ।
विकास	टी. के. एम. 6 × आई. आर. 8	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र
सावित्री	पंकज (आई. आर. 5) × जगन्नाथ	उड़ीसा, तमिलनाडु ।
मानसरोवर	आर. पी. 31-49-2 × लेब म्यू नाहानी	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ।
तेलाहामसा	एच. आर. 12 × टी. (एन) ।	आंध्र प्रदेश ।
फाल्गुन	आई. आर. 8 × सिआस 29	आंध्र प्रदेश
स्वर्ण	वशिष्ठ × महसूरी	आंध्र प्रदेश
विजय महसूरी	महसूरी × विजय	आंध्र प्रदेश
राजेन्द्रधान 201	आई. आर. 8 × तदुकान	बिहार
गौर 10	जिन्निआ 31 × आई. आर. 9-60	गुजरात
अन्नपूर्णा	पी. टी. बी. 10 × टी. (एन.) ।	त्रिपुरा, मेघालय
रत्नागिरी 24	जिन्निआ 63 × टी. (एन.) ।	महाराष्ट्र
रत्नागिरी 68-1-1	आई. आर. 8 × सिगादिस	महाराष्ट्र
पल्लवी	जिक्कोकू + सेरूमोकेचोल	उड़ीसा
पी. आर. 103	आई. आर. 8 × आई. आर. 127-2-2	पंजाब
पी. आर. 106	आई. आर × पेटा 5/ बेलापटना	पंजाब, हरियाणा
को 41	सी. यू. 2410 × आई आर. 22	तमिलनाडु
पी. आर. 4141	(आई. आर. 8 × बी. जे 1) × आई. आर. 22	पंजाब
ए. डी. टी. 36	त्रिवेणी × आई. आर. 20	तमिलनाडु
नरेन्द्र-1	बेल्लापटना × आई. आर. 8	उत्तर प्रदेश
मनहर	आई. आर. 24 × कावेरी	उत्तर प्रदेश
मृनाल	अमेरिका से विदेशी किस्म	पश्चिम बंगाल

1	2	3
सुरेश	आई. आर. 262 × खाओं महानाग मुए II	पश्चिम बंगाल
मनोहर सेली	लेटिसाली × गोचारी	असम
अनामिका	(एम. एन. पी. 36 × सी. आर. 12) × पंकज	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम
बिरसाधान 101	फाइनगोरा × आई. ई. टी. 2832	बिहार
हिमालय 2	साबरमती × रत्तना से उन्नत	हिमाचल प्रदेश
कयामकुलाम-1	कोट्टेराकारा-1 × पोदुवी	केरल
कुन्ती	सोना × आर. पी डब्ल्यू-6-13	पश्चिम बंगाल
1. एच. डी. 2278	एच. डी. 2119 × (एच. डी. 1912-एच. डी. 1592/एच. डी. 1962-ई. 4870) × के 65	प्रायद्वीपीय क्षेत्र
2. डब्लू.एच.291	एच. डी. 1925 × एच. डी. 832-23-5-84	उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र
3. कुन्दन (डी. एल-153-2) 890	तनोरी 71 × एन. पी.	उत्तरी मैदानी क्षेत्र
4. प्रगति (डी. डब्लू आर. 39	एच. डी. 1508 × 5308) × एस. पी. 6	प्रायद्वीपीय क्षेत्र
5. एच. डब्लू 741	बी. बी-सी./सी. एन. ओ. नं. 66/ पी. आई. 62	दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र
6. एच. डी. 2325	एच. डी. 1962-ई 4870 × के 65/एच. डी. 1553 × यू. पी. 262	उत्तरी मैदानी क्षेत्र
7. पी. बी. डब्लू 34	डी. वोनी 515- सी. आर. "एस"	उत्तरी मैदानी
8. एच. डी. 2307	एच. डी. 215 × 116-1 -3	उत्तरी-पूर्वी मैदानी क्षेत्र
9. राज 1972	एच. डी. 2105 × एच. डी. 2160	उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र
10. एच.डी. 2327	एच. डी. 2119 × 346-1	मध्य क्षेत्र

1	2	3
11. राज 2184	यू. पी. 281 × एच. डी. 2205	उत्तरीपश्चिमी मैदानी क्षेत्र
12. एच. यू. डब्लू 206	(के. वी. जैड बुहो) × काल-बीबी	उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र
13. एच. यू. 5 डब्लू 213	नार्देनो × मोती) × एच. डी. 2150	उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र
14. के. 8020 त्रिवेणी	कल्याण सोना × जनक	—वही—
15. जे. 405	सी.ए.नो-इन-ग्राई, ए. × बीबो/ सी. एन. ग्रो. "एस"-पीजे-62 × जी. डब्लू-110	मध्य क्षेत्र
16. वी. डब्लू-120	(इन-सी.एन.ग्रो. × इन-ग्राई.ए-बी बी, (वाई 50 ई-कल-3	उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र
17. एच. यू. डब्लू-234	(एच.यू.डब्लू-12 × सी.पी. ए.एन.1666) × एच.यू. डब्लू 12	उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र
18. वी.एल. 616	सोनालिका × सी.पी.ए.एन. 1507	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र
19. एच.डी.2402	एच.डी. 2267 × एच.डी.2236	पूर्वी क्षेत्र के लिए
20. एच,ग्राई.977	गेल्लो-ग्रोस्ट 61-157	प्रायद्वीप क्षेत्र
21. एच.ग्राई.1123	एच.ग्राई. 595-एच.डी.2257	मध्य क्षेत्र
22. यू. पी. 1109	यू. पी. 262 × यू. पी.368	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र
23. एच.डी. 2428	एच.डी. 1949 × एच.डी 2160	उत्तरी मैदानी क्षेत्र.
24. पी.बी.डब्लू 154	एच. डी. 2160 × एच. डी. 2177	—वही—
25. पी.बी.डब्लू 175	एच. डी. 2160 × डब्लू जी. 1025	—वही—
26. एच.ग्राई.1077	गेल्लो-ग्रोस्ट 11-61-151 × सी.एन.सो. नं. 66 × कल 3	मध्य क्षेत्र
27. एच.एस. 207	कावकेज-बुहो × कल-बी-बी	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र
28. एच.डी.2380	एच.डी.2255 × एच.डी. 2257	—वही—

1	2	3
29. राज 3077	एच.डी. 2267 × राज 1482/ राज 1802	उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र
30. एच.डी. 2385	249 × एच. डी. 2160/ एच. डी. 2186	पूर्वी क्षेत्र के लिए

मक्का

गंगा सफेद 2	सभी मक्का उगाने वाले राज्य
गंगा 5	सभी मक्का उगाने वाले राज्य
गंगा 9	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली ।
डेक्कन	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
डेक्कन 103	सभी मक्का उगाने वाले क्षेत्र
हिम 123	असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश
हिम 128	हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश ।
विजय	सभी मक्का उगाने वाले राज्य
किसान	असम, बिहार हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर मेघालय, नागालैंड पंजाब राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम
विक्रम	बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय नागालैंड, उड़ीसा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली
एन. एल. डी.	नागालैंड मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम
अगेती 76	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश (तराई वाले क्षेत्र को छोड़कर) पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम
तरुण	बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली
हयूनियस	असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली मिजोरम
दियारा 3	सभी मक्का उगाने वाले राज्य
डी. 765	सभी मक्का उगाने वाले राज्य

1	2
सी 6, सी 15, मंसर बी. एल. 16 बी एल. 41, स्वेता नवीन बी.एल 42	जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश
प्रताप 1 नवजात,	पंजाब
संगम अम्बरपोप,	आंध्र प्रदेश
रोहिणी	
मंजरी	महाराष्ट्र
स्वान और हेमन्त	बिहार
घ. जौ	
1. बी. एल-जौ-1	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र
2. जागृति	उत्तर प्रदेश
3. लखन	उत्तर प्रदेश
4. बी. एच-75	हरियाणा
5. केदार	उत्तर प्रदेश
6. बी. एच. एस-46	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश

केरल को पामोलीन तेल का कोटा

6513. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने के लिए पामोलीन तेल के कोटे में कमी की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी हां।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन खुले बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता और मूल्यों के अनुसार समायोजित किया जाता है। जनवरी, 1988 से सभी राज्यों के लिए आयातित खाद्य तेलों का कोटा कम कर दिया गया है, क्योंकि खुले बाजार में मूल्य स्थिति सुधर गई है।

पश्चिम बंगाल के राजाग्राम-दौरसिनी क्षेत्रों में सोने की खोज

6514. **श्री मतिलाल हन्सदा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने पश्चिम बंगाल में पूर्णिया जिले में राजाग्राम-दौरसिनी में सोने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी कोई सर्वेक्षण किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) जी हां, । फील्ड सत्र 1985-86 के दौरान राजाग्राम दौरसिनी के आस-पास कुछ हवाई ई. एम. कोणान्लरों पर भूरासायनिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षणों परीक्षण ड्रिलिंग से स्वर्ण-कर्ण युक्त सल्फाइड खनिजीकरण का पता लगा है। इस क्षेत्र में खोजी सर्वेक्षणों से भी स्वर्ण-कर्ण युक्त कई क्वार्टज धारियों का पता चला है। वर्तमान फील्ड सत्र 1987-88 (1 अक्तूबर, 1987 से 30 सितंबर, 1988) के दौरान अन्वेषण जारी है ।

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, विस्तृत मानचित्रण, भू-रासायनिक नमूना, गर्त्सन और यथा-आवश्यकता परीक्षण ड्रिलिंग के जरिए भी एपेटाइट के लिए पुरलिया जिले में, आधार धातुओं के लिए पुरलिया, बांकुरा और मिदनापुर जिलों में तथा टिन-टंगरटन के लिए पुरलिया जिले में अन्वेषण कर रहा है।

गन्धर्व महाविद्यालय पर किया गया जुर्माना

6515. **श्री डी. पी. यादव** : क्या शहरी विकास मन्त्री भारतीय कला केन्द्र और गन्धर्व महाविद्यालय पर किए कए जुर्माने के बारे में 6 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2074 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवन के दुरुपयोग के लिए गंधर्व महाविद्यालय से वसूल की जाने वाली 1091103/- रुपये की राशि में से उससे कितनी राशि वसूल की गई है;

(ख) 5 जून 1984 के बाद से अब तक कितनी धनराशि और देय हो गई है और उसमें से अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का पट्टा करार के उपबंधों का लगातार उल्लंघन किए जाने के कारण भवन को पुन: अपने कब्जे में लेने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पार्टी से प्राप्त अभ्यावेदन पर दुरुपयोग प्रभारों को संशोधित किया गया था तथा संशोधित शर्तों के अनुसार 14-1-1987 तक बकाया धनराशि 7,48,001.63 रुपये आती है, पट्टे धारकों को भूमि किराया, ब्याज तथा दुरुपयोग प्रभारों की प्रथम किश्तों के साथ-साथ दुरुपयोग प्रभार 12 तिमाही किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गई थी । पार्टी ने 77, 474, 00 रुपये की कुल धनराशि के 3 चैक भेजे हैं। इन चैकों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वे किश्त से पूर्ण भुगतान के अनुसार नहीं है।

(घ) 12-3-87 को जारी की गई संशोधित शर्तों के विरुद्ध पार्टी ने प्रबन्ध अभ्यावेदन दिया है। अभ्यावेदन के गुण-दोष के आधार पर जांच करने के पश्चात भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

"पुलीकाट लेक" नेल्लोर" का अधिग्रहण

6516. **श्री सी. सम्बु** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में "पुलीकाट

लेक" का अधिग्रहण करने का विचार है ताकि इस क्षेत्र का पर्यटन स्थल और पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकास किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना उत्पादक राज्यों के लिये नई योजनायें

6517. **श्री पी. पेंचालैया** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ना उत्पादक राज्यों के लिये किन्हीं नई योजनाओं पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में स्थित चीनी फैक्टियों को गन्ने के विकास के लिए चीनी विकास निधि से सुगम शर्तों पर ऋण सहायता प्रदान करती है। अन्य कोई नयी योजना विचाराधीन नहीं है

खानों पर आधारित उद्योग

6518. **श्री गदाधर साहा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक खनिजों पर आधारित कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ख) ये उद्योग कहां स्थापित किये गये हैं; और

(ग) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान इस तरह के कितने उद्योगों की राज्यवार स्थापना करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धुलियान (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी मजदूरों के लिए टी. बी. अस्पताल

श्री जायनल अबेदिन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी मजदूरों के लिए 50 बिस्तरों वाले टी. बी अस्पताल के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तारापुर (धुलियान) को चुना गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अस्पताल का निर्माण प्रारंभ न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस योजना को शीघ्र प्रारंभ करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) यह निर्णय किया गया था कि बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत मुर्शिदाबाद जिले में धुलियान में 50 पलंगों वाला केन्द्रीय अस्पताल स्थापित किया जाय। तथापि, सजोर मोड पर एक नया स्थान चुन लिया गया है।

उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों और औषधालयों का विस्तार

6520. श्री हरिहर सोरन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्तमान अस्पतालों और औषधालयों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के लिए प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि नियत की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने चौदवार में क. र. बी. अस्पताल में, कुछ अस्थायी व्यवस्था करके पहले ही पलंगों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 88 तक कर दिया है। अतिरिक्त पलंगों के लिए पृथक भवन के निर्माण हेतु अनुमान को मंजूरी दे दी गई है तथा निर्माण कार्य के शीघ्र शुरू होने की आशा है। इस भवन के निर्माण की लागत का अनुमान 48.35 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में किसी अन्य वर्तमान क. रा. बी. अस्पताल/औषधालय के विस्तार का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भुवनेश्वर और राउरकेला में दो नए क. रा. बी. अस्पतालों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मैनपुरी जिले (उत्तर प्रदेश) में चीनी मिल की स्थापना

श्री बलराम सिंह यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में चीनी मिल की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एस. बेठा) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले में चीनी मिल लगाने के बारे में आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कोई आवेदन-पत्र अब तक खाद्य विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत 356 फ्लैटों का निर्माण

6522. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत 356 फलैटों के बारे में 9 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1979 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फाइल" कार्य जनवरी, 1988 में आरम्भ किया जा चुका है परन्तु इस योजना के मास्टर प्लान में कोयला डिपो और धार्मिक संस्था समेता बुद्ध विहार के लिए स्थल आवंटित नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास संबंधी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

6525. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास संबंधी कार्यक्रम को राज्य-वार कितने जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इस कार्यक्रम के लिए जिले वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) जिन जिलों में इस कार्यक्रम को वर्ष 1982 में शुरू किया गया था, उनमें निश्चिय रूप से कितनी सफलता मिली है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम (डवाकरा) इस समय देश में 106 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) 1988-89 में कुल 7,500 महिला ग्रुपों के बनाए जाने का लक्ष्य है, मौजूद जिलों में 5000 ग्रुपों का आवंटन संलग्न विवरण-2 में दशाया गया है । बाकी 2,500 ग्रुपों को उन 25 अतिरिक्त जिलों में आवंटित किया जावेगा जिन्हें 1988-89 के दौरान कवर किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) यह कार्यक्रम 1982 में 50 जिलों में शुरू किया गया था । इन 50 जिलों में बनाए गए ग्रुपों की संख्या और इस प्रयोजन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को रिलीज की गई निधियों के बारे में वर्षवार सूचना संलग्न विवरण-3 में दी गई है ।

विवरण—1

क्रम संख्या		राज्य/जिले का नाम
1.		आन्ध्र प्रदेश
	(1)	अदिलाबाद
	(2)	सिरीकाकुलम
	(3)	कुड्डाप्पा
	(4)	मेहबूबनगर
	(5)	अनन्तपुर
2.		असम
	(1)	कारबियांगलोंग
	(2)	धुबरी
	(3)	दारांग
	(4)	नागांव

1		2
3.		**अरूणाचल प्रदेश**
	(1)	पूर्वी कामेंग
	(2)	पश्चिमी सियांग
4.		**बिहार**
	(1)	हजारीबाग
	(2)	मधुबनी
	(3)	गोपालगंज
	(4)	समस्तीपुर
	(5)	पलामू
	(6)	लोहारडग्गा
	(7)	देवघर
	(8)	सिवान
5.		**गोवा**
	(1)	पणजी
6.		**गुजरात**
	(1)	अहमदाबाद
	(2)	जूनागढ़
	(3)	पंचमहल
	(4)	भरौंच
7.		**हिमाचल प्रदेश**
	(1)	कांगड़ा
	(2)	शिमला
	(3)	चम्बा
8.		**हरियाणा**
	(1)	मोहिन्द्रगढ़
	(2)	सिरसा
	(3)	सोनीपत
9.		**जम्मू तथा कश्मीर**
	(1)	डोडा
	(2)	कुपवारा
	(3)	उधमपुर

1	2
10.	कर्नाटक
(1)	बीजापुर
(2)	चिकमंगलूर
(3)	मैसूर
(4)	धारवाड़
(5)	गुलबर्गा
11.	केरल
(1)	वयनाड
(2)	पालघाद
(3)	इडुक्की
12.	मध्य प्रदेश
(1)	शाहडोल
(2)	छिन्दवाड़ा
(3)	गुना
(4)	रायपुर
(5)	राजगढ़
(6)	सरगुजा
(7)	शाजापुर
(8)	भिण्ड
(9)	टीकमगढ़
(10)	सिहोर
13.	महाराष्ट्र
(1)	उस्मानाबाद
(2)	भण्डारा
(3)	नासिक
(4)	धुले
(5)	थाणे
(6)	शोलापुर
(7)	यवतमाल
14.	मणिपुर
(1)	केन्द्रीय रज्य
(2)	उखरूल

1	2
15.	मेघालय
(1)	पश्चिमी खासी हिल
(2)	पूर्वी गारो हिल
16.	मिजोरम
(1)	आइजोल
17.	नागालैंड
(2)	कोहिमा
(2)	मोकाकचुंग
18.	उड़ीसा
(1)	कालाहांडी
(2)	बोलनगीर
(3)	ढेनकनाल
(4)	सम्बलपुर
(5)	सुन्दरगढ़
19.	पंजाब
(1)	गुरदासपुर
(2)	भटिण्डा
(3)	फिरोजपुर
20.	राजस्थान
(1)	बांसवाड़ा
(2)	पाली
(3)	भीलवाड़ा
(4)	अलवर
(5)	जोधपुर
(6)	टोंक
21.	सिक्किम
(1)	पश्चिमी जिला
22.	तमिलनाडु
(1)	धरमापुरी
(2)	पेरीयार
(3)	तिरुची
(4)	दक्षिणी आरकोट

1		2
23.		उत्तर प्रदेश
	(1)	बस्ती
	(2)	बांदा
	(3)	सुल्तानपुर
	(4)	इटावा
	(5)	देवरिया
	(6)	इलाहाबाद
	(7)	गोरखपुर
	(8)	नैनीताल
	(9)	पौड़ी
	(10)	रायबरेली
	(11)	गोण्डा
	(12)	शाहजहांपुर
	(13)	मैनपुरी
24.		त्रिपुरा
	(1)	त्रिपुरा पश्चिम
	(2)	त्रिपुरा उत्तर
25.		पश्चिमी बंगाल
	(1)	पुरूलिया
	(2)	बांकुरा
	(3)	जलपाईगुड़ी
	(4)	दक्षिणी 24 परगना
	संघशासित क्षेत्र	
1.		दिल्ली
	(1)	कंझावाला खण्ड
2.		लक्षद्वीप
	(1)	कावरत्ती खण्ड
3.		पांडिचेरी
	(1)	पांडिचेरी

विवरण—2

क्रम संख्या	राज्य/जिला	1988-89 हेतु विद्यमान डवाकरा जिलों में ग्रुपों का आवंटन
1	2	3
1.	**आंध्र प्रदेश**	
	1. आदिलाबाद	शून्य
	2. श्रीकाकुलम	शून्य
	3. कुडप्पा	शून्य
	4. मेहबूब नगर	100
	5. अनन्तपुर	100
2.	**असम**	
	1. कारबियांगलोंग	80
	2. धुबरी	शून्य
	3. दारांग	100
	4. नागांव	शून्य
3.	**अरूणाचलम प्रदेश**	
	1. पूर्वी कामेंग	30
	2 पश्चिमी सियांग	शून्य
4.	**बिहार**	
	1. हजारीबाग	100
	2. मधुबनी	100
	3. गोपालगंज	शून्य
	4. समस्तीपुर	60
	5. पालामू	100
	6. लोहारडग्गा	शून्य
	7. देवघर	शून्य
	8. सिवान	शून्य
5.	**गोवा**	
	1. पणजी	50
6.	**गुजरात**	
	1. अहमदाबाद	100
	2. जूनागढ़	50
	3. पंचमहल	100
	4. भरौच	शून्य

1	2	3
7.	हरियाणा	
	1. महिन्द्रगढ़	शून्य
	2. सिरसा	शून्य
	3. सोनीपत	100
8.	हिमाचल प्रदेश	
	1. कांगड़ा	85
	2. शिमला	50
	3. चम्बा	शून्य
	जम्मू और काश्मीर	
	1. डोडा	100
	2. कुपवारा	50
	3. उधमपुर	शून्य
10.	कर्नाटक	
	1. बीजापुर	शून्य
	2. चिकमंलूर	शून्य
	3. मैसूर	100
	4. धारवाड़	100
	5. गुलबर्गा	शून्य
11.	केरल	
	1. व्यनाड	शून्य
	2. पालघाट	शून्य
	3. इडुक्को	100
12.	मध्य प्रदेश	
	1. शहडोल	शून्य
	2. छिन्दवाड़ा	शून्य
	3. धुना	शून्य
	4. रायपुर	100
	5. राजगढ़	80
	6. सरगुजा	शून्य
	7. शाजापुर	शून्य

2	2	3
	8. भिंड	शून्य
	9. टीकमगढ़	शून्य
	10. सिहोर	शून्य
13.	महाराष्ट्र	
	1. उस्मानाबाद	शून्य
	2. भंडारा	70
	3. नासिक	75
	4. धुले	75
	5. थाणे	शून्य
	6. सोलापुर	शून्य
	7. यवतमाल	शून्य
14.	मणिपुर	
	1. केन्द्रीय जिला	शून्य
	2. ऊखरूल	50
15.	मेघालय	
	1. पश्चिमी खासी पहाड़ियां	50
	2. पूर्वी गारो पहाड़ियां	50
16.	मिजोरम	
	1. आइजौल	76
17.	नागालैंड	
	1. कोहिमा	30
	2. मोकाकचुंग	शून्य
18.	उड़ीसा	
	1. कालाहांडी	65
	2. बोलनगीर	53
	3. ढेनकनाल	90
	4. सम्बलपुर	100
	5. सुन्दरगढ़	100
19.	पंजाब	
	1. गुरदासपुर	40

1	2	3
	2. भटिंडा	10
	3. फिरोजपुर	100
20.	राजस्थान	
	1. बांसवाडा	100
	2. पाली	50
	3. भीलवाड़ा	100
	4. अलवर	100
	5. जोधपुर	शून्य
	6. टोंक	शून्य
21.	सिक्किम	
	1. पश्चिम जिला	शून्य
22.	तमिलनाडु	
	1. धरमपुरी	85
	2. पेरीयार	100
	3. तिरुच्ची	100
	4. साउथ एराकोट	शून्य
23.	त्रिपुरा	
	1. पश्चिम त्रिपुरा	20
	2. उत्तरी त्रिपुरा	50
24	उत्तर प्रदेश	
	1. बस्ती	200
	2. बांदा	66
	3. सुल्तानपुर	200
	4. इटावा	100
	5. देवरिया	100
	6. इलाहाबाद	100
	7. गोरखपुर	100
	8. नैनीताल	शून्य
	9. पौड़ी	शून्य
	10. रायबरेली	शून्य
	11. गोंडा	शून्य
	12. शाहजहांपुर	शून्य
	13. मैनपुरी	शून्य

1	2	3
25	पश्चिम बंगाल	
	1. पूलिया	100
	2. बांकुरा	100
	3. जलपाईगुड़ी	100
	4. दक्षिणी 24 परगना	शून्य
	केन्द्र शासित क्षेत्र	
	1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	20
	2. चंडीगढ़	शून्य
	3. दादरा और नगर हवेली	20
	4. दिल्ली	50
	5. दमन और दीव	20
	6. लक्षद्वीप	50
	7. पांडिचेरी	शून्य

विवरण

वर्ष	उन 50 जिलों जहां 1982 में डवाकरा कार्यक्रम शुरू किया गया था, में ग्रुपों की संख्या	50 जिलों की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय तथा यूनीसेफ अंश के रूप में रिलीज की गयी निधियां
1982-83	शून्य	शून्य
1983-84	536	36,49
1984-85	2772	231.65
1985-86	6008	476.93
1986-87	5140	341.32
1987-88	2827	201.42

इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

6526. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के लिये 3000 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण योजना संकट में है; और

(ख) इसकी रोजगार क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये इस परियोजना के शीघ्र आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने, जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एन्जेसी (के. आई. सी. ए,) द्वारा तैयार की गई शक्यता रिपोर्ट के आधार पर इसकी के बर्नपुर कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यों के लिए "मेल" को 30 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी हैं। इस कारखाने की पुनः मरम्मत करने की विस्तृत विधियों का निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार हो जाने के बाद ही लिया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पर्यटन योजनाओं को लागू करना

6527. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य निर्धारित सूची से पिछड़ गया है;

(ख) क्या उड़ीसा में और देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन और पर्यटन का विकास सातवीं योजना के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ दक्षिण एशियाई देशों में जहां इस क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है पर्यटन विकास नीति का आकलन किया है और भारत में इस क्षेत्र की कमी का पता लगाया है; और

(घ) क्या कुछ महाद्वीप हमारे पर्यटन के विचारण क्षेत्र से दूर हैं और वहां हमारे पर्यटन स्थलों का प्रचार नहीं किया जाता है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य संत्री (श्री गिरिधर गोमांगों) : (क) उड़ीसा में योजना स्कीमों का कार्यान्वयन उतनी तेजी से नहीं हुआ है जितना वांछनीय है।

(ख) योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटक आगमनों में 7 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के मुकाबले इस अवधि के दौरान 7.8 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई हैं। पर्यटक आगमनों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की विकास नीति की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी नीतियां अलग-अलग देशों की भिन्न भिन्न होती हैं। विकास नीति को देश की अवस्थिति उसके आकार उसके पर्यटक आकर्षणों विद्यमान और अनुमानित पर्यटक प्रवाहों आधारिक संरचना की विद्यमान और अनुमानित अपेक्षाओं आदि जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने विदेशों में भारत के पर्यटक आकर्षणों का संवर्धन करने के लिए पर्यटक भेजने वाली प्रमुख मार्केटो का अभिनिर्धारण किया है और ऐसी मार्केटों में व्यापक संवर्धन करता है। संसाधनों पर लगे प्रतिबन्धों के कारण, मंत्रालय के संवर्धन कार्यक्रमों में सभी महाद्वीपों को सम्मिलित करना संभव नहीं है।

ग्रामोद्योगों का विकास

6528. श्री विजय. एन. पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखे और बाढ़ से प्रभावित लोगों के हित के लिए ग्रामोद्योगों का विकास करने हेतु कोई नई योजनाएं बनाई हैं,

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ग) सूखे और बाढ़ से प्रभावित किन-किन राज्यों का ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु चयन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) प्राकृतिक आपदा राहत कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कोई नयी योजना नहीं बनाई गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी कम्पनियों पर एल्युमिनियम की बकाया राशि

6529. श्री राम भगत पासवान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में एग्रयुमिनियम कम्पनियों पर एल्युमिनियम की बकाया राशि का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1988 के दौरान इस बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में तीन प्राथमिक उत्पादक हैं, अर्थात हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लि. (हिन्डालको) इन्डियन एल्युमिनियम कंपनी लि. (इन्डाल) और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लि. (मालको) इन्होंने एल्युमिनियम विनियम खाते के लिए 29.2. 1988 तक बकाया और चालू देय राशि का भुगतान कर दिया है । किन्तु हिंडालको ने इन्डाल और अन्य कंपनियों की ओर से परावर्तन आधार पर कुछ मात्रा में एल्युमिनियम धातु का उत्पादन किया जिसके लिए उन्होंने एल्युमिनियम विनियम खाते में 90.9 लाख रु. का भुगतान कर दिया है तथा शेष 127.5 लाख रु. का जून, 1988 तक 42.5 लाख रु. की तीन समान मासिक किस्तों में भुगतान करने का आश्वासन दिया है । बकाया राशि पर ब्याज की वसूली के संबंध में मांग नोटिस जारी किये गये हैं ।

सीमेंट फैक्टरी की स्थापना

6530. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र के मिश्रित धातुमल पर आधारित सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के लिये 160 करोड़ रुपये लागत की परियोजना तैयार की है;

(ख) क्या बिहार सरकार वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस परियोजना का वित्तपोषण करने में समर्थ नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिये विदेश से सहायता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है और इस परियोजना को पूरा करने के लिये यह सहायता कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र से निकलने वाले स्लैग के आधार पर बिहार में 10 लाख टन सीमेंट का निर्माण करने के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने एक नए उपक्रम की स्थापना हेतु आशय पत्र लेने के लिए सरकार को आवेदन दिया है । इस उपक्रम की अनुमानित लागत की जानकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद ही मिलेगी ।

इस सीमेंट परियोजना की स्थापना के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने "सैल' और मैसर्स ओरिएन्ट पेपर एन्ड इन्डस्ट्रीज लि. (ओ. पी. आई. एल.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसके अनुसार वे संयुक्त क्षेत्र की प्रस्तावित कम्पनी के 18% इक्विटी शेयर लेंगे ।

(ग) इन परियोजना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक के उत्पादन में कमी आना

[हिन्दी]

6531. **श्री मदन पांडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर में भारतीय उर्वरक निगम के वर्तमान एकक में पुरानी तकनीक प्रयोग किये जाने के कारण इसका उत्पादन कम हो गया है,

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का इस यूनिट को आधुनिक तकनीक और संयंत्र उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभू) : (क) उपस्कर समस्याओं संयंत्र के पुरानेपन तथा पावर कटौती के कारण गत 5 वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक की क्षमता उपयोगिता लगभग 60 प्रतिशत रही।

(ख) और (ग) जी हां पुराने जर्जर उपस्कर/मशीनरी को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से 9.46 करोड़ रु. की लागत की एक योजना पहले ही शुरू कर दी गयी है । इस योजना के अन्तर्गत, ऐयर सेपरेशन यूनिट में निःस्त्रावी रिजेनरेटरों को प्रतिस्थापित किया गया है । दो आटोक्लेव्स की लाइनरों तथा अनेक अन्य जर्जर उपस्करों को प्रतिस्थापित किया गया है । 66.65 करोड़ रु. की लागत पर संयंत्र को आधुनिकीकृत उन्नत करने का भी प्रस्ताव है । उच्च लागत एवं ऊर्जा संचयी प्रक्रिया को अपना कर यूरिया संयंत्र की पुरानी स्ट्रीमो की प्रौद्योगिकी की उन्नत करने की योजना विचाराधीन है । इसके अलावा अमोनिया संयंत्र के कुछ उपस्करों को भी प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

[अनुवाद]

6532. श्री पी. एम. सईद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत दिल्ली में अतिरिक्त अस्पताल खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा अस्पतालों की संख्या कितनी है और कितने अस्पताल और खोले जायेंगे;

(ग) नये अस्पतालों का कब तक निर्माण किया जायेगा; और

(घ) इन अस्पतालों द्वारा कर्मचारियों को उनकी बीमा योजना के अन्तर्गत क्या लाभ उपलब्ध कराये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय कर्मचारी राज्य बीमा के दो अस्पताल हैं।

एक अस्पताल बसाइदारापुर पश्चिम दिल्ली में और दूसरा झिलमिल पूर्वी दिल्ली में है। एक नए अस्पताल का ओखला दक्षिण दिल्ली में निर्माण कार्य चल रहा है। इस अस्पताल के निर्माण के दिसम्बर, 1989 तक पूरा होने की आशा है। रोहिणी, उत्तर दिल्ली में एक और अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव है। इस अस्पताल के नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनके अनुमोदन के लिए भेजे जा रहे हैं।

(घ) बसाईदारापुर में अस्पताल बाह्य रोगी अन्तरंग रोगी और विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है, जबकि झिलमिल में अस्पताल इस समय केवल बाह्य रोगी और विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। अन्तरंग रोगी सेवाएं शीघ्र शुरू किए जाने की आशा है।

उड़ीसा के शहरों के बारे में परियोजना रिपोर्ट

6533. श्री चिन्तामणि जेना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध के दौरान शहरी विकास मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भवानी पटना तथा अभागढ़ शहरों की परियोजना रिपोर्ट भेजी थी;

(ख) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान लघु तथा मध्यम शहर योजना के समेकित विकास में शामिल करने के लिए 10 शहरों की एक प्राथमिकता सूची फरवरी, 1988 में ही भेजी जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे की कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत राज्यों को कस्बों का नियतन योजना से योजना के आधार पर किए जाते हैं। सातवीं योजना के दौरान तीन

कस्बों के नियतन के प्रति सभी तीन कस्बे अर्थात् कियोंझर वारीपाड़ा और बोलनगीर को सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में ही स्वीकृत कर दिया गया था।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग में संकट

6534. **श्री दौलतसिंहजी जवेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गहरे समुद्र में झींगा मछली पकड़ने में विद्यमान संकट जिसका समुद्री उत्पादों के निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है के समाधान का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्ति करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) समुद्री खाद्य पदार्थ उत्पादक उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) गहरे समुद्र में पाई जाने वाली श्रिम्प मछली, जिसमें जेनेरा पेरापेंडालस हेटेरोकर्पस, एरिस्टेयस तेरायेनेक्स पेरापेनाइयोपसिल मेटापेनाइओंपसिस तथा सोलेनोकेरा प्रजातियां शामिल है करीब 200 मीटर की गहराई तथा भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से दूर पाई जाती है। मत्स्य उद्योग द्वारा अभी इस मछली का उपयोग नहीं किया गया है। अत: कोई संकट होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समुद्री आहार उत्पादक उद्योग को बढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) मत्स्यन सम्बन्धी कार्यकलापों में विविधता लाने तथा देशी जलयानों के मीटरीकरण के लिए ऋण/राज सहायता के जरिए राज्यों को सहायता प्रदान करना।

(2) देशी आयातित तथा चार्टर किए गए मत्स्यन जलयानों के युक्तिसंगत मेल के जरिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के बेड़े में वृद्धि करना।

(3) देश में विनिर्मित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करना।

(4) भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी द्वारा उदार शर्तों पर ऋण दिया जाना।

(5) मत्स्यकी सम्बन्धी सर्वेक्षणों की संख्या में वृद्धि करना।

(6) मुख्य तथा छोटे बन्दरगाहों या मत्स्यन पत्तनों के निर्माण के लिए तथा छोटे मत्स्यन केन्द्रों पर माल चढ़ाने उतारने तथा जहाज खड़ा करने की सुविधाएं जुटाने के लिए सहायता देना।

(7) मत्स्यन जलयानों को हर सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए मात्स्यकी से संबंधित प्रचालकों को प्रशिक्षण देना।

(8) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़े जाने पर नियंत्रण।

ऊन का उत्पादन

6535. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऊन के उप्पादन में निरंतर कमी आई है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) देश में ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं। कच्चे ऊन का उत्पादन 1951 के 275.0 लाख किलोग्राम से बढ़कर 1986 में अनुमानित उत्पादन 398.8 लाख किलोग्राम हो गया है।

(ख) देश में ऊन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय राज्य भेड़ तथा ऊन विकास संबंधी कार्यक्रम बड़ी संख्या में शुरू किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए बेहतर किस्म के ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संकर प्रजनन हेतु जलवायु के अनुकूलित विदेशी वंशानुगत गुणों का संरक्षण उत्पादन तथा प्रचार करने के लिए श्रेष्ठ जर्म प्लाजम का आयात किया जा रहा है।

केरल में मत्स्य उद्योग का विकास

6536. **प्रो. के. वी. थामस** :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में तथा अन्य राज्यों में झींगा मछली पालने तथा मत्स्य उद्योग के विकास के लिये कौन-कौन सी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, और

(ख) इस समय कितनी परियोजनायें चल रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) केरल में मात्स्यकी का विकास करने के लिए विभिन्न योजनाओं अर्थात मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह, समेकित खारे पानी में मत्स्य पालन विकास, जलकृषि का विकास, राष्ट्रीय डिम्पोना फार्म तथा हैचरी, कल्याण योजना, परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण, छोटे मछुआरों के लिए तट पर अवतरण करने वाले उन्नत जलयानों को शुरू करने और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

अन्य राज्यों में भी इन योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं मंजूर की गई है।

(ख) उपर्युक्त सभी योजनाएं इस समय केरल में कार्य कर रही हैं।

सुपर बाजार और केंद्रीय भंडार द्वारा घटिया स्तर की लेखन सामग्री किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

6537. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री केंद्रीय लेखन सामग्री डिपो कलकत्ता द्वारा लेखन सामग्री की सप्लाई के बारे में 27 जुलाई, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों आदि सहित सरकारी कार्यालयों से

सुपर बाजार और केंद्रीय भंडार द्वारा निम्न और घटिया लेखन सामग्री के अधिक मूल्य पर सप्लाई करने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों की तुलना में उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) यदि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी कार्यालयों को केवल उच्च किस्म और अच्छे स्तर की लेखन सामग्री अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर सप्लाई की जाये ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1987 के दौरान उन्हें लेखन सामग्री की मदों के बारे में क्रमशः छः और पांच शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें आमतौर पर सप्लाई की गई वस्तुओं की किस्म तथा कुछ मामलों में ऊंचे मूल्यों के बारे में थीं। सुपर बाजार तथा केंद्रीय भंडार द्वारा सूचित किया गया है कि गत तीन वर्षों के दौरान इस तरह की शिकायतों का कोई रिकार्ड उन्होंने नहीं रखा है।

(ग) सुपर बाजार तथा केंद्रीय भंडार दोनों ने सूचित किया है कि वे आमतौर पर ख्याति प्राप्त विनिर्माताओं/वितरकों/स्टाकिस्टों के साथ कारबार करते हैं, ताकि वस्तुओं की गुणवत्ता तथा उचित मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें। केंद्रीय भंडार ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिस्पर्द्धी दरों पर अच्छी किस्म की वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) नई फर्मों को उनकी प्रामाणिकता तथा उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के बाद ही पंजीकृत किया जाता है।

(2) 1987 से 5 सदस्यों की एक क्रय समिति बनाई गई है, जो सभी खरीदारी करती है।

(3) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि सप्लायरों द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता बनाई रखी जाए, इन मदों की समय-समय पर परीक्षण जांच की जाती है।

(4) विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त सुझावों/शिकायतों पर विचार किया जाता है और उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

कृषि क्षेत्र मे विवादों को निपटाने के लिए व्यवस्था

6538. **श्री तम्पन थामस** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में विवादों को निपटाने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि श्रमिकों के दावों को निपटाने के लिए पुरस्कार देने हेतु कोई मंच है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र में विवादों को निपटाने के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं है। तथापि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,

1948 एक महत्वपूर्ण कानून है जिसके अन्तर्गत कृषि कर्मकार आते हैं। इस अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारित करने की व्यवस्था है तथा कार्य घन्टों, समयोपरि अदायगी, विश्राम दिवस आदि को विनियमित करने संबंधी कतिपय अन्य उपबन्ध हैं। इस अधिनियम में दावों की सुनवाई करने तथा उनका निर्णय करने के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति की भी व्यवस्था है। इसमें अपराधों के लिए शास्तियों को भी निर्धारित किया गया है तथा दावों के भुगतान की प्रक्रिया भी निर्धारित है।

हिन्दुस्तान कापर लि. के प्रबन्ध में परिवर्तन

6539. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लि, कलकत्ता के प्रबंध में परिवर्तन किया गया है;

(ख) हिन्दुस्तान कापर लि. के निदेशक बोर्ड में कितने सदस्य हैं, निदेशक बोर्ड के चैयरमैन और प्रबन्ध निदेशक बोर्ड के निदेशकों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल क्या है; और

(ग) कम्पनी को लाभप्रद बनाने के लिए क्या सहायता दी जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) हिन्दुस्तान कापर लि. के प्रबन्धन में जून, 1986 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किन्तु कम्पनी के निदेशक (वित्त) का पद तत्कालीन पदधारी के निधन के बाद रिक्त है; इस पद को भरने की कार्यवाही की गई है।

(ख) वर्तमान निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार है : (1) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित तीन पूर्ण कालिक निदेशक-चौथा यानी निदेशक (वित्त) का पद रिक्त; (2) चार अंश कालिक सरकारी निदेशक; और (3) तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक/अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सहित तीन पूर्णकालिक निदेशक निर्धारित अवधि के लिए होते हैं। कंपनी समवाय नियमावली में अंशकालिक निदेशकों को केवल 3 वर्ष की अवधि के लिये ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान है।

(ग) सरकार ने हिन्दुस्तान कापर लि. को लाभकारी कंपनी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, इनमें से कुछ हैं : समय-समय पर ऋण पर ब्याज में छूट तथा ऋण अदायगी स्थगन की मंजूरी; कम्पनी के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार के लिए खेतड़ी कापर काम्प्लेक्स और इंडियन कापर काम्प्लेक्स स्थित प्रद्रावकों और शोधनशालाओं का आधुनिकीकरण तथा निर्बाध चालन स्कीमों की मंजूरी; आदि। कम्पनी का प्रबंधन बहुमुखी सुधार करने हेतु सतत प्रयास कर रहा है। कम्पनी के 1987-88 के वित्तीय निष्पादन के बारे में प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कम्पनी को अनुमानत: 10·75 करोड़ रु0 का लाभ हुआ है।

एशियाई खेलगांव और खिलाड़ियों के होस्टल पर किया गया व्यय

6540. **श्री सी. जंगा रड्डी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल निधि में से एशियाई खेलगांव और इन्दिरा गांधी स्टेडियम के समीप स्थित खिलाडियों के होस्टल के लिये कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई थी और इनके निर्माण पर वस्तुत: कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इनकी निर्माण-अवधि और लागत सम्बन्धी मूल अनुमान क्या थे और उनकी तुलना में वास्तव में इनके निर्माण में कितना समय लगा और कितनी लागत आई;

(ग) एशियाई खेलों के बाद इनके रखरखाव और इनमें किये गये और परिवर्तनों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई और इनमें जल और बिजली की सप्लाई पर कितना खर्च किया गया और इन पर सम्पति कर आदि के रूप में कुल कितनी धनराशि आई और कितनी धनरा.श का भुगतान किया गया;

(ग) एशियाई खेलों के बाद इनका खेलों अथवा अन्य कार्यकलापों के लिए कब किसने किस प्रकार और कितने किराये पर उदयोग किया; और

(ङ) इसमें अब तक कितनी आय हुई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखदी जाएगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए सोवियत संघ द्वारा सहायता का प्रस्ताव

6541. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ की सरकार ने कोक भट्टी परियोजना दुर्गापुर इस्पाय संयंत्र के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उटता।

कच्चे इस्पात का उत्पादन

[हिन्दी]

6542. **डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है और इसके परिणाम स्वरूप कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) क्या यह योजना किसी दूसरे देश के सहयोग से तैयार की गई है, और

(घ) यदि हां, तो उस देश का क्या नाम है और उस देश से कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त की जा रही है और किन-किन शर्तों पर सहायता प्राप्त की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार, अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस्पात संयंत्रों के निष्पादन

में सुधार लाने हेतु सतत् प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सरकारी क्षेत्र में परिवर्धन, संशोधन, उपस्कर का प्रतिस्थापन अड़चन दूर करने और आधुनिकीकरण तथा नई क्षमताएं स्थापित करने सहित क्षमताओं के विस्तार की विभिन्न योजनाओं की परिकल्पना की गई है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

सातवीं योजनावधि के दौरान, ऊपर लिखित योजनाओं के लिए लगभग 7930 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। आठवीं योजना का परिव्यय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, यद्यपि आठवीं योजनावधि के दौरान भी इस प्रकार की योजनाओं के जारी रहने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं की परिकल्पना देश में ही की गई है। तथापि, इनमें से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सोवियत रूस से प्राप्त लगभग 490 मिलियन रूबल के ऋण के वर्ष 1990 तक पूर्ण रूपेण इस्तेमाल में लिए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रस्तावित आधुनिकीकरण के लिए सोवियत रूस से लगभग 340 मिलियन रूबल ऋण भी उपलब्ध होने की सम्भावना है।

इस ऋण का उपयोग सोवियत संघ से प्राप्त उपस्करणों और सेवाओं की लागत की पूर्ति के लिए किया गया है।

नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए सूखा-राहत उपाय

[अनुवाद]

6543. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1988-89 में कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में नारियल का उत्पादन बढ़ाने हेतु सूखा-राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ख) इसमें कर्नाटक का कितना हिस्सा है, और

(ग) राज्य में नारियल का उत्पादन बढ़ाने का कार्य कब से शुरू किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) नारियल विकास बोर्ड ने 1988-89 के दौरान 30 लाख रुपए की लागत पर केरल, तमिलनाडु, तथा कर्नाटक राज्यों में सूखे से प्रभावित नारियल की जोतों की पुनरस्थापना संबंधी एक योजना का प्रस्ताव किया है। इस योजना में परिकल्पना है :—(1) नारियल उत्पादकों को सिंचाई संबंधी सुविधाओं के लिए सहायता करना (2) नारियल की जोतों में ड्रिप सिंचाई इकाइयों को तैयार करने के लिए सहायता करना और (3) कर्नाटक में नारियल तोड़ने (पिक-अप) की संरचना करना।

(ख) कर्नाटक के लिए प्रस्तावित भागीदारी 16.25 लाख रुपए की है।

(ग) इसके कार्यान्वयन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

थाइलैंड से चावल का आयात

6544. श्री शरद दिघे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थाइलैंड से चावल का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर चावल का आयात किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) बफर स्टाक की भरपाई करने के लिए सरकार थाईलैंड सहित अन्य देशों से चावल का आयात करने का वैकल्प रखती है।

(ग) चावल की आयात की जाने वाली मात्रा उसकी उपलब्धता और पेश किए गए मूल्य पर निर्भर करती है।

बहु-उद्देश्यीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के कार्य दल में मत्स्य पालन संघों के सदस्य शामिल करना

6545. चौधरी राम प्रकाश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उनके मंत्रालय द्वारा गठित बहुप्रयोजनीय मत्स्य नौकाओं सम्बन्धी कार्य दल में अन्य मत्स्य पालन संघों के सदस्य शामिल करने का विचार है, और

(ख) सरकार का इस दल में प्रतिनिधित्व के आधार को व्यापक बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :(क) और (ख) बहु प्रयोजनीय मत्स्यन जलयान संबंधी कार्यकारी दल में, अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान का निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यकी नाविक तथा इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान का निदेशक, भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण का उप महानिदेशक, केन्द्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान से मत्स्यन गियर का विशेषज्ञ, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण का एक प्रतिनिधि, भारतीय मत्स्यन उद्योग एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि और संयोजक के रूप में समेकित मात्स्यकी परियोजना का निदेश शामिल है। कार्यकारी दल का गठन पहले ही व्यापक रूप से किया गया है जिसमें भारतीय मात्स्यकी उद्योग संघ को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अतः कार्यकारी दल में अन्य मात्स्यकी एसोशिएशनों से कोई सदस्य शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है।

रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में कटौती

6546. श्री परसराम भारद्वाज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में कटौती करने का विचार है ताकि किसानों को अपना उत्पादन और अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिल सके, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यूरिया और अन्य उर्वरकों के मूल्यों में कितनी कटौती करने का निर्णय किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री) श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्ष 1988-89 के लिए केन्द्रीय सरकार का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री के भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में उर्वरक के विनिर्माताओं को यूरिया की बिक्री पर अधिसूचित मूल्यों पर 7.5 प्रतिशत छूट देने की अनुमति दी गई है।

मध्य प्रदेश को पेय जल के लिए सहायता

6547. **श्री कमल नाथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पेय जल की कमी दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को 106.50 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का और अधिक वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) कितनी राशि देने का विचार है और यह राशि राज्य सरकार को कब तक दी जावेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूखा राहत सहायता हेतु ज्ञापन में पेय जल सप्लाई क्षेत्र के लिए 106·50 करोड़ रुपये की राशि शामिल की थी

(ख) राज्य में पीने के पानी की कमी की स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जून, 1988 तक 18.53 करोड़ रुपये के खर्च की सीमा अनुमोदित की गई थी। इसमें से, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11.08 करोड़ रुपये, शहरी क्षेत्रों के लिए 5.28 करोड़ रुपये और ड्रिलिंग रिगों और भू-भौतिकीय उपकरणों की खरीद के लिए 2.17 करोड़ रुपये थे।

(ग) पेयजल हेतु और अभाव राहत सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण

6548. **श्री वांगफा लोवांऊ** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में निरन्तर बन्द और नाकाबन्दी के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में व्यवधान होता है जिसके परिणामस्वरूप आम जनता को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में उन प्रभावित राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को आवश्यक वस्तुओं के संचलन में बंधों, अवरोधों आदि के कारण कभी-कभी अड़चन आ जाती है। तथापि, इसके बावजूद आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को आमतौर पर बनाए रखा गया है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के संचलन के लिए जिम्मेदार है, रेलवे के साथ मिलकर खपत वाले क्षेत्रों, जिनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्य भी शामिल हैं, को खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए एक मासिक योजना तैयार करता है। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य संबंधित एजेन्सियों को समय-समय पर अनुदेश दिए जाते हैं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करें कि इन राज्यों में आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द के अध्यक्ष की नियुक्ति

6549. **डा. जी. विजय रामा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषदों/सांविधिक निकायों/राष्ट्रीय संस्थानों के लिए नियुक्ति नोडल मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर की जाती है,

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द के अध्यक्ष की नियुक्ति उपर्युक्त (क) के अनुसार की गई थी,

(ग) अध्यक्ष की नियुक्ति कब और कितनी अवधि के लिए की गई थी, और

(घ) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द का वार्षिक व्यय कितना है और उसको धन प्राप्ति के क्या स्रोत हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) ग्रामीण प्रबंध संस्थान आनन्द के अध्यक्ष तहत बोर्ड को नियुक्ति एसोसिएशन के ज्ञापन तथा संस्थान के नियमों के अनुसार की जाती है। ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आनन्द का पहला अध्यक्ष दिसम्बर, 1979 में नियुक्त किया गया था।

(घ) ग्रामीण प्रबंध संस्थान आनन्द का वार्षिक व्यय लगभग 60-00 लाख रुपया है। यह भूतपूर्व भारतीय डेरी निगम तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा ग्रामीण प्रबंध संस्थान आनन्द को प्रदत्त 9.00 करोड़ रुपए के संग्रह से अर्जित आय के ब्याज से पूरा किया जाता है। पहले संस्थान को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम से प्रचालानात्मक अनुदान प्राप्त होता था।

शिपयार्डों का पंजीकरण

6550. **श्री आनन्द सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यम आकार के लगभग पंजीकृत शिपयार्ड हैं जिनको गहरे समुद्र में 26 मीटर लम्बे अथवा इससे कम लम्बाई के मछली पकड़ने वाले पोतों का निर्माण करने की पर्याप्त क्षमता है,

(ख) क्या आर्डर न मिलने के कारण ये शिपयार्ड कोई काम नहीं कर रहे हैं जबकि सरकार ने गहरे समुद्र में 26 मीटर से अधिक लम्बाई के मछली पकड़ने वाले 200 से अधिक पोतों का आयात प्राधिकृत किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) क्या ये शिपयार्ड केवल 20 प्रतिशत आयातित संघटकों का इस्तेमाल करके पोत निर्माण कर सकते हैं और जिसके फलस्वरुप विदेशी मुद्रा की भारी बचत हो सकती है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में 22 पंजीकृत ट्रालर निर्माता हैं, जो कि 20 मीटर तथा इससे अधिक लम्बाई के ट्रालर बनाने में सक्षम हैं।

(ख) खरीदारों द्वारा निर्माण की क्वालिटी, डिलीवरी की सूची तथा जलयान के मूल्य पर विचार करने के पश्चात इन शिपयार्डों को मत्स्यन जलयान तैयार करने के आर्डर दिए जाते हैं। अब केवल चुनिंदा आधार पर संसाधन विशेष जलयानों को आयात किए जाने की अनुमति है।

(ग) और (घ) : गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के देश में विनिर्माण किए जाने के मामले में आयातित घटकों (कम्पोनेंट्स) की सीमा को अभी हाल ही में ट्रालरों के लागत मूल्य के 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, जिसे सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है। जहां तक विदेशी मुद्रा की बचत का संबंध है गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले आयातित जलयान न केवल गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली प्रौद्योगिकी के अन्तरण करने वाले वाहन के रुप में कार्य करते हैं, अपितु विदेशी सहयोगियों से संबंध बनाने से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भारतीय समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशी मण्डी भी सुनिश्चित होती है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन

6551. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विकास-में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 1988-89 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अन्तिम तौर पर 124.00 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है।

राज्यों के स्वामित्वाधीन डेरी फार्मों की स्थापना और उनमें निवेश

6552. **डा. ए. के. पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन डेरी फार्म कहां-कहां स्थित हैं, वे कब स्थापित किये गये थे और उनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है, और

(ख) क्या सरकार का ऐसे और फार्म स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो उन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) : जानकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

6553. **श्री अमल दत्ता** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में विदेशी ऋण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ख) उक्त किसी भी मामले को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण का कार्य 16 स्वतंत्र आयोपान्त एकमुश्त सौदों में बांटा गया है, जिनमें से 6 विश्वव्यापी एकमुश्त सौदे हैं। विश्वव्यापी एकमुश्त सौदों के अन्तर्गत विदेशी वित्त सहायता के लिए भी पेशकशें आमंत्रित की गई हैं। प्राप्त हुई सभी पेशकशों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात् प्रत्येक एकमुश्त सौदे में से अति उपयुक्त पेशकश के लिए ठेका दिया जाएगा।

विषय : ओलावृष्टि के कारण फसलों की हानि

6554. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अनेक भागों में हाल ही में ओलावृष्टि के कारण हुई फसलों की हानि का आकलन किया है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितनी हानि होने का अनुमान है, और

(ग) ओलावृष्टि से प्रभावित राज्यों में सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) : हाल में हुई ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर राज्यों ने फसलों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरुप राहत कार्यों को निष्पादित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी, राहत व्यय के लिये धन देने की वर्तमान नीति के तहत संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों के पास राहत उपायों को तत्काल शुरु करने के लिये मार्जिन धन की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार, प्रभावित राज्यों से ज्ञापन मिलने पर उन्हें सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता देती है। अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण प्रभावित हुए क्षेत्रों में राहत उपायों को करने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है।

विवरण

ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण फसलों को हुई क्षति की सीमा फरवरी, मार्च, 1988 (अस्थाई) जैसा कि राज्य सरकारों ने सूचित किया है।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	फसलों की हुई क्षति	
		प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	मूल्य (लाख रुपए में)
1.	हरियाणा	0.47	1290
2.	पंजाब	0.13	104
3.	उड़ीसा	0.06	सू.प्र.
4.	राजस्थान	0.13	401
5.	उत्तर प्रदेश	——आंकी जा रही है	——
6.	जम्मू व कश्मीर	0.02	सू.प्र.
	कुल	0.81	1795

सू.प्र.***सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

कर्नाटक में यात्री निवास

6555. श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अशोक यात्री निवास जैसे होटलों को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और चयनित स्थानों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परती भूमि के आबंटितियों के लिए सहायता

6556. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, परती भूमि के आबंटितियों द्वारा भूमि का उत्पादनकारी प्रयोग करने के लिए राज्य को कोई सहायता देती है।

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को किस प्रकार की सहायता दी गई; और

(ग) कुल कितनी भूमि आबंटित की गयी और कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भूमि राज्य का विषय है। राज्य सरकारें विभिन्न श्रेणियों को सरकारी भूमि जिसमें परती भूमि, अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, भूदान भूमि आदि शामिल है, पात्र वर्गों के व्यक्तियों को विभिन्न प्रयोजनों जैसे खेती, वनरोपण, आवास स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक और विकास गतिविधियों के लिए आबंटित करती हैं।

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ताओं को उन्हें दी गई भूमि का उत्पादक ढंग से उपयोग करने हेतु सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना 1975 से चल रही है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय अंश की 33.49 करोड़ रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और अधिकतम सीमा से फालतू भूमि व भूदान भूमि के आबंटितियों की जोतों पर भूमि विकास कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आरम्भ किया जा सकता है बशर्ते कि वे गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग हों। सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी परती भूमि, अधिकतम सीमा से फालतू भूमि आदि आबंटिती जो गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं, अन्य कार्यों के अलावा अपनी भूमि का उत्पादक ढंग से उपयोग करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, इन केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत इस कार्य के लिए निधियों का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। यह संभव है कि कुछ राज्यों के पास भी उनकी अपनी राज्य योजनाओं में कुछ ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं, जिनके अन्तर्गत परती भूमि के आबंटिती भी कुछ अन्य लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) और (ग) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की योजना के अन्तर्गत, महाराष्ट्र राज्य में लगभग, 7.0J लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है, जिसमें से ... तक 5.08 लाख एकड़ भूमि 1.26 लाख लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है।

गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्त-कर्त्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्श के रूप में लगभग 184.19 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है, जबकि महाराष्ट्र राज्य को इस योजना के आरम्भ होने से लेकर केन्द्रीय अन्श के रूप में कुल 614.32 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

एम. आर. नेफथा के मूल्य में वृद्धि

6557. **श्री वाई. एस. महाजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एम. आर. नेफथा के मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उर्वरक एककों की उत्पादन लागत में वृद्धि होने की सम्भावना है, और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है कि उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि न हो और इसके साथ-साथ उर्वरक एककों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) फिलहाल उर्वरक प्रयोग के लिए नेफथा के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है नेफथा के मूल्यों में गत 17.3.1985 को संशोधन हुआ था। इसलिए उर्वरकों की उत्पादन लागत के बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के लिए प्रौद्योगिकी की पेशकश

6558. **श्री अजय विश्वास** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों ने भी इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी और ऋण देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी पेशकश को नामंजूर करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) (क) और (ख) पूर्ववर्ती वर्षों में "इस्को" के आधुनिकीकरण के बारे में सोवियत रूस की सरकार के साथ विचार-विमर्श हुआ था। परन्तु आधुनिकीकरण की नीति में परिवर्तन हो जाने के कारण इस विचार-विमर्श पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की अन्तिम रिपोर्ट

6559. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने केन्द्रीय सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में भूमि कटाव

6560. **श्री वी. तुलसीराम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में योग्य भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र प्रति वर्ष भूमि कटाव से प्रभावित होता है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कृषि योग्य कितनी भूमि बंजर भूमि में बदली है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) कितने किसानों/काश्तकारों और कृषि श्रमिकों पर इसके परिणामस्वरूप प्रभाव पड़ा है,

(घ) भूमि कटाव को रोकने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं और इस संबंध में राज्य द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है, और

(ङ) 31 जनवरी, 1988 तक प्राप्त सफलताओं का ब्योरा क्या है ।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) वर्षानुवर्ष के आधार पर व्यापक सर्वेक्षण न किए जाने के कारण आंध्र प्रदेश में प्रति वर्ष भूक्षरण से प्रभावित होने वाली खेती योग्य भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मृदा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों के अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा भूक्षरण तथा भूमि अपरदन को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । अनुसंधान और प्रचालन सम्बन्धी परियोजनाओं के जरिए विकसित उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को खेती में उपयोग में लाया जा रहा है । मृदा तथा जल संरक्षण संबंधी उपायों में बांध बनाना, बाढ़ लगाना, भूमि को समतल बनाना तथा उसे सही आकार देना, जल संचयन संरचनाएं, उन्नत सस्य प्रौद्योगिकी, खड्ड भूमि पर नियंत्रण, वनरोपण, चारागाह विकास, आदि शामिल हैं ये उपाय अलग-अलग किस्म की भूमि में आने वाली भिन्न-भिन्न समस्याओं के आधार पर किए जाते हैं । मृदा संरक्षण के घटकों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय सहायता/परिव्यय का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 31 जनवरी, 1989 के अन्त तक करीब 10.46 लाख हैक्टर क्षेत्र का उपचार/सुरक्षित कर लिया गया है ।

विवरण

मृदा संरक्षण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों तथा आंध्र प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता/परिव्यय (लाख रुपए)
1.	नदी घाटी परियोजनाओं के ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	300.25
2.	वर्षा सिंचित खेती के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम	154.00
3.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	773.31
4.	झूम खेती पर नियंत्रण	55.00

टिप्पण : क्रम संख्या (2) तथा (3) में दिए गए कार्यक्रमों के संबंध में उपरोक्त कालम 3 में बताई गई वित्तीय व्यवस्था में अन्य संबंधित घटकों की वित्तीय व्यवस्था भी शामिल है।

किसानों को काली मिर्च की खेती के लिए प्रोत्साहन

6562. **श्री चक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में काली मिर्च के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो काली मिर्च, जिसका भारत से होने वाले गर्म मामलों के कुल निर्यात में प्रमुख भाग है, के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं,

क्या किसानों को काली मिर्च की खेती करने के लिये प्रोत्साहन दिये जाते हैं,

(ग) क्या कुछ ऐसे राज्यों में, जहां पारम्परिक रूप से काली मिर्च की खेती नहीं की जाती, काली मिर्च की खेती करने प्रयास किये जा रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) काली मिर्च का निर्यात 1984-85 में 25-420 मीटरी टन के मुकाबले बढ़कर 1986-87 में 36.879 मीटरी टन हो गया।

(ख) भारत सरकार मामलों के समेकित विकास के लिए 1987-88 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है, जिसके अन्तर्गत काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

(1) काली मिर्च की जड़वाली कलमों का उत्पादन और वितरण;

(2) उर्वरकों तथा वनस्पति रक्षण रासायनों सहित आदानों के किटों का वितरण।

(3) प्रदर्शन उद्यानों की स्थापना; और

(4) पुराने तथा अनुत्पादक उद्यानों को फिर से लगाया जाना।

(ग) काली मिर्च की खेती के लिए किसानों को ये प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं : (1) छोटे और सीमान्त किसानों को सहाय्य मूल्य पर आदानों के किटों का वितरण; (2) किसानों के उद्यानों में प्रदर्शन प्लाटों का आयोजन करना तथा उनका रख-रखाव करना; और (3) पुराने तथा अनुत्पादक उद्योनों के सुधार के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता का प्रावधान।

(घ) और (ङ) मसालों के समेकित विकास से संबधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गैर परम्परागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश अन्दमान और तथा निकोबार द्वीप समूह में भी काली मिर्च की खेती को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

अथानी, कर्नाटक में चीनी के कारखानों की स्थापना

6563. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में अथानी विधान सभायी क्षेत्र में में एक सहकारी चीनी कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंसों की मन्जूरी देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) नई चीनी फैक्ट्री अर्थात मैसर्स कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, अथानी, जिला बेलगांव, कर्नाटक स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र तारीख 14 मार्च, 1988 हाल ही में प्राप्त हुआ है। यह आवेदन पत्र कर्नाटक सरकार द्वारा विधिवत अभिस्तावित था। प्रेस नोट, तारीख 2.1.87 के अनुसार सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस देने के लिए जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सरकार (खाद्य विभाग) द्वारा इस आवेदन पत्र पर शीघ्र विचार किया जाएगा।

तिलहन के उत्पादन में गन्धकयुक्त खाद स्मफर न्यूट्रिएट्स के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना

6564. **श्री एच. ए. डोरा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में तिलहन की खेत्री में गन्धकयुक्त खाद के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिये समुचित उपाय करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पोषकतत्व के रूप में गंधक के प्रयाग की मान्यता दी है। इसलिए उन क्षेत्रों में, जहां गंधक की कमी पायी गई है, किसानों को रियायती दर पर सप्लाई करने के लिए गंधक के स्रोत के रूप में जिप्सम/पाइराईट का वितरण करने हेतु राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (ग्रस्ट) परियोजना के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। यह योजना आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात,

हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों का विकास

6565. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वहां पर आधुनिक सुविधाएं आदि की व्यवस्था करने का कार्य बहुत पिछड़ गया है;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में चालू योजना अवधि में विकास हेतु चुने गये पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा विकास कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र में निम्नलिखित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

(लाख रुपये में)

परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. बीबी का मकबरा, औरंगाबाद की प्रकाश-पुन्ज व्यवस्था	5.42	2.56
2. ऐलीफेंटा, अजन्ता और एलौरा में शौचालय और पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था	4.50	3.00
3. गणपति फुले में समुद्र-तट कुटीरें	8.77	5.00
4. कलनेश्वर में समुद्रतट विहार-स्थल	34.10	10.00
5. शेगांव में यात्री निवास	25.98	10.00
6. अजन्ता फुट-हिल्स का विकास	छठी योजना की पहले से चली आ रही स्कीम	2.00
9. खोपोली में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	17.95	15.00

वर्तमान योजनावधि के दौरान उपरोक्त सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है।

सातवीं योजना के दौरान विदेशी पर्यटकों के आने की संख्या के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य

6566. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 के दौरान देश में कितने पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) इन वर्षों के दौरान वास्तव में कितने पर्यटक भारत आये;

(ग) क्या सरकार ने सातवीं योजना के दौरान विदेशी पर्यटकों के भारत आगमन से संबंधित लक्ष्य अपेक्षाकृत अधिक रखे थे;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990 के अन्त तक देश में कितने पर्यटकों के आगमन की आशा है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) विदेशी पर्यटक आगमनों के आंकड़े कैलण्डर वर्ष आधार पर रखे जाते हैं। 1986 और 1987 के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक विदेशी पर्यटक आगमन इस प्रकार थे :—

विदेशी पर्यटकों की संख्या (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक आगमन
1986	10,80,000	10,80,050
1987	11,50,000	11,62,774

(ग) से (ङ) योजना आयोग द्वारा निर्धारित 7 प्रतिशत की वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, 1990 तक विदेशी पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य 15 लाख रखा गया है। तथापि, आंतरिक रूप से इस लक्ष्य को पार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 1990 तक आधार-संरचना एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि पर निर्भर रहते हुए 25 लाख विदेशी पर्यटकों का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

बिहार में पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाएं

6567. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या केन्द्रीय सरकार बिहार में पर्यटन विकास में सहायता हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा गाइड-इत्यादि जैसी अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह आकलन किया है कि यह बुनियादी ढांचा राज्य में पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां प्रस्तावों के गुणों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए राज्य सरकार से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटक आधार-संरचना का विकास करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पर्यटक आधार-संरचना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है; पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधार-संरचना पर्याप्त है अथवा नहीं इसका अनुमान लगाना तथा उस आधार मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करना और यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्कीमों हेतु स्वीकृत राशियों और रिलीज की गई राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र. स.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1985-86			
(I)	मेले और त्यौहारों का संवर्धन हेतु सहायता (कालचक्र उत्सव, बोध गया)	4.00	4.00
(II)	मानेर शरीफ में अल्पाहारगृह का निर्माण	3.43	3.00
(III)	बोधगया, नालंदा और राजगीर मे शौचालय और पेयजल, सुविधाएं (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से)	4.50	3.00
	जोड़	11.93	10.00
1986-87			
(I)	वैशाली में वन-गृह	—	4.00
(II)	गौतम वन का विकास	—	15.00
	जोड़	—	19.00
1987-88			
(I)	जहानाबाद में मार्गस्थ सुविधाएं	3.49	2.00
(II)	नालंदा में पर्यटक बंगला	25.00	5.00
(III)	गोपालगंज में पर्यटक बगला	25.00	5.00
	जोड़	53.49	12.00

सब्जियों और फलों की बिक्री के लिए एजेंसी

[हिन्दी]

6568. श्री महेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जियों और फलों के उत्पादकों को उचित विपणन सुविधा के अभाव उनको उपज का उचित मूल्य उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु तथा किसानों को और अधिक सब्जियों और फलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सब्जियों और फलों की

बिक्री तथा खरीदने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तरह का एक निकाय स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है, और

यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) भारत सरकार ने बागवानी उद्योग अर्थात् बागवानी उत्पादों का उत्पादन, कटाई के बाद संभाल, परिसंस्करण, विपणन, श्रेणीकरण, पैकिंग और गुण नियंत्रण का समेकित विकास करने के लिए 3 अप्रैल, 1984 को समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत समिति के रूप में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में फलों तथा सब्जियों का वितरण करने की एक मार्गदर्शी परियोजना मदर डेरी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों में कर्मचारी भविष्य निधि का लागू होना

[अनुवाद]

6570. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक यूनिटों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि की राशि संबंधित भविष्य निधि आयुक्तों के पास जमा की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो कर्मचारी भविष्य निधि की राशि अपने उद्योगों के संवर्धन के लिए उपयोग कर रही हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों की संख्या से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि, 31.3.1987 के गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र 1,66,040 औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आते थे। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन प्रतिष्ठानों की क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला वितरण संलग्न है।

(ग) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों से अपेक्षा की जाती है कि वे भविष्य निधि राशि को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के पास जमा कराये जबकि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए यह आवश्यक है कि वे अंशदान को अपने गैर-सरकारी भविष्य निधि न्यासी बोर्डों को स्थानांतरित करें।

(घ) 31.3.1987 को चूककर्ता प्रतिष्ठानों के ब्यौरे निम्नानुसार थे :—

	कुल संख्या	कुल बकाया राशि (रुपये करोड़ों में)
(I) छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	9,649	71.97
(II) छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	142	98.50

विवरण

क्षेत्र	अधिनियम के अन्तर्गत लाये गए प्रतिष्ठानों की संख्या		
	छूट प्राप्त	छूट न प्राप्त	कुल
आन्ध्र प्रदेश	95	14,053	14,148
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	35	1,631	1,666
बिहार	168	5,039	5,207
दिल्ली	183	7,928	8,111
गुजरात	85	15,556	15,641
हरियाणा	22	3,710	3,732
कर्नाटक	119	10,449	10,568
केरल	70	10,837	10,943
मध्य प्रदेश	37	5,427	5,464
महाराष्ट्र	445	23,275	23,720
उड़ीसा	35	3,275	3,310
पंजाब	27	8,164	8,191
राजस्थान	48	3,947	3,995
तमिलनाडु	421	17,503	17,924
उत्तर प्रदेश	152	12,134	12,286
पश्चिम बंगाल	855	20,279	21,134
कुल	2,797	1,63,243	1,66,040

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई

6571. **डा. गोरी शंकर राजहंस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को पृथक-पृथक कितनी मात्रा में खाद्यान्न, चावल और गेहूं की सप्लाई की गई;

(ख) क्या सरकार का हाल ही में आई बाढ़ को ध्यान रखते हुए बिहार राज्य को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की अतिरिक्त सप्लाई करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज किए गए खाद्यान्नों (चावल तथा गेहूं अलग-अलग) की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) बाढ़ अथवा सूखे की स्थिति के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त खाद्यान्न रिलीज करने का प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज किए गए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(मीटरी टन में)

		1985-86			1986-87			1987-88		
क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	49600	18300	67900	60280	60280	120560	54980	54980	109960
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	160	160	—	780	780	—	580	580
3.	असम	10850	4000	14850	5020	5020	10040	7615	7615	15230
4.	बिहार	103150	—	103150	224000	—	224000	135068	10000	145068
5.	गुजरात	23700	—	23700	99420	—	99420	50816	—	50816
6.	हरियाणा	5450	—	5450	9320	—	9320	13496	—	13496
7.	हिमाचल प्रदेश	2300	—	2300	3000	3000	6000	4188	4190	8378
8.	जम्मू एवं कश्मीर	10250	1600	11850	14350	18050	32400	5599	5601	11200
9.	कर्नाटक	23800	15700	39300	41448	41449	82897	37557	42558	80115
10.	केरल	23150	6700	29850	18840	18840	37680	24881	24881	49762
11.	मध्य प्रदेश	64200	5000	69200	167630	30330	227960	82500	34485	116985
12.	महाराष्ट्र	10550	—	10550	11450	—	11450	29360	—	29360
13.	मणिपुर	—	230	230	—	1080	1080	—	750	750
14.	मेघालय	—	260	260	—	760	760	—	1065	1065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मिजोरम	—	90	90	—	780	780	—	580	580
16.	नागालैण्ड	550	150	700	—	1220	1220	—	1508	1508
17.	उड़ीसा	22700	13000	35700	22020	22020	44040	30410	30411	60821
18.	पन्जाब	6650	—	6950	9920	—	9920	15278	—	15278
19.	राजस्थान	202600	—	202600	238800	—	238800	60059	—	60059
20.	सिक्कम	400	190	590	200	862	1062	—	1105	1105
21.	तमिलनाडु	44800	24500	69300	47400	47400	94800	48670	48670	97340
22.	त्रिपुरा	6700	700	7400	820	820	1640	—	5010	5010
23.	उत्तर प्रदेश	199800	50	199850	276340	—	276340	223161	31101	264262
24.	पश्चिमी बंगाल	52900	—	52900	75340	—	75340	38080	14800	52880
25.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	165	165	—	780	780	—	1856	1856
26.	चण्डीगढ़	35	—	35	220	—	220	566	—	566
27.	दादर व नगर हवेली	97	200	297	200	200	400	—	805	805
28.	दिल्ली	60	—	60	350	—	350	848	—	848
29.	गोआ, दमन एवं दीव	—	118	118	—	900	900	—	835	835
30.	लक्षद्वीप	—	50	50	—	360	360	—	415	415
31.	पाण्डिचेरी	—	175	175	—	780	780	—	1755	1755
	अखिल भारत	864392	91338	955730	1366368	255711	1612079	873132	325556	1198688

ताज में सांस्कृतिक पार्क

6572. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की नेशनल पार्क सर्विस आगरा में ताजमहल में एक सांस्कृतिक पार्क का विकास करने हेतु भारत को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ताजमहल में सांस्कृतिक पार्क के विकास के लिए नेशनल पार्क सर्विस द्वारा किस क्षेत्र में मदद करने की सम्भावना है;

(ग) क्या अमरीका द्वारा इस पार्क के विकास के लिए कोई वित्तीय अथवा अन्य सामग्री के रूप में सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। आगरा में ताज महल के समीप यमुना नदी के पार 300 एकड़ से अधिक भूमि पर विशेष पर्यावरण में वृद्धि करने के तरीकों का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यू. एस. ए. की नेशनल पार्क सर्विस की मदद लेने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) अभी तक जिन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है वे केवल तकनीकी सहयोग के बारे में हैं। यदि निधियों की आवश्यकता पड़ी तो उसकी पूर्ति भारत सरकार और यू. एस. ए. सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित यू. एस. भारत निधि से की जाएगी।

सिक्किम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता

6573. **श्रीमती डी. के. भन्डारी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों को दूरदराज के पहाड़ी, आदिवासी और भीतरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु चलते-फिरते वाहनों की खरीद के लिये वित्तीय सहायता दी गई गई है; और

(ख) यदि हां, तो सिक्किम को अपने दूर-दराज के पहाड़ी, आदिवासी और भीतरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु चलते-फिरते वाहन खरीदने के लिए वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई थी और वर्ष 1988-89 में कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) इस समय एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहाड़ी, दूरस्थ, दूर तक फैले हुए, मरूस्थली, आदिवासी क्षेत्रों आदि में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए मोबाइल गाडियां खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता, उनसे ऐसी सहायता के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है। सिक्किम को 1986-87 या 1987-88 के दौरान कोई सहायता नहीं दी गई है, क्योंकि उस राज्य से सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखा गया है कि वे स्कीम के तहत वर्ष 1988-89 के लिए वित्तीय

सहायता हेतु प्रस्ताव भेजें यदि कोई प्रस्ताव सिक्किम सरकार से प्राप्त होगा तो अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ उस पर विचार किया जाएगा।

दूध की कीमतों में वृद्धि

6574. **श्री अजय मुशरान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 1 सितम्बर, 1985 से अब तक बोतल वाले दूध की कीमत में कितनी बार वृद्धि की गई है,

(ख) क्या रियायत प्राप्त कर्ताओं को दिये जाने वाले कमीशन में मूल्य वृद्धि के अनुरूप वृद्धि की गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) मई, 1985 के बाद दिल्ली दुग्ध योजना के टोन्ड दूध का मूल्य बढ़ाया नहीं गया है। तथापि, 12.2.1986 से डबल टोंड दूध का मूल्य 2.70 प्रति लीटर पर निर्धारित किया गया है। इसी तारीख से दिल्ली दुग्ध योजना में डबल टोंड दूध की बिक्री फिर से लागू की गई थी।

(ख) और (ग) 1 सितम्बर, 1985 से रियायत प्राप्त कर्ताओं को दिये जाने वाले कमीशन में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :—

	कमीशन में वृद्धि
प्रत्यक्ष सप्लाई	50 लीटर तक 2 पैसा प्रति लीटर और 500 लीटर के बाद 1 पैसा प्रति लीटर
होम डिलीवरी डिपो	1 पैसा प्रति लीटर

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शालीमार बाग में निम्न आय-वर्ग के फलैटों का आवंटन

6575. **श्री एस. सिदनाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्तियों से शालीमार बाग में दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग के फलैटों के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे;

(ख) क्या उन्हें फलैट आवंटित कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वदेशी पर्यटकों के लिये रियायती पर्यटन पैकेज

6576. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का स्वदेशी पर्यटकों को रियायती पर्यटन पैकेज उपलब्ध करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और कितने पर्यटकों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाये जाने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सरकार का एक उपक्रम, भारत पर्यटन विकास निगम विद्यार्थी एक-मुश्त यात्रा, छुट्टी यात्रा रियायत एक-मुश्त यात्रा, साप्ताहांत एक मुश्त यात्रा वरिष्ठ नागरिक एक-मुश्त यात्रा/सिस्वर लाइन एक-मुश्त यात्रा और "आप और मैं एक-मुश्त यात्रा" जैसी उचित दर वाली एक मुश्त यात्राओं की पेशकश स्वदेशी पर्यटकों के लिए कर रहा है। ऐसा अनुमान है कि मंदी की अवधि (अप्रैल 1988 से अक्तूबर 1988) के दौरान लगभग 2000 पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठाएंगे।

उपर्युक्त के अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम दिल्ली से आगरा तथा जयपुर; मद्रास से तिरूपति; कांचीपुरम; और महाबलीपुरम औरंगाबाद से अजंता एवं एल्लोरा; बम्बई से औरंगाबाद की एक-मुश्त यात्राएं चलाने के अलावा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आगरा और जयपुर में पर्यटकों के लिए स्थानीय दृश्यावलोकन यात्राओं की पेशकश भी करता है।

पंजाब में कृषि पर आधारित औद्योगिक एककों की स्थापना

6577. श्री कमल चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में, विशेषत: होशियारपुर जिले में, कृषि पर आधारित औद्योगिक एकक स्थापित किये हैं अथवा करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां। पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थापित किए जाने वाले संमेकित खाद्य तथा पेय परियोजना के लिए पंजाब कृषि-उद्योग निगम से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) यह प्रस्ताव अभी मंजूर किया जाना है।

गुजरात में सस्ते होटलों का निर्माण

6578. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों को कम लागत पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यात्री निवासों के निर्माण की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात में शुरू की जा रही सस्ती होटल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) यह मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से होटलों का निर्माण नहीं करता। तथापि, मंत्रालय ने गुजरात में बड़ौदा, भावनगर, गांधीधाम, गांधी नगर, हलोल, सपुतारा और सूरत में निजी उद्यमियों

द्वारा निर्माण करने के लिए, होटल परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। मंत्रालय ने गुजरात में द्वारका में 41.22 लाख रु. की अनुमानित लागत पर एक यात्री निवास के निर्माण पर भी मंजूरी प्रदान की है जिसमें से 25.00 लाख रु0 दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा डम्परों की खरीद

6579. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से कितने डम्पर खरीदे हैं, इनमें से कितने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खानों और अन्य स्थलों में वस्तुतः चलाये जा रहे हैं तथा शेष डम्परों का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) राष्ट्रीय खनीज विकास निगम के पास डम्परों के कितने मूल्य के कलपूर्जे हैं और इनका किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 31-3-88 के अनुसार स्थिति निम्नानुसार थी :—

एन. एम. डी. सी. द्वारा बी. ई. एम. एल. से खरीदे गए डम्परों की संख्या	—70
प्रचालनरत डम्परों की संख्या	—57

जो डम्पर वस्तुतः प्रचालनरत नहीं है, या तो उनकी मरम्मत की जा रही है या उनको अधिकांशतः नया बनाया जा रहा है।

(ख) डम्पर के अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य लगभग 2.63 करोड़ रुपये है। इन अतिरिक्त पुर्जों का इस्तेमाल डम्परों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए किया जाता है।

गुजरात को खाद्यान्नों का आवंटन

[हिन्दी]

6580. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को गत छः महीनों के दौरान मांग की तुलना में कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है; और

(ख) क्या इस राज्य के लिए खाद्यान्नों का कोटा कम कर दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल बैठा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) चावल के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है। जहां तक गेहूं का संबंध है, जनवरी और मार्च, 1988 में क्रमशः 15,000 मीटरी टन और 25,000 मीटरी टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन किए गए थे। मंडी में नयी फसल के आ जाने से अप्रैल, 1988 के लिए आवंटन को कम करके 60,000 मीटरी टन के सामान्य स्तर पर ला दिया गया है।

विवरण

पिछले छः महीनों (नवम्बर, 1987 से अप्रैल, 1988 तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गुजरात हेतु केन्द्रीय पुल से खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की मांग और आवंटन

मास	मांग		आवंटन	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
नवम्बर, 1987	35.0	90.0	35.0	60.0
दिसम्बर, 1987	35.0	100.0	35 0	60.0
जनवरी, 1988	35.0	100.0	35.0	75.0
फरवरी, 1988	35 0	120.0	35.0	60.0
मार्च, 1988	350	120.0	35.0	85.0
अप्रैल, 1988	40.0	120.0	35.0	60.0

बिहार में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये बरहियाताल योजना

[अनुवाद]

6581. **डा. सी. पी. ठाकुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1985-86 में बिहार के मुंगेर जिले में बरहियाताल क्षेत्र में एक कार्य अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी थी; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कुल परिव्यय कितना है और योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रायोजना दिसम्बर, 1985 में शुरू की गई थी, जिसकी एक वर्ष की अनुमानित लागत 2.92 लाख रू. थी। प्लान प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रायोजना की अवधि बढ़ाकर 1-11-1986 से 31-3-1990 तक दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 5.54 लाख रु. है।

प्रायोजना के तहत जो काम किए गए हैं, उनमें मूंग और मसूर जैसी दालों की फसलों में इस्तेमाल के लिए विभिन्न उर्वरकों की मात्रा तय करने और कटवा कीडों (कटवर्म) और दूसरे कीडों पर रासायनिक दवाओं के प्रभाव की जांच करने और चने की आशाजनक किस्मों को उगा कर जांच करने के काम शामिल हैं। मसूर की पौदों को मरने से बचाने और उन्हें जड़-सड़न रोग से बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इससे संबंधित काम की प्रगति संतोषजनक है।

मछुआरों के कल्याण हेतु योजना

6582. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछुआरों के कल्याण हेतु आरम्भ की गई केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये योजनाएं किन किन राज्यों में आरम्भ की गई हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में कोई ऐसी योजना आरम्भ की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में कितने मछुआरे लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार ने मछुआरों के कल्याण के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को मंजूरी दी है अर्थात (1) सक्रिय मछुआरों के लिए सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना और (2) मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, जिसे 1982-83 में शुरू किया गया था, के अन्तर्गत उन सक्रिय मछुआरों, जो सहकारी समिति के सदस्य हैं, का मौत अथवा स्थायी विकलांगता के लिए 15,000/-रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 7500/-रुपये का बीमा किया जाता है। प्रति वर्ष प्रति लाभानुभोगी 9/रुपये के वार्षिक प्रिमियम का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा या तो पूर्णत:

अथवा मछुआ सहकारी समिति/संघ के संयोजन से वहन किया जाता है यह योजना असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की गई है। 1986-87 में मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य 62 आदर्श मछुआ गावों; जिसमें समूचे देश के 16 राज्य शामिल हैं, में आवास, पेयजल, सामुदायिक भवन/बकशेड और ऋण समिति जैसी कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। एक आदर्श मछुआ गांव के लिए उपरोक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने की लागत 12, 82, 400 रुपये है, जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बराबर बराबर वहन की जाती है। 1986-87 और 1987-88 के दौरान यह योजना असम, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, जम्मू एव कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में क्रियान्वित की गई है।

(घ) और (ङ) 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत क्रमश: 3, 02, 5.63 और 6.48 लाख मछुआरों का बीमा किया गया है। मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, गोवा, जम्मू एव कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में कुल 2259 मछुआ परिवारों के लिए कल्याण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1986-87 के दौरान 2 मछुआ गावों और 1987-88 के दौरान 28 मछुआ गावों का विकास करने के लिए संस्वीकृति जारी की गई है।

शुष्क भूमि पर कृषि संबंधी कार्यदल का गठन

6583. **श्री पी. ए. एन्टनी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुष्क भूमि पर कृषि उत्पादकता बढ़ाने सम्बन्धी ब्यौरा तैयार करने हेतु गठित कार्यदल ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इस कार्यदल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा क्या इस कार्यदल में चावल उत्पादक राज्य केरल से भी कृषि विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी नहीं। कोई कृतक बल गठित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनिजों का विदोहन

6584. **श्री विमल कान्ति घोष** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न क्षेत्रों से खनिज की अधिकतम मात्रा के विदोहन का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो खनिज भण्डारों का कोई गुणात्मक और परिमाणात्मक विश्लेषण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के मूल्य स्रोत खनिज सीमित और अपूर्यमान हैं। अत: लक्ष्य है कि प्राप्त खनिज स्रोतों का वैज्ञानिक खनन विधियों द्वारा इष्टतम उपयोग हो।

(ख) और (ग) खनिज भण्डारों का गवेषण और निर्धारण सदा चलता रहता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्यों के खनन और भूविज्ञान निदेशालयों, खनिज गवेषण निगम लि. तथा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के विभिन्न खनन संगठनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर ने एक राष्ट्रीय खनिज सूची रखी है, जो अद्यतन होती रहती है और जिसमें खनिज निक्षेपों की स्थिति, अयस्क नमूनों की भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता तथा भण्डारों की मात्रा की सूचना रहती है। यह सूचना 500 रु. प्रति खनिज प्रति जिला की मामूली दर पर उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाती है।

विस्थापित व्यक्तियों को चितरंजन पार्क में स्टालों का आवंटन

6585. **श्री देवी घोषाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में चितरंजन पार्क में मार्केट नं. 1 और 2 में स्टालों के आवंटन के लिए भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये आवंटन के पात्र विस्थापित व्यक्तियों के आवेदन पत्रों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का स्टालों का निर्माण करके पात्र आवेदनकर्ताओं को आवंटित करने का विचार है, अथवा स्टालों का निर्माण आवंटितियों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(ग) यदि आवंटितियों द्वारा स्वीकृत नक्से के अनुसार स्टालों का निर्माण करना है, तो क्या उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जाएगी;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ऐसे आवेदन पत्रों की कुल संख्या 96 है। 79 मामले आबटन के लिए योग्य पाए गए तथा 17 मामले अस्वीकृत कर दिए गए। विस्थापित व्यक्तियों के संघ ने एक आवेदन किया है कि वे 17 मामलों की पात्रता के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करना चाहेंगे। आये और जांच-पड़ताल करने के लिए उन्हें शीघ्र ही ऐसे प्रमाण तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या निर्माण कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा अथवा आवंटन के समय आवेदकों को दुकानों के निर्माण का कार्य आरम्भ करने को कहा जाय।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैदराबाद के लिए परिक्रमा (सरकुलर) रेल परियोजना

6586. **श्री भट्टम श्री राम मूर्ति** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद के लिए प्रस्तावित परिक्रमा रेल परियोजना की अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपये है;

(ख) परियोजना के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना व्यय वहन किये जाने पर सहमति हो गयी है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित उप समिति की सिफारिशों के अनुसार हैदराबाद में बड़ी लाइन (परिक्रमा) रेलवे के प्रस्ताव की अनुमानित लागत 1986 के मूल्य स्तर पर 262 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, नहीं, तथापि जैसाकि दक्षिण मध्य रेलवे की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, राज्य सरकार परियोजना की लागत का 25% व्यय वहन करने के लिये पहले ही सहमत थी।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा गठित उपसमिति द्वारा की गई सिफारिशों को व्यवहारिक नहीं समझा गया था क्योंकि इनमें उप-नगरीय सेवाओं को चलाने के लिए विद्यमान रेलवे लाइनों का उपयोग करने का प्रस्ताव था।

"रेपसीड" तेल का आयात

6587. डा. बी. एल. शैलेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम 30,000 टन "रेपसीड" तेल का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका किन-किन देशों से आयात किया जा रहा है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या "रेपसीड", तेल को संसाधित और साफ करने के कोई प्रबन्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) "रेपसीड" तेल और साल्वेंट का वितरण किस प्रकार किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) अप्रैल, 1987 से फरवरी, 1988 की अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम ने कनाडा, नीदरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, इटली, संघीय जर्मन गणराज्य आदि से अनुमानत: 128.98 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा से लगभग 2.84 लाख मी. टन रेपसीड तेल का आयात किया था।

(ग) रेपसीड तेल का संसाधन/परिशोधन करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है। परिशोधन का कार्य राज्य व्यापार निगम द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के उपक्रमों तथा सरकारी क्षेत्र के एककों को दिया जाता है। यहदि इन एककों की उपलब्ध क्षमता पर्याप्त नहीं पाई जाती है तो निजी परिशोधनकर्ताओं को भी आवश्यकता के आधार पर कच्चे रेपसीड तेल का परिशोधन करने की अनुमति दी जाती है।

(घ) परिष्कृत रेपसीड तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। परिशोधन के दौरान तेल रहित खली (एक्सट्रेशन) का उत्पादन नहीं किया जाता है।

स्थायी वर्ग के लिए मानदंड

6588. **श्री आनन्द पाठक :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीकल और सिविल विभाग में पृथक-पृथक 1 जनवरी, 1988 को कुल कितने स्थायी अर्ध-स्थायी और अस्थायी जूनियर इन्जीनियर थे; और

(ख) कितने प्रतिशत पद स्थायी हैं और कितने प्रतिशत अस्थायी और जूनियर इन्जीनियरों को स्थायी करने के लिए क्या मान दण्ड अपनाये जाते हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

किसानों को दी जाने वाली राजसहायता में असमानतायें

6589. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**

श्री पी. एम. सईद :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को कृषि उत्पादों, उर्वरकों आदि जैसे आदानों के लिये राजसहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि में कोई असमानता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को भिन्न-भिन्न राशि की कृषि राजसहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) (क) जी हां। देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को निवेश सम्बन्धी जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसमें कुछ अन्तर है। यह अन्तर कृषि उत्पादन वाली भूमि और उसमें निवेशों के प्रयोग पर निर्भर करता है।

(ख) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में किए गये एक अध्ययन से यह पता चला है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जिनमें कुल फसली क्षेत्र का 30% भाग है, निवेशों के लिए 50% आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जहां, कुल फसली क्षेत्र का 27% भाग है, निवेश के लिए 9% आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं।

(ग) देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि विकास के क्षेत्र में जो अन्तर है उसकी जानकारी सरकार को है। पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास होता रहे। विभिन्न योजनाओं के द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता-मुक्त आर्थिक सहायता, उर्वरकों और बीजों की मिनिकीट के रूप में सप्लाई, पौध संरक्षण रसायनों और उपकरणों के रूप में दी जाती है। इसके अलावा, किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक मिले इसके लिए उद्योगों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के किसानों को किस सीमा तक आर्थिक सहायता दी जाती है, यह वहां पर उगाई गई फसल, किसानों द्वारा विभिन्न निवेशों के उपयोग और केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के संचालन पर निर्भर करता है।

सरकार का लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है, जिससे कि कृषि का संतुलित विकास हो तथा वह राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप हो सके।

"फार्म" प्रशिक्षण के लिए विश्व बैंक से ऋण

6590. **श्री आर.एम. भोये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने "फार्म" प्रशिक्षण के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस प्रकार दिए गए ऋणों की शर्तें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कुछेक राज्य विश्व बैंक की सहायता से प्रशिक्षण और दौरे की नीति के अनुसार कृषि विस्तार परियोजनायें चला रहे हैं। विश्व बैंक को सहायता प्राप्त करने के लिये संबंधित राज्यों को पहले अपने ही धन को खर्च करके परियोजना को चलाना होता है। उसके बाद उन्हें विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति के लिये अपने दावे प्रस्तुत करने होते हैं। विस्तार कार्मिकों का प्रशिक्षण विस्तार परियोजना का एक अंग है। इस अंग पर किये जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक के ऋण के जरिए देय होती है। विश्व बैंक द्वारा वितरित ऋण केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को उनको प्लान सहायता में वृद्धि करके दिया जाता है। केन्द्रीय प्लान सहायता के रूप में इस प्रकार की जाने वाली धनराशि विश्व बैंक से राज्य परियोजना के लिये प्राप्त बाहरी सहायता के रुपयों में मूल्य के 70 प्रतिशत के बराबर होती है। इस प्रकार की सहायता की शर्तें और राज्यीय प्रोजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता की शर्तें समान होती हैं। गैर-विशेष वर्ग के राज्यों के संबंध में दी जाने वाली 70 प्रतिशत धनराशि ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाती है और विशेष वर्ग के राज्यों (हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, और सिक्किम) को दी जाने वाली धनराशि में से दस प्रतिशत ऋण तथा 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में होती है। विशेष वर्ग के इन राज्यों में से केवल हिमाचल प्रदेश ही विश्व बैंक की सहायता प्राप्त विस्तार परियोजना लागू कर रहा है। ऋण का अंश 15 वर्ष के समय में लौटाया जाना है। इस समय ऐसे ऋण पर 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर लागू है।

ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिये प्रशिक्षण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को धनराशि का नियतन

6591. **डा. बी. एल. शेलेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जोकि इस वर्ष अप्रत्याशित सूखे की चपेट में रहे हैं, भयंकर गरीबी और बेरोजगारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों के लिए ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तीव्र उन्नति के लिए ग्रामीण मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए इन कार्यक्रमों के अतर्न्गत क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : भिन्न-भिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की निधियां आबंटित करते समय गरीबी की स्थिति को पर्याप्य बल दिया जाता है और राज्यों द्वारा जिलों को निधियों का वितरण भी उसी आधार पर किया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसमें ट्राइसेम के अधीन युवाओं के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है, के अन्तगत 1987-88के दौरान गरीबी की स्थिति को 66-2/3 प्रातशत बल दिया गया है और इस 1988-89 के दौरान बढ़ा कर 75 प्रतिशत तथा 1989-90 के दौरान शत-प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी प्रकार' राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की स्थिति को 50 प्रतिशत बल तथा कृषि मजदूरों, सीमान्त किसानों और सीमान्त मजदूरों को 50 प्रतिशत बल दिया जाता है। यदि गरीबी की स्थिति के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते है तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या को 50 प्रतिशत बल दिया जाता है : तथापि, इन कार्यक्रमों के अतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निधियों का कोई निर्धारण नहीं किया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 1987-88 तक प्रति खंड एक समान दर पर आबंटन किए गए थे तथापि, 1988-89 से बड़े खण्डों की अधिक आबंटन किए जा रहे हैं। ट्राइसेम के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आबटन में से वहन को जाती है और अलग से कोई आबंटन नहीं किए जाते हैं। तथापि, ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक अलग योजना चल रही है जिसके लिए अलग से आबटन किया जाता है। 1988-89 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए राज्य अंश ट्राइसेम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण आधारभूत ढांचा सहित कुल आबंटन निम्न प्रकार है :

	कुल आबंटन (1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए राज्य के अंश सहित) (लाख रुपये में)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	126610.528*
प्रशिक्षण आधारभूत ढांचा	252.260
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	14796.000**
सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1386.000

*इसके 20 प्रतिशत का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशासनिक आधारभूत ढांचे के लिए किया जा सकता है।

**इसके अलावा, वर्ष 1988-89 के लिए 1444.02 लाख रुपये मूल्य के खाद्यान्नों की 87480 मीटरी टन मात्रा आबंटित की गई है।

इस विभाग द्वारा क्षेत्रवार आबंटनों की अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से आपरेशन फ्लड के लिये सहायता

6592. डा. एल. शैलेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आप्रेशन फ्लड-II परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से वर्षवार कितनी ऋण सहायता प्राप्त हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से नाप्त की गई ऋण सहायता नीचे दी गई है :—

वर्ष	रुपए करोड़ मे
1978-79	1.66
1979-80	4.84
1980-81	6.34
1981-82	19.50
1982-83	24.53
1983-84	27.87
1984-85	39.47
1985-86	31.37
1984-87	1.80
	योग—157.38

बागवानी और पुष्पोत्पादन का विकास

6593. **डा. बी. एल. शैलेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बागवानी और पुष्पोत्पादन के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जिन्हें अभी उपयोग किया जाना है,

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा किसी स्तर पर कोई दीर्घ अवधिक कार्यक्रम तैयार किया गया है,

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसकी अनुमानित पूंजी परिव्यय कितना है, और

(घ) इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में पुष्प उत्पादन सहित बागवानी के विकास की क्षमता मौजूद है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बागवानी के विकास की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। मंजूर किए गए कार्यक्रमों में फलवृक्षों को रोपण सामग्री का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना, सेब, अन्नानास और केले जैसे फलों का विकास तथा नारियल, काजू, फूलों आदि का विकास शामिल है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बागवानी के विकास के लिए कुल 33 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

(घ) राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार की स्थापनाओं के जरिए बागवानी के विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है।

00

भारतीय कला केन्द्र से लिये गये दुरुपयोग प्रभार

6594. **श्री डी. पी. यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री भारतीय कला केन्द्र से लिये गये दुरुपयोग प्रभारों के बारे में 30 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कला केन्द्र से वसूल किये जाने वाले 217868.95 रुपये के दुरुपयोग प्रभार में से अब तक कितनी राशि वसूल की गई है और यदि धनराशि वसूल नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का पट्टा करार के उपबंध का लगातार उल्लंघन किये जाने के मामले में पुन: जुर्माना लगाने का विचार है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : बकाया देयताओं के लिये भारतीय कला केन्द्र-से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। 12,11.87 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में 11.12.87 को एक अभ्यावेदन दिया है यह अभ्यावेदन विचाराधीन है और सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लिये जाने के बाद पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

आंध्र प्रदेश के लिये खाद्य तेल का कोटा

6595. **श्री पी. पेंचालैया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के लिये खाद्य तेलों का कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्यों/संघ क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन इनकी मांग, खुले बाजार में देशी खाद्य तेलों के मूल्य, राज्य व्यापार निगम के पास तेलों की उपलब्धता, त्यौहार मौसम और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन्हें उठाने की गति के आधार पर माह-दर-माह किया जाता है। मई, 1988 के लिए राज्यों, जिनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, को आबंटन इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

6596. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री हिमाचल प्रदेश के जिलों में भारततीय खाद्य के गोदाम के बारे में 21.1.1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश के उना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में अपने गोदाम स्थापित करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गोदाम को स्थापित करने की कब स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन गोदामों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा इसके विलम्ब के क्या कारण हैं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी.एल. बैठा) (क) : भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश के उना और हमीरपुर जिलों में स्वयं अपने गोदामों का निर्माण करने का निर्णय किया है। भण्डारण की आवश्यकता के मूल्यांकन के आधार पर, निगम का फिलहाल बिलासपुर जिले में गोदाम का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : भारतीय खाद्य निगम को उना में भूमि का कब्जा केवल दिसम्बर, 1987 में प्राप्त हो सका था। निगम द्वारा इस केन्द्र पर 2500 मीटरी टन का भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए मंजूरी जनवरी, 1988 में जारी की गई थी। निगम इस समय टेंडर आमन्त्रित कर रहा है। गोदाम के मार्च, 1990 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

भारतीय खाद्य निगम को अब तक हमीरपुर में उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं हो पायी है। निगम द्वारा यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है। निगम के पास भूमि उपलब्ध होने के बाद इस केन्द्र पर भण्डारण क्षमता का निर्माण करने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं।

उना और हमीरपुर जिलों में उपयुक्त भूमि प्राप्त करने में हुई कठिनाई ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन दो केन्द्रों पर निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब का मुख्य कारण रहा है।

पर्वतीय राज्यों में पर्यटक संभावनाओं का विकास

6597. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यटन मंत्री सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पर्वतीय राज्यों में पर्यटक संभावनाओं के संवर्धन के बारे में 25 अप्रैल, 1 86 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7695 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय राज्यों में पर्यटक संभावनाओं वाले विभिन्न स्थानों पर, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के मंत्री जिले में रिवालसर में पर्यटक सराय, कांगडा जिले में चामुंडा देवी मे सराय देवय सिद्ध जिला हमीरपुर, चिन्तपूर्णी जिला उना और कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी में यात्रिकाओं जैसी उपयुक्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में क्या नवीनतम प्रगति हुई है; और

(ख) इन परियोजनओं के किस तारीख तक पूरा हो जाने की संभावना है और प्रत्येक मामले में कितनी लागत आएगी ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों सहित प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर आधार संरचना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा भिजवाए गये विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है :—

(लाख रुपये में)

परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1. रिवालसर में पर्यटक सराय	12.05
2. चौमुण्डा देवी में सराय	8.26
3. हटकोठी और चिन्तपूर्णी में पर्यटक गृह	20.00

वर्तमान योजनावधि के दौरान उपर्युक्त सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है। यात्रिकाओं का निर्माण भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा किया जाता है। संसाधनों पर प्रतिबन्ध के कारण समिति ने हिमाचल प्रदेश के सिद्ध, जिला हमीरपुर, चिन्तपूर्णी, जिला ऊना और ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा में यात्रिकाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है।

बंधुआ मजदूर

6598. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना उड़ीसा राज्य में बराबर के अन्शदान के आधार पर आरम्भ की गई थी?

(ख) क्या वर्ष 1987-88 के लिए बराबर के अन्शदान की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अभी तक नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर वर्ष 1987-88 के दौरान केन्द्रीय अन्श के रूप में 84,01,875 रुपये की राशि दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों को भेजना आवश्यक है कि धनराशि सही ढंग से खर्च की गई है।

लोगों को फसल बीमा योजना के बारे में अवगत कराने की योजना

6599. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों ने अब तक फसल बीमा योजना नहीं अपनाई है उन्हें यह योजना शुरू करने हेतु सहमत कराने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है,

(ख) क्या लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध फसल बीमा योजना के अधीन अपनी फसलों का बीमा कराने के लाभ से अवगत कराने की सरकार की कोई ठोस योजना है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार वृहत फसल बीमा योजना को अपनाने के लिए समय-समय पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर जोर देती रही है। इसके अलावा इस योजना को किसानों के लिए अधिक आकर्षक और लाभदायी बनाने के लिए गेहूं और धान के लिए क्षतिपूर्ति की 80 प्रतिशत की सीमा को रबी 1986-87 से बढ़ाकर विभिन्न प्रकार की पैदावार के अनुसार गत तीन वर्षों की वास्तविक औसत पैदावार का 85 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) समूचे देश में क्षेत्रीय भाषाओं में इश्तहारों के जरिए योजना का प्रचार

करने के प्रबंध किए गए। दूरदर्शन पर गत वर्ष इस योजना के सम्बन्ध में एक वृत्त चित्र दिखाया गया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रमिकों द्वारा आन्दोलन

6600. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रमिक अपनी मांगों को मनवाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी उचित मांगों को किस सीमा तक पूरा किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली में यदा-कदा प्रदर्शन किए हैं।

(ख) और (ग) उनकी अधिकांश उचित मांगों को मान लिया गया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(एक) यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान में 1-4-87 से वही वेतन तथा भत्ते दिए जायेंगे जो कार्य प्रभारित स्थापना में कर्मचारियों के तदनुरूपी वर्ग को दिए जा रहे हैं।

(दो) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के कुल 65 श्रेणियों में से 54 को वर्दी के लिए पात्र बनाया गया है।

(तीन) कर्मचारियों की एक मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ हुए समझौते के अनुसार पुन: श्रेणीकरण/पुन: वर्गीकरण की मांग मध्यस्थ को सौंपी गई है।

(चार) कार्य प्रभारित स्थापना में रिक्त पदों को अग्रता के आधार पर भरने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

(पांच) अर्द्ध कुशल/कुशल वर्ग से सम्बन्धित उन मस्टर रोल कर्मचारियों को औजार जारी किए जा रहे हैं जिन्होंने लगातार दो वर्षों में 240 दिन की सेवा की हो।

सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों की मांग

6601. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों की मांग में पुन: वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987 के दौरान 57,234 उत्प्रवासियों को उत्प्रवास अनुमति मिली जबकि वर्ष 1986 में 41,804 उत्प्रवासियों को अनुमति मिली थी।

(ग) सऊदी अरब साम्राज्य में दो मिशन उत्प्रवासी अनुमति के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की बढती मांग को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत है। भारत उत्प्रवासी संरक्षी के कार्यालय श्रमिकों को तत्परता से उत्प्रवास अनुमति दे रहे हैं।

श्रमिकों की भर्ती

[हिन्दी]

6602. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजनालय (रिक्तयों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के उपबंधों के अनुसार ग्रेड सी. और डी. पदों की नियुक्ति और भर्ती केवल रोजगार कार्यालय द्वारा की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि पी. डी. आई. एल. सिदरी द्वारा उपर्युक्त कानून का उल्लंघन करके 13 पदों की सीधे नियुक्ति की गई थी, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इन्डिया लि. (पी. डी. आई. एल.) में श्रेणी "ग" और "घ" पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालय (रिक्तयों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) पी. डी. आई. एल. ने सूचित किया है कि इसके बड़ौदा कार्यालय की स्थापना की प्रारम्भिक अवधि के दौरान श्रेणी "ग" और "घ" में मस्टर रोल आधार पर 5 व्यक्तियों को नियुक्त दिया गया था। बाद में, दो वर्ष की अवधि के लिए काम करने के पश्चात उनकी सेवाएं नियमित कर दी गयी। इसके अलावा 1981-82 के दौरान 8 व्यक्तियों को ठेके के आधार पर विशिष्ट परियोजना कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, जो कार्य अस्थायी स्वरूप का था तथा अपेक्षित अर्हताओं तथा अनुभव के अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय से मिल नहीं रहे थे। इन 8 व्यक्तियों की सेवाएं पहली सितम्बर, 1986 से समाप्त कर दी गयी थी।

नई दिल्ली नगर पालिका के निर्माण कार्यों में खामियां

6603. **श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, दिनांक 24 जनवरी, 1988 के इंडियन एक्सप्रेस में "सिरियस लैप्सेस इन न्यू देहली म्युनिसिपल कमेटी वर्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगर पालिका के कार्य में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा निकाली गई तथा दिनांक 24 जनवरी, 1988 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार में उल्लिखित विभिन्न गलतियों के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका का सत-

कंता स्कन्ध यह पता लगाने के लिए जांच कर रहा है कि क्या इसमें कोई सतर्कता का पहलू शामिल है।

मध्यस्थता बोर्ड का कार्यकरण

[अनुवाद]

6604. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले अनेक महीनों से संयुक्त परामर्श व्यवस्था (जे. सी. एम.) के अधीन मध्यस्थता बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या कर्मचारी संगठनों ने बोर्ड के कार्य न करने पर विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो मध्यस्थता बोर्ड ने कब से काम करना बंद किया है और इसके कार्य न करने के क्या कारण हैं और इस बोर्ड को शीघ्र ही सक्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) बोर्ड के पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.एल. जैन का सेवाकाल 21.7.87 को समाप्त हो चुका था। तब से बोर्ड ने कोई सुनवाई नहीं की है।

कार्मिक विभाग की विभागीय परिषद के कर्मचारियों के पक्ष के सचिव ने इस मुद्दे को अक्तूबर, 1987 में हुई विभागीय परिषद की बैठक में उठाया था और राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने 15.1.88 और 28.3.88 को हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, सरकार मामलों की सुनवाई शुरू कर देगी।

महानगरी परिवहन परियोजना

[हिन्दी]

6605. **श्री शांति धारीवाल :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने महानगरीय परिवहन परियोजना को लागू करने के लिये राज्य सरकारों को बस और रेल किरायों को समान बनाये रखने के सुझाव दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों को एक नगर परिवहन विकास प्राधिकरण की स्थापना करने को कहा था;

(ग) यदि हां, तो महानगरीय परिवहन परियोजना को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार को किन-किन राज्यों में सुझाव प्राप्त हुये हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) रेल मन्त्रालय ने महानगरीय परिवहन परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये बस व रेल किरायों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी नीति की समीक्षा

[अनुवाद]

6606. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में गन्ना उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या गन्ना उत्पादकों को सहायता हेतु वर्तमान चीनी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या चीनी के आयात में कमी करने हेतु चीनी निति को तर्कसंगत बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) चीनी नीति तैयार करते समय इसमें अन्तर्गस्त सभी वर्गों अर्थात् गन्ना उत्पादकों, चीनी के उपभोक्ताओं और चीनी उद्योग के हितों को ध्यान में रखा जाता है। वस्तुत: नीति का उद्देश्य सभी के हितों की रक्षा करना है। गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जो 1986-87 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 17.00 रुपये प्रति क्विंटल था, 1987-88 मौसम के लिए बढ़ाकर 8.5% की रिकवरी पर 18.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। इसमें अधिक रिकवरियों के लिए आनुपातिक प्रीमियम देने की भी व्यवस्था है। 1988-89 मौसम के लिए, 8.5% की रिकवरी पर 19.00 रुपये प्रति क्विंटल के और अधिक मूल्य की घोषणा की गई है। केन्द्रीय सरकार केवल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिससे कम मूल्य कोई भी फैक्ट्री अदा नहीं कर सकती। अत: गन्ने का अधिक उत्पादन होने की दशा में भी किसानों का शोषण नहीं किया जा सकता है। वास्तव में सामान्यता गन्ना उत्पादक अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं। मूल्य की अग्रिम घोषणा करने का उद्देश्य गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए मूल न्यूनतम मूल्य के बारे में उन्हें आश्वस्त करना है। नीति के संघटकों का उद्देश्य उद्योग की आर्थिक सक्षमता में सुधार लाना है जिससे गन्ने के अधिक मूल्य और शीघ्र भुगतान के रूप में किसानों को भी लाभ पहुंचता है।

(घ) और (ङ) चीनी नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है और चल रही परिस्थितियों के अनुसार उत्तम सम्भव विकल्प अपनाए जाते हैं। वस्तुत: भारत चीनी का निर्यातक देश रहा है। लेकिन उन दो या तीन मौसमों में जब मुख्यत: कृषि मौसमी कारणों की वजह से चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ था, जिससे आपूर्ति और मांग की स्थिति में अन्तर पैदा हो गया था, चीनी का निर्यात नहीं किया जा सका था। सरकार नए लाइसेंस प्रदान कर और विस्तार की अनुमति देकर अधिक उत्पादन क्षमता बनाने के लिए उपाय कर रही है। नए यूनिटों की प्रारम्भिक क्षमता अधिक रखी गई है ताकि वे अधिक किफायत से अधिक उत्पादन कर सकें। राज्य सरकारें गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार फैक्ट्री क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने के लिए और फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण/पुनर्वासन के कार्यक्रम को भी शुरू करने के लिए चीनी विकास निधि से ऋण दे रही है। सरकार द्वारा किए जा रहे नीति विषयक उपायों का उद्देश्य चीनी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या

[हिन्दी]

6607. **श्री शांति धारीवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ की सहायता से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूमिगत जल की खोज करके ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल की समस्या को दूर करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में समुद्री जल के खारेपन को दूर करने सम्बन्धी योजना

[अनुवाद]

6608. **श्री पी. एम. सईद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में समुद्री जल के खारेपन को दूर करने के लिए कुछ संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है और वे किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) संयंत्रों की लागत कितनी है और तमिलनाडु के गांवों में रह रहे लोगों को कब तक पेय जल उपलब्ध हो जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जैसा कि तमिलनाडु को राज्य सरकार ने सूचित किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में समुद्री जल के खारेपन को दूर करने के लिए संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में सभी गांवों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है।

उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य

6609. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है,

(ख) वर्ष 1977-88 तक उर्वरकों के उत्पादन में कितनी उपलब्धि हुई, और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उर्वरकों का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन होने की सम्भावना है।

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु): (क) सातवीं योजना के अन्त तक उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य नीचे दिया गया है :—

नाइट्रोजन	=	65.6 लाख टन
$पी^2 ओ^5$	=	21.9 लाख टन

(ख) सातवीं योजना के दौरान 1987-89 तथा वर्षवार उत्पादन नीचे दिया गया है :—

लाख टन

	नाइट्रोजन	$पी_2 ओ_5$
1985-86	43.28	14.27
1986-87	54.10	16.60
1987-88 (अनुमानित)	54.66	16·65

(ग) सातवीं योजना की बाकी अवधि के दौरान न्यूट्रीऐन्टस के रूप में उर्वरकों का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	नाइट्रोजन	$पी_2 ओ_5$
1988-89	64.00	22.00
1989-90	65.60	22.00

इस्पात उत्पादन के लिये संदर्शी योजना

6610. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री महेश्वर तांती :
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने सन् 2000 तक इस्पात उत्पादन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है;

(ख) क्या इसके लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उक्त योजना में सन् 2000 तक इस्पात के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते

सलाहकार समितियां

[हिन्दी]

6611. **श्री राज कुमार राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में सलाहकार समितियों की संख्या कितनी है,

(ख) इन समितियों में नियुक्ति का आधार एवं तरीका क्या है ?

(ग) इनमें से प्रत्येक समिति में कितने स्थान रिक्त हैं, और

(घ) इन रिक्त स्थानों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी

6612. **श्री राजकुमार राय :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कोई विशेष योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किये हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) रोजगार सृजन के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अध्याय 3 के खंड 1 तथा अध्याय 5 के खंड 11 में दिये गये हैं। योजना दस्तावेज के खंड 11 के अनुच्छेद 5.19 तथा 5.20 में शिक्षित जनशक्ति के लिए आवश्यकता करके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों में से बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वः रोजगार उपलब्ध करने के लिए योजना विशेष रूप से शिक्षित युवाओं के लिए है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य में भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

हिमस्खलन से क्षति

[अनुवाद]

6613. **श्री सुभाष यादव :**
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री श्रीहरि राव :
श्री सीताराम जे. गवली :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी-मार्च, 1988 के दौरान उत्तर भारत के कुछ भागों में हिमस्खलन से जन-जीवन, सम्पत्ति और फसल को भारी क्षति हुई है,

(ख) इसके परिणामस्वरूप जन-जीवन और फसल की कितनी क्षति होने का अनुमान है, और

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों को कोई राहत उपलब्ध कराई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू व कश्मीर उत्तरी भारत के किसी राज्य से हिमस्खलन के कारण क्षति होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाएं

6614. **श्री सुभाष यादव :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री मानिकराव होडल्या गावित :

श्री ओहरि राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली अनेक विदेशी नौकाएं मछली पकड़ने के काम में लगी हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप मछली पकड़ने की मात्रा में गिरावट आ गई है जिससे देश में मछुआरों को चिन्ता हो गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) देश के मत्स्य व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है तथा प्रतिवर्ष कितनी हानि उठानी पड़ती है, और

(घ) क्या देश में मत्स्य उद्योग के हित के संरक्षण हेतु कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) से (घ) भारतीय उद्योग द्वारा विदेशी मत्सयन जलयानों की चार्टर करने की योजना के अन्तर्गत भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में प्रचालन संबंधी कार्यों के लिए इस समय 43 विदेशी मत्स्यन जलयानों के परमिट वैध हैं ।

चार्टर किए गए विदेशी मत्स्यन जलयानों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इन जलयानों द्वारा वर्ष 1986 तथा 1987 में पकड़ी गई तथा निर्यात की गई मछली की मात्रा क्रमश: 9390.88 टन तथा 6988. 78 टन है, जबकि भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में 45 लाख टन मछली की अनुमानित वार्षिक क्षमता मौजूद है ।

चार्टर किए गए विदेशी मत्स्यन जलयानों को नियमों के अनुसार पूर्वी तट के 12 समुद्री मील तथा पश्चिमी तट के 24 समुद्री मील के भीतर कार्य करने की अनुमति नहीं है ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित लाभ

6615. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 से वर्ष 1987-88 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम को परिवहन सेवाओं और इसके द्वारा चलाये जा रहे होटलों से कितना शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ;

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम को प्राप्त होने वाले लाभ की दर कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष लाभ में हुई वृद्धि की तुलना में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी अधिकारियों की संख्या और वेतन और अतिरिक्त भत्तों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाई जा रही परिवहन सेवाओं और होटलों से अर्जित शुद्ध लाभ को हुई हानि इस प्रकार रही :

वर्ष	परिवहन (अशोक ट्रैवल्स एण्ड ट्रम्र्स सर्विसेज	होटल (आवास एवं केटरिंग)
	(लाख रुपये में)	
1985-86	2.54	267.91
1986-87	(—)47.64	418 06
1987-88 (अनन्तिम)	(—)22.80	479.50

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम में लगाई गई पूंजी पर प्रतिशत आय नीचे दी गई है, जिसे उचित समझा जा सकता है।

लगाई गई पूंजी पर आय	1985-86	1986-87	1987-88 (अनन्तिम)
कर से पहले (%)	6.8	7.8	9.1
कर के बाद (%)	6.8	6.8	6.7

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	कार्यपालकों/गैर-कार्यपालकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि		कुल कारोबार में प्रतिशत वृद्धि	मजदूरी और लाभ
1985-86	+ 1%	(—) 1·8%	34.1	11.5
1986-87	+ 5.4%	(—) 1.8%	15.4	18.6
1987-88 (अनन्तिम)	+ 3.6%	(—) 0.6%	10.4	11.8

रसायनिक कीटनाशकों का प्रयोग

6616. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग और औद्योगिक रासायनिक अवशिष्ट फेंकना, जिसमें लाखों खतरनाक पदार्थ होते हैं, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग के स्थान पर किसी विकल्प का विकास करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सभी कीटनाशी दवाइयों का कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसे रसायनों के पंजीकरण के समय प्रभाविकता तथा सुरक्षा के विभिन्न प्रतिमानों पर अध्ययन के निष्कर्षों पर गौर किया जाता है ताकि पर्यावरण के लिये उनके संभावित खतरों से बचाव किया जा सके। इसके बाद उनके उपयोग के बारे में सिफारिशें जारी की जाती हैं जो कीटनाशी दवाइयों के डिब्बों आदि के लेबलों और पर्चों का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। इसलिये, कीटनाशी दवाओं के उचित इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता। फिर भी, रासायनिक कीटनाशी दवायें अपनी मूल प्रकृति से ही विषाक्त होती हैं, इसलिये वे धीरे-धीरे खराब होकर घोर-विषाक्त बन जाती हैं।

यह एक जाना माना तथ्य है कि औद्योगिक व्यर्थ सामग्री के गलत-रखाव से मानव स्वास्थ्य के लिये समस्यायें पैदा हो सकती हैं। वैसे, जल प्रदूषण नियंत्रण की अपेक्षा में यह बात शामिल है कि औद्योगिक विकास सामग्री का रासायनिक उपचार किया जाये ताकि उससे स्वास्थ्य के लिये खतरा कम हो जाये।

(ख) और (ग) कीटनाशी दवाइयों के उपयोग को कम से कम करने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सुरक्षित कीटनाशी दवाइयों का आवश्यकता के आधार पर उपयोग करने के लिये कृमियों/रोगों के पैदा होने पर नियमित रूप से नजर रखना और उसकी मानिटरिंग करना।

(2) समेकित कृमि नियंत्रण प्रबन्ध को लोकप्रिय बनाना, जिसमें कृमि नियंत्रण प्रौद्योगिकी के कई अंग शामिल हैं जैसे खेती सम्बन्धी यांत्रिक, जीव-वैज्ञानिक उपाय और फसलों की कृमि रोग रोधी किस्म का इस्तेमाल।

(3) श्रव्य-दृश्य सहायता सामग्री, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पर्चों, समस्या के माध्यम आदि के जरिए क्षेत्रीय कर्मचारियों/किसानों को कीटनाशी दवाइयों के सुरक्षित और आवश्यकता पर आधारित उपयोग के बारे में प्रशिक्षण देना ताकि समेकित कृमि प्रबन्ध नीति अपनाई जा सके।

आयातित चीनी की सप्लाई

6617. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान अब तक प्रति मास लेवी की और खुली बिक्री के लिए वास्तव में कितनी आयातित चीनी वितरित की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : एक विवरण संलग्न है जिसमें 1985-86, 1986-87 और 1987-88 (फरवरी, 1988 तक) के दौरान वितरण करने हेतु लेवी तथा मुक्त बिक्री की आयातित चीनी के लिए की गई मासवार सुपुर्दगियों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

चीनी वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 (फरवरी, 1988 तक) के दौरान आयातित चीनी की मासवार सुपुर्दगियां।

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

(अनन्तिम)

मास	1985-86 लेवी	1985-86 खुली बिक्री	1986-87 लेवी	1986-87 खुली बिक्री	1987-88 लेवी	1987-88 खुली बिक्री
अक्तूबर	96	164	18	96	6	95
नवम्बर	99	153	9	74	1	68
दिसम्बर	93	104	16	47	1	32
जनवरी	90	80	6	37	1	30
फरवरी	97	67	5	37	1	25
मार्च	62	95	5	41		
अप्रैल	48	68	2	32		
मई	31	77	5	30		
जून	21	80	4	59		
जुलाई	20	56	6	59		
अगस्त	19	66	8	81		
सितम्बर	14	66	12	98		
जोड़	690	1076	96	711		

जलशक्ति योजना

6618. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 दिसम्बर, 1987 के "इंडियन एक्सप्रेस" में जलशक्ति बून टू इण्डियन फार्मिंग शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि जलशक्ति एक जैवबहुलक आर्गेनिक पालीमर का उपयोग भारतीय कृषि के लिए एक वरदान साबित होगा;

(ख) यदि हां, तो केवल मानसून की वर्षा पर निर्भर किसानों की समस्याओं का समाधान करने में यह मिश्र पदार्थ किस सीमा तक उपयोगी होगा और

(ग) इस मिश्र पदार्थ के उपयोग को किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जलशक्ति को प्रभाव शीलता का परीक्षण करने का प्रयोग हाल ही में किया गया है। । आर्द्रता संरक्षण में इस सामग्री की दक्षता तथा दायरा पर कोई निर्णायक परिणाम अभी उपलब्ध नहीं है।

पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी योजनायें

6619. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पर्यटक के विकास के लिए कोई दीर्घावधि बृहद् योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए बृहद् योजना में लगने वाले समय और योजना में सम्मिलित विशेष योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

17 "इण्डियन्स चीटेड विद जाब आफर्स" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

[हिन्दी]

6620. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "17 इंडियन्स चीटेड विद जाब आफर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुआला लुम्पर में भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय से की गई जांच से पता लगा कि प्रश्नगत समाचार कुआला लुम्पर में पी. टी. आई. संवाददाता द्वारा की गई रिपोर्ट पर आधारित था जो स्थानीय दैनिक में प्रकाशित समाचार पर आधारित थी। न तो मलेसिया उत्प्रवासी अधिकारी ने और नहीं सम्बन्धित व्यक्तियों ने कुआला लुम्पर में भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय को मामले की सूचना दी थी। सभी व्यक्तियों के पास वैध यात्रा दस्तावेज और वीसा थे और वे अब थाईलैण्ड के लिए मलेसिया से रवाना हो गए हैं।

"प्लेी टू प्रोबलेबरर्स डैथ" शीर्षक से समाचार

6621. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 दिसम्बर, 1987 के टाइम्स आफ इण्डिया" में "प्लेी टू प्रोबलेबरर्स डैथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उड़ीसा में एक महिला श्रमिक की भूख से हुई मृत्यु की कथित घटना की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी जांच किस ऐजेंसी ने की है और जांच के परिणाम से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा है।

पंजाब में धान की खरीद

6622. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए पंजाब से धान की खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) जनवरी, 1988 तक कितनी मात्रा में धान की खरीद की गई; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) धान की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं क्योंकि धान की वसूली मूल्य समर्थन के अधीन की जाती है।

पंजाब में सरकारी एजेन्सियों द्वारा जनवरी, 1988 तक 6 81 लाख मीटरी टन धान खरीदा गया था।

पिथौरागढ़ में भारत रिफ्रैक्ट्रीज की स्थापना

6623. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में देवलथल में मैग्नेसाइट की जांच और खनन इत्यादि पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कृषि भूमि अधिग्रहीत करके खानों में सुरंग आदि भी बनाई जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो भारत रिफ्रैक्ट्रीज की इमारत, जिसकी यहां आधार-शिला रखी जा चुकी है, का निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे और विलम्ब न हो ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड ने देवलथल में पिथौरागढ़ मैग्नेसाइट परियोजना पर दिनांक 31-3-1988 तक 1.64 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया है।

(ख) जी नहीं। अभी तक कोई सुरंग नहीं बनाई है।

(ग) और (घ) परियोजना की लागत से पुनर्मूल्यांकन तथा डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट की मांग तथा उपलब्धता की जांच से पता चलता है कि परियोजना अब चलने योग्य नहीं है।

राज्यों द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा

[अनुवाद]

6624. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यटन मन्त्री पर्यटन उद्योग के लिए ला. और प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्य दल के बारे में 25 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7813 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित करने के बारे में राज्यों की अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ख) रेस्तरां और दुकानों को ऐसे चुने हुए स्थानों पर स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई जहां बिक्री के लिए विदेशी माल उपलब्ध हो ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, बिहार, त्रिपुरा, असम, राज्यों और अण्डमान तथा निकोबार संघ शासित प्रदेश ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है, जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान ने होटलों को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन तथा प्रस्थान विश्राम-कक्षों में दस शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है। इसके अलावा, राजनयिक समुदायिक तथा होटलो की जरूरतें पूरी करने के लिए सम्राट होटल नई दिल्ली में आयात लाईसेंसों पर एक कर-मुक्त दुकान भी चलाई जा रही है।

किसानों के ऋणों की वसूली के लिए मानदण्ड

[हिन्दी]

6625. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखे और बाढ़ से प्रभावित किसानों से ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) सूखे/बाढ़ों से पीड़ित किसानों से सहकारी ऋणों की वसूली करने का मानदण्ड देश में सभी प्रभावित राज्यों के लिए समान है।

उड़ीसा की खरीफ और रबी की फसल के लिए ऋण की मांग

[अनुवाद]

6626. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने खरीफ और रबी की फसलों के लिये अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये कितना ऋण मांगा है और केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1988-89 के लिये कितनी धनराशि मन्जूर की है, और

(ख) क्या सरकार का विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक आदान सामग्रियां पहुंचाने के लिये पर्याप्त राशि के अल्पावधि ऋण मन्जूर करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कृषि आदानों अर्थात् उर्वरकों, बीजों और कृमिनाशक दवाओं की खरीद तथा वितरण करने में सहायता करने के लिए राज्य सरकारों को खरीफ तथा रबी मौसमों में पृथक-पृथक अल्पावधि ऋण मंजूर किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने खरीफ 1988 मौसम के लिए 17.75 करोड़ रुपए और रबी 1988-88 मौसम के लिए 12.27 करोड़ रुपए की आवश्यकता की सूचना दी है। खरीफ, 1988 मौसम के लिए अल्पावधि ऋण संसद द्वारा बजट स्वीकार करने के बाद राज्यों को निर्मुक्त किया जायेगा। सीमित बजट प्रावधान के कारण अधिकतर राज्यों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना संभव नहीं है।

उड़ीसा के मछुआरों को सहायता प्रदान करने के लिए उठाये गये कदम

6627. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से झींगा मछली के कम पकड़े हकड़े जाने के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे उड़ीसा के मछुआरों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, और

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में मछली पकड़ने की नौकाओं के विद्यमान बेड़े में वृद्धि करने हेतु साधनों का अध्ययन करने के लिए यहां एक अध्ययन दल भेजने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य में झींगा मछली उत्पादन में निम्न प्रकार से वृद्धि हुई है :

वर्ष	झींगा मछली का उत्पादन मीटरी टन में
1984-85	4586
1985-86	4994
1986-87	5950

(ख) जी, नहीं।

कम वजन में शुद्ध घी की बिक्री

6628. **श्री सोमनाथ रथ** :

चौधरी राम प्रकाश :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा बिक्री हेतु सप्लाई किए जा रहे कम वजन के डिब्बा बन्द शुद्ध घी की गुणवत्ता और मात्रा की कोई जांच की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) राज्यों में कुछ संगठित डेयरियां घी तैयार कर रही हैं। एगमार्क जो अभी स्वैच्छिक है, के अधीन उनकी पैकिंग कर रही हैं एगमार्क के अन्तर्गत पैक किए जाने वाले घी की इसकी गुणवत्ता के लिए पहले जांच की जाती है और इस बारे में प्रमाणित किया जाता है। कभी-कभी उसके वजन की भी यादृच्छिक रूप से जांच की जाती है। बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अनुसार विनिर्माताओं को पैकिंग पर वस्तु का शुद्ध भार इंगित करना होता है। इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों के बाट तथा माप विभाग के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

दिल्ली में सहकारी आवास समितियों में तथाकथित अनियमितता

[हिन्दी]

6629. **श्री मदन पांडे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण और ग्रुप आवास समितियों के पदाधिकारियों द्वारा सदस्यों को हानि पहुंचा कर अपने निजी निहित स्वार्थों को बनाये रखने के लिये किये जाने वाले कदाचारों एवं अनियमितताओं के बारे में लगातार समाचारों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का सहकारी गृह निर्माण और ग्रुप आवास समितियों द्वारा पुराने सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने तथा नये सदस्यों के नाम दर्ज करने पर रोक लगाकर सभी सहकारी आवास समितियों के आय-व्यय की जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखदी जाएगी।

दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में भूमि हथियाने की जांच

6630. **श्री मदन पांडे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूखंड देने के नाम पर करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन हथियाने का एक मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा इस संबंध में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित किया गया है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखदी जाएगी।

आयातित चीनी पर सीमा शुल्क

[अनुवाद]

6631. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण देश में आयातित चीनी के बिक्री मूल्य में वृद्धि हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं के हित में सीमा शुल्क को कम करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) : आयाति चीनी को लागू सीमा शुल्क में 5 प्रतिशत को वृद्धि, जिससे यह बढ़ाकर 80 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दी गई है, से नियंत्रित माध्यमों से वितरित करने के लिए राज्य सरकार को आवंटित की जा रही आयातित चीनी के निर्गम मूल्य में वृद्धि नही हुई है। राज्य सरकारें पूर्व की भांति आयतित चीनी नियंत्रित माध्यमों से 6/- रुपये तक के मूल्य पर निरन्तर बेच रही है।

आइसक्रीम का मूल्य

6632. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे के महीनों के दौरान आइसक्रीम के कौन-कौन से आवश्यक अवयवों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) आइसक्रीम के मूल्यों में वर्ष 1987 के मूल्यों की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आइसक्रीम के लेबलों पर इसका मूल्य, उत्पादन तिथि, किस्म, उत्पादक का नाम और पता आदि नहीं लिखे होते जैसा कि संबंधित नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कानून के उपबंधों को लागू करने के लिए उठाय गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) आइसक्रीम के विभिन्न अवयवों जैसे दूध, स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण (स्किम्ड मिल्क पाउडर), मक्खन और क्रीम के वर्तमान मूल्य गत वर्ष की तुलना में आमतौर पर अधिक हैं।

(ख) सरकारी थोक मूल्य सूचकांक में आइसक्रीम एक पृथक मद नहीं है। आइसक्रीम के एक अग्रणी विनिर्माता से उपलब्ध सूचना से यह प्रतीत होता है कि गत एक वर्ष के दौरान आइसक्रीम की विभिन्न किस्मों के मूल्य बढ़े हैं, पर यह वृद्धि आमतौर पर 6 से 20 प्रतिशत के बीच हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अन्तर्गत हर पैकेज, जो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के लिए होता है, पर अनिवार्य घोशणाएं, विनिर्माता/पैकर का नाम तथा पता, पैक की गई वस्तु का सामान्य अथवा आम नाम, विनिर्माण/पैकिंग का माह तथा वर्ष बिक्री मूल्य देने होते हैं। तथापि, कुछ वस्तुओं, जिनमें आइसक्रीम भी शामिल है, को माह तथा वर्ष और बिक्री मूल्य अंकित करने की बाध्यता से छूट दी गई है।

(ङ) जिस हद तकबाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं (नियम, 1977 आइसक्रीम पर लागू होते हैं, वहां प्रवर्तन कार्यवाही राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की जाती है।

दिल्ली दुग्ध योजना की बोतल भरने की क्षमता को बढ़ाना

6633. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना की बोतल भरने की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव था, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-बार कितनी प्रगति हुई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण उद्योग में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

6634. **श्री तम्पन थामस** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और विभिन्न राज्यों द्वारा निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों के लिए कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है; और

(ख) क्या सरकार ने निर्माण उद्योग में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने पर किसी मामले में न्यायालय में मुकदमा दायर किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) निर्माण नियोजन जिसके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, में मजदूरी की न्यूनतम दरें 9.50 रु. से 14.25 रुपए और विभिन्न राज्यों में न्यूनमत मजदूरी की दरें एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा कम्पनियों/एककों को कच्चे लोहे की सप्लाई

6635. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र ने कच्चे लोहे की सप्लाई के लिए किन-किन कम्पनियों/एककों के साथ समझौता किया है;

(ख) क्या यह संयंत्र नियमित सप्लाई कर पाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा समझौते के अनुसार सप्लाई बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) :(क) (क) संयुक्त संयन्त्र समिति द्वारा ग्राहकों को कच्चे लोहे की सप्लाई समय-समय पर बनाए गए वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। इस्पात सन्यन्त्रों द्वारा किसी ग्राहक के साथ अलग से कोई करार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

जापान को इस्पात का निर्यात

6636. श्री वसुदेव आचार्य : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के आधुनिक एकक के पूरा हो जाने के बाद जापान को इस्पात की कुछ निश्चित मात्रा का निर्यात करने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वचन का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

इन्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

6637. श्री वसुदेव आचार्य : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, नहीं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अन्य प्रारम्भिक निर्माण कार्यों के लिए जनवरी 1988 में "सेल" को 30 करोड़ रुपये का खर्च स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के लिए सरकार की स्वीकृति, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने और सरकार द्वारा जांच कर लिए जाने के बाद ही मिल पायी सम्भव होगी।

पश्चिम बंगाल से पर्यटन केन्द्रों के प्रस्ताव

6638. श्री वसुदेव आचार्य : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से पर्यटन केन्द्रों के विकास के बारे में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) स्वीकृत प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और उनके क्रियान्वयन के लिए कितनी धन-राशि मंजूर की गयी है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिजर गोमांगो) : (क) और (ख) सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अभी तक, पर्यटन मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से 12 प्रस्ताव मिले हैं। अनुमोदित प्रस्तावों तथा इन्हें कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृत राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि
1.	दीघा में पर्यटक गृह	1985-86	40.17
2.	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन	1985-86	15.50
3.	दार्जिलिंग में यात्री निवास	1986-87	47.39
4.	मायापुर में यात्रिका	1987-88	11.56
5.	तीसता और रंगीत नदियों पर सर्वेक्षण	1987-88	0.32
6.	गंगासागर में यात्रिका	1987-88	17.57
7.	गदियारा में कुटीर ब्लाक	1987-88	19.93
8.	कनकराझोरे तथा झिलमिली में पर्यटक गृह व रेस्तरां, सियारबोडा और अन्दरझोरे में "डे सेंटर्स"	1987-88	44.68
9.	शांतिनिकेतन से पर्यटक आवास का विस्तार	1987-88	38.75
10.	दुर्गापुर में मार्गस्थ सुविधाएं	1987-88	26.38

अमृता शेरगिल मार्ग पर अनधिकृत निर्माण

6639. श्री राम भगत पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री अमृता शेरगिल मार्ग पर निर्माण के बारे में 7 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न 1781 के उत्तर के अनधिकृत सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अमृता शेरगिल मार्ग पर अनधिकृत निर्माणों को, जो 150 वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल में है गिराने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जैसाकि पहले उत्तर में बताया गया है, अमृता शेरगिल मार्ग पर कई सम्पतियों में अनधिकृत निर्माण का पता लगाया गया है। इस प्रकार की अनधिकृत संरचनाओं के स्थानीय निकाय नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा गिराया जाना है। नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और इन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों द्वारा औषधों की खरीद

6640. श्री राम भगत पासवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी औषध कम्पनियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों को औषधों की सप्लाई करती है; और

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी नकली औषध सप्लाईकर्ता का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सीय देख-रेख की व्यवस्था करना दिल्ली को छोड़कर, जहां चिकित्सीय देख रेख की व्यवस्था सीधे निगम द्वारा की जा रही है, संबंधित राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तर-दायित्व है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए दवाइयों की खरीद राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तथापि, राज्य सरकारों की सुविधा के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने संभरण और निपटान महानिदेशालय/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अनुमोदित दवाई निर्माताओं से केन्द्रीयकृत कर्मचारी राज्य बीमा दर से ठेका कर लिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ ठेका की मैडिकल फर्मों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ दर संविदा पर कोई फर्म ऐसी नहीं पाई गई जो नकली दवाइयां सप्लाई कर रही हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ ठेके पर चिकित्सा फर्मों के नाम

1. मैसर्स एक्सिस कैमिकल्स एण्ड फर्मासियूटिकल्स लि., 20/6, माइल स्टोन, मथुरा रोड, फरीदाबाद.1210006.
2. मैसर्स एरीज फार्मासियूटिकल्स, 103 ए, राजरत्न , वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, जोगेश्वरी (पूर्वी), बम्बई-400060.
3. मैसर्स एल्बर्ट डेविड लि., 15 चितरंजन एवेन्यूज, कलकत्ता-72.
4. मैसर्स एब्बट लेबोरेटरीज इन्डिया प्रा. लि., जहांगीर बिल्डिंग, 133, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-23
5. मैसर्स आई. ई. एल. लि., एन्नोर एक्सप्रेस हाइवे, एन्नोर, मद्रास-57
6. मैसर्स अल्मा लेबोरेटरीज, फोर्ट, हाऊस (हैंडलूम हाऊस के पीछे), डा. डी. एन. रोड, बम्बई-1
7. मैसर्स अलायड फार्मासियूटिकल्स लेबोरेटरीज, इन्डस्ट्रीयल एरिया, प्रताप नगर, बदोदरा-390004.
8. मैसर्स एल्पाइन इण्डस्ट्रीज, ए-67, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज-I, नई दिल्ली-28
9. मैसर्स औरोचेम लेबोरेटरीज, बी-205, विष्णु अपार्टमेंट्स, एल. टी रोड, बभासीर, बारीवली (डब्ल्यू), बम्बई-92
10. मैसर्स एसिस लेबोरेटरीज, 118/177, कौशल पूरी, कानपुर-280012.
11. मैसर्स अरविन्द मिल्स, 83, कोहीनूर रोड, दादर, बम्बई-14.

12. मैसर्स अस्तरा आई. डी. एल., पी. ओ. बाक्स 397, मल्लास्वरम, बंगलोर।
13. मैसर्स बंगाल कैमिकल एन्ड फार्मासियूटिकल्स वर्क्स, 6, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-13.
14. मैसर्स बेफाम फार्मासियूटिकल्स प्रा. लि., 103/4, बी. एल. शाह रोड, कलकत्ता-53.
15. मैसर्स बोहरिंजर नोल लि, यूनाइटिड इन्डिया बिल्डिंग, पी. एम. रोड, फोर्ट, बम्बई।
16. मसर्स बूटा कं. (प्रा.) लि. 17, आर. कमानी मार्ग, पी. ओ. बाक्स 680, बम्बई 30.
17. मेसर्स बुर्रोज वेल्कग एण्ड कं., 16, बैंक स्ट्रीट, बम्बई-23.
18. मैसर्स बगाल इम्यूनिटी कं. लि., 304, सत्या मैसन, ए-1 और 2, कम्यूनिटी सेंटर, रणजीत नगर, नई दिल्ली।
19. मैसर्स बायालोजिकल "ई" लि. 18/1,3, आजमाबाद, हैदराबाद-20.
20. मैसर्स भवानी फार्मासियूटिकल्स प्रा. लि., 3/207, विष्णुपुरी, कानपुर-2.
21. मैसर्स बायोकेम फोमेसिटीकल्स इन्डस्ट्रीज, एदुन बिल्डिंग, प्रथम धोबी तालाब, डाकघर संख्या 2217, बम्बई-2
22. मैसर्स बायोएथीकल्स फार्मा प्रा. लि. 326 आशीष औद्योगिक क्षेत्र, गोखला रोड, दादर बम्बई-15
23. मैसर्स बैजर्स लेबोरेटरीज,20 निधनिकुन्ज, सर्वोदय नगर, कानपुर-5
24. मैसर्स केडिला लेबोरेटरीज प्रा. लि. घोदासर मणीनगर, अहमदाबाद-8
25. मैसर्स सिपला लि., 289 बेलासिस रोड बम्बई-8
26. मैसर्स सायनामिड इन्डिया लि., भंडारी हाउस बी 1/ई-19 मोहन कोआपरेटिव, औद्योगिक क्षेत्र, बदरपुर, नई दिल्ली-44
27. मैसर्स हिन्दुस्तान सीबा-गायगी लि., 14-जे टाटा रोड, पी. ओ. बाक्स नं. 11011 बम्बई-20
28. मैसर्स कारटर वालेस रिजेन्ट चैम्बर्स, चौथा तल, 208 नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई-21
29. मैसर्स केडिला कैमिकल्स लेबोरेटरीज मणीनगर, अहमदाबाद।
30. मैसर्स कानसैप्ट फार्मा प्रा. लि., बी-2 कमुनीटीसैंटर जनकपुरी, नई दिल्ली.
31. मैसर्स कुरमेद (आई) फारमलस, 16,ए नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली-15
32. मैसर्स सी. एफ. एल. फार्मासियूटीकल्स प्रा. लि. रीजेंट चैम्बर्स, चौथा तल, 208 नारीमन प्वाइन्ट बम्बई-23
33. मैसर्स सी. आई. लेबोरेटरीज, 24-बी, बी. एल. साह रोड, कलकत्ता-53
34. मैसर्स सन्तूर लेबोरेटरीज प्रा. लि. कुमार इन्जीनियरिंग वर्क्स कम्पाउन्ड कलीन सेंटाजं (पूर्व) बम्बई-19
35. मैसर्स धुपर इनयरफ्रान लि. एफ-5, शिव नगर, एस्टेट, डा. ए. बी. रोड, बम्बई-18

36. मैसर्स डीफार्मा लि., ए 13 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-48
37. मैसर्स डिसइन्फेक्टो कैमीकल इण्डस्ट्रीज गोलाबल प्लेस, बारा बेरवा लखनऊ-226005
38. मैसर्स डा. लबरवालस मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरीज प्रा. लि. 117/एच-2/160 पान्डु नगर (इण्डिया)
39. मैसर्स इस्ट इण्डिया प्रा. लि. 6, लिटला रसेल स्ट्रीट कलकत्ता।
40. मैसर्स अर्नेस्ट एंड कम्पनी, अर्नेस्ट एस्टेट, बम्बई आगरा रोड़, राजेन्द्र नगर, इन्दौर-12
41. मैसर्स ई. मर्क (इण्डिया) लि, 4/24-ए, मक्कारी हाऊस असफ अली रोड, नई दिल्ली
42. मैसर्स इथनोर लि, 30-ए, फोर्जेट स्ट्रीट, बम्बई-36
43. मैसर्स एस. के एफ. लि., दावन हाली रोड, आफिस ओल्ड मद्रास रोड, बंगलौर 560049
44. मैसर्स ईसेन फार्मासियुटीकल्स कं. प्रा. लि. 34/7, इरेन्डवाना, गुलवानी महाराज रोड, पूणे-411004
45. मैसर्स एवरेस्ट कैमीकल्स इण्डस्ट्रीज, 15, जी. आई. डी. सी. फार्मेसियुटीकल्स जोन, वतवा, अहमदाबाद।
46. मैसर्स इस्टर्न ड्रग्स एण्ड सेनेटरी प्रोडेक्स, सोती गंज, मेरठ-25000।
47. मैसर्स एफ. डी. सी. प्रा. लि., पो. बा. न. 1925, सर पी. एम. रोड, लक्ष्मी बिल्डिंग, फोर्ट बम्बई।
48. मैसर्स फ्लोरा फार्मा प्रा. लि., 289, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग नगर, कानपुर-208022
49. मैसर्स फ्रांको इण्डियन फार्मेसियुटीकल्स प्रा. लि. 20 डा. ई, मोसेस रोड, बम्बई।
50. मैसर्स फुलफोर्ड (इण्डिया) लि, आक्सफोर्ड हाऊस, अपोलो बंदर, बम्बई-400039
51. मैसर्स ग्लेक्सो लेबारेटरीज (इण्डिया) प्रा. लि., मथुरा रोड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली।
52. मैसर्स ज्योफ्रे मैनर्स एण्ड कं. लि., लक्ष्मी इन्शोरेन्स बिल्डिंग, अजमेरी गेट, नई दिल्ली-110002
53. मैसर्स जर्मन रेमेडीज लि. शिव सागर एस्टेट, ब्लाक ए डा. ए. बी. रोड, वरली, बम्बई-18
54. जियो फार्मेसियुटीकल्स लि., कृष्ण कुंज, 2 मैन एवेन्यू, साँता क्रूज (पश्चिम) बम्बई।
55. ग्रेटस फार्मेसिटीकल्स फार्मा, 71/5, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली-15
56. मैसर्स जिप्सोना इण्डस्टीज, हरिद्वार (उ. प्र.)
57. मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि, पिम्परी, पुणे-18

58. मैसर्स हार्वेस्ट इण्डिया लि., हार्वेस्ट हाऊस, 3/1, आसफअली रोड, नई दिल्ली।
59. मैसर्स हिमालय ड्रग्स एण्ड कं. 22, महाकाली रोड, अन्धेरी, बम्बई-400093
60. मैसर्स हफकिने बायो फार्मेसियुटिकल्स कारपोरेशन लि. आचार्य डोन्डे मार्ग, पारले, बम्बई-12
61. मैसर्स एच जूलेस एंड कं. डाकघर बाक्स सं. 347, 545, शांति नगर, नागपुर-2
62. मैसर्स इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियुटिकल्स लि., सम्राट भवन, सत्यम सिनेमा के पास रंजित नगर, नई दिल्ली-110009
63. मैसर्स इन्टरनेशनल कैमीकल कारपोरेशन, जोशीपुरा, डाकघर खालसा कालेज, जी. टी. रोड, अमृतसर (पंजाब)
64. मैसर्स आई. पी. सी. ए. लाबोरेटरीज लि., 48, कान्डीवेली औद्योगिक क्षेत्र, बम्बई-400067
65. मैसर्स इण्डोकैम लेबोरेटरीज प्रा. लि. 226, महावीर पुरी लालकुर्ती, मेरठ।
66. मैसर्स इन्विनेक्स फार्मेसियुटिकल्स, 4-6-463, इसामिया, बाजार- हैदराबाद-500027
67. मैसर्स इन्डस्ट्रीयल सालवेन्टस एण्ड कैमीकल्स प्रा. लि. 101 अटलान्टा, 209 नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई-400021
68. मैसर्स इन्टरनेशनल फार्मेसियुटिकल्स, 7/3, जी. आई. डी. सी. एस्टेट, देना बैंक के सामने, बतवा 382445 (अहमदाबाद)
69. मैसर्स जे. एल. मारीसन सन एण्ड जोन्स (इण्डिया) लि, मोरीस्टल, 78 डा. ऐनीबेसेन्ट रोड, बम्बई-400018
70. मैसर्स जैनसन एण्ड जैनसन लि. होसपिटल डिवीजन 30, फोर्जेट स्ट्रेट बम्बई-400036
71. मैसर्स जे. बी. कैमीकल एण्ड फार्मेसिटिकल्स लि. सेठ गोविन्द राव स्मृति, 83 बी एण्ड सी. डा. ए. बी. रोड, बम्बई-400010
72. मैसर्स किशन चन्द एण्ड सन्स. सर्जीकल मार्केट, भगीरथ प्लेस, चादनी चौक, दिल्ली-1100C6
73. मैसर्स कनक लेबोरेटरीज, मणी भवन, बंसवादी रोड, मारूती सेवा नगर, बंगलौर-560033
74. मैसर्स लुपीन लैब्स प्रा. लि., 179, सी. एस. टी. रोड, कालीना सांताकुंज बम्बई।
75. लाइका लैब्स, 77 नेहरू रोड, विले पार्ले, बम्बई
76. मैं. मिर्गेना लाब्स, (कुज) प्रा. लि. 52-54 5वां तल, क्रिस्टल अपार्टमेंट, गुलमोहर क्रास रोड न.-11, जुहू स्कीम, जुहू-पोस्ट आफिस, बम्बई-400049.
77. मै. मैरीनड लि., न्यू इन्डिया सेंटर-17 कूपर ऐग, बम्बई-400039.
78. मै. मार्टन एण्ड हैरीस प्रा. लि. 22-ए, आसफअली रोड, नई दिल्ली।

79. मेवी प्रोडेक्टस प्रा. लिमिटेड, बुलिंगटन होटल बिल्डिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001.

80. मै. मई एंड बेकर (आई) प्रा. लि. चौधरी बिल्डिंग, "के" ब्लाक कनाट सर्कस, नई दिल्ली—1

81' मै. मरकरी फारमल इण्डस्ट्रीज, मरकरी हाऊस, 11 आनन्द सोसाइटी आर. आर. दत्त, रोड, बडोदा-390005

82. मै. माइक्रो लेब. प्रा. लि. 303 उतल, ए विंग व कूवीन कोरनर अपार्टमेंट कूवीनस रोड. बंगलोर-560003.

83. मै. नायो फार्म प्रा. लि. कस्तूरी बिल्डिंग, जे. टाटा रोड, बम्बई-20

84. मै. निकोलस लेबोरेटरीज, साइन ट्राम्बे रोड, दिनार, बम्बई-400088.

85. मै. नार्थन इण्डिया कैमिकल्स वकर्स लि. पी. बी. नं. 33, नजदीक सरधाना रोड, रेलवे क्रासिंग, मेरठ।

86. मै. नाइफ लेबोरेट्रीज प्रभात हाऊस, 164 सेनापति बापत मार्ग लवर पार्ले, बम्बई-13.

87. मै. ओबाई लेबोरेट्रीज 1, प्रभाग मार्ग, जोगेश्वरी (पश्चिम) बम्बई-400102

88. मै. आपट्रक्स (इण्डिया) लि. आपर्ट्क्स हाऊस, जोनकोट श्रीनगर-110012

89. मै. ओपथो रेमडीस प्रा. लि. 251, कुटजु रोड. अलाहाबाद-211003

90. मै. पार्क डेविस प्रा. लि. साकी नाका, बम्बई-72

91. मै. फार्मा इनपैक्स, 10, मिडिलटन राव, कलकत्ता-800001·

92. मै. पुर फार्मा प्रा. लि. 28/1, 41-44 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, इन्दौर-3

93. मै. प्रेम फार्मलस 28/1 साऊथ टुकागंज, ओप. जाल ओडिटोरियम. इन्दौर-452001.

94. मै. पेगुईन रिसर्च लेबोरेटरीज प्रा. लि. सी-10 विज्ञान पुरी, महानगर एक्सटेंशन लखनऊ-226006.

95. मै. पोदार फार्म. लिमिटेड, ई-35, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, हैदराबाद।

96. मै. रिकिट एण्ड कोलमेन आफ इण्डिया लि., 41, चौरंघी रोड, कलकत्ता-71.

97, मैसर्स रेलीस. इण्डिया लि, टी. सी. एफ. डिवीजन, रेलीज हाऊस, 21, रीवीलन स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1

98. मै. राजस्थान डर्गस एण्ड फार्ममेचुटीकल्स लि. रोड नं. 12, वी. के. आई. ऐरिया, जयपुर-302013.

99. मै. आर. के. जी. फार्मा, प्रा. लिमिटेड, 12वां मील स्टोन, मथुरा रोड, फरीदाबाद-3.

100. मै. रापटाकोस वेरठ एण्ड कं. लि. 47. डी. आर. ए. बी. रोड़ वरली, बम्बई-4000025.

101. मै. रूजल फार्म. इन्डस्ट्रीयल लि. डी. शिव सागर इस्टेट. डा. ए. बी. रोड, वरली बम्बई-4C0018.

102. मै. राडीकुरा फार्म, प्रा. लि. बी.-117, ओखला फेज-I, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया. नई दिल्ली-110020

103. मै. स्टेंडर्ड फार्माएच्यूकलस, 24, पार्क स्ट्रीट. कलकत्ता-16

104. मै. स्मीथ स्टेनस्ट्रीट फाम. लि. 18, कनवैंट रोड, कलकत्ता।

105. मै. साराभाई कैमिकल्स, प्रा. लि. 6ई रानी झांसी रोड, झंडेवालान, नई दिल्ली।

106. मै. सैंडोज (इण्डिया) लि., ज्वाला मैंशन, 4/2, असफ अली रोड, नई दिल्ली 1

107. मै. एस. जी. फारमैचुकलस, एक्सप्रैस बिल्डिग, 14, इण्डियन मर्चेन्ट/चैंबर, मार्ग पो. बा. 11156, चर्चगेट, बम्बई-400 020.

108. मै. सटेडमेड प्रा. लि., 84, चौरन्गी रोड, कलकत्ता-20.

109. मै. सगिमा लेबोरटेरीज, प्लाट सं 48, साउथ वाडला, बम्बई-81.

110. मै. सीरल (इं) लि.; 202/203; प्रगति टावर, 26, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008.

111. मै. सुनीता लेबारटेरीज लि., 899/2C, इण्डिस्ट्रयल एस्टेट, पोलोग्राउन्ड, इन्दोर-86.

112. मै. सुरगीचेर, 36, ए.डी. उद्योगनगर, राजकोट 360002.

113. मै. सटामेक प्रोडेक्टस, 108 बी/ए. 8-बी, हजारा रोड, कलकत्ता-86.

114. मै. सोमलैस कैप्स प्रा. लि., 81-83, अधेरी कुरला रोड, बम्बई-400059.

115. मै सिमस लैबस, 10/2, जी. आई. डी. सी. इस्टेट, वातवा, अहमदाबाद।

116. मै. शोन प्रोडेक्स. संतार, इण्डिस्ट्रयल इस्टेट, धारवाड-580002.

117. मै. श्री गोपाल इन्जीनियरिंग एण्ड कैमिकल वर्क्स, 91, सरकारी औद्योगिक कानपुर-208012.

118. मै. सुनील सैनचम लि., 17/18, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301001 (राज.)

119. मै. साफटसूले प्रा; लि., 88-ए, एल. बी. शास्त्री मार्ग, मलन्द, गम्बई-400080.

120. मै. सूरज सर्जिकल्स इन्डस्ट्रीज, 162-163, पालिका बाजार, घंटाघर, मेरठ नगर-250 002.

121. मै. टेबलेटस इण्डिया लि., 179, टी. एच. रोड, मद्रास-600-081.

122. मै. टरायमफ प्रोडेक्टस, टरायमफ हाउस, नजदीक पटेल इस्टेट, वैस्टन एक्सप्रैस हाइवे, पूर्वी गोरेगांव, बम्बई।

123. मै. ट्राइचम प्रोडक्टस प्रा. लि., सकबवा चैम्बर्स, चौथा तल, सर पी. एम. रोड, बंबई।

124. मै. ट्रूटोन फार्मेचु., 85, जी. आई. डी. सी. नारोडा, अहमदाबाद।

125. मै. टोरेन्ट लैबस प्रा. लि., संसकरूत, हाई कोर्ट रोड, अहमदाबाद।

126. मै. यूनीचैम लैब्स लि., यूनीचैम भवन, एस. वी. रोड. बम्बई-420060.

127. मै. यूनियन ड्रगस कं. लि., 182, राय अंबिका, चरण बहादुर रोड, कलकत्ता-34

128. मै. यूनोवर्सल फार्मेसी, 545, शांतिनगर, नागपुर-440008.

129. मै. यू. एस. विटामिन एण्ड फार्मेचु. का. आफ इण्डिया लि., 43. डा. वी. जी. गांधी मार्ग, बम्बई-23.

130. मै. जुनिकर (इण्डिया) लि. 3397 धूतल बागीची अहिजी बाड़ा हिन्दु राव, दिल्ली-110006.

131. मै. फार्मा. प्रा. लि. 26, चन्द्रलोक लखनऊ-266006

132. मै. बोस्टास लि. 7/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

133. मै. विक्रांत केमिको इण्डस्ट्रीज, प्रा. लि. 49, सरकारी इण्डस्ट्रीयल इस्टेट कानपुर-208012.

144. मै. विकास फार्मेसिक्ल, लैबस बिल्डिंग, संख्या-3/19-20, 26-28 पहला तल राम मन्दिर इण्डस्ट्रीज इस्टेट राम मण्डी रोड, गोरेगांव (पूर्वी) बम्बई-40060.

135. मै. वैस्ट कोस्ट फामां वर्क्स 140 जी. आई. डी. सी. नारोडा, अहमदाबाद।

136. मै. वारनर हिन्दुस्तान लि. 2/ई, 25 झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-55

139. मैसर्स विनमेडीकेयर, लि. 14वां तल, हेमकुन्ट टावर, 98 नेहरूप्लेस, नई दिल्ली-19.

138. मैसर्स स्टेटवेम आफ इण्डिया, 68 डी. एल. एफ. औद्योगिक क्षेत्र. 14 माइल स्टोन, मथुरा रोड, फरीदाबाद।

सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जा

[हिन्दी]

6641. **श्री राम भगत पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने सरकारी मकान/क्वाटर लोगों के अनधिकृत कब्जे में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों से कितने व्यक्तियों ने किराये लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को बाजार दर पर किराये का भुगतान करने को कहा गया है; और

(घ) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी मकान को खाली करने की कार्यवाही की गई; और उसके क्या परिणाम निकले ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वसंत विहार फ्लैटों के खराब दरवाजे, खिड़कियां बदलना

[अनुवाद]

6642. श्री राम पूजन पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महरौली बदरपुर रोड़ हाऊसिंग प्रोजेक्ट नई दिल्ली को वसंत विहार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कम्पलैंस नई दिल्ली के क्षेत्रीय कल्याण संघों से इन क्षेत्र के टाईप III और टाईप II फ्लैटों के खराब दरवाजों, खिड़कियों के शटरों को बदलने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो कब प्राप्त हुए तथा कार्य के कब तक पूरा होने की आशा थी;

(ग) क्या कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का कार्य शुरू करके इसे कब तक समाप्त करने का विचार है :

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कलवीर सिंह) : (क) से (घ) अनुरोध नवम्बर, 198 में प्राप्त हुआ था। सामान्य बचत आदेशों के कारण कार्य को 987-88 में आरम्भ नहीं किया जा सका। इसके अलावा निविदायें पुन: आमंत्रित करनी पड़ी। यह कार्य अब अप्रैल, 1988 में आरम्भ होने तथा जून, 1988 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

फसल प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना

6643. श्री एच. एन. नन्जे गौडा :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से खाद्य विभाग द्वारा आयोजित 13 दिवसीय कृषि भंडारण संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला (सुविधाएं और डिजाइन) में एक बहु-आयामी क्षेत्रीय फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां तो कार्यशाला के दौरान की गई अन्य सिफारिशें का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) जी हां, । खाद्य विभाग द्वारा खाद्य और कृषि संगठन यू. एन. डी. पी. के सहयोग से 29.2.88 से 12.3.88 तक भारतीय अनाज संचयन संस्थान हापुड़ में कृषि भंडारण (सुविधाएं और डिजाइन) पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें 7 देशों से इसमें भाग ले रहे व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था। कार्यशाला के अन्त में 14 सिफारिशें की गई थी जिनमें खाद्यान्नों की फसलोत्तर प्रौद्योगिकी और गुण नियंत्रण में देशों के परस्पर सहयोग के लिए खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्रीय नेटवर्क के नेटवर्क सदस्यों के लाभ के लिए बहु-आयामी क्षेत्रीय फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना शामिल है। इसमें बंगलादेश, बर्मा, चीन, इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका थाइलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अभी तक नहीं। नेटवर्क में भाग लेने वाली अन्य 12 सरकारों के अलावा भारत सरकार द्वारा इन पर विचार करने से पूर्व सर्वप्रथम खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इनकी जांच की जाएगी।

कार्यशाला में की गई सिफारिशें

(1) फसलोत्तर हानियों को कम करने के लिए प्रत्येक सहयोगी देश द्वारा प्रशिक्षण संबंधी अपनी जरूरतों का जायजा लेने के बाद कृषक महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों सहित एपेक्स तथा किसान स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए। भारत ने विभिन्न स्तरों के लिए इस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न माडलों का पहले ही विकास कर लिया है और वह नेटवर्क के अन्य देशों के साथ इस विशेषज्ञता को शेयर करने के लिए तैयार होगा।

(2) भारत और नेपाल में अन्न सुरक्षा अभियान के जरिये प्राप्त हुई उपलब्धियों और पैदा हुए प्रभाव की दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों को नेटवर्क के सदस्य देशों में अन्न सुरक्षा अभियान संस्थापनों को स्थापित करने और उन्हें मजबूत करने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए।

(3) नेटवर्क देशों की राष्ट्रीय सरकारों को राजसहायता प्राप्त दरों पर उन्नत कृषि स्तर के भंडारण ढांचों की आपूर्ति करने की व्यवस्था करने तथा भंडारण विषयक आदानों पर करों में रियायतें देने को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

(4) खाद्य और कृषि संगठन यू. एन, डी. पी. को आवश्यक अदान प्रदान कर नेटवर्क देशों राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने के बारे में विचार करना चाहिए।

(5) इस क्षेत्र के लाभ के लिए बहु-आयायी क्षेत्रीय फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने की उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(6) धान और मक्का जैसी फसलों को कटाई उच्च नमी तत्व में की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेसियां कृषि स्तर के लिए उपयुक्त ड्रायरों को विकास करने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित कर सकती हैं। किसानों को ड्रायर किराये पर देने के लिए सहकारी समितियों को ड्रायरों की आपूर्ति करने की दिशा में विचार करने की आवश्यकता है।

(7) कृषि स्तर पर इस्तेमाल करने के लिए भारत में उन्नत धात्विक और गैर-धात्विक भंडारण ढाचों के कई एक डिजाइनों का विकास किया गया है। परम्परागत भंडारण सुविधाओं में कई एक सुधार करने के संबंध में भी सुझाव दिये गये हैं। नेटवर्क के अन्य देश इस विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(8) नेटवर्क देशों में विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् नाशिकीट प्रबंध खाद्यान्नों के शुष्कन, भंडारण तकनीक को लोगों तक पहुचाने भंडारण सुविधाओं के डिजाइन तैयार करने और उनका विकास करने जैसी उपलब्ध विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने की व्यवस्था क्षेत्रीय नेटवर्क द्वारा की जा सकती है।

(9) नेटवर्क देशों में हानि मूल्यांकन से संबंधित पहले से किए गए अध्ययनों के आंकड़ों को राष्ट्रीय मानीटरिंग एजेंसियों द्वारा एकत्रित करने की आवश्यकता है और इनका संकलन क्षेत्रीय समन्वयक द्वारा किया जा सकता है ताकि ये इस क्षेत्र में भावी योजना के लिए काम आ सकें।

(10) खाद्यान्नों का परिरक्षण करने के लिए भंडारित किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। फसलोत्तर की सभी अवस्थाओं मे उचित गुण नियंत्रण उपाय करना आवश्यक होता है। इस क्षेत्र में और कार्य करना अपेक्षित है। क्षेत्रीय समन्वयक को नेटवर्क देशों में अनाज की विनिर्दिष्टयां और उनमें प्रचालित प्रबंध संबंधी विधियों को संकलित करना चाहिए।

(11) क्षेत्रीय समन्वयक को सदस्य देशों में प्रतिरोधक समस्या पर काबू पाने के लिए अजमाइशी कीटनाशकों की छानबीन करने तथा माइकोटाक्सिन कंटैमिनेशन मानीटरिंग प्रोग्राम विषयक कुछ परियोजनाओं को प्रायोजित करना चाहिए।

(12) नेटवर्क देशों में अधिक अनाज की खपत करमे की दृष्टि में कीटनाशक अवशेषों की राष्ट्रीय सहन सीमा निर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता है। क्षेत्रीय समन्वयक द्वारा यह सूचना एकत्रित की जा सकती है ताकि इसका आगे प्रसार किया जा सके।

(13) क्षेत्रीय नेटवर्क द्वारा नीति निर्माताओं को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रैवलिंग वर्कशाप का आयोजन किया जाना चाहिए।

(14) भारत में खाद्य विभाग ने अद्यतन प्रगति को सामने लाने के लिए एक ग्रेन साइस न्यूजलैटर का प्रकाशन शुरू किया है। सदस्य देशों के लाभ के लिए इसी प्रकार का फसलोत्तर प्रौद्योगिकी न्यूजलैटर भी प्रकाशित करने की आवश्यकता है। यदि यू.-एन. डी. पी. खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आवश्यक धनराशि प्रदान की जाती है तो भारत इस कार्य को करने के लिए तैयार होगा।

कर्नाटक में लेवी चावल की खरीद का लक्ष्य

6644: **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में लेवी चावल की कम मात्रा खरीदी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस सीमा तक होगी; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक में चावल की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। मिल मालिकों और व्यापारियों पर सांविधिक लेवी लगाकर चावल की वसूली की जाती है। कर्नाटक में

30 मार्च, 1988 तक 60,000 मीटरी टन चावल की मात्रा की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 80,000 मीटरी टन चावल की वसूली की गई थी।

(ग) कर्नाटक सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चावल का आवंटन केंद्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

खाद्यान्नों के लिए राजसहायता

6645. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान खाद्यान्नों के लिए राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) गेहूं और चावल के लिये किस अनुपात राजसहायता दी दी गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एस. बेंठा) : (क) 1987-88 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सबसिडी के रूप में 2000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ख) 1987-88 के लिए गेहूं और चावल के बीच सबसिडी का अनुमानित अनुपात नीचे दिया जाता है :—

जिन्स	जारी की जाने वाली प्रत्याशित मात्रा लाख मीटरी टन में	%	उपभोक्ता सबसिडी रुपये/करोड़	%
गेहूं	116.00	56.3	951.87	57.5
चावल	90.00	43.7	702.02	42.5
	206.00	100.00	1653.89	100.00

तिलहनों के विकास पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का अध्ययन

6646. **श्री पी. एम. सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने देश में तिलहनों के विकास और उत्पादन तथा उनकी मांग के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती

6647. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को सोयाबीन उत्पादक राज्य घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में किन-किन जिलों को सोयाबीन के लिए विशेष उत्पादन कार्यक्रम हेतु चुना गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल के अन्तर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं। दो योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (ग्रस्ट) परियोजना राज्य में सोयाबीन तथा अन्य तिलहन फसलें बढ़ाने के लिए चलायी जा रही हैं। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती के लिए निम्नलिखित जिले चुने गए हैं :—बेतुल, भोपाल, देवास, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, मुरैना, राजगढ़, रायपुर, रायसेन, सरगुजा, सागर, सिओनी, सेहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा।

उर्वरकों की मांग

6648. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों की मांग में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 की तुलना में वर्ष 1987 के अन्त में कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों की खरीद हुई और वर्ष 1988 में उर्वरकों की मांग में कितनी कमी होने की सम्भावना है;

(ग) वर्ष 1987 के दौरान उर्वरकों की कुल खरीद इतनी कम रहने के मुख्य कारण क्या है; और

(घ) क्या उर्वरकों की मांग में कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार वर्ष 1988 में आयात में कटौती करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों की खरीद निम्न सारणी में दी गई है :—

वर्ष	खरीद (लाख मीट्री टन एन+पी+के)
1985-86 (अनुमानित)	87.37
1986-87	87.38
1987-88 (अनुमानित × अप्रैल से मार्च	90.72

1986-87 के दौरान उर्वरकों की कम खरीद का मुख्य कारण इस वर्ष के दौरान अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का होना है। 1987-88 के दौरान उर्वरकों की खरीद 1986-87 की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक होने की आशा है।

(घ) 1988-89 के दौरान किए जाने वाले उर्वरकों के आयातों के ब्यौरे बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।

तकनीकी मिशन के अन्तर्गत राजस्थान में जिलों का चयन

[हिन्दी]

6649. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेय जल की समस्या को हल करने हेतु तकनीकी मिशन ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) तकनीकी मिशन द्वारा इस प्रयोजन से राजस्थान में किन-किन जिलों का चयन किया गया है;

(ग) उक्त जिलों में मिशन द्वारा कौन-कौन से कार्य शुरू किए गए हैं और इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है और इस सम्बन्ध में मिशन की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(घ) क्या यह सच है कि तकनीकी रूप से इस सम्बन्ध में बहुत कम प्रगति हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या मिशन आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अपनी गतिविधियों में विस्तार करके रेगिस्तानी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को हल करने में सफल हो पायेगा; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पेयजल सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत 1987-88 के दौरान 50570 गांवों को कवर करने के लक्ष्य की तुलना में फरवरी, 1988 के अन्त तक की अवधि के लिए अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 39370 गांव कवर किए गए हैं।

(ख) राजस्थान में बाड़मेर, चुरू तथा नागौर जिलों को मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों के रूप में चुना गया है।

(ग) बाड़मेर जिले में, जल स्रोत सृजन आदि सहित ट्यूबवैल और खुले कुओं की ड्रिलिंग करने तथा उनका विकास करने, ऐसे गांवों में जहां ताजे पानी का कोई वैकल्पिक जल स्रोत नहीं है, वहां पानी में लवणता को दूर करने के लिए इलैक्ट्रो-डायलेसिस शुरू करने सामुदायिक तालाबों का निर्माण करने और जल सप्लाई के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियां शुरू करने के कार्य किए जा रहे हैं।

चुरू तथा नागौर मिनी-मिशन परियोजनाओं में वैज्ञानिक तरीकों से स्रोतों का पता लगाने, स्रोत विकास तथा पानी की क्वालिटी की निगरानी करने से सम्बन्धित कार्य शुरू किए गए हैं।

बाड़मेर के लिए 206 लाख रुपये और चुरू तथा नागौर प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

बाड़मेर में अभी तक 9 ट्यूबवैलों की ड्रिलिंग तथा 10 खुले कुओं के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। 9 खुले कुओं के निर्माण का काम प्रगति पर है।

इस जिले में अगस्त, 1988 के अन्त तक चरणवार जल की लवणता को दूर करने के लिए

13 इलेक्ट्रोडायलेसिस संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। 1 फरवरी, 1988 तक 80.90 लाख रुपये की राशि के खर्च किए जाने की सूचना मिली है।

चुरू मिनी मिशन परियोजना क्षेत्र के लिए हाल ही में 8.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले विभिन्न कार्यों की स्वीकृति दी गई है। नागौर के मामले में परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी नस्ल के बछड़े

[अनुवाद]

6650. **श्री एच. बी. पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या जैसा कि दिनांक 11 मार्च, 1988 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में बताया गया है, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय "देशी" गाय का गर्भधारक माता (सरोगेट मदर) के रूप में उपयोग करके बछड़े की पूर्णत: विदेशी नस्ल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने का दावा किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भ की गई इस परियोजना से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के बीच सहयोगी भ्रूण हस्तांतरण टेक्नोलोजी सम्बन्धी अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत, फरवरी, 1988 में एक स्थानीय देसी सरोगेट डेम ने बिना शल्य क्रिया के शुद्ध होलेस्टाइन फ्रेजियन गाय के 7 दिन के भ्रूण से एक बछड़े को जन्म दिया।

काफी बागान के कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

6651. **श्रीमती जी. के. तारादेवी सिद्धार्थ** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बागान के कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या उनके लिए कोई समूह बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) काफी बागान श्रमिकों की राज्य वार संख्या से सम्बन्धित सांख्यकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन 30-9-87 तक शामिल काफी बागान श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है।

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	श्रमिकों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	215
2.	कर्नाटक	39,898
2.	केरल	6.417

1	2	3
4.	महाराष्ट्र	20
5.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	227
6.	तमिल नाडु	9,420
		कुल—56,197

(ख) जी नहीं। तथापि क. म. नि. योजना के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसका परिवार कुछ शर्तें पूरी करने पर कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के अधीन 1000/-रुपये से 10000/रुपए तक के बीच जीवन बीमा के लाभों का पहले ही पात्र है। कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अधीन 2000/- रुपये के जीवन बीमा लाभ के भुगतान के लिए भी प्रावधान है बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय इस योजना का सदस्य हो।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महाराष्ट्र को दी गई धनराशि

श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य की जिला केन्द्रीय सहकारी समितियों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक द्वारा पर्याप्त राशि दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान सहकारी समितियों द्वारा कुल कितनी धनराशि की मांग की गई थी;

(ग) इसमें से कितनी धनराशि की मांग पूरी की गई है और;

(घ) यदि कुछ कम दी गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मौसमिक कृषि कार्यों के लिए अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की जाती हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नाबार्ड ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को 1986-87 के दौरान 49 करोड़ रुपये और 1987-78 (दिसम्बर 1988 तक) के दौरान 85.65 करोड़ रुपए की राशि की सीमा तक अल्पावधि ऋण मंजूर किया है। तथापि, इन वर्षों के दौरान कोई सीमा अंकित नहीं थी।

केरल द्वारा सूखा सहायता का उपयोग

6653. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री टी. बशीर :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल को सूखा राहत के लिए वर्ष 1987-88 में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का कुछ भाग रोक लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1987-88 के दौरान सूखा राहत कार्य पर व्यय की गई

वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां 15 जनवरी, 1988 को केरल सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने 1987 के सूखे के मानसून के बाद के लिए मंजूर की गई 29.05 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा की तुलना में 22.59 करोड़ रुपए खर्च किया है।

आदिवासियों के लिए कम लागत की कृषि संबंधी तकनीकें

6654. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या कृषि मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी परिवारों के लिए विशेष रूप से विकसित की गई कम लागत की कृषि तकनीकों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने आदिवासी परिवार दूसरी फसल उगाने में सफल रहे हैं;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आदिवासी परिवारों की आय बढ़ाने के लिए खाद्यान्नों की कृषि शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है; और

(घ) आदिवासी परिवारों को कम लागत की कृषि तकनीक अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) निम्नलिखित राज्यों जैसे— (1) आंध्र प्रदेश, (2) बिहार, (3) गुजरात, (4) हिमाल प्रदेश, (5) केरल, (6) महाराष्ट्र, (7) मध्य प्रदेश, (8) उड़ीसा, (9) राजस्थान और (10) तमिलनाडु में से प्रत्येक राज्य में 300 से अधिक जनजातीय परिवार दूसरी फसल उगाने में समर्थ हुए हैं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उपरोक्त राज्यों में जनजातियों के लिए व्यवहारिक अनुसंधान प्रायोजनाएं चलाती रही हैं। इनके अलावा, जनजातियों के लाभ के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के लिए केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, शिलांग में उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान कम्प्लेक्स की, मखदूम (रांची, बिहार) में लाख अनुसंधान संस्थान और अल्मोड़ा (उ. प्र.) में विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना की है। जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए किए जा रहे अनुसंधान की उपयुक्तता की जांच तथा उनकी स्थितियों के लिए उपयुक्त एवं लाभकारी परिणामों को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 26 केन्द्रों की स्थापना की है जिसमें उपरोक्त 10 राज्य शामिल हैं। हर केन्द्र पर वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यक्रम का संपालन करते हैं जिसकी सहायता पशु

विज्ञान, बागवानी, गृह विज्ञान तथा होमस्टीड कोकेशन जैसे विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक करते हैं। ये वैज्ञानिक जनजाति के किसानों से वैयक्तिक रूप में और सामूहिक रूप में मिलते हैं और उनके खेतों में नई कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तथा उन्हें अपनाने के लिए उनसे आग्रह करते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में खानों में दुर्घटनायें

6655. **श्री बी. तुलसी राम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश में कोयला खानों और इस तरह की अन्य खानों में कितनी दुर्घटनायें हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये, घायल हुए और वर्षवार कितने मुआवजे का भुगतान किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा खानों में दुर्घटनायें कम करने और उनकी बेहतर गवेषण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कोयला खानों तथा गैर-कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं को नीचे तालिका में दिया गया है।

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या			
	कोयला खाने		गैर-कोयला खाने	
	घातक	गंभीर	घातक	गंभीर
1985	28	479	5	12
1986	34	618	3	10
1987×	25	313	3	5

× अनन्तिम

(ख) कर्मकार पत्रिकार अधिनियम, 1923 के अधीन क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इस बारे में सूचना नहीं रखी जाती है। मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या को नीचे तालिका में दिया गया है :

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या			
	कोयला खानें		गैर-कोयला खानें	
	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
1685	38	490	5	12
1986	46	635	5	10
1987×	26	324	7	5

× अनन्तिम

(ग) खान अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में खानों में नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के उपबन्ध शामिल हैं। इन उपबन्धों का खान प्रबंधकों द्वारा अनुपालन करना पड़ता है। महानिदेशक, खान सुरक्षा तथा उनके अधिकारियों द्वारा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों तथा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए खान अधिनियम, 1952 में दी गई सांविधिक व्यवस्थाओं के प्रवर्तन तथा उचित कार्रवाई करने के लिए निरीक्षण किए जाते हैं। महानिदेशक, खान सुरक्षा भी समय-समय पर सुरक्षा उपायों को सुधारने के लिए खानों के प्रबन्ध तन्त्र को परिपत्र के रूप में दिशा-निर्देश जारी करते हैं।

आंध्र प्रदेश में कृषक कल्याण योजनाएं

6656. **श्री वी तुलसी राम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में खेतीहर मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं में गत तीन वर्षों के दौरान और कोई वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार को इस संबंध में क्या वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कृषि श्रमिकों को लागू विद्यमान विभिन्न श्रम कानूनों तथा समुदाय के सबसे अधिक निर्धन वर्ग, जिसमें अधिकांश रूप से कृषि श्रमिक हैं, के लिए एक मुश्त गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, श्रम मंत्रालय द्वारा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना 15 अगस्त, 1987 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संयोजन से लागू की जाएगी और शुरू के तीन वर्षों के दौरान प्रीमियम की सम्पूर्ण लागत भारत सरकार वहन करेगी। भूमिहीन कृषि श्रमिक की मृत्यु होने पर उसका नामजद व्यक्ति 1,000/-रु0 की बीमाकृत राशि पाने का पात्र होगा जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा द्वारा किया जायेगा। ये कानून, कार्यक्रम, योजनाएं, आदि केवल आन्ध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है।

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रमों, योजनाओं, आदि में अन्तर्ग्रस्त वित्तीय सहायता का स्पष्टतः अनुमान लगाना संभव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य पत्तन

6657. **श्री वी. तुलसी राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मत्स्य पत्तन के निर्माण के लिए भेजे गये प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने पत्तनों का निर्माण किया जायेगा और उन पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा; और

(घ) प्रति वर्ष कितनी मछलियों के पकड़े जाने की सम्भावना है और उससे कितनी आय होगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) आन्ध्र प्रदेश में मत्स्यन पत्तनों का विकास करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित नहीं है। तथापि, यह पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णापतनम स्थित मत्स्यन पत्तन के लिए एक संशोधित रिपोर्ट तैयार की है और इस समय वह प्रस्ताव पर केन्द्रीय समुद्र तटीय मात्स्यनकी हजांनियरी संस्थान की टिप्पणियां मांग रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में गन्ने का उत्पादन

6658. **श्री बी0 तुलसी राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में कितनी मात्रा में गन्ने का उत्पादन हुआ और गत तीन वर्षों की तुलना में यह कितना है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में सूखे के कारण गन्ने की फसल को हुई क्षति का दक्षिणी राज्यों और पूरे देश में गन्ने का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का कोई धनराशि सहायता के रूप में देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1986-87 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में गन्ने के उत्पादन आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1 84-85	97.9
1985-86	96.7
1986-87	88.3

फसल वर्ष 1987-88 के लिए उत्पादन के पक्के अनुमान राज्यों से अभी देय नहीं हुए हैं। इस समय आंका गया है कि गन्ने का उत्पादन करने वाले कुछ मुख्य राज्यों में प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के कारण फसल वर्ष 1987-88 के दौरान गन्ने का अखिल भारतीय उत्पादन 1986-87 में रिकार्ड किए गए 1925 लाख मीटरी टन की तुलना में लगभग 1650 लाख मीटरी टन हो सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एच. आर. डी. ओ. और सी. आर. एन. ओ. स्टील का उत्पादन

6959. **श्री मट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष किस्म का एच. आर. डी. ओ. और सी. आर. एन. ओ. नामक इस्पात का वार्षिक उत्पादन टनों में कितना हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष मांग और सप्लाई कितनी हुई;

(ग) उपर्युक्त किस्मों के आवश्यक गुणों वाले इस्पात का उत्पादन न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान स्टाक के मूल्य सहित इसकी सम्पत्ति सूची की स्थिति का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" तथा 'टिस्को" द्वारा एच. आर. डी./सी. आर. डी. (डाइनमो ग्रेड) तथा सी. आर. एन. ओ. इस्पात चादरों का उत्पादन निम्नानुसार है :—

(हजार टन)

	एच.आर.डी./सी.आर.डी.		* सी.आर.एन.ओ.
	"सेल"	"टिस्को"	कुल	"सेल"
1985-86	13.0	48.2	61.2	6.6
1986-87	16.0	47.5	63.5	7.4
1987-88	18.1	49.9	68.0	18.0

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" द्वारा अनुमानित मांग तथा "सेल" और टिस्को द्वारा की गई सप्लाई का ब्योरा निम्नानुसार है :—

(हजार टन)

	1985-86		1986-87		1987-88	
	मांग	सप्लाई	मांग	सप्लाई	मांग	सप्लाई
एच.आर.डी. सी.आर.डी.	65	59.0	69	56.9	72.5	58.0
सी.आर.एन.ओ.	22	9.8	25	6.8	29.0	15.8

(ग) वर्ष 1987-88 में 'सेल" के संयंत्रों में सी. आर. एन. ओ का उत्पादन योजना के अनुसार हुआ था। पूर्ववर्ती वर्षों में उत्पादन में कमी बिजली की कमी के कारण हुई थी। पूर्ववर्ती वर्षों में "सेल" के कारखानों में सी. आर. एन. ओ. तथा एच. आर. डी./सी. आर. डी. चादरों के उत्पादन में कमी वर्ष 1985-96 के दौरान उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध के कारण हुई थी। भरण सामग्री में कमी हुई थी।

(घ) प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में "सेल" तथा "टिस्को" में एच. आर. डी/सी. आर. डी. और सी. आर. एन. ओ. चादरों का भण्डार तथा उनका मूल्य निम्नानुसार है :—

(मात्र टनों में)

मूल्य लाख रुपए में

		1-4-1986	1-4-1987	1-3-1988 (अनन्तिम)
एच.आर.डी /	मात्रा	567	891	1397
सी.आर.डी.	मूल्य	57.38	106.21	200.96
सी.आर.एन.ओ.	मात्रा	360	992	2586
	मूल्य	42.7	137.49	428.50
टिस्को	मात्रा	2100	2700	2600
एच.आर.डी.	मूल्य	294	378	384

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा हिर्डो एच. आई. आर. डी. ओ. तथा क्रनो सी. आर. एन. ओ. इस्पात की सप्लाई

6660. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न मध्यम दर्जे के उद्योगों के क्या नाम हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से इस्पात की हिर्डो तथा क्रनों नामक विशेष किस्म की सप्लाई प्राप्त की है;

(ख) उन्हें कितनी मात्रा में इनकी सप्लाई की गई;

(ग) इन एककों की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी और पिछले तीन वर्षों की खरीद के आधार पर उन्हें कितनी मात्रा प्राप्त करने का अधिकार है;

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इन पुराने एककों को कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग सप्लाई किया गया और गत दो वर्षों में स्थापित किये गए एककों को कितने प्रतिशत उत्पाद की सप्लाई की गयी; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान मध्यम दर्जे के कितने एककों की स्थापना की गई और उनकी मांग और अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में उन्हें कितनी मात्रा में इस्पात की सप्लाई की गई ;

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) तकनीकी विकास महानिदेशालय के क्षेत्र में बड़े तथा माध्यम दर्जे के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 ग्राहकों को पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" द्वारा (1) गर्म बेलित/ठंडी बेलित डाइनमो ग्रेड और (2) कोल्ड रोल्ड नानओरिएन्टिड बैद्युत इस्पात की चादरों की की गई सप्लाई निम्नानुसार है :—

(मात्रा : टनों में)

वर्ष	सप्लाई	
	गर्म बेलित/ठण्डी बेलित डाइनमो ग्रेड	कोल्ड रोल्ड नान-ओरिएन्टिड
1985-86	10465	6852
1986-87	9384	4256
1987-88 (अप्रैल-फरवरी, 88)	7562	8245

ग्राहक—वार बिक्री के आंकड़े देना "सेल" के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(ग) इन 24 इकाइयों की कुल स्थापित क्षमता लगभग 88,200 टन है। वर्ष 1987-88 के सम्बन्ध में इकाइयों की वैद्युत इस्पात की चादरों की कुल पात्रता लगभग 57,000 बैठती है।

(घ) पुरानी तथा नई इकाइयो को सप्लाई निम्नानुसार तैयार किए गए पात्रता-सूत्र के अनुसार की जाती है:—

गर्म बेलित डाइनमो ग्रेड	पिछले तीन वर्षों में की गई अधिकतम खरीद अथवा एकल पारी के आधर पर कच्चे माल की खपत की क्षमता का 20% जो भी अधिक हो।
कोल्ड रोल्ड नान-ओरिएन्टिड	पिछले तीन वर्षों में किया गया अधिकतम आयात अथवा एकल पारी के आधार पर कच्चे माल की खपत की क्षमता का 20% जो भी अधिक हो।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान, तकनीकी विकास महानिदेशालय के अधीन मध्यम दर्जे की केवल 2 इकाइयां "सेल" में पंजीकृत की गई थी। इन दोनों इकाइयों की कुल वार्षिक क्षमता 5,000 टन है और गर्म बेलित डाइनमो ग्रेड/कोल्ड रोल्ड नान-ओरिएन्टिड के संबध में उनकी कुल वार्षिक पात्रता 1464 टन बैठती है। फरवरी, 1988 तक "सेल" द्वारा इन दोनों इकाइयों को की गई सप्लाई उनकी पात्रता का 43% है जबकि तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत इकाइयों को की गई सप्लाई उनकी पात्रता का 34% है, जो कि सप्लाई की औसत प्रतिशतता है।

धान उत्पादकों के लिए मानक विशिष्टियां

6661. **श्री पी. पेंचालैया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने धान उत्पादकों के लिये मानक विशिष्टियां तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री : (क) जी, हां।

(ख) धान उगाने के लिए मानक विनिर्देशन का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

धान उगाने के लिए मानक विनिर्देशन

(क) नर्सरी के लिए उर्वरक की तालिका (1000 वर्ग मी.)	बुआई के पहले 400 किलो. घूरे की खाद, 6 किलो. सिंगल सुपर फास्फेट और 3 किलो. म्यूरेट आफ पोटाश। अंकुरण के 15 दिन बाद 2 किलो. नाइट्रोजन प्रयोग करें। 15×10
(ख) रोपाई :	15×10 से. मी. के फासले पर एक साथ 2-3 पौदों की रोपाई करें; नर्सरी से उखाड़ी गई पौदों को 48 घंटे के अन्दर रोपाई करें; पौदों की छिछली रोपाई करें (करीब 5 से.मी. की गहराई में)।
(ग) जल की व्यवस्था	पौदों को अच्छी तरह लग जाने तक खेत को पानी से गीला रखें। रोपाई के 5 दिन के बाद जल का स्तर बढ़ा दें। लेकिन जल स्तर 10 से. मी. से अधिक नहीं होना चाहिए। उर्वरक इस्तेमाल करने के एक दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और अगले दिन उसमें पानी भर दें। कटाई के एक सप्ताह पहले जब दाने कड़े हो जायं, खेत से पानी निकाल दें।
(घ) खरपतवारों का नियंत्रण :	स्टैम एफ. 34 (2) क्लोटर/घंटे (थूरिया के 3% घोल में) का छिड़काव करके खरपतवारों का नियंत्रण करें। रोपाई के 3-4 सप्ताह बाद (जहां डाइकोट नामक खरपतवार भी हों) स्टैम एफ. 34 और एम. सी. पी. ए. (पोटेशियम साल्ट) दोनों को एक-एक किलो. के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें (एसिड के बराबर)। हाथ से निराई गुड़ाई के लिए प्रति हैक्टे. 200 मानव घंटे की जरूरत पड़ती है।

(क) उर्वरक का इस्तेमाल :

(i) दरें

पूसा 33, पूसा 2-21, जैसी जल्द तैयार होने वाली किस्मों के लिए 100 किलो. नाइट्रोजन/हैक्टेयर तथा आई. आर.-8, जया, उन्नत साबरमती, पूसा 169 आदि जैसी मध्यम समय तथा मध्यम और लम्बे समय में तैयार होने वाली किस्मों के लिए 120 किलो. नाइट्रोजन प्रति हैक्टेयर इस्तेमाल उपयुक्त पाया गया है। दिल्ली की स्थितियों में धान के लिए फास्फोरस और पोटाश प्रत्येक का 40 किलो./हैक्टेयर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है।

(ii) उर्वरक इस्तेमाल करने का समय और विधि :

उर्वरक मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाय इसके लिए गीली जुताई करने से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत में भुरकाव कर देनी चाहिए।

नाइट्रोजन का प्रयोग 2 या 3 बार में करना चाहिए। जल्द तैयार होने वाली किस्मों के लिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग रोपाई के 7 से 10 दिन बाद किया जाता है और बाकी मात्रा का प्रयोग रोपाई के एक महीने बाद किया जाता है। मध्यम तथा माध्यम से लम्बे समय में तैयार होने वाली किस्मों में नाइट्रोजन का प्रयोग तीन बार में किया जाता है; रोपाई के 7 से 10 दिन बाद $\frac{1}{3}$ भाग रोपाई के 3-4 सप्ताह बाद $\frac{1}{3}$ भाग, तथा बाकी भाग ($\frac{1}{3}$) का प्रयोग रोपाई के 5-6 सप्ताह के बाद किया जाता है।

(ख) पौध सुरक्षा के उपाय

(i) कीड़े नर्सरी में

पाराथियान या डिमेक्रोन या सेविन का 0.5 किलो. प्रति हैक्टेयर की दर से या कार्बोफ्यूरन, डाइओजिनोन या थिमेट के दाने का एक किलो. ए. आई./हैक्टेयर की दर से प्रयोग करें।

(ii) झुरू की अवस्था-रोपाई के बाद तना छेदक :

एक किलो. प्रति हैक्टेयर की दर से साइट्रीलेन या डाइजोनिन या कार्बोफ्यूरन या सेविडोल या इकालूक्स या थिमेट का प्रयोग करें।

हरी पत्ती और भूरा पौध फुदका कीड़ा		0.5 किलो./हैक्टेयर की दर से पाराथिओन या सेविन या नूवरोन का छिड़काव करें। अगर भूरा पौध फुदका कीड़ा हो तो छिड़काव पौधे की जड़ में करें।
पता मोड़क		इसकी रोकथाम के लिए 0.5 किलो. ए. आई./ हैक्टेयर की दर से पाराथिओन, डाइमोक्रोन सेविन या इकालूक्स का प्रयोग करें।
गौंधी बग		इसके लिए फूल आने के समय सप्ताह में एक बार 25 किलो./हैक्टेयर की दर से बी. एच. सी. 10%का अथवा 300 एम. एल./हैक्टेयर पाराथिओन 50% का छिड़काव करें।
हिस्पा		पैराथिओन अथवा एन्ड्रिन अथवा एकालक्स अथवा फास्वेल अथवा लेबासिड का 0.5 कि ग्रा. ए. आई./हैक्टर की दर से छिड़काव करें अथवा बी. एच. सी. 10 प्रतिशत का भुरकाव करें।
गाल मिज		साइट्रोलेन अथवा थिमेट अथवा कार्बोफ्यूरान अथवा डाइएजिनान अथवा सेविढाल अथवा एकालक्स का एक कि. ग्रा. ए. आई/हैक्टर की दर से इस्तेमाल करें।
होर्स मेगट		थिनेट अथवा साइट्रोलेन अथवा दर्सबन का 0.75-1 कि.ग्रा. ए.आई/हैक्टर की दर से प्रयोग।
(iii) रोग		
ब्लास्ट	(1)	यदि जरूरी है तो मिट्टी के ऊपर नाइट्रोजन की खाद दें।
	(II)	हिनोसेन का छिड़काव 750 एम. एल./है. की से करें अथवा
	(III)	इ. एल. 273 (अथवा) कुसुमिन का प्रयोग करें।
जीवाण्विक पत्ती अंगमारी	(I)	नाइट्रोजन का प्रयोग कम कर दें।
	(II)	हिनोसेन 750 एम.एल./है. की दर से (अथवा) कापर आक्सी क्लोराइड 0.5 कि.ग्रा./है. की दर से प्रयोग करें।

हैलमिन्थोस्पोरियम (ब्राऊन धब्बा)	म्यूरेटर आफ पोटाश का प्रयोग करें।
तुंगरो	प्रभावित पौधों को निकाल दें और नाइट्रोजन का अतिरिक्त प्रयोग करें। कार्बोफ्यूरान (अथवा) थीमेट (अथवा) सेविन (अथवा) डिमाजिनान 1.5 कि. ग्रा. ए. आई./है. की दर से प्रयोग करें।
बीजोढ़ रोग	बीजों को एग्रासन (अथवा) केएसन 2 ग्राम प्रति कि. ग्रा. बीज की दर से उपचारित करें।
(जी) शरीर क्रियात्मक अनियमितताओं को दूर करने के उपाय	
नर्सरी की अवस्था में छोटी पत्तियों की हरिमा हीनता	0.5% आयरन सल्फेट का छिड़काव।
जिंक की कमी	जिंक सल्फेट का प्रयोग 50 कि.ग्रा./है. की दर से शुरू ही में करें। यदि जिंक की कमी के लक्षण फिर भी दिखाई दें तो 5 ग्राम जिंक, सल्फेट +2.5 ग्राम चूने को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। एक हैक्टर के लिए 300-400 लिटर की लिटर की जरूरत होती है।

काजू के उत्पादन एवं निर्यात से संबंधित समन्वय समिति की स्थापना

6663. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काजू के उत्पादन एवं निर्यात के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है,

(ग) समिति किन-किन मुद्दों पर विचार करेगी, और

(घ) समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री(श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न यह नहीं उठता ।

तैरते होटलों ("फ्लोटलस") की स्थापना

6664. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ के पर्यटक स्थलों पर "फ्लोटलस" (तैरते होटलों) की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन स्थानों का चयन किया जा रहा है/किया गया है; और

(ग) इनके कब तक स्थापित किए जाने की आशा है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) : जी, हां। कलकत्ता में हुगली नदी पर एक अनिवासी भारतीय द्वारा एक तैरते होटल (फ्लोटल) की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ग) परियोजना का कार्यान्वयन संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन मिलने पर निर्भर करेगा।

केरल में झींगा हैचरियां

6665. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में झींगा-हैचरियों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की तकनीकी सहायता से और वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की वित्त सहायता से 80 लाख झींगा डिम्भपोना पैदा करने के लिए कुल 28.32 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मोपला खाड़ी पर एक झींगा हैचरी स्थापित कर रही है।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

6666. प्रो. के.वी. थामस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम हैं;

(ख) इस राज्य में कुल भण्डारण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या केरल में नये गोदाम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह गोदाम किन-किन स्थानों पर बनाने का विचार है तथा इन पर कितनी लागत आयेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी. एस. बेदी) (क) और (ख) : 1.3.1988 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास केरल में 33 केन्द्रों में 5.20 लाख मीटरी टन ढकी हुई भण्डारण क्षमता थी।

(ग) जी, हां.

(घ) भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का केरल में निम्नलिखित केन्द्रों पर खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए कुल 60,000 मीटरी टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है :...

1. चिकरोडी
2. नीलेश्वर
3. मवेलकारा
4. करुंगापल्ली
5. तिरुर
6. तिरुवल्ला
7. शरतलाई

इस क्षमता के निर्माण पर लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

केरल को सेला चावल की सप्लाई

6667. **प्रो. के. वी. थामस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सेला चावल सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो केरल को कितना सेला चावल सप्लाई किया जा रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 1987 से जनवरी, 1988 तक की अवधि के दौरान केरल को 4.13 लाख मीटरी टन सेला चावल जारी किया गया था.

केरल को चावल, गेहूं, चीनी तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई

6668. **प्रो. के.वी. थामस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान केरल को चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं तथा चीनी की मद-वार तथा वर्षवार कितनी मात्रा सप्लाई की गई थी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सलग्न है।

विवरण

1985, 1986 और 1987 के वर्षों के दौरान केरल के संबंध में चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं और चीनी के आवंटन और उठाने को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन)

	(चावल सा.वि.प्र.)		मिट्टी का तेल		गेहूँ (सा.वि.प्र.)		चीनी	
वर्ष	आवंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा	आवंटित मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा	आवंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा	आवंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा
1985	1460.00	1383.10	183.14	181.39	420.00	110.90	143 67	*
1986	1650.00	1590.90	200.77	196.84	420.00	110.60	138.29	*
1987	1666.00	1605.902 (उ. न.)	227.5	221.18	420.00	105.60 (उ. न.)	146.31	*

* राज्य सरकार आवंटित लेवी चीनी, फैक्ट्रियों से उठाने का प्रबन्ध स्वयं करती है।

(अ) अनंतिम

दिल्ली में अवैध निर्माण हटाना

6669. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने तथा कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान कितने अवैध निर्माण हटाए गए; और

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध निर्माण के लिए मुकदमा चलाया गया है ।

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में समुद्र तट पर पर्यटन स्थल

6671. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में समुद्र-तट क्षेत्र में कुछ और पर्यटन स्थलों का विकास करने का कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहाता मांगी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्र तट क्षेत्र में और अधिक पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री गिरिधर गोमांगो (क) और (ख) : कर्नाटक राज्य सरकार ने 21.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर करवार में समुद्र-तट विहार-स्थल का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय को केवल एक प्रस्ताव भिजवाया है । इस परियोजना को सिद्धान्त रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

(ग) प्रस्तावों के गुणों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर समुद्रतट विहार-स्थलों पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

सड़कों से जुड़े गांव

6672. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कृषि मन्त्री सड़कों से जुड़े गांव के बारे में 7 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1916 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के प्रारम्भ में प्रत्येक राज्य में 1500 से अधिक जनसंख्या वाले तथा 1000-1500 के बीच जनसंख्या वाले पृथक-पृथक कितने गांव थे;

(ख) योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा जयेगा; और

(ग) वर्ष 1986-87 के अन्त तक सड़कों से जोड़े गये गांवों की संख्या के आधार पर कितने प्रतिशत उपलब्धि हुई तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितने गाँवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सातवीं योजना के शुरू में कवर किए जाने के लिए बकाया गांवों की संख्या		सातवीं योजना के दौरान कवर किए जाने के लिए लक्षित गांवों की संख्या	
		1500 से अधिक की जनसंख्या वाले	1000-1500 तक की जनसंख्या वाले	1500 से अधिक की जनसंख्या वाले	1000-1500 तक की जनसंख्या वाले
1.	2	3	4.	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3291	3024	3291	984
2.	अरूणाचल प्रदेश	18	31	18	16
3.	असम	310	25	310	—
4.	बिहार	2421	3321	2421	269
5.	गोआ	1	2	1	—
6.	गुजरात	195	492	195	—
7.	हरियाणा	3	10	3	—
8.	हिमाचल प्रदेश	15	49	15	—
9.	जम्मू और काश्मीर	49	44	49	—
10.	कर्नाटक	773	1658	773	195
11.	केरल	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	660	2123	660	—
13.	महाराष्ट्र	1081	1993	1081	—
14.	मणिपुर	34	158	34	35
15.	मेघालय	—	—	—	—
16.	मिजोरम	29	23	29	7
17.	नागालैण्ड	3	5	3	—
18.	उड़ीसा	3302	2436	3302	1128
19.	पंजाब	—	—	—	—
20.	राजस्थान	1037	2286	1037	82
21.	सिक्किम	4	11	4	—
22.	तमिलनाडु	1264	1657	1264	373

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	—	41	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	3168	6503	3168	805
25.	पश्चिम बंगाल	2298	2619	2298	—
26.	दादरा और नगर हवेली	—	5	—	—
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
28.	लक्षद्वीप	—	4	6	—
29.	पांडिचेरी	6	4	6	—
30.	दिल्ली	—	—	—	—
31.	दमन और दीव	—	—	—	—
32.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
	योग:	19962	27520	19962	3858

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31.3.87 तक वास्तव में कवर किए गए गांवों का प्रतिशत		1987-88 के दौरान कवर किए जाने वाले संभावित गांवों की संख्या	
		1500 से अधिक की जनसंख्या वाले	1000-1500 तक की जनसंख्या वाले	1500 से अधिक की जनसंख्या वाले	1000-1500 की जनसंख्या वाले
1.	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.0	1.5	44	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	33.9	—	65	6
4.	बिहार	30 0	92.20	450	55
5.	गोआ	100.0	—	0	0
6.	गुजरात	78.5	—	42	100
7.	हरियाणा	100 0	—	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	26.7	—	1	2
9.	जम्मू और काश्मीर	16.3	—	3	4
10.	कर्नाटक	11:9	40.3	50	30

11. केरल	—	—	0	0
12. मध्य प्रदेश	30.3	—	100	75
13. महाराष्ट्र	41.6	—	150	0
14. मणिपुर	38.2	154.5	8	44
15. मेघालय	—	—	0	0
16. मिजोरम	14.3	—	1	2
17. नागालैंड	0	—	0	0
18. उड़ीसा	2.2	6.0	40	40
19. पंजाब	—	—	—	0
20. राजस्थान	36.50	417.1	100	40
21. सिक्किम	25.0	—	—	—
22. तमिल नाडू	35.6	42.1	350	75
23. त्रिपुरा	—	—	0	10
24. उत्तर प्रदेश	40.04	155.7	633	400
25. पश्चिम बंगाल	3.2	—	146	90
26. दादरा और नगर हवेली	0	—	0	2
27. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
28. लक्षद्वीप	—	—	0	0
29. पांडेचेरी	100.0	—	0	0
30. दिल्ली	—	—	0	0
31. दमन और दीव	—	—	0	0
32. चंडीगढ़	—	—	0	0
योग:	20.0	87.8	2183	980

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

6674. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित उद्यम, जिसको मत्स्यन नौकाओं को एस.डी. एफ.सी. और एस.सी.आई. सी. आई द्वारा वित्त पोषित किया गया था, की सहायता के लिए 1 जनवरी, 1988 के पश्चात क्या कदम उठाये गये हैं,

(ख) क्या इस संबंध में दो वर्ष तक के लिए ऋणस्थगन विचाराधीन है, और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान झींगा मछली न पकड़ने के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से)ग) : सरकार के पास उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों के दौरान झींगा मछली पकड़ने में असफलता नहीं हुई थी और इसलिए गहरे समुद्री मत्स्यन उद्योग को विशेष सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता है। मूलधन की वापसी शुरू करने से पहले मछली पकड़ने वाली कम्पनियां एक वर्ष ऋण-स्थगन का लाभ उठाती हैं।

झींगा मछली के पकड़े जाने में कमी

6675. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 में समुद्र से झींगा मछली के पकड़े जाने में इससे पिछले तीन वर्षों में पकड़ी गई झींगा मछली की तुलना में कितनी कमी हुई है,

(ख) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद इसमें गिरावट आने का कारण झींगा मछली का कम हो जाना है,

(ग) सरकार नौका मालिकों को वर्तमान आर्थिक संकट से उबारने के लिए उनकी सहायता करने हेतु क्या कदम उठा रही है, और

(घ) सरकार द्वारा इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में कार्यरत बेड़े को राहत प्रदान करने के लिए जनवरी, 1988 के बाद लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) राज्य तथा संघ राज्य सरकारों से 1987 के लिए समुद्री झींगा (श्रिम्प) मछली के उत्पादन के अनुमान अभी प्राप्त होने हैं। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान पेनाईड झींगा मछली का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	पेनाईड झींगा मछली का उत्पादन (मीटरी टन में)
1984	115447
1985	108721
1986	109997

उपर्युक्त आंकड़ों से पेनाईड झींगा मछली के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण गिरावट का पता नहीं चलता है।

(ख) श्रिम्प मछली उत्पादन लगभग 90 प्रतिशत परम्परागत तथा छोटे यांत्रिकृत मछली पकड़ने वाले जलयानों द्वारा योगदान किया जाता है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का योगदान बहुत कम है।

(ग) अब तक मत्स्य उद्योग में किसी आर्थिक संकट के होने का कोई प्रमाण नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई में सुधार

6676. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई में सुधार करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार, संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव, राज्वार, मजूर किये जा चुके हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) :ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान अब तक अर्थात् 1985-86 से 1987-88 तक प्राप्त और अनुमोदित लघु सिंचाई परियोजनाओं की राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है .

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान प्राप्त और अनुमोदित लघु सिंचाई परियोजनाओं की राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार संख्या

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	—	—
4.	बिहार	8	7
5.	गुजरात	5	5
6.	हरियाणा	3	3
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1
8.	जम्मू और काश्मीर	2	2
9.	कर्नाटक	3	2
10.	केरल	1	1
11.	मध्य प्रदेश	2	2
12.	महाराष्ट्र	5	5
13.	मणिपुर	5	5
14.	मेघालय	—	—
15.	मिजोरम	—	—
16.	नागालैण्ड	7	2
17.	उड़ीसा	7	6

1 2	3	4
18. पंजाब	—	—
19. राजस्थान	3	3
20. सिक्किम	—	—
21. तमिल नाडु	7	—
22. त्रिपुरा	1	1
23. उत्तर प्रदेश	20	17
24. पश्चिम बंगाल	3	3
25. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
26. चण्डीगढ़	1	—
27. दादर और नगर हवेली	—	—
28. दिल्ली	—	—
29. गोआ, दमन और दीव	2	2
30. लक्षद्वीप	—	—
31. पांडेचेरी	4	4
अखिल भारत	96	88

बिहार में फल परिष्करण एककों की स्थापना

6677. डा गौरी शंकर राजहंस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फलों से शीतल पेय और अन्य फल उत्पादों को तैयार करने के लिए कुछ फल परिष्करण एकक स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों में ऐसे मदों का उत्पादन बढ़ा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का उत्तर बिहार के मिथला क्षेत्र में इस प्रकार का कोई एकक स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) सरकार ने फलपेय तैयार करने के लिए दिल्ली में एक फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट स्थापित किया था। यह प्लांट अप्रैल, 1982 में माडर्न बेकरीज इण्डिया (लि.) जिसे बाद में माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इं.) लि. का नाम दिया गया था) को हस्तांतरित कर दिया गया था और कम्पनी ने उसी मास इसे चालू कर दिया था।

मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इं) लि. ने केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से बिहार में

भागलपुर में एक फ्रूट पल्प यूनिट भी स्थापित किया है । इस यूनिट को अगस्त, 1985 में चालू किया गया था ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. एक अन्य सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, ने केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से त्रिपुरा में स्थित नलकोटा में एक अनन्नास जूस साद्रण संयंत्र की स्थापना की है। इस यूनिट को शीघ्र चालू कर दिए जाने की संभावना है ।

(ख) और (ग) : व्यस्ततम मौसम के दौरान संयंत्र और मशीनरी में अप्रत्याशित खराबी आ जाने और बाजार में इसी प्रकार के पेय के बहुत से प्रतियोगी ब्रांड आ जाने के कारण 1986-87 और 1987-88 के दौरान दिल्ली के फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट में उत्पादन में मामूली कमी आई थी । भागलपुर में स्थित फ्रूट पल्प यूनिट ने पिछले वर्षों की तुलना में कच्चे माल की अधिक मात्रा का विधायन किया था ।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय/तकनीकी सहायता से बिहार सरकार के एक प्रतिष्ठान बिहार फल तथा सब्जी विकास निगम द्वारा उत्तरी बिहार में हाजीपुर में एक फल तथा सब्जी विधायन संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है । फिलहाल, उत्तरी बिहार में कोई और फल विधायन यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्वरोजगार योजना

6678. **श्री गौरी शंकर राजहंस** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षित युवकों को संगठित क्षेत्रों में रोजगार का पता कहने के स्थान पर स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए रोजगार कार्यालयों में स्वरोजगार कक्ष आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अभी तक 28 रोजगार कार्यालयों में स्व: रोजगार सैल गठित किए गए हैं। इन सैलों के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

(I) नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों के बीच जागरूकता का सृजन;

(II) स्व: रोजगार शुरु करने के लिए प्रेरित करना; और

(III) विभिन्न स्त्रोतों से स्व:रोजगार स्थापित करने के लिए अपेक्षित आवश्यक इनपुट प्राप्त करने में उन्हें सहायता देना ।

असम को खाद्यान्न की सप्लाई

6679. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस महीनों के दौरान असम को खाद्यान्नों की प्रति महीने कितनी मात्रा में सप्लाई की गई और उसकी आवश्यकता कितनी थी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी. एल. बैठा) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जुलाई, 1987 से अप्रैल, 1988 तक असम के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) की मांग, आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग		आवंटन		उठान	
	चावल	गेहू	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूं
1. जुलाई, 1987	62.0	42.0	45.0	36.4	45.3	32.5
2. अगस्त, 1987	62.0	42.0	45.0	36.4	42.9	31.0
3. सितम्बर, 1987	62.0	42.0	60.0	36.4	45.5	24.2
4. अक्तूबर, 1987	62.0	42.0	45.0	36.4	47.0	35.0
5, नवम्बर, 1987	62.0	42.0	45.0	36.4	40.5	28.8
6. दिसम्बर, 1987	45.0	42.0	45.0	36.4	42.4	29.6
7. जनवरी, 1988	45.0	42.0	45.0	36.4	37.9	31.4
8. फरवरी, 1988	45.0	42.0	40.0	36.4	44.0	29.2
9. मार्च, 1988	62.0	42.0	40.0	30.0	@	@
10. अप्रैल, 1988	62.0	42.0	35.0	15.0	@	@

@उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रवेश

6681. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल स्थित राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने नवम्बर, 1987 में पी. एच. डी. पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को प्रवेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया था, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पी. एच. डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अपेक्षायें क्या निर्धारित की गई हैं तथा उक्त अपेक्षाओं को पूरा करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र साक्षात्कार के लिए आये थे;

(ङ) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए सीटों में कोई आरक्षण है; और

(च) यदि हां, तो कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1987 के दौरान पी. एच. डी. पाठ्यक्रम में कुल 45 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया था। इनमें से 44 छात्र सामान्य वर्ग के थे और 1 छात्र अनुसूचित जाति का था।

(घ) पी. एच. डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं रखी गई हैं उनमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर उपाधि में 55% अंक या समान औसत ग्रेडपाइन्ट और अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक। इसके अलावा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाना जरूरी है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45% अंक पाना जरूरी है। इन्टरव्यू (मौखिक परीक्षा) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 9 उम्मीदवार आए थे।

(ङ) और (च) कुल सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15% और 7½% सीटें आरक्षित हैं, बशर्ते कि वे उपरोक्त न्यूनतम योग्यताएं पूरी करें।

सड़कों से जोड़े गए गांव

6682. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कृषि मन्त्री गांवों को सड़कों से जोड़ने के बारे में 14 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2897 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 तक वर्ष-वार कुल कितने गांवों को सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों से जोड़ा जायेगा;

(ख) वर्ष 1987-88 के अन्त तक वास्तव में कितने गांवों को जोड़ा गया; और

(ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान राज्य-वार कितने गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की संभावना है अथवा जोड़ा जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों और 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है। इन दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत इन मानदण्डों के तुलनात्मक 1990 तक सड़कों से जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या 1987-88 के अन्त तक सड़कों से जोड़ जाने वाले गांवों की संख्या और 1988-90 के दौरान जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण I

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने के लिए चिन्हित गांवों की कुल संख्या	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1987-88 के अन्त तक जोड़े जाने के लिए चिन्हित गांवों की संख्या	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1988-90 के दौरान जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10008	9950	125
2.	अरुणाचल प्रदेश	24	—	—
3.	असम	2766	3594	125
4.	बिहार	12362	11152	1010
5.	गोवा	176	198	—
6.	गुजरात	5146	6436	175
7.	हरियाणा	2279	2803	—
8.	हिमाचल प्रदेश	216	261	9
9.	जम्मू और कश्मीर	733	920	15
10.	कर्नाटक	5247	4551	160
11.	केरल	1257	1262	—
12.	मध्य प्रदेश	5169	5013	325
13.	महाराष्ट्र	8752	9425	399

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	249	299	73
15.	मेघालय	34	61	—
16.	मिजोरम	78	49	6
17.	नागालैंड	116	151	—
18.	उड़ीसा	6072	1859	158
19.	पंजाब	2517	3346	—
20.	राजस्थान	4503	4244	245
21.	सिक्किम	46	59	—
22.	तमिलनाडु	5046	4441	621
23.	त्रिपुरा	211	282	9
24.	उत्तर प्रदेश	16597	16190	2193
25.	पश्चिम बंगाल	7678	6070	466
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	11	18	—
27.	चण्डीगढ़	15	16	—
28.	दादरा व नगर हवेली	32	38	1
29.	दिल्ली	164	182	—
30.	दमन व द्वीप	*	*	*@
31.	लक्षद्वीप	9	9	—
32.	पांडिचेरी	68	87	1
	अखिल भारत	97586	88926	6116

*गोवा सहित

गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की क्रियाविधि की समीक्षा हेतु एक दल का गठन

6683. श्री एस. बी. सिदनाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता देने के लिए प्रलेखन सहित क्रियाविधि की समीक्षा करने तथा इसे सरल बनाने के लिए एक दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की समीक्षा और सरल बनाने की मुख्य-मुख्य बात क्या है; और

(ग) इन उपायों से गरीबी हटाओ कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कितनी मदद मिली है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 26 फरवरी, 1988 को एक दल का गठन किया है.

(ख) दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ज्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा गरीबी निवारण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान देने हेतु प्रस्तावों की जांच करने की वर्तमान प्रक्रिया (प्रलेखन सहित) की समीक्षा करना।

(ii) ऐसे प्रस्तावों के शीघ्र निपटान हेतु पद्धतियों को सरल बनाने और प्रलेखन को वैज्ञानिक तरीके से सुव्यवस्थित करने के उपाय सुझाना और उनकी सिफारिश करना।

(iii) स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा अनुदानों के उपयोग की निगरानी करने और मूल्यांकन की व्यवस्था की समीक्षा करना और उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देना ताकि उनके सही उपयोग को सुनिश्चत किया जा सके और उत्तदायित्व निर्धारित किया जा सके।

(ग) दल की प्रथम बैठक हाल ही में 21 मार्च, 1988 को हुई थी। दल से अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

राष्ट्रीय पर्यटन समिति की सिफारिशें

6684. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को क्या-क्या कार्य सौंपा है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए अनुदेशों के फलस्वरूप पर्यटन संवर्धन के संबंध में हुई प्रगति की निगरानी की है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संस्थानों ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पर्यटन समिति की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

गत तीन वर्षों के दौरान भारत को और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन में नियमित रूप से वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है :—

वर्ष	पर्यटन आगमन
1985	8, 36, 908
1986	10, 80, 050
1987	11, 63, 774

विभिन्न अभिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है—विदेशी मार्केट में व्यापक प्रचार भारत के लिए अत्यधिक एयरलाइन क्षमता, अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर उन्नत सुविधाएं और पर्यटकों के लिए अधिक आवास की व्यवस्था।

पंजाब में दुकान और प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत लाना

6685. **श्री कमल चौधरी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग ने दुकानों तथा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को पंजाब में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजाब राज्य में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 पंजाब में 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर पहले ही लागू है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.3.1987 को 283 दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में 44192 कर्मचारी, जो पंजाब में वाणिज्यक क्रियाकलापों में लगे थे, अधिनियम के अन्तर्गत आते थे।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को डम्पर सप्लाई न किया जाना

6686. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को 50 टन क्षमता के डम्परों की सप्लाई करने से इन्कार कर दिया है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का मैसर्स जनरल मोटर मशीन्स से डम्परों की खरीद करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा इन्कार किए जाने के क्या कारण हैं तथा उनकी खरीद पर कितनी लागत आएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 50 टजनी डम्परों की सप्लाई करने से इनकार नहीं किया है। वर्ष 1987-88 के दौरान नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने लगभग 56.17 लाख रुपए प्रत्येक के हिसाब से तथा 53.76 लाख रुपये मूल्य के इस प्रकार के दो डम्परों के लिए क्रमशः भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा एक डम्पर के लिए मैसर्स जनरल मार्केटिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स के प्राधिकृत एजेंट) को आर्डर दिया है।

किसानों को दी गई रियायतों को लागू करना

6687. श्री प्रकाश वी पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखे और बाढ़ से प्रभावित किसानों को लाभ पहुचाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा घोषित विभिन्न रियायतों को लागू करने के संबंध में सभी सरकारों को निर्देश जारी किए हैं,

(ख) यदि हां, तो किन-किन सभों ने कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किये हैं,

(ग) क्या इनमें दिये गये लाभों का समुचित प्रचार और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था है, और

(घ) क्या ये लाभ केवल सूखा और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए ही हैं अथवा सभी कृषकों के लिए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड ने भारत कृषक समाज के 25वें सम्मेलन में प्रधान मन्त्री द्वारा अपने उद्घाटन भाषण में उल्लिखित विभिन्न रियायतों के कार्यान्वयन के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आदेश जारी किए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड वित्तीय संस्थानों पर पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करता है और उनके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

(घ) ये रियायतें सूखे/बाढ़ों से प्रभावित सभी राज्यों के लिए लागू हैं।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में कार्यरत इटली के इन्जीनियर

6688. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की इन्जीनियरी फर्मों, जैसे पी. डी. आई. एल. और एफ. ई. ई. डी. ओ., का स्नैम प्रोगैती के सहयोग से उर्वरक संयंत्रों के निर्माण में वस्तुत: कोई भूमिका नहीं है और उनके इन्जीनियर छोड़कर जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय ठेकों के अन्तर्गत उर्वरक संयंत्रों के निर्माण में इटली के कितने इन्जीनियर के फर्मों की विशेषज्ञता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) जी नहीं। उर्वरक संयंत्रों के निर्माण में पी. डी. आई. एल. और फीडों को उप-ठेकेदारों/सह-ठेकेदारों के रूप में शामिल किया गया है/किया जाता है .

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्रों के लिए स्नैम/टोपसों की गारन्टी

6689. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनुबंधित उर्वरक संयंत्रों के लिए स्नैम/टोपसों की गारन्टी इस शर्त पर बंध है कि इन परियोजनाओं में उनके उपकरण अथवा उनके द्वारा चुने गये उपकरण प्रयोग किये जाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप स्नैम/टोपसो असोसिएट्स को उपकरण निर्माताओं से कितनी धनराशि प्राप्त होगी।

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) और (ख) उर्वरक संयंत्रों के लिए महत्वपूर्ण उपस्करों का चयन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदाओं (आई. सी. बी.) पद्धति के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार, उपस्कर या उपस्करों के पैकेज की प्राप्ति के लिए, भारत सहित विश्व-व्यापी आधार पर अर्हता प्राप्त आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त निविदाओं के तकनीकी और वाणिज्यि मूल्यांकन के पश्चात, विदेशी तकनीकी सहभागी परियोजना प्राधिकारियों से विशिष्ट आपूर्तिकर्त्ता (आपूर्तिकर्त्ताओं) को माल आपूर्ति करने के आदेश देने की सिफारिश करते हैं। तथापि, परियोजना प्राधिकारियों तथा भारतीय सह-ठेकेदारों को भी प्राप्ति में सक्रिय रूप से अन्तर्ग्रस्त किया जाता है। जबकि ठेके के अधीन परियोजना प्राधिकारियों को किसी उपस्कर के संबंध में विदेशी तकनीकी सहभागी की सिफारिशों को न मानने और अपर कथित को अपनी सिफारिशों पर पुनः विचार करने के लिए कहने का अधिकार है, अपर कथित को भी करार के अधीन संबंधित उपस्कर के संबंध में कोई उत्तरदायित्व न लेने का अधिकार है, यदि उसकी सिफारिश को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता।

स्वयं आई. सी. बी. पद्धति तथा, विशेषकर, परियोजना अधिकारियों तथा भारतीय सह-ठेकेदारों की इस पद्धति में सक्रिय अन्तर्ग्रस्तता, यह सुनिश्चित करती है कि उपस्कर के उत्पादकों से कोई भी पक्ष कोई कटौती न ले सके।

स्नैम/टोपसो एशोसियेट्स को शुल्क की अदायगी

6690. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ही कम्पनी को दोबारा आर्डर दिये जाने पर केवल रायल्टी का भुगतान किया जाता है,

(ख) क्या देश में स्नैम/टोपसो एसोशिएट्स को उनके द्वारा निर्मित किये जा रहे प्रत्येक उर्वरक संयंत्र के लिए उन्हें दोबारा आर्डरों के लिए रायल्टी का भुगतान करने के बजाय डिजाइन शुल्क; प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा प्रबन्ध और निरीक्षण शुल्क की अदायगी की जाती है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्नैम/टोपसो एसोसिएट्स को यदि रायल्टी का ही भुगतान किया तो उसकी तुलना में इसे कितनी राशि का भुगतान किया है?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) से (ग) जी नहीं, रायल्टी के अतिरिक्त, स्नैम प्रोगेटी और हाल्दर टोपसे की प्रक्रिया की जानकारी, डिजाइन, इन्जीनियरिंग आदि और अन्य प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए भी भुगतान किया जा रहा है। भुगतान से प्रक्रिया के प्रयोग का अधिकार मिल जाता है, अन्य तकनीकी सेवाओं, डिजाइन और इन्जीनियरिंग आदि, के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। चूंकि इन भुगतानों का स्वरूप अलग-अलग होता है, अतः इनकी तुलना करना उचित नहीं है।

इस्पात क्षेत्र के लिए परिव्यय

6691. डा. कृपासिंधु भोई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान इस्पात क्षेत्र के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए कुल निर्धारित परिव्यय में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. और नीलाचल इस्पात निगम लि. का हिस्सा कितना है;

(ग) उपर्युक्त वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के प्रत्येक संयंत्र का कितना हिस्सा निर्धारित किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :

(करोड़ रुपये)

(क) 1575.00 करोड़ रुपये

(ख)	स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि. (सेल) :	855.00
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड :	640-00
	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड :	0.35
(ग)	1. बोकारो इस्पात कारखाना :	220.00
	2. भिलाई इस्पात कारखाना :	160.00
	3. राउरकेला इस्पात कारखाना :	110.00
	4. मिश्र इस्पात कारखाना :	19.59
	5. दुर्गापुर इस्पात कारखाना :	229.00
	6. सेलम इस्पात कारखाना :	4.00
	7. इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के लिए प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्र सहित निगमित कार्यालय :	8.50
	8. केन्द्रीय विपणन संगठन :	20.00
	9. अनुसंधान एवम् विकास केन्द्र :	10.00
	10. इस्को उज्जैन एण्ड पाइप फाउन्ड्री कम्पनी लिमिटेड सहित "इस्को" :	72.00
	11. महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि. :	2.00
	कुल :	855.00

(घ) वर्ष 1988-89 के लिए मुख्य परिव्ययों की व्यवस्था का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. बोकारो इस्पात कारखाना		
— 40 लाख टन तक विस्तार	:	110.00
— दूसरा निजी विद्युत संयंत्र	:	14.00
— कठिनाइयों को दूर करने की योजना	:	40.00
— संबंद्र्न फेर—बदल तथा प्रतिस्थापन	:	46.50
— अन्य योजनाएं	:	9.50
		220.00
2. भिलाई इस्पात कारखाना		
— 40 लाख टन तक विस्तार	:	80.00
— कठिनाइयां दूर करने की योजनाएं	:	30.00
— परिवर्धन, फेर-बदल तथा प्रतिस्थापन	:	35.00
— कोक ओवन बैटरी नं.-3 की पुन:मरम्मत	:	12.00
— अन्य योजनाएं	:	3.00
		160.00
3. दुर्गापुर इस्पात कारखाना		
— दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण	:	160.00
— निजी विद्युत संयंत्र	:	7.15
— परिवर्धन, फेर-बदल तथा प्रतिस्थापन	:	58.35
— अन्य योजनाएं	:	3.50
		229.00
4. राउरकेला इस्पात कारखाना		
— राउरकेला इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण	:	30.00
— सिलिकॉन इस्पात परियोजना	:	10.00
— निजी विद्युत संयंत्र	:	14.23
— परिवर्धन, फेर-बदल तथा प्रतिस्थापन	:	53.65
— अन्य योजनाएं	:	2.12
		110.00

5. इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि.;

— नौवी कोक ओवन बैटरी का पुनर्निमाण	:	14.00
— आठवीं कोक ओवन बैटरी का पुनर्निर्माण	:	4.94
— उपोत्पाद संयंत्र का पुनर्निर्माण	:	6.31
— चासनाला घोवन शाला के लिए संतुलन सुविधाएं	:	6.00
— इस्पात गलनशाला में "कोर्फ" प्रौद्योगिकी लागू करना		3.50
— बर्नपुर कारखाने का आधुनिकीकरण	:	10.00
— परिवर्धन, फेर-बदल तथा प्रतिस्थापन	:	20.00
— अन्य योजनाएं	:	7.25
		72.00

डेरी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

6692. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का डेरी विकास के लिए किसी तकनीकी मिशन के गठित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) इस मिशन के अन्तर्गत कौन-कौन सी विभिन्न विकास परियोजनाओं को शामिल करने का विचार है,

(ग) इस मिशन द्वारा कब तक कार्य प्रारम्भ करने की संभावना है, और

(घ) उपलब्ध कराई जाने वाली डेरी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) : डेरी विकास के लिए टेक्नालाजी मिशन का गठन करने का प्रस्ताव है। टेक्नालाजी मिशन का मुख्य उद्देश्य डेरी विकास के माध्यम से ग्रामीण आय तथा रोजगार बढ़ाने की गति तेज करना होगा।

विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण गोदामों का निर्माण

6693. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक विभिन्न राज्यों में ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि दे रहा है,

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान अब तक विश्व बैंक ने इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि दी है,

(ग) विश्व बैंक की धनराशि से उड़ीसा में अतिरिक्त गोदामों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी, और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अब तक 12 राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियन (विश्व बैंक) के ऋण से तीन सहकारी भंडारण परियोजनाएं (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-2 तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-3) का कार्यान्वयन शुरू किया है। विश्व बैंक ने मार्च, 1988 तक सातवीं योजना के दौरान उस प्रयोजन के लिए 81·43 करोड़ रुपये तक के समतुल्य वित्तीय सहायता प्रदान की है। विश्व बैंक से प्राप्त हुई निधि में से 96,200 मीटरी टन की कुल भंडारण क्षमता वाले 239 ग्रामीण तथा 82 विपणन गोदामों का निर्माण करने के लिए उड़ीसा में सहकारी समितियों को सहायता करने हेतु उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 2·33 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

पर्यटन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

6694. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इनके मन्त्रालय द्वारा देश में कुल कितने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये गये :

(ख) क्या इन सम्मेलनों का आयोजन करने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सम्मेलनों को आयोजित करने के लिए एक कक्ष स्थापित किया गया है : और

(घ) यदि हां, तो इन सम्मेलनों से पर्यटन को बढ़ावा देने में क्या सफलता मिली है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नहीं किया है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का कार्य देखने के लिए इस मंत्रालय में एक छोटा सा कक्ष है। यह सम्मेलनों का आयोजन नहीं करता बल्कि देश में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का संवर्धन और आयोजन करने के लिए अन्य संगठनों की सहायता करता है।

(घ) यह मंत्रालय के अनुसार, भारत को एक मिलन-स्थल के रूप में हमारे द्वारा अनुमोदित सम्मेलनों, जिनके लिए भारत एक सम्मेलन-स्थल था, की संख्या में निम्न प्रकार वृद्धि हुई :—

1985	442
1986	477
1987	624

काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास

6695. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पेन्नियार स्थित काली मिर्च अनुसंधान केंद्र ने काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन किस्मों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) (क) जी हां।

(ख) अब तक काली मिर्च की केवल एक ही किस्म विकसित और रिलीज की गई है जिसका नाम पेन्नीयूर (संकर) है। इसकी कील (स्पाइक) लम्बी, सरसफल (बेरी) मोटा और कड़ा होता है तथा इसकी औसत पैदावार 2.3 किलो. सूखी काली निर्च प्रति लता (वाइन) प्रतिवर्ष है। इसके अलावा, अनुसंधान केंद्र में दो और आशाजनक कल्चर (संख्या-239 और 331) विकसित किये हैं जिनका वर्तमान समय में खेतों में मूल्यांकन किया जा रहा है।

पेन्नियार स्थित काली मिर्च अनुसंधान केंद्र में कर्मचारियों की कमी

6696. **प्रो. पी. जी. कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पेन्नियार स्थित काली मिर्च अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इस केन्द्र में तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, नहीं। पेन्नियार स्थित काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र, केरल कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियत्रण में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस केन्द्र पर चल रही समन्वित मसला प्रायोजना की सहायता कर रही है, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा दिये गए स्टाफ के अलावा 7 वैज्ञानिकों और 3 तकनीकी सहायकों की व्यवस्था की गयी है।

(ख) उपर्युक्त केन्द्र के कार्यक्रम की जरूरतों की नजर से यह स्टाप प्रर्याप्त है।

काली मिर्च के विकास हेतु आवंटन

6697. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 के दौरान काली मिर्च के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : कृषि विश्वविद्यालयों में काली मिर्च की केन्द्रीय पौधशालाएं स्थापित करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत काली मिर्च का विकास करने के लिए 1988-89 में 1.34 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1988-89 के लिए अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मामलों के लिए पेकेज कार्यक्रम के तहत काली मिर्च का विकास करने तथा राज्यों में मसालों का समेकित विकास करने के लिए क्रमश: 2.04 लाख रुपए और 117.26 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

फसल और पशु बीमा योजना

6698. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री फसल और पशु बीमा की व्यवस्था के बारे में 19 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8457 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखे/बाढ़ की पुनरावृत्ति एवं इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए

जिसके कारण किसानों और कृषि श्रमिकों को अप्रत्याशित मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. फसल और पशु बीमा योजना का व्यापक पैमाने पर विस्तार करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार के कदम उठाए गये हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या इस योजना को और व्यापक बनाया जायेगा ताकि एक निश्चित आय-जोत सीमा से नीचे के सभी किसानों/कृषि मजदूरों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके और ऐसा कब तक किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) देश में खरीफ, 1985 के मौसम से एक बृहत फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में गेहूँ, धान, मक्का सहित कदन्नों, दालों तथा तिलहनों को उगाने के लिए सहकारी ऋण संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋणों का उपयोग करने वाले सभी किसान इस योजना में शामिल किए जाते हैं। यह योजना स्वैच्छिक स्वरूप की है। पंजाब, हरियाणा, नागालैण्ड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान तथा चंडीगढ़, लक्ष्यद्वीप तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्यों को छोड़कर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसका कार्यान्वयन कर रहे है।

जहां तक पशु बीमा का संबंध है सम्पूर्ण देश में 1974 से भारतीय साधारण बीमा निगम को चार सहायक कम्पनियों द्वारा पशु बीमा की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। योजना के अन्तर्गत बीमा पालिसी की अवधि के दौरान दुर्घटना (बाढ़ दुर्भिक्ष, अग्नि, चक्रवात, आदि सहित) रोगों से ग्रस्त होने अथवा रोगों होने के कारण बीमित पशु की मौत होने के जोखिम से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

स्पान एण्ड फ्राई का उत्पादन

6699. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अच्छी किस्म के स्पान एण्ड फ्राई के उत्पादन का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है,

(ख) इन राज्यों द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान स्पान एण्ड फ्राई का टन के रूप में कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया और वर्ष 1988-89 के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है,

(ग) इन राज्यों में मछली के बीज का उत्पादन करने के लिये क्या कदम उठाये हैं, और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों को अच्छी किस्म के स्पान एण्ड फ्राई और मछली के बीज के उत्पादन के लिये कितनी सहायता दी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ख) 1987-88 में 92,000 लाख डिम्पोना के लक्षित उत्पादन में से अप्रैल-दिसम्बर, 1987 तक के दौरान लगभग 80,000 लाख डिम्पोना का उत्पादन किया गया है। 1988-89 के लिए 1,00,000 लाख डिम्पोना के उत्पादन का लक्ष्य है।

(ग) राज्यों द्वारा सैंतालीस (47) केन्द्र द्वारा प्रायोजित वाणिज्यिक आकार के डिम्पोना फार्मों/हैचरियों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य अपने आप डिम्पोना हैचरियां भी स्थापित कर रही हैं।

(घ) 47 वाणिज्यिक डिम्पोना हैचरियों की लागत का 70 प्रतिशत केन्द्र द्वारा ऋण के रूप में दिया जा रहा है।

वर्ष 1987 के दौरान भारत आये विदेशी पर्यटक

6700. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 में कुल कितने विदेशी पर्यटक भारत आये;

(ख) एक हजार से अधिक पर्यटक किन-किन देशों से आये;

(ग) क्या ऐसे देशों में पर्यटन कार्यालय हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थित हैं और वर्ष 1987-88 के लिए उनके बजट का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1987 के दौरान पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों सहित कुल 14, 84, 290 पर्यटकों ने भारत की यात्रा की थी।

(ख) से (घ) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

उन देशों के नाम जहां से 1987 के दौरान एक हजार से अधिक पर्यटक आए	कालम (1) के अन्तर्गत कवर होने वाले 'आपरेशन' का नाम तथा पर्यटक कार्यालयों की अवस्थिति	1987-88 (योजना) के दौरान एयर इण्डिया के शेयर सहित प्रचार हेतु बजट आबंटन (लाख रुपयों में)
1	2	3
यू. एस. ए. कनाडा, ब्राजील मैक्सिको और अर्जेंटीना	आपरेशन अमरीका न्यूयार्क, शिकागो, लास एन्जिल्स और टोरोन्टो	328.95
एफ. आर. जी., फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन, बेलजियम, पोलैंड, आस्ट्रिया, डेनमार्क, चैकोस्लोवाकिया, नार्वे, पुर्तगाल, फिनलैंड, यूगोस्लाविया, ग्रीस, हंगरी और जी. डी. आर.	आपरेशन यूरोप फ्रैंकफर्ट, जेनेवा, पैरिस, स्टाकहोम और मिलान	227.90

1	2	3
यू. के. और आयरलैंड	आपरेशन यू. के. लंदन	139.32
आस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इण्डोनेशिया	आपरेशन आस्ट्रेलिया सिडनी, सिंगापुर और कुआलालम्पुर	82.99
जापान, थाइलैंड, हांगकांग, कोरिया (गणराज्य), फिलीपिंस चीन (गणराज्य, और कोरिया (लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य)	आपरेशन पूर्व एसिया टोकिया और बैंकाक	109.70
यू. ए. ई. सऊदी अरब, ईरान ओमान, बहरीन; कुवैत; यमन, कतार, जोर्डन, तुर्की, इराक, इजराइल, मिश्र और सीरिया	आपरेशन पश्चिम एशिया कुवैत और तुर्की	59.77
बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यू. एस. एस. आर नेपाल, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, नाइजीरिया, तंजानिया, मालदीव, मारीशस, इथोपिया, सूडान, सोमालिया, जाम्बिया, ब्रिटिश भारतीय समुद्री क्षेत्र, बर्मा और चीन (जनवादी गणराज्य)	देश, जो "आपरेशन स्कीम" में शामिल नहीं हैं	
	जोड़	943.63

दिल्ली में कोयला डिपुओं का आवंटन

6701. **श्री धर्मपालसिंह मलिक :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में दिल्ली प्रशासन के आयुक्त (खाद्य और पूर्ति) की सिफारिश पर कोयले के डिपुओं के लिए स्थलों का आवंटन करता है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोयले की डिपुओं के कितने स्थान आयुक्त (खाद्य पूर्ति) को सूचित किए बिना बदल दिए गए अथवा खाली करा लिए गए; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन के आयुक्त (खाद्य और पूर्ति) के कार्यालय ने इस संबंध में और पहले आबंटित स्थान के बदले में कोई वैकल्पिक स्थान देने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने कोयले के किसी डिपो-स्थल में न तो परिवर्तन किया है न ही उसे खाली करवाया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस तरह की अनुमति नहीं दे सकता···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । पहले आप अपनी सीट पर बैठिये ।···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी सीट पर बैठिये तभी मैं आपका नाम पुकारूंगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । पहले आप अपनी सीट पर बैठिये ··

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात मानिये, उसके बाद यदि आपको कोई सवाल उठाना है तो उठाइये···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अनुशासन सीखिए पहले आप अपनी सीट पर बैठिये । जो कुछ मैं कह रहा हूं पहले आप उसे सुनिए । पहले आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाइए···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप आप अपनी सीट पर बैठिये । हां, श्री महन्ती जी आपका कौन सा व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक करके पूछिये, इस तरह नहीं।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, शून्य काल के दौरान वे व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई शून्य काल नहीं है। पहले आप बात को समझिये। यदि आप बीच में ही कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो मैं उसे सुनूंगा : मैं नियमों से हटकर नहीं चल सकता। कोई शून्य काल नहीं है।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, जम्मू और काश्मीर में अनन्तनाग में अल्पसंख्यक समुदाय के एक नेता ने एक रैली में जनता से भारत में रहने अथवा स्वतन्त्र रूप से रहने के लिये जनमत-संग्रह की मांग करने का आह्वान किया। उन्होंने जम्मू और काश्मीर को भारत में मिलाये जाने को चुनौती दी है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि यह राष्ट्र-विरोधी है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि गृह मन्त्री जी से इस विषय पर आप वक्तव्य देने को कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती जी आप लिख कर दीजिए, मैं इसे मन्त्री महोदय तक पहुंचा दूंगा तथा तथ्यों का पता लगाऊंगा। बस मुझे इतना ही कहना है···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने मुद्दों को एक-एक करके उठा करके मुझे क्यों नहीं बताते

(**व्यवधान**)

प्रो. पी. जे. कुरियन (इदुक्की) : महोदय आप कृपया मेरी बात सुनिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री के. कुन्जम्बू (अडूर) : महोदय त्रिवेन्द्रम (केरल) में पेरूकडा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के गुन्डों ने एक हरिजन लड़के को यातना दी और उसे मानव मल-मूत्र खाने को मजबूर किया गया। यह एक गम्भीर मामला है तथा इसकी सी. बी. आई. द्वारा जांच की जानी चाहिए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए···

(**व्यवधान**)

श्री टी. बशीर (चिरायिकिल) : महोदय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के गुन्डों ने उसे मानव मलमूत्र खाने पर मजबूर किया···(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, ये राज्य का मामला यहां संसद में कैसे उठा सकते है?

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : केन्द्रीय स्तर पर केरल गुन्डों की ही चर्चा हो सकती है ···(**व्यवधान**)।

श्री टी. बशीर : महोदय, यह एक अमानवीय कृत्य है। इसमें सी. बी. आई. को जांच होनी चाहिए। यह घटना मलयालम के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है···(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस तरह अनुमति नहीं दे सकता···

(**व्यवधान**)

श्री वी. एस. विजयराघवन (पालघाट) : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : काफी हो गया। यह ठीक है।

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैं चर्चा के लिए एक नोटिस दे चुका हूं। शाही इमाम ने जम्मू और काश्मीर में एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। मैंने ऐसा नोटिस दिया है कि इस मामले पर न केवल माननीय गृह मन्त्री जी ही अपना वक्तव्य दें बल्कि इस मामले पर सदन में भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि चालीस वर्ष पहले किये गये जम्मू और काश्मीर के भारत में विलय को चुनौती दी जा रही है और एक ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक वैमनश्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है और (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात मन्त्री महोदय तक पहुंचा दूंगा। आप लिखकर दें :

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैंने इसके बारे में नोटिस दिया है ··(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मैं देखूगां। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

···(**व्यवधान**)···

[**हिन्दी**]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इमाम बुखारी ने इसके पूर्व भी ऐसे बयान दिये थे, जो वास्तव में देशद्रोह के थे। कल के जनसत्ता में निकला है कि इन्होंने चैलेंज किया है ··(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसकी चिन्ता न करें। गृह मन्त्री जी इस प्रकार की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की ओर ध्यान देंगे।

[**हिन्दी**]

श्री राम नगीना मिश्र : काश्मीर के बारे में यह देश के प्रति द्रोह है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और गृह मन्त्री जी को इस पर बयान देना चाहिए और सदन को आश्वस्त करना चाहिए कि क्या कार्यवाही हुई है। यह ऐसी आग है, जो देश के लिये घातक है। गृह मन्त्री जी को जवाब देना चाहिए और उनको बयान देना चाहिए। यह देश के हित के खिलाफ है। यह साधारण मामला नहीं है।···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन आप अपनी सीट पर बैठिये।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, हरिजन कल्याण केन्द्रीय विषय भी है। यह केवल राज्य का ही विषय नहीं है। मैं इसे आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। यह हम सभी के लिये एक शर्म तथा चिन्ता का विषय है। महोदय केरल में एक हरिजन को मानव मूत्र पीने तथा मल खाने को मजबूर किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं यह सब पहले ही सुन चुका हूं।

प्रो. पी जे कुरियन : महोदय, यह केन्द्र की चिन्ता का भी विषय है। मेरा गृह मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की जांच करवाएं तथा हमें सही स्थिति से अवगत कराएं। यह केरल के समाचार-पत्र 'मातृ भूमि' में प्रकाशित हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन यहां इस प्रकार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखकर दीजिए। मैं इसे सम्बन्धित मन्त्री तक पहुंचा दूंगा। इससे आगे मैं अनुमति नहीं दे सकता। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, केरल में ऐसी घटना हुई है। यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही इसे बता चुके हैं। मैं बहरा नहीं हूं। इतना ही काफी है। मैं इससे आगे अनुमति नहीं दे सकता। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

प्रो पी जे कुरियन : महोदय, क्या आप इस बात से चिन्तित नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी प्रमाणिकता क्या है ? आप इसे लिखित में दें।

प्रो. पी. जी. कुरियन : महोदय, क्या आप इस बात से चिन्तित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे प्रत्येक सदस्य चिन्तित है। लेकिन यह मामले को उठाने का कोई तरीका नहीं है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं केरल से सदस्य हूं। इसीलिये आपको इसके बारे में सूचित कर रहा हूं। आप गृह मन्त्री जी से इस मामले की जांच करने के लिये क्यों नहीं कहते ? क्या आपको इसकी चिन्ता नहीं है ? यह राजनीति नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जनसत्ता अखबार में इमाम बुखारी का वक्तव्य छपा है, जिसकी ओर श्री राम नगीना मिश्र जी और मुशरान साहब ने जिक्र किया है। मैं भी इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस पर गृह मन्त्री जी वक्तव्य दें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

]अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मन्त्री जी खड़े हो रहे हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री. एच. के. एल. भगत) : मैं इसको गृह मन्त्री जी की जानकारी में लाऊंगा। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : क्या इन मामलों को यहां उठाया जा सकता है ? (व्यवधान)

श्री एच. के. एल. भगत : इस मामले को गृह मन्त्री जी की जानकारी में लाना कोई गलत नहीं है। आपको इसकी चिन्ता क्यों है ? (व्यवधान)

श्री वी. एस. विजयराघवन : महोदय, आप फोटो देखिये जो मुझे मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नन्जे गौडा।

श्री एच एन. नन्जे गौडा (हसन) : महोदय, मुझे उम्मीद है कि मेरा वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मुझे यह बताइये कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : महोदय, आप इस सभा के रक्षक हैं। और आपको भी इस बात की जानकारी है तथा सभा को भी इसकी जानकारी है कि भारतीय संसद सर्वोच्च तथा प्रभुता-सम्पन्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात सही है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एच एन. नन्जे गौडा : हम भारत के राष्ट्रपति पर भी अभियोग चला सकते हैं। पिछले सप्ताह कुछ ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं जिनसे न केवल इस संसद की अवमानना होती है बल्कि इनसे यह धारणा भी पैदा होती है कि यह गरिमा युक्त संस्था एक भगोड़े के समक्ष अपने घुटने टेक रही है। गत सप्ताह संयुक्त संसदीय समिति के बारे में जो कि बोफोर्स संबंधी मामलों की जांच के लिये बनाई गई है, एक समाचार प्रकाशित हुआ कि संयुक्त संसदीय समिति श्री विन चड्ढा से पूछताछ करने के लिये एक उप-समिति अमरीका भेजने पर विचार कर रही है। दूसरे दिन यह समाचार छपा कि ऐसा प्रस्ताव छोड़ दिया गया है। बाद में एक यह समाचार प्रकाशित हुआ कि श्री विन चड्ढा भारत आने को तैयार हैं लेकिन इस विषय पर उनकी सरकार से बातचीत चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं श्री नन्जे गौडा, मैं आपको बताना चाहता हूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय . मुझे पहले ही एक नोटिस मिल चुका है, मैं सभा की सर्वोच्चता के बारे में जानता हूं और सभी स्वीकार करते हैं कि सभा सर्वोच्च है। इस पर कोई विवाद नहीं है। संवाददाता कई बातें लिखते हैं हम उनके बारे में तर्क-वितर्क नहीं करते रहेंगे। संसदीय समिति पहले ही अपना कार्य कर रही है हम उस मामले पर इस समय चर्चा नहीं कर सकते। जो मामला संसदीय समिति के विचाराधीन है हम यहां पर उस पर चर्चा नहीं कर सकते। इस बारे में मुझे इतना ही कहना है। और आपने जो नोटिस दिया है वह किसी भी नियम के अन्तर्गत नहीं आता है। आपने नियमों के अधीन नोटिस नहीं दिया है। इसे नियमों के अन्तर्गत लिख कर दें आप तब हम इस पर विचार करेंगे।

श्री एच. एन. नन्जे गोडा : महोदय, आप नियमों को कुछ समय के लिये निलम्बित कर दें।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधान सभा में जो कुछ हुआ उसकी सारी सभा को निन्दा करनी चाहिए। कांग्रेस (इ) के विधायकों के··· (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है। मैं इस पर यहां चर्चा नहीं कराऊंगा। इसकी जांच करने के लिये वहां विधान सभा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नही किया जाएगा। मैं इसकी अनुमती नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह पूर्णतः रूप से राज्य का विषय है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। इसकी देख-रेख के लिये वहां विधान सभा मौजूद है। इसे संसद में नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को विधान सभा सदस्यों को विधान सभा में उठाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं इसकी यहा अनुमति देता हूँ तो अन्य राज्यो के मामलो के लिए अनुमती देनी पड़ेगी।

श्री वसुदेव आचार्य : यह राज्य का मामला नहीं है। यह संसदीय लोकतन्त्र पर हमला है! (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कानून एवं व्यवस्था तथा प्रत्येक मामले के लिये वहां पर राज्य सरकार मौजूद है। वे ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : यह कानून एव व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : सारा विषय ही घिनौना है। यह प्रजातान्त्रिक संस्थान पर हमला है इसलिये हमें इसकी निन्दा करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसकी यहां पर निन्दा नहीं कर सकते।

श्री अमल दत्ता : क्यों ?

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां विधान सभा के कार्यकरण की यहां पर निन्दा नहीं कर सकते विधान सभा में जो कुछ होता है हम उसकी यहां पर चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य की विधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करना अथवा उसकी निन्दा करने का संसद को कोई अधिकार नहीं है।

श्री अमल दत्ता : महोदय, आपको इस पर क्या आपत्ति है ? आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उक्त मामले का समर्थन कर रहे हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका यह तात्पर्य नहीं है। अब प्रो. दंडवते।

प्रो. मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस मामले पर आप मेरी बात गौर से सुनें।

महोदय, 21 मार्च को माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने देश के विभिन्न भागों में भुखमरी के कारण होने वाली मौतों पर सवाल उठाया था, मेरे पास उस लोक सभा की उस दिन की कार्यवाही उपलब्ध है जब कृषि मंत्री श्री भजन लाल ने हिन्दी में अपना वक्तव्य दिया था और कहा था।

"अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्त हुए 40 वर्ष बीत गये हैं तथा इन 40 वर्षों में भूख से कोई भी व्यक्ति नहीं मरा है। उनके वक्तव्य को बार-बार चुनौती दी गई। उड़ीसा से भूखमरी से मरने वाले व्यक्तियों के नाम गिनाये गए। इसके बावजूद उन्होंने कहा, "गत चालीस वर्षों में भूखमरी के कारण एक भी व्यक्ति नहीं मरा है।"

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप मतलब की बात कीजिए।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, मैं अगली बात पर आ रहा हूं।

महोदय, सौभाग्यवश 9 अप्रैल को उस्मानिया विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय के गैर-राजनीतिज्ञों, कृषि, विशेषज्ञों आर्थिक विशेषज्ञों ने सूखे से प्रभावित उन क्षेत्रों का दौरा किया जिनके लिये केन्द्र से सहायता मांगी गई थी और इस प्रकार उन्होंने 17 व्यक्तियों के नाम दिये जिनकी इसके कारण मृत्यु हुई थी। इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि हमारे मन्त्री महादय ने सभा को गलत सूचना दी यह सभा की अवमानता है, इसलिये विशेषधिकार-हनन है। मैंने श्री भजनलाल के विरुद्ध नियम 223 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि उसका क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसे मन्त्री महोदय को भेजा है। हम उनकी टिप्पणियों की इन्तजार में हैं।

प्रो. मधु दंडवते : क्या आपने विशेषाधिकार के प्रस्ताव को लम्बित रखा हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो दिया है, इसे मैं पहले ही मन्त्री महोदय को भेज चुका हूं। टिप्पणियां मिलने के बाद, हम देखेंगे कि क्या करना है।

प्रो. मधु दंडवते : यह एक लेख नहीं है। यह हैदराबाद विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप विशेषाधिकार-प्रस्ताव को लम्बित रखे हुये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे पहले ही टिप्पणियों के लिए मन्त्री महादय को भेज चुका हूं। टिप्पणियां मिलने के बाद हम देखेगें कि क्या करना है।

प्रो मधु दण्डवते : मन्त्री महोदय से आपको टिप्पणियां कब मिलेंगी ? आपके निर्णय देने से पहले हम उसे जान लें मन्त्रालय से टिप्पणियां मिलने के बाद, विनिर्णय देने से पहले कृपाया आप इसके बारे में हमें जानकारी दें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. मैं आपको बता चुका हूं कि मैं टिप्पणियों की प्राप्ति के उपरान्त ही कुछ कह सकूंगा, अभी नहीं।

प्रो मधु दंडवते : मैं यही बात कह रहा हूं। टिप्पणी प्राप्त होने के बाद आप इस बारे में हमसे विचार विमर्श कर अपना विनिर्णय दें। विगत काल में यदा-कदा ऐसा भी हुआ—हमारी जानकारी के बिना, विशेषाधिकार प्रस्ताव को निपटा दिया गया। हम इस मामले पर कार्यवाही चाहते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : महोदय वर्ष 1983 में 34 राजनीतिक कैदी थे···

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लिखित में कुछ नहीं दिया। मुझे कुछ नहीं मिला।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं दे चुका हूं। मेरी बात सुनिए। वे तरू तारू के समीप एक रेल दुर्घटना में मारे गये। उन्हें अब तक कोई हर्जाना नहीं दिया गया अब तक वे अकाली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखित में दीजिये। मैं देखूंगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : 5 वर्ष गुजर गये। उन्हें कुछ नहीं दिया गया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैं सभा की और आप की भी जानकारी में लाना चाहूंगा कि ऐसी परेशान करने वाली रिपोर्ट आ रही हैं कि अमरीका की स्ट्रिंगर मिसाइलें अफगान विद्रोहिहों से अन्ततः पंजाब के आंतकवादियों के पास पहुँच गई हैं। इस समाचार से हम सभी दुखी हैं क्योंकि ये मिसाइलें घातक है और हमारे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले सभी विमानों के लिये तबाई का कारण बन सकती है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस रिपोर्ट की पुष्टि अथवा खण्डन करें और अपनी सुविचारित प्रतिक्रिया व्यक्त करे। यह एक बड़ी घटना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिये। मैं इसे आगे भेज दूंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैंने यह मामला गत वर्ष सभा में उठा चुका हूं। भारत सरकार चुप्पी साधे रही। अन्ततः ये मिसाइलें पंजाब के आतंकवादियों के हाथों में आ ही गई।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : किन्तु सरकार को कुछ कहना चाहिये क्योंकि समाचार पत्रों में कहा गया है कि सरकार के आसूचना स्रोतों को पता लग गया है कि ये स्ट्रिंजर मिसाइलें आतंकवादियों के पास आ गई हैं। तो क्या यह सच है या झूठ अथवा क्या है, उन्हे हमें बताना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह संदेश मन्त्री महोदय तक पहुंचा दूंगा और पता लगाऊंगा। मैं

इस बात की पुष्टि करूंगा कि क्या यह सच है। फिर, यदि उसमें कोई सच्चाई हुई, तो हम देख लेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : आप मंत्री महोदय को व्यक्तव्य देने का निर्देश क्यों नहीं दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं दे सकता। ऐसा इसलिये कि अब आपने यह मामला उठा दिया है. तो मुझे मंत्री महोदय से तथ्य मालूम करने होंगे। आप लिखित में दीजिये।

श्री. मधु दण्डवते : स्वत: व्यक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री एच. के. एल. भगत : शीघ्र ही गृह मंत्रालय की मांगो पर, चर्चा होने वाली है। वे ये सभी प्रश्न उस समय उठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री यदि वे यह महसूस करते हैं कि यह एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण मामला है, तो उन्हें लिखित रूप में देने दीजिये। मैं इसे आगे भिजवा दूंगा।

श्री एच. के. एल. भगत : यह ठीक है। मैं कह रहा था कि मांगों पर चर्चा होनी है। हम शीघ्र ही यह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्षमा करें, हम समझ नहीं पाये कि आपने श्री नन्जे गौडा द्वारा उठाये गये प्रश्न को आखिरकार किस तरह निपटा दिया। आपने उन्हें क्या करने को कहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बता दिया है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने किसी भी नियम के अन्तर्गत नोटिस नहीं दिया है।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : मैंने समिति के चेयरमैन को लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने चेयरमैन को कोई पत्र लिखा है। वे इस तरह इसे उठाना चाहते हैं। जहां तक सभा का सम्बन्ध है, वे इस मामले पर कब चर्चा करना चाहते हैं, यदि वे कोई भी बात उठाना चाहते हैं, तो जिन नियमों और प्रक्रियायों का हम अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें उनके अनुसार इसे लिखित में देना चाहिये। पहले उन्हें लिखकर मेरे पास भेजने दीजिए जब हम देखेंगे।

दूसरे, ऐसे मैं जबकि यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है, हम इस पर अभी यहां कैसे चर्चा कर सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम समिति की कार्यवाही पर विचार नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वह इस सभा की एक समिति है। वह समिति इस सभा की समिति है। श्री गौडा को कुल मिलाकर यही चिंता है कि इस समिति की प्रतिष्ठा, सम्मान और हैसियत को किसी प्रकार भी ठेस न पहुंचे। इस अयोग्य सरकार ने इस बीच कभी भी हमें नहीं बताया कि श्री चड्ढा के पास कभी भी 'ग्रीन कार्ड' नहीं था। हमें सदा यही बताया गया कि उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। अब पता लगा है कि उसके पास कभी ग्रीन कार्ड नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मामले के गुणावगुणों पर विचार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, अब आप मामले के गुणावगुणों पर हम इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं ? जहां तक समिति की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध है, वह एक पूर्णत: भिन्न बात है।

इस मामले पर संयुक्त समिति विचार कर रही है। इस समिति के सदस्यों को संसद ने निर्वाचित किया था। अब हम इस मामले पर विचार नहीं कर सकते। आपने यह मामला समिति को सौंपा हुआ है और वह उस पर विचार कर रही है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले इस मामले पर सदन में चर्चा हुई थी। पहले सदन में यह बात कहने की अनुमति दी गई थी कि समिति को बोफोर्स के विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत नहीं करना चाहिये था और उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष है। हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं एक पूर्व उदाहरण देता हूँ। जब कुओं तेल सौदे का प्रश्न उठा था, और तब सरकारी उपक्रम समिति इस मामले पर विचार कर रही थीऔर समिति के काम करने के ढंग के बारे में इस सदन में चर्चा हुई थी। मुझे एक वक्तव्य देने की अनुमति दी गई थी और वास्तव में उस वक्तव्य पर सम्बन्धित मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया था यह इस सभा में हुआ था। कुओं तेल सोदे के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा विचार किया जा रहा था। श्री बंशीलाल चेयरमैन थे। हमने समिति के काम करने के तरीके हर आपत्ति की थी और मुझे यह वक्तव्य देने की अनुमति दी गई थी और अविश्वास प्रस्ताव में भी हमारे पास समिति के कार्यकरण के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था। इसलिये आप हमें ऐसा कहने से नही रोक सकते श्री गौड़ाको अपना प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप समिति में शामिल हो जायें और सब अपने विचार व्यक्त करें।

प्रो मधुदंडवते : मैं समिति का सदस्य नहीं था। फिर भी मुझे कुओं तेल सौदे के बारे में प्रश्न करने की अनुमति दे दी गई थी, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार का विनिर्णय न दें कि चूंकि समिति इस सभा द्वारा नियुक्त की गई है, अतः हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है. यदि वे मानदन्डों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें प्रश्न उठाने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे उल्लंघन करें तभी यह सवाल उठता है। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उल्लघन किया है। मुझे उल्लंघन किये जाने का कोई पता नहीं लगता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें पता चला है कि श्री चड्ढा के पास ग्रीनकार्ड नहीं था। उन्हें वापस यहां लाने के लिये कुछ किया जाना चाहिये था। समिति को उनके पीछे अमरीका नहीं जाना चाहिये।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण मामला क्या है ?

श्री अनिल बसु : मैं कांग्रेस के गुण्डों द्वारा शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की विधान सभा पर किये गये आक्रमण के बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में मैं पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं।

श्री अनिल बसु : क्या आपके विचार से यह कांग्रेस का लोकतांत्रिक अधिकार है···

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसकी चर्चा यहां नहीं कर सकते। मैं यहां इस मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अनिल बसु : आपकी टिप्पणी क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी टिप्पणी दे दी है। हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते।

प्रो. मधु दंडवते : श्री गौडा द्वारा दिये गये नोटिस का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें लिखित रूप में देनी चाहिये।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : आप नियमों को भी स्थगित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्थगित नहीं कर सकता।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : आपने अभी इस संयुक्त ससदीय समिति के बारे में टिप्पणी की थी। आपने कहा था कि श्री गौडा के प्रस्ताव को चर्चा के लिये नहीं लिया जा सकता क्योंकि समिति को इस मामले की जानकारी है। हम समिति द्वारा की जा रही जांच के बारे में विस्तार से चर्चा नही करेंगे। इस सभा की यह परम्परा नहीं है कि जब समिति मे किसी विषय पर विचार हो रहा हो तो सभा में उस विषय पर विचार नहीं किया जा सकता उनका प्रस्ताव यह नहीं है। उनका प्रस्ताव यह है कि आप समिति का उपयोग संसद के सम्मान और गरिमा को कम करने के लिये नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि समाचार पत्र ऐसा लिख रहे हैं। वे यही बता रहे हैं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : समिति को एक निश्चित तरीके से कार्य करना है और हालांकि हम समिति में न हो, यह सभा की समिति है। यह सभा का अपमान है। **(व्यवधान)**

12.24 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

श्रम मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय) : मैं श्रम मन्त्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 5896/88]

कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : मैं कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 5897/88]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 5898/88

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1987, जो 21 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा का नि 1002 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कां आं 145 (अ), जो 4 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को अधिसूचना के साथ में सलग्न सारणी में निर्दिष्ट क्षेत्रों से ऐसी सूचनायें अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसा विस्तृत अन्वेक्षण करने के लिए जो आवश्यक हो प्राधिकृत किया गया है।

(3) का. आ. 190,(अ) जो 17 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को अधिसूचना के साथ सलग्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से ऐसी सूचनायें अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसा विस्तृत अन्वेषण करने के लिए जो आवश्यक हो प्राधिकृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल. टी. 5899/88]

भारतीय राज्य फार्म निगम लीमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि मन्त्री (श्री भजनलाल) : मैं निम्नलिखित पत्र (सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 5900/88]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लीमिटेड, बंबई के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमटेड, बंबई का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 5901/88]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन :

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 5902/88]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : श्री मकवाना जी को क्या हो गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की ओर से एक मंत्री सभा पटल पर पत्र रख सकता है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : श्री मकवाना जी क्यों नहीं आये ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री मकवाना जी मंत्री हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक मंत्री हैं ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हम इस तथ्य को जानते हैं कि वह अब राज्य सभा के सदस्य नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अभी भी मंत्री हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या मैं यह समझूं कि राज्य सभा का सदस्य न होने पर भी वह अभी भी मंत्री हैं ? (व्यवधान)

12-25 म. प.

प्राक्कलन समिति

52वां तथा 53वां प्रतिवेदन

श्री हुसैन दलवाई (रत्नागिरि) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) गृह मंत्रालय— स्वेच्छिक संगठनों के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 45वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 52वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रक्षा मंत्रालय—रक्षा कैंटीन भण्डार के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 39वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 53वां प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.26 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र मन्जूरी देना

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सिंचाई के साधनों की भारी, कमी है। पांच वर्ष से लगातार सूखे को स्थिति के कारण जन-जीवन पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा है। हर रोज हजारों की तादाद में जानवर मर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कई सिंचाई की योजनाएं जैसे काली सिंध, पार्बती व गरडदा केन्द्रीय जल मंडल के पास, योजना आयोग के पास विचारार्थ पड़ी है परन्तु उनको स्वीकृति न मिलने के कारण इन योजनाओं पर कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के कोटा-झालावाड़-बूंदी ऐसे जिले हैं जहां नदियों की बहुतायत है। इन नदियों के जल का उपयोग सिंचाई व पीने के पानी के रूप में किया जा सके तो कोटा-बूंदी व झालावाड़ जिले-अजमेर, जोधपुर, जयपुर, शहर व इनके गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करा सकती है। कोटा में बहने वाली पार्वती परवन, काली सिंध, चम्बल अन्डेरी तहासो, उजाड़ पेज, घोड़ा पछाड़ आदि ऐसी कई नदियां हैं जो कि पूरे राजस्थान को सिंचाई व पीने के पानी के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इन नदियों पर कई योजनाएं राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को बनाकर भेजी हैं तथा और भी कई योजनाएं इस पर बन सकती हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान में सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब राजस्थान की सिंचाई योजनाओं पर विचार कर निर्णय करें।

दो भुवनेश्वर से होकर जाने वाली कतिपय रेलगाड़ियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाना और कोणार्क एक्सप्रेस रेलगाड़ी के साथ अतिरिक्त डिब्बे लगाना

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : महोदय, इस समय भुवनेश्वर स्टेशन के लिए 901 अप त्रिवेन्द्रम-गौहाटी एक्सप्रेस में वातानुकूलित दो टियर में दो बर्थ तथा द्वितीय श्रेणी में छः बर्थों के

लिए आरक्षण कोटा प्रदान किया गया है। और 902 डाउन गौहाटी-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी में छः बर्थों के लिए आरक्षण कोटा प्रदान किया गया है। यह आरक्षण कोटा गोहाटी की ओर जाने वाले यात्रियों तथा त्रिवेन्द्रम की ओर जाने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है. द्वितीय श्रेणी के कोटे को दुगुना कर दिया जाना चाहिए और भुवनेश्वर से त्रिवेन्द्रम और गोहाटी की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित 2 टियर के लिए भुवनेश्वर स्टेशन को कोटा आवंटित किया जाना चाहिए। इन रेलगाड़ियों में भुवनेश्वर से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण के अलाव में अनेक यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः, मैं इन रेलगाडियों में आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की मांग करता हूं। मैं उड़ीसा जाने वाले तथा उड़ोसा से जाने वाले अनेक पर्यटकों और यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोणार्क एक्सप्रैस द्वारा भुवनेश्वर तथा बम्बई के बीच एक अतिरिक्त सामान्य डिब्बा तथा एक वातानुकूलित डिब्बा जोड़ने की भी मांग करता हूं।

(तीन) बायोमास बनाने के लिए कृषि उत्पादों के अवशेषों का उपयोग करना

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : महोदय, हमारे देश की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने तथा वनों की कटाई होने तथा कोयले की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण अधिकांशत देश की सम्पूर्ण जनसंख्या को ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में उपलब्ध सभी सक्षम वैकल्पिक ईंधनों में से बायोमास, एक ऐसा ईंधन है जो कृषि तथा वन अवशेषों से प्राप्त किया जाता है और जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे देश में प्रति वर्ष 200 मिलियन टन से अधिक कृषि अवशेषों का उत्पादन किया जाता है जिसमें से 80 मिलियन टन केवल चावल के भूसे के रूप में होता है। बायोमास की इस अत्यधिक मात्रा में से यदि केवल 100 मिलियन टन कच्चे माल को "ब्रिक्वेटड ईंधन" के रूप में संसाधित किया जाये तो इससे देश में कुल कोयले की लगभग आधी जरूरत को पूरा किया जा सकेगा और मैं यह महसूस करता हूँ कि इससे निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा वन, कोयला और प्राकृतिक गैस पर दबाव काफी हद तक कम होगा। अतः मैं सरकार से बायोमास का उत्पादन करने के लिए कृषि अवशेषों की बड़ी मात्रा का उपयोग करने हेतु सभी सम्भव कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ जो कि सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए एक बड़ा वरदान होगा।

(चार) बस्तर जिले के लिए अनाज की आपूर्ति में कटौती करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : सन् 1986-87 में वर्षा न होने के कारण बस्तर जिले में पिछले 20 वर्षों के इतिहास में ऐसा भयंकर सूखा नहीं पड़ा है जिसका सामना गरीबी में जीवनयापन करने वाले आदिवासियों ने किया है, जो अभी तक उस मार से मुक्त नहीं हुए हैं।

इस भयावह स्थिति के मुकाबले के लिए राज्य शासन ने बस्तर के हर क्षेत्र में जगह-जगह राहत कार्य आरम्भ किया है। जिसमें एक लाख से अधिक मजदूर काम पर लगे हैं। राहत कार्य ही इस समय उनके जीवन का एकमात्र सहारा बना हुआ है। इस जिले से आदिवासी काम के लिए अपने गांव घर छोड़कर दूसरी जगह जाना अच्छा नहीं करते, भले उन्हें भूख से मरना पड़े। इस

जिले में अनाज की खपत 3 हजार क्विंटल प्रतिमास है। पर गत माह से जिले की खपत को नजर अन्दाज करते हुए एकदम घटाकर । हजार क्विंटल किया गया है जिससे बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा हो गई है। सम्पूर्ण जिला सूखे से प्रभावित रहा है और केवल खरीफ फसल के उत्पादन क्षेत्र होने से बाहर के आयात पर निर्भर है।

अत: केन्द्र शासन से अनुरोध है कि बस्तर जिले की जो प्रति माह 3 हजार क्विंटल अनाज की खपत है उसे किसी भी तरह से कम न किया जाये।

(पांच) आंध्र प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा प्रस्तुत की गई रंगीन पिक्चर ट्यूब परियोजना को शीघ्र ही मंजूरी देना।

[अनुवाद]

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, आंध्रप्रदेश इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम ने वर्ष 1983 में रंगीन पिक्चर ट्यूब बनाने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया था। परिवहन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस समय दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, एक उत्तर में तथा अन्य दक्षिण में, को लाइसेंस देने का निर्णय लिया था। तदनुसार, आंध्रप्रदेश इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा पंजाब राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगमको आशय-पत्र जारी किये गए थे, तत्पश्चात, उत्तरप्रदेश इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम को दूसरा आशय-पत्र जारी किया गया था, आंध्रप्रदेश इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम ने आधुनिक तकनीकी प्राप्त करने के लिए हालैंड की फिलिपस कम्पनी से सहयोग करने का अनुरोध किया था। और कम्पनी ने भी 60 प्रतिशत इक्विटी तक भागीदारी करने का प्रस्ताव किया था जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा देश में आयेगी। जबकि पंजाब का हिटाची के साथ तथा उत्तर प्रदेश का तोशिबा के साथ विदेशी सहयोग करने के आवेदन पत्रों पर दो महीने के अन्दर ही मंजूरी दे दी गई थी। आंध्रप्रदेश इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम की फिलिपस के साथ सहयोग करने का आवेदन-पत्र अभी भी केन्द्रीय सरकार के पास दो वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़ा हुआ है : फिलिपस कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों ने आंध्रप्रदेश में अनेक स्थानों का परीक्षण किया है तथा कोन्डापल्ली को परियोजना स्थापित करने के लिए उपर्युक्त स्थान पाया और जहां पर कृष्णा नदी से पानी तथा विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र से बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश तथा विशेष रूप से कृष्णा जिले के लोग उस बात के लिए बहुत ही उत्सुक हैं कि इस रंगीन पिक्चर ट्यूब की परियोजना को शीघ्र ही मंजूरी दी जाए क्योंकि इससे उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। केन्द्रीय उद्योग मंत्री मुझे पहले ही दिसम्बर 1986 में सूचित कर चुके थे कि कलर पिक्चर ट्यूब निर्माण के लिए मैसर्स ए. पी. इ. डी. सी. लिमिटेड का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। अब एक वर्ष से भी अधिक हो गया है लेकिन इसके बाद कुछ नहीं सुना गया है।

मैं केंद्रीय सरकार से मैसर्ज ए. पी. ई. डी. सी. लिमिटेड का फिलिप्स, हालैंड के साथ विदेशी सहयोग संबंधी आवेदन पत्र को तुरंत मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं।

(छ:) गुवाहटी से तिनसुखिया डिब्रूगढ़ तक बड़ी रेल लाइन का विस्तार करना

श्री एम. आर. सैकिया नवगांव : भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जिसके अन्तर्गत असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश आते हैं, को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा शेष देश से जोड़ा गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ही एक मात्र जोनल रेलवे है जिसमें सिंगल

लाइन ट्रक रूट है और कुल 1200 कि.मी. में से केवल 50 प्रतिशत भाग को बड़ी लाइस में बदला गया है और शेष देश के साथ केवल गुवाहटी को जोड़ा गया है और 40 वर्षों की आजादी के बाद भी अभी तक 50 प्रतिशत भाग मीटर लाइन के अन्तर्गत आता है।

आयल इण्डिया, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, उर्वरक निगम, कोल इण्डिया और मुख्य चाय बागान जैसे बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जो देश के लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, असम के उपरि क्षेत्रों में स्थित हैं और केवल गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के बीच में स्थित हैं जो अभी तक भारतीय रेलवे की मीटर लाइन से जुड़े हुए हैं और वह भी वहां केवल इकहरी रेल लाइन है।

सरकारी क्षेत्र के यूनिट भारत के पत्तवों और अन्य प्रमुख शहरों से अपना तैयार माल, कच्चा माल, हैवी मशीनरी और उपकरण अपने संयत्रों तक लाने और ले जाने में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि गुवाहटी से तिनुसुखिया। डिब्रूगढ़ तक बड़ी लाइन का विस्तार करने के लिए जो कि समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(सात) इन्दिरा गांधी नहर से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि को पीने का पानी प्रदान करने हेतु योजनाएं बनाना

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान के रेगिस्तानी बाड़मेर, जैसलमेर जोधपुर, बीकानेर एवं चुरू जिलों में पीने के पानी का संकट अधिकांश गांवों में अभी तक व्याप्त है। जिन गांवों में पीने के पानी की योजनाएं बनी हैं, वे नलकूपों द्वारा बनी हैं, उक्त नलकूपों में भी पानी की कमी आने लगी है।

उक्त जिलों में अभी तक कई गांवों और ढाणियों के समूह में जिनमें से सैंकड़ों ग्राम नये घोषित हुए हैं, उनमें पीने का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है।

इन जिलों में काफी गांवों में पानी खारा है, ऐसे भी ग्राम हैं जहां बिल्कुल पानी नहीं है या बिल्कुल कम पानी है। काफी ग्रामों में नलकूप भी सफल नहीं हुए हैं।

इन्दिरा गांधी नहर ही इन रेगिस्तानी जिलों के लिए पीने के पानी का स्थायी हल है। राज्य सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर से पीने का पानी पहुँचाने के लिए कुछ ग्रामों एवं जैसलमेर नगर की योजनाएं बनाई हैं जो अपर्याप्त हैं। अत: राज्य सरकार को इन जिलों के सभी ग्रामों और महत्वपूर्ण नगरों जैसे बाड़मेर पोकरण, शेरगढ़ बालोतरा, सिवानी एवं तहसील एवं पंचायत समितियों के मुख्यालयों की योजना बनाना आवश्यक है।

उक्त समस्या के हल के लिए दो हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार उक्त राशि का प्रबंध करने में असमर्थ है।

अत: निवेदन है कि राज्य सरकार इन्दिरा गांधी नहर से पीने का पानी रेगिस्तानी बाड़मेर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं चूरू जिलों के ग्रामों एवं नगरों में पहुंचाने के लिए योजना बनाए

और उक्त योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार आगामी सातवीं पचवर्षीय योजना एव आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान करें और 500 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार वहन करें।

(आठ) उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल को उन्नत किस्म का चारा प्रदान करना

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सूचना देना चाहता हूं कि भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में छोटा नागपुर उड़ीसा तथा प. बंगाल एवं मध्य प्रदेश के पर्वतीय पठारी इलाकों में बहुत बड़ी मात्रा में पशुधन प्राप्त है। किसी-किसी बनवासी या किसानों के पास सैकड़ों की संख्या में गायें तथा बकरियां एव अन्य पशुधन की बहुलता की अपेक्षा भी दूध की मात्रा अत्यन्त अल्प है। यहां की गायें छोटे कद की होती हैं तथा दूध की मात्रा बकरियों की तरह होती है। भारत के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहां के पशुओं को दूध देने की क्षमता 15 प्रतिशत से भी कम है। हमारे सार्वजनिक तथा सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों के लिए दूध का कितना महत्व है, यह सभी जानते हैं। जंगलों में गायों के लिए चारे की कमी नहीं है तथा सरकार के प्रयास से चारे के उन्नत किस्मों को विस्तार रूप दिया जा सकता है। ऐसी बौनी किस्म की गायों भैंसों तथा बकरियों की नस्ल सुधारी जा सकती है किन्तु खेद का विषय है कि सरकार द्वारा इन इलाकों में पशुधन विकास के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता के विकास के लिए यह जरूरी है कि नस्ल सुधार तथा उत्तम चारे की व्यवस्था करके इन इलाकों मे मवेशियों के सुधार का कार्यक्रम चलाया जाए। इससे पठारी इलाकों में रहने वाले लोगों का आर्थिक विकास हो सकेगा और उनके बच्चे देश के भावी नागरिकों के स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तभी "आपरेशन फ्लड" तथा समेकित ग्रामीण विकास की योजनाएं सफल हों सकेगी। अस्तु' मैं पशु आहार की उचित व्यवस्था की मांग करता हूँ।

12.40 म. प.

अनुदानों की मांगें 1988-89—जारी

कृषि मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब इससे आगे चर्चा करेगी और कृषि मंत्रालय के नियन्त्रण के अधीन अनुदानों की मांगों पर मतदान करेगी।

श्री जुझार सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों के बारे में समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। कृषि भारत का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अब की बार भारत सरकार ने विशेषरूप से इस पर ध्यान दिया है। बजट में भी ज्यादा प्रावधान किया है, हांलाकि बजट में पहले के मुकाबले में 66 करोड़ कम हैं, लेकिन ड्राईलैंड फार्मिन्ग वगैरह

में अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ोतरी हुई है। यह स्वागत योग्य कदम है मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सबसे पहले मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्षों बाद कृषि के क्षेत्र में गांवों में शिक्षित लोग कृषि की तरफ ध्यान देने लगे हैं। जो डबलमेंट्स हुए हैं कृषि में साईंटिफिक इन्वेन्शन्स हुई हैं, उनकी तरफ भी लोगों का ध्यान गया है। एक समय था जब कृषक खेती ट्रेडीशनल तौर पर किया करते थे, लेकिन अब नए-नए मैथीड्स आए हैं, जिनको कृषक अपनाना चाहते हैं और जो-जो भी नई बातें इजाद हुई हैं, उनको ग्रहण करने के लिए उनका मन भी होता है। यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ इसी की वजह से अभी जो नई नई किस्में इजाद हुई हैं, उनको हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में अपनाया जाने लगा है। मैं अपने खुद के क्षेत्र राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं वहां पर आज से 50 या 30 साल पहले जो खेती होती थी वह एक ट्रेडीशनल तरह की थी। आज बहुत चेंज आई है। नई-नई फसलें हम पैदा करने लगे हैं। उससे कृषकों की माली हालत में तरक्की हुई है यह बहुत अच्छी बात है। मैं निवेदन करूंगा कि जो उत्साह कृषकों में पैदा हुआ है उसका सही उपयोग कर लाभ उठाया जाए और पूरी तरह से उनको इन्वाल्व किया जाए।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि कृषकों के दिमाग में और सब लोगों के दिमाग में अब यह बात आई है और लोग महसूस करने लगे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई है। हालांकि शहर के लोगों का यह अनुमान है कि काश्तकारों में बड़ी सम्पन्नता आई है, कास्तकारों की आमदनी ज्यादा होने लग गई है। यह बात सही है कि कास्तकारों की आमदनी भी बढ़ी है लेकिन कम्परेड टू दि टाउन्स कम्पेयर टु सिटीज जो अमेनिटीज जो सहूलियतें गांव के लोगों को मिलनी चाहिएं वे अभी तक उन्हें नहीं मिली हैं। शहरों के लोग गांव वाले को आज तक नहीं जान पाए हैं। इस संदर्भ में, मैं आपका ध्यान आज से दो साल पहले एग्रीकल्चर कंसलटेटिव कमेटी के सामने मैंने एक प्रश्न रखा था उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। टाटा कंसलटेटिव सर्विसेज के माध्यम से जो बाम्बे चैम्बर आफ कामर्स का एक सर्वे करवाया था और उसने भारत की तीन स्टेट्स आंध्र प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर सर्वे की थी एक रिपोर्ट तैयार की थी जो मैम्बर आफ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सामने भी पेश की गई थी सर्वे करने वाले लोगों की यह धारणा थी कि जैसी कि बहुत से शहर के लोगों में भी धारणा है कि गांवों में रहने वाले कास्तकार काफी सम्पन्न हो गए हैं। उसका इन्वेस्टमैंट प्रोडक्टिव नहीं है। इस तरह की धारणाएं लेकर वे गांवों में गए थे और वह बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी थी जो भारत सरकार के सामने भी है। मुझे खेद है, जब मैंने उस रिपोर्ट के बारे में कंसल्टेटिव कमेटी में माननीय मंत्री जी और सैक्रेट्री महोदय, से पूछा कि क्या इस तरह की रिपोर्ट आई है जिसमें बड़े प्रैक्टिकल-वे में सुझाव दिये हैं तो मुझे यह जानकर बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसी महत्वपूर्ण एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सैक्रेट्री को हो नहीं बल्कि उस मिनिस्ट्री के किसी आदमी को भी जानकारी नहीं थी। खेती के बारे में इस तरह की दिलचस्पी सरकारी लोगों की है। मैं कहूंगा कि एक्सपर्ट कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर तो कम से कम विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि जो इम्प्रूवमैंट्स और नए आइडियाज उसमें हैं, उनको एक्सैप्ट किया जा सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि खेती की हमारी प्रोडक्शन पिछले सालों में करीब करीब गिरी है। हमारा 1988-89 का लक्ष्य 166 मिलियन टन का है। हमारा लास्ट ईयर का

प्रोडक्शन 144 मिलियन टन था हमें 22 मिलियन टन अधिक पैदा करने का टारगेट अभी एचीव करना है।

देश की पैदावार की पर एकड़ प्रोडक्शन दूसरे कन्ट्रीज के मुकाबले में काफी कम है। कल्टीवेटर के इन्स्ट्रेस्ट व सब तरह के साधनों के बावजूद भी आज हमारी एवरेज प्रोडक्शन दूसरे देशों के मुकाबले करीब-करीब एक तिहाई आती है। भारत में गेहूँ की पैदावार का औसत है 1848 किलो ग्राम पर हैक्टर। डेनमार्क में यह 7095 है, आयरलैंड में 7291 है, नीदरलैंड में 6773 है। इसी तरह चावल की प्रोडक्शन में भी हमारी औसत पैदावार दूसरे कन्ट्रीज के मुकाबले में बहुत कम है। हिन्दुस्तान का औसत चावल पैदावार 2025 किलोग्राम पर हैक्टर है और कोरिया नार्थ कोरिया जापान चाइना में औसत पैदावार 6000 किलोग्राम के बराबर है या उससे ज्यादा है।

हम देखते हैं कि हमारी पैदावार दूसरे कन्ट्रीज जो हमारे साथ ही साथ आजाद हुए हैं, उनकी 40 वर्ष पहले वही दशा थी जैसी भारतवर्ष की थी लेकिन उन्होंने 40 बरसों में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी तरक्की की है और उनकी औसत पैदावार हमारे मुकाबले में तीन गुना ज्यादा हो गई है। इसलिए हमको यह देखकर अभी सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए कि हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एचीवमैंट तय कर लिया है। एंज ए मैटर आफ फैक्ट हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अभी काफी गुजाइश हैं।

देश की 70 परसैंट पोपूलेशन कृषि पर निर्भर है। आज से करीब 40 बरस पहले भी 70 परसैंट पोपूलेशन कृषि पर ही निर्भर करती थी। दूसरे कन्ट्रीज में धीरे-धीरे ज्यों ज्यों प्रोग्रेस हुई है, एग्रीकल्चर पर निर्भर करने वालों की परसैंटेज में कमी आई है। दूसरे धंधों एलाइड धंधों या इन्डस्ट्री पर उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है लेकिन हिन्दुस्तान में पिछले 40 बरसों में एग्रीकल्चर पर निर्भर करने वालों की परसैंटेज करीब करीब 70 और 73% चली आती है। 70 परसैंट पापुलेशन जो आज कृषि पर निर्भर है, उनकी कृषि पर ज्यादा दिनों तक निर्भर नहीं रखा जा सकता। उन्हें दूसरे धंधों में लगाया ही जाना चाहिए।

इसी तरह हमारी 70 परसेंट भूमि ड्राई लेड है और बाकी की 30 परसेंट इरिगेटिड लैंड है। ड्राई लैंड के विकास पर हमारे कृषि विभाग को अधिक ध्यान देना चाहिए। इस लैंड को कैसे सुधारा जा सकता है और उस पर उपज कैसे बढ़ायी जा सकती है, यह हमें देखना चाहिये। इसके लिये हमें कोई स्कीम बनानी चाहिये।

देखने में यह भी आया है कि हमारा इरिगेशन जितना डेवल्प हुआ है वह पूरा मेंटेन नहीं हो पाता है। हमारेछोटे से बारन सब डिवीजन मेंटेनेंस के लिये करीब 40 लाख रुपये साल के मेन्टेनेन्स फंड के रूप में उपलब्ध किये जाते हैं। परन्तु यह सारा पैसा इम्पलाइज की सैलरी में ही चला जाता है। इसके साथ ही मेरा यह भी कहना है कि यह पैसा समय पर उपलब्ध भी नहीं हो पाता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के इम्पलाइज और दूसरे अन्य कई विभागों के इम्पलाइज ठीक से काम नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना फायदा सिंचाई के माध्यम से हमें मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल पाता है। इरिगेशन साइड पर जो पोटेंशल डेवलप हो गये हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिये।

अब मैं लैंड रिफार्म के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बारे में समय-समय पर काफी चर्चा होती रहती है। बहुत से आनरेबल मैम्बर्स ने भी इसका जिक्र किया है। लैंड रिफार्म का पूरा

इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाता है। ऐसा कहा जाता है। इसकी वजह से असमानता बढ़ती जा रही है। पिछले 40 सालों में बहुत सा इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ है और कई बांध बने हैं। परन्तु जहां भी बड़े बांध बने हैं, वहां की जमीन पर ही ज्यादा गड़बड़ हुई है। बड़े बड़े असरदार लोगों ने जमीनें कुत्ते और बिल्लियों के नाम तक लिखवा ली है। ये सारी धांधलेबाजी खुले आम हुई हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि लैन्ड रिफार्म्स के बारे में भी यह मालूम किया जाना चाहिए कि लैंड रिफार्म्स किस कारण से और किन-किन जगहों में नहीं हुई हैं, खास तौर से जो नये पोटेंशियल डवलप हुए हैं उनमें किन किन आदमियों ने जमीनें ली हैं और किस किसके नाम लिखाये हैं इसको देखा जाये ताकि यह मालूम हो जाय कि लैंड रिफार्म को फेल करने के लिए कौन जिम्मेदार है।····(व्यवधान)···उसी तरह ड्राई लैंड फार्मिंग पर कृषि मंत्रालय को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ड्राई लैंड फार्मिंग में खास तौर से 2-3 प्रावलम हैं। उसमें भूमि या कटाव ज्यादा है। ड्राई लैंड डटलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा सका है···(व्यवधान)··· सोइल इरोजन ड्राई लैंड पर ही अधिक है·····

[अनुवाद]

श्री एम. आर. सैकिया (नवगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि भारत के लोगों का मुख्य धन्धा है। लगभग 75 प्रतिशत लोग इस प्रमुख कार्य पर निर्भर हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह प्रमुख धन्धा बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, जैसे राज्य भीषन बाढ़ से प्रभावित हैं और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्य विकट सूखे से प्रभावित हैं। अतः, यदि आप प्रति एकड़ उत्पादन में वास्तव में सुधार लाना चाहते हैं तो बाढ़ और सूखे को नियन्त्रित करने के लिए प्रमुख उपाय किये जाने चाहिये। हमारे असम राज्य में, विशाल ब्रह्मपुत्र नदी अपनी 40 छोटी-छोटी नदियों के साथ बह रही है। हम अपने राज्य में बाढ़ नियन्त्रण के लिए काफी समय से दवाब डाल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ है अतः बाढ़ पर नियन्त्रण किया जाना चाहिये जैसे फालतू पानी को अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में ले जाया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ अर्थात सूखा प्रभावित क्षेत्रों को विस्तृत सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय करने चाहिए। जब तक ये उपाय नहीं किये जाते हम उत्पादन नहीं बढ़ा पायेंगे। भारत में यह होता है कि हम न्यूनाधिक रूप से मानसून पर निर्भर रहते हैं। यदि समय पर मानसून आ जाये तो अच्छी फसल होती है और यदि न आये तो उत्पादन कम होता है। हमारी भूमि का 30 प्रतिशत भाग सिंचाई पर निर्भर करता है और 70 प्रतिशत भाग मानसून पर निर्भर है। अतः, इस दर से हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कभी भी सफल नहीं होते।

इस समय, मूल्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप, कृषि संबंधी यन्त्र अथवा आदानों में भी वृद्धि हो रही है और गरीब सीमान्त किसान और छोटे किसान बढ़िया किस्म के आदान नहीं खरीद पा रहे हैं। अतः, मैं बेहतर कृषि ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु उपबन्ध बनाने का सुझाव देता हूं जिससे वे बढ़िया किस्म के आदान खरीद सकें। इससे उनकी कार्य कुशलता बढ़ेगी उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्यों के आश्वासन के साथ सरकार को आगे आना चाहिए।

1.00 म. प.

अतः मैं कहूँगा कि उन्हें लाभकारी मूल्य दिए जाने चाहिए और महोदय तत्पश्चात्, उन्हें इसके

साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में कृषि सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यदि गरीब और सीमान्त किसानों को अपेक्षित आदान प्रदान नहीं किए जाते हैं तो वे बढ़िया किस्म के कृषि उत्पादों का उत्पादन करने में समर्थ नहीं होंगे। उन्हें बीज कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे वे बढ़िया किस्म के आदान खरीद सकें और इस तरह से वे अपने उत्पादों की उत्पादन लागत कम कर सकें अतः, गरीब किसानों को पर्याप्त कृषि सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

किसानों को जिन उत्पादों का कम उत्पादन किया जाता है उस क्षेत्र में भी जाना चाहिए और अधिकाधिक तिलहन और दालों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये क्योंकि इनके लिए हमें काफी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। इससे हमारे भुगतान सन्तुलन पर प्रभाव पड़ा है। भुगतान सन्तुलन में अन्तर समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरे मित्र ने भूमि सुधारों के बारे में उल्लेख किया है। यद्यपि अनेक वर्षों पहले परिसीमन अधिनियम और भूमि सुधार कानून पारित किए गए थे, लेकिन क्या घटित हो रहा है। उन्हें उपयुक्त रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि निहित स्वार्थ जैसे सामन्तवादी भूस्वामी समाज-विरोधी तरीके से बेनामी सौदे और झूठे नामों में कराने के तरीके अपनाकर अपनी भू सम्पत्ति को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी संपत्ति पति, पत्नी, बच्चों, नौकरों, कुत्तों, बिल्लियां आदि के नाम रखते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और भूमि सुधार कानूनों और भूमि परिसीमन अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए कारगर कोशिश की जानी चाहिए। जब तक सरकार इन कानूनों को कारगर रूप से लागू करने के लिए आगे नहीं आती तो वह कृषि उत्पादन बढ़ाने में समर्थ नहीं होगी। यह स्थिति निहित स्वार्थों द्वारा उत्पन्न की गई है और, अतः सरकार को इस दिशा में कुछ कारगर कदम अवश्य उठाने चाहिए।

पुनः हम देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादों और कृषि उत्पादों के मूल्यों में अत्यधिक अन्तर है। सरकार को औद्योगिक उत्पादों और कृषि उत्पादों के मूल्यों में समानता लाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए जिससे गरीब किसान को और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। मेरा सरकार से अनुरोध है कि काफी पहले कानून बनाये गये थे किंतु वे सिर्फ कागजों में हैं। सरकार को इस संबंध में जांच करनी चाहिए।

पुनः सरकार को चाहिये कि वह किसानों को बढ़िया किस्म के बीज सप्लाई हों इस समय गरीब किसानों को सप्लाई किये जाने वाले बीज घटिया किस्म के हैं; अतः न केवल उत्पादन में ही कमी आयेगी बल्कि वह घटिया किस्म का होगा। मैं सरकार से अच्छे किस्म के बीज सप्लाई करने का अनुरोध करता हूं जिससे कम लागत पर उत्पादन बढ़ाया जा सके।

मैं बाढ़ के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। जब तक सरकार बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय नहीं करती कुछ राज्य इस प्रकार की आपदाओं से सदैव प्रभावित रहेंगे। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या जिसका सामना देश कर रहा है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि उन राज्यों को जो बाढ़ और विकट सूखे से प्रभावित हैं, पर्याप्त राशि और वित्तीय सहायता प्रदान करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं, हमें यह देख कर अत्यन्त खुशी हुई है कि हाल के बजट में सहकारी ऋण, किराये में कटौती तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिक खर्च किए जाने से प्रावधान किया

जाना किसानों के लिये यहां काफी सहायक सिद्ध होगा। इस बजट में कई अन्य कार्य भी किए गए हैं और कृषक के रूप में हम इसका स्वागत करते हैं।

महोदय, मैं केवल उन मुद्दों पर बात करना चाहूंगा जिनके बारे में मेरे विचार से अन्य वक्ताओं ने बहुत कम कहा है। मुख्य बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह है कृषि के पुनर्गठन की आवश्यकता। स्वतंत्रता के बाद हम किसानों से यह वादा करते आ रहे हैं कि कृषि का पुनर्गठन किया जाएगा। पिछले चालीस वर्षों के दौरान, हम कृषि का पुनर्गठन नहीं कर पाए हालांकि हम कृषि क्षेत्र को पूरा सहयोग देते रहे और किसानों को जमीन देने सहकारी ऋण देने ज्यादा उपज देने वाले बीजों की किस्में, उर्वरक, सिंचाई, पम्प और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। हमने बाजारों को भी विनियमित किया है। इतना सब करने के बावजूद हम क्या पाते हैं ? पिछले वर्ष जब एक मौसम में फसल खराब हुई तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई थी इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इन कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए और इस बात का पता लगाया जाए कि इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी किसान अपने पैरों पर खड़ा क्यों नहीं हो पाया, केवल एक साल खराब सफल होने के कारण सरकार को अपनी पूरी ताकत से राहत कार्यों में लगानी पड़ी है। इसलिए माननीय कृषि मन्त्री महोदय, मैं आपके माध्यम इससे पहलू की जांच करने का अनुरोध करता हूं।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कई कमियां हैं और कई बार विरोध प्रकट करने के बावजूद सरकार, जी. आई. सी. और राज्य सरकारों ने किसानों की परवाह नहीं की है। मुझे एक मामला याद आता है जिसमें मुख्यमन्त्री और राज्य के कृषि मन्त्री तथा यहां कृषि मन्त्रालय को कृषि विधेयालय को लिखने के बावजूद उस बारे में अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि वे बीमा राहत कैसे देंगे जबकि फसल काटने का परिणाम कटने वाले कृषि विभाग और राजस्व विभाग के बीच फसल काटने के परीक्षण के बारे में मतभेद है। मेरा अनुभव बताता है कि कृषि विभाग की तुलना में राजस्व विभाग ज्यादा पुरातन पन्थी है, अगर कोई गलत कार्य हो रहा हो तो क्या हमारे पास इसकी जांच करने का कोई तंत्र है ? ऐसे कुछ मामले मेरी जानकारी में हैं, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में कुछ राहत देने का अनुरोध करूंगा।

अच्छी किस्म के तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का निजी क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है और इन अच्छे बीजों का मूल्य बहुत अधिक होता है। इस बारे में कोई नियन्त्रण नहीं है। हमें इस पर भी नियंत्रण करना चाहिए जिससे प्रत्येक को इनका लाभ प्राप्त हो सके।

एक और मुद्दे पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, यह देखा गया है कि गेहूं 162 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाता है। लेकिन अनुसंगी शुल्क कितना होता है। अनुसंगी शुल्क 103 रुपये प्रति क्विंटल आता है। वह कैसा अर्थशास्त्र है ? आप किसान से एक क्विंटल गेहूं 162 रुपये की दर से लेते है और उसके रख रखाव पर 103 रुपए खर्च करते हैं ? मैं चाहूंगा कि पूरा सदन इस पहलू पर विचार करे।

इसके बाद मैं उर्वरकों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आज देश में एस. एस. पी.-सिंगल सुपर फास्फेट अधिकतर निजी क्षेत्र में ही उत्पादित किया जाता है, अब, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में यह देखा गया है कि किसानों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियां इस कार्य के लिए आगे आ रही हैं और उन्हें खुद की फैक्टरी आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन और वरीयता दी जानी

चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एस. एस. पी. गैर-सरकारी क्षेत्र में ही बनी रहेगी तो यह कृषि की प्रगति में बाधक होगा।

मैं यह सुझाव भी दूंगा कि रासायनिक फैक्टरियों में गैस का प्रयोग किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि इसका अन्य क्षेत्रों में तो प्रयोग किया जा रहा है पर रासायनिक क्षेत्रों में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में ध्यान दें तथा कोई ठोस सुझाव दें।

महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र लाल कछारी नामक पशुओं की नस्ल और देववाणी के लिए प्रसिद्ध है। लाल कंछारी के बारे में काफी अध्ययन किया गया है और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के डीन ने सरकार को लाल कंछारी को अखिल भारतीय स्तर पर एक नस्ल के रुप में स्वीकार करने के लिए लिखा है, यह मामला सरकार के पास लम्बित पड़ा है और मेरा यह अनुरोध है कि इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए और यह देखना चाहिए। कि इसको सहायता कैसे की जा सकती है क्योंकि यह एक नस्ल है और हम चाहते है कि इसे अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार किया जाए।

फसल बीमा के बारे में, मैं एक बात भूल गया था और वह यह कि आज आप औसत उपज की 80 प्रतिशत उपज को प्रभाव सीमा उपज के रुप में लेते हैं। हमारे देश में हम पांच वर्ष का चक्र है। एक वर्ष फसल बिल्कुल ही खराब होती है दो साल बहुत कम होती है, फिर एक वर्ष के लिए यह सामान्य होती है और दूसरे वर्ष यह बहुत अच्छी होती है। जब आपने औसत उपज को लेने का निर्णय किया है तो आप औसत उपज को प्रभाव सीमा उपज के रुप में क्यों नहीं लेते हैं? आप एक अलग प्रभाव सीमा क्यों लेते हैं? आज आपने उसे सौ प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसे देखें और किसानों के साथ न्याय करें।

अन्त में, मैं सभी योजनाओं के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है फसल बीमा के लिए केवल 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, मेरे विचार से या तो ऐसा किसी भूल से किया गया है या मुझसे कोई भूल हो गई है। मुझे पता नहीं है कि इस योजना को कब प्रारम्भ किया जाना है और इसके लिए इतनी कम राशि का प्रावधान क्यों किया गया है।

मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। [हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि की मांगों को लेकर सदन में पिछले कई घण्टों से चर्चा हो रही है। कृषि का विषय जब सदन में उठता है तो उसके साथ चाहे वाटर-मैनेजमैंट मिनिस्ट्री हो, चाहे इनर्जीमिनिस्ट्री हो और चाहे फूड-एण्ड-सप्लाई मिनिस्ट्री हो, उसका भी किसी न किसी तरीके से सीधा संबंध कृषि से होता है। मैं आपके माध्यम से सदन में अनुरोध करूंगा कि इस किस्म की प्रथा डाली जाए कि जब कृषि की मांगों को लेकर सदन में विचार-विमर्श चले तो उसमें सभी मंत्रीगण या उनके प्रतिनिधि यहां मौजूद होने चाहिए।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि 1988-89 के बजट में कृषि के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए सारे सदन में और सारे देश में चर्चा है कि यह बजट कृषि प्रधान बजट

है और कृषि जगत में कृषकों को बहुत सहूलियतें दी गई हैं। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री व कृषि मंत्रालय का धन्यवाद तो करता ही हूँ, लेकिन कई मूलभूत तमस्यायें हैं, जो कृषि से जूड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हमें विचार करने और उनमें सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 6 हजार करोड़ रुपया इस बजट के अन्दर किसी न किसी तरीके से कृषि को सब्सी-डाईज्ड करने के लिए रखा गया है। यह इतनी बड़ी धनराशि जो कृषि को दी गई है क्या यह 6 हजार करोड़ रुपये की धनराशि सीधे किसानों तक पहुंचेगी, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले मैं फर्टिलाइजर के बारे में बात करना चाहूंगा। 6 हजार रुपये में से 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में अकेले फर्टिलाइजर के लिए किया गया है। उसमें 2,750 करोड़ उस फर्टिलाइजर के लिए रखा गया है जो देश में बनेगा और 250 करोड़ रुपया उसके लिए जो विदेशों से आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सब्सीडी देते हैं तो वह सब्सीडी किसान को न दे करके कारखानेदारों को दी जाती है। चाहे वह प्राइवेट सेक्टर के कारखानेदार हो, चाहे कोआपरेटिव सेक्टर के हों या फिर चाहे पब्लिक सेक्टर के हों। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सब्सीडी का निर्धारण किस तरीके से होता है। उसका मूल्य कौन-सी कमेटी तय करती है और उस कमेटी में कौन-कौन से मेम्बर है ? क्या उस कमेटी में ऐसे आदमी हैं जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं ? एक टन फर्टिलाइजर का मूल्य जो कारखानेदार आंकता है उसमें क्या-क्या चीजें रखता है और किस प्रकार से अपना प्रोफिट रखता है ?

अभी इस बजट में साढ़े सात प्रतिशत की राहत दी गयी है। साढ़े सात प्रतिशत सस्ता फर्टिलाइजर दो फसलों के लिए दिया जाएगा। यह इस वजह से थी कि पिछली बार जब देश में सूखा पड़ा या ज्यादा फलड आये तो उस वक्त फर्टिलाइजर की इन्वेटरीज इतनी बढ़ गयी थीं कि अगर वह स्टाक रखता तो उसका खर्चा उन्हें उठाना पड़ता। इसलिए उन्होंने कंसेशन दिया। साढ़े सात परसेंट का वह कंसेशन उस कारखानेदार ने दिया कि जो उसका नुकसान होगा उससे वह निबटेगा। जब साढ़े सात प्रतिशत का घाटा ज्यादा इन्वेटरीज होने पर वह कारखानेदार निबट सकता है। इससे उसको कितना प्राफिट होता होगा इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो फर्टिलाजर है, कई जगह 18 सो से लेकर के 2 हजार रुपये तक प्रति टन तक आप फर्टिलाइजर को सब्सीडी देते हैं। मैं दो फर्टिलाइजर कम्पनियों के नाम बताना चाहूँगा जो कि किसान के नाम का फर्टिलाइजर बनाती है लेकिन उसको एक्सप्लोसिव्ज के लिए बेचती हैं। एक्सप्लोसिव्ज के लिए वही फर्टिलाइजर बनेगा जो पाउडर की शक्ल में होगा और किसान के लिए वह फर्टिलाइजर बनेगा जो ग्रेनुअल की शक्ल में होगा। पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर कम्पनी और हरि फर्टिलाइजर कम्पनी। ये दोनों कम्पनियां किसान के फर्टिलाइजर के नाम पर 18 सो से 2 हजार रुपये प्रति टन की सब्सीडी लेती हैं और इनका फर्टिलायजर ग्रेनुअल में न बन करके पाउडर में मेन्युफेक्चर हो करके बाजार एक्सप्लोसिव्ज के लिए बिकता है। यह भी हो सकता है कि जो एवघटनकारी और एक्सट्रीमिस्ट्स तत्व देश में हैं वे इसका एक्सप्लोसिव्ज के लिए यूज करते हों और उन तक यह फर्टिलाइजर पहुँचता हो। इसलिए जब ये किसान के नाम पर सब्सीडी लेते है तो क्यों नहीं सरकार इन पर एक बिजिल रखती है, कीस्टेंट वाच रखती है ? क्यों इस किस्म की बातें होती हैं ?

दूसरे आपने जो 2,750 करोड़ रुपया इन्डीजिनस फर्टिलाइजर को सब्सीडी के लिए रखा है उसके बारे में आपको देश को यह बताना चाहिए कि कोआपरेटिव सेक्टर में कितनी फैक्टरीज को कितने करोड़ रुपये दिया है, प्राइवेट सेक्टर के कारखानेदारों को कितना दिया है ? आपने किस हिसाब से फर्टिलाइजर की यह सब्सीडी दी है ? इसके बारे में एक उच्च कमीशन की नियमित होनी चाहिए जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी हों, जिसमें फर्टिलाइजर के साइन्टिस्ट्स हों, जिसमें टेक्नोक्रेट्स हों और मिनिस्ट्री के आदमी हों जो खुद यह निर्धारित करें कि फर्टिलाइजर की किस किस्म की पालिसी हो और किस किस्म की सब्सीडी कारखानेदारों को दी जाए। मैं यहां तक कहता हूं कि आप इन 3000 करोड़ रुपयों की सबसिडी किसान के नाम से कारखानेदार को न दें, बल्कि ये 3000 करोड़ रुपए आप देश के नेशनलाइज बैंकों में जमा करा दें और उनको कहें कि यह पैसा किसानों को 4 प्रतिशत की दर से ऋण के रूप में दिया जाए, जिससे कि कारखानेदारों के पास सबसिडी के नाम पर जाने वाला किसानों का पैसा किसानों को मिल सके।

इसी प्रकार से प्राइस पालिसी के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने कृषि मंत्रालय में मन्त्री पद का भार संभाला है, जो प्राइस एण्ड कास्ट कमीशन मुकर्रर किया गया है, उसमें जो किसानों का प्रतिनिधित्व है, उनके रिक्त स्थानों पर सब को मनोनीत किया जाए और देखा जाए कि किस किस्म के किसानों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। मेरा अभिप्राय यह है कि अगर आप विचार करें और सोचें कि प्राइस कास्ट्कमीशन में किसानों के सारे ब्यू प्वाइन्ट आएं तो 16 जो एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक जोन बनाए गए हैं उन सब से एक एक प्रतिनिधि इसमें इसमें रखा जाना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि किसान की फसल का भाव यह कहकर तय किया जाता है कि आप उसको रेम्यूनरेटिव प्राइस देते हैं और दूसरी तरफ आपने जो गाइड लाइन्स एग्रीकल्चरल प्राइस एण्ड कास्ट कमीशन को दी हुई हैं, उनमें शुरु में ही लिखा हुआ है—

[अनुवाद]

"किसानों को अधिक पूंजी निवेश करने और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें लाभकारी मूल देना सुनिश्चित करना और उचित मूल्यों पर सप्लाई करके उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना"।

[हिन्दी]

2300 करोड़ रुपया कंज्यूमर को सबसिडी देने के लिए आपने इस बजट में प्रावधान किया है, यह फूड एण्ड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री को आपने दिया है। इसमें से 600 करोड़ समय पिलफेज और डेमेज के नाम पर दिया जा जाता है लेकिन यह पिलफेज और डेमेज नहीं होता, बल्कि सारा का सारा एफ सी आई के गोदामों से और वेयर हाउसिंग के गोदामों से चोरी होता है रेल पर लादते समय, उतारते समय चोरी होता है और कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते इसमें से 100 किलो के बैग में से 8-10 किलो अनाज चोरी हो जाता है। इसके लिए आप 600 करोड़ रुपए सबसिडी देते हैं। आपको यह तय करना चाहिए कि कितने प्वाइन्ट्स पर हम स्टोरेज और हैंडलिंग कम से कम कर सकते हैं। एक स्टेट में आपने प्रोक्योरमेंट के समय स्टोरेज किया, दूसरी स्टेट में कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए फिर स्टोर करते हैं, इस तरह की विविधताएं हैं जिन पर 103 रुपए प्रति बैग खर्चा कंज्यूमर के नाम से होता है। 23.00 करोड़ रुपया किसान के नाम से रखा जाता है। हम कंज्यूमर को इस लिए दे रहे हैं ताकि किसान अधिक पैदा करे, इस सब व्यवस्था को आपको बदलना होगा।

एक बात कोआपरेटिव्स के बारे में कहना चाहता हूं कि हर स्टेट के कितने अलग अलग कानून हैं जहां जहां कोआपरेटिव मूवमेंट पनपा है वहां उन स्टेट्स में जो कानून हैं, उनमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम है और जहां जहां यह मूवमेंट फेला हुआ है वहां सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि आप स्टेट के मंत्रियों की या मुख्य मंत्रियों की कोई कान्फ्रेंस बुलाकर इसमें यूनिफार्मिटी लाएं, ताकि सारे देश में कोआपरेटिव के बारे में एक सा कानून एप्लाई हो। इससे यह होता है कि जहां महाराष्ट्र, गुजरात में कोआपरेटिव मूवमेंट में किसानों को फायदा पहुंचा है तो वहां सिर्फ इसलिए कि आखिरी दम तक भी स्टेट इन्टरफियरेंस नहीं होता है। और जहां कोआपरेटिव मूवमेंट फेल हुआ है जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में तो वहां अगर बीस किसान भी यह सोचते हैं कि कोआपरेटिव सैक्टर में कोई छोटा-मोटा कारखाना लगाएं और जब वे पूरी तैयारी कर लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर आकर बैठ जाता है कि आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए कन्ट्रोल हम लेते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए एक यूनिफार्म ला लाएं। जहां कोआपरेटिव मूवमेंट फेल हो रहा है, उनको मजबूर करें कि वे इन कानूनों को मानें। कोआपरेटिव सिस्टम से भी आप क्रेडिट किसानों को देते हैं। नेशनेलाइज्ड बैंक भी देते हैं। नेशनेलाइज्ड बैंक का हाल यह है कि अगर एक किसान ने लोन ले लिया और वह डिफाल्टर भी हो गया तो उसको नेशनेलाइज्ड बैंक नोटिस देगा। उस नोटिस के जरिए वकील का खर्चा भी उसके खाते में चढ़ा दिया जाता है कि यह भी तुमको देना पड़ेगा। ब्याज में और दूसरे कर्जों में उसको लाद दिया जाता है जिससे इंटरेस्ट और दूसरी किस्तें री-पे करने में वे बिल्कुल विफल हो जाते हैं। कामर्शियल बैंक्स भी उन्हीं लाइन पर किसानों को लोन दें जिन लाइन पर कोआपरेटिव स्ट्रक्चर में लोन देने का प्रावधान है। आपने 1986-87 में सात हजार करोड़ से ज्यादा किसानों को एग्रीकल्चर सैक्टर में लोन देने के लिए कहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां दो या दो साल से अधिक सूखा पड़ा है वहां आपने किसानों को कुछ रियायतें दी हैं। उनके लोन को डेफर्ड किया है। शार्ट टर्म को लांग टर्म में तबदील किया है। उससे किसानों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। लोन छह महीने में अदा करना था वह तीन साल में करेगा तो उसका भी ब्याज देना पड़ेगा। जो डेफर्ड पीरियड का इन्टरेस्ट है वह भी देना पड़ता है। वह इंटरेस्ट माफ होना चाहिए ताकि उस पर बोझ न पड़े। क्राप इन्श्योरेंस के बारे में भी कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने एक दो मीटिंग्स में माना है कि क्राप इन्श्योरेंस की पालिसी लागू की गई थी वह एक तरह से किसानों के साथ मजाक था। कोआपरेटिव बैंक्स या दूसरे बैंक्स हैं, उनके क्रेडिट को महफूज रखने के लिए आपने यह इनश्योरेंस शुरू किया। चलो मान लिया मार्जिनल और स्माल फारमर्स का आपने प्रीमियम भी दे दिया लेकिन उससे सब किसानों को फायदा नहीं है। अगर सही मायनों में इसको लागू करना चाहते हैं तो पूरे देश में इसको लागू कीजिए। सब किस्म की जमीनों और फसलों पर लागू कीजिए। आप हैरान होंगे कि गुजरात सरकार ने चार सौ करोड़ का क्लेम भेजा है लेकिन केन्द्र सरकार ने एक पैसा भी किसानों को नहीं दिया। किसी की कार में अगर खरोंच आ जाती है तो वह उसके शीशे व लाइट वगैरह तोड़कर पांच-छह हजार का क्लेम भेज देता है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं केवल इसी एक विषय पर बोल रहा हूं और इस सत्र में मेरा यह पहला भाषण है, मुझे पांच मिनट का समय और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पांच मिनट का समय नहीं दे सकता हूं। आप पहले ही पन्द्रह मिनट बोल चुके हैं और सदन में और भी सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह : उस क्लेम में से दो हजार सर्वेयर के और दो हजार वर्कशाप वाले के होते हैं। इस तरह मालिक की कार के और पुर्जे भी बदले जाते हैं। इनश्योरेंस कम्पनी की यह हालत है। किसान ने जो लोन लिया है सिर्फ उसको सिक्योर किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जी. आइ. सी. इसको चला रही है, जी. आइ. सी. को इससे निकाल दिया जाए। राज्यों के जो मार्केटिंग बोर्ड हैं उनको यह एनट्रस्ट की जाये कि वह इस स्कीम को चलायें। इसमें जो प्रीमियम के लिए पैसा चाहिये वह 2300 करोड़ रुपये आप उपभोक्ता को देते हैं कि किसान अच्छा पैदा करे, जो तीन हजार करोड़ रुपये फर्टिलाइजर्स के नाम से कारखानेदारों को देते हैं वह पैसा प्रीमियम के रूप में आना चाहिए और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार हिस्सा डालें। किसान की हर फसल और हर इलाका उसमें शामिल होना चाहिए। डैमेजेज क्लेम करने के लिए दिया है उसमें रेवेन्यू विलेज को यूनिट बनायें न कि तालुका, तहसील या ब्लाक को। देश का दुर्भाग्य यह है कि जब भी कोई कारखानेदार अपना कारखाना लगाता है तो वह शहर के पास लगाता है। वह सोचता है कि शहर के नजदीक एग्रीकल्चर जमीन ऐसी कौन-सी है जिसको वह खरीदें। जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं वह जब से बसे हैं वहां पानी की बहुतायत होने से बसे हैं, वहां की एग्रीकल्चर लैंड अच्छी है। इसलिए कोड़ियों के भाव उसको जमीन लेने के लिए वह कारखानेदार जमीन को एक्वायर करवाता है। जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की क्लियरेंस लेना जरूरी है इसी तरह से यह एक्ट भी होना चाहिए कि कोई भी कृषि भूमि पर कोई भी कारखानेदार जमीन को एक्वायर करके कोई कारखाना लगाता है तो उसको क्लियरेंस कृषि मंत्रालय से लेनी होगी। ताकि किसानों की जो उपजाऊ भूमि है उसको एक्वायर नहीं करे। ऐसी जमीनों को एक्वायर किया जाये जिसका पानी काफी नीचे है, ब्रेकिश-वाटर है और जिसमें फसल कम होने या न होने की सम्भावना है। आपको तो पर्यावरण मंत्रालय का अनुभव है इसलिए आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यह भी कहूंगा कि कृषि के लिए जो आप कर रहे हैं उसमें जो आंकड़े आप प्रस्तुत करते हैं उनसे ही संतुष्ट होकर नौकरशाही पर यकीन न करें, बल्कि उनकी तह में जायें। आज किसान के साथ हर सब्सिडी में अन्याय होता है। पचास प्रतिशत सब्सिडी उसको सही नहीं मिलती है, बीच में उड़ा ली जाती है। जो ग्रामीण विकास की बात है उसमें अगर किसान को सही सहूलियतें देंगे उसका उत्पादन ज्यादा बढ़ायेंगे तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी इससे ग्रामीण विकास स्वाभाविक होगा। अभी जो आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आर. ई. पी. में लाखों रुपया दे रहे हैं वह ऐसी स्कीम्स में देते हैं। जैसे तालाब खोद दिया, अगले साल वह बन्द हो जाता है। सूख जाता है। मेरा सुझाव है सकि आप किसानों को इकट्ठा करके उनके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा दीजिए जिससे 15-20 परिवारों का गुजारा हो और वह उसमें काम करें। वह एग्रो बेस कारखाना हो इससे वहां की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आयेगा और आर्थिक विकास की सम्भावना ज्यादा होगी। जहां-जहां आप सब्सिडी दे रहे हैं वहां-वहां आप अपनी कमेटी स्थापित करें और इस बात में जाने की कोशिश करें कि किस तरह से किसानों की सब्सिडी का दुरुपयोग होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : इस वाद-विवाद में मुझे

बीच में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय कृषि मंत्री महोदय वाद-विवाद के अन्त में चर्चा का उत्तर देंगे।

हम पिछले कुछ दिनों से माननीय सदस्यों से कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय की अनुदान की मांगों के बारे में सुन रहे हैं। उर्वरक के बारे में बहुत कम माननीय सदस्यों ने बात उठायी है। मेरे विचार से अभी-अभी बोलने वाले श्री वीरेन्द्र सिंह ने उर्वरकों के बारे में अन्य सभी माननीय सदस्यों की तुलना में सबसे अधिक कहा है।

मैं उनके द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर अपनी राय व्यक्त करना चाहूंगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उर्वरक उद्योग में उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से काफी वृद्धि हुई है जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए तो हमें पारम्परिक रूप से कम उत्पादकता वाली कृषि व्यवस्था मिली और हम उर्वरकों की मामूली सी मात्रा का ही प्रयोग करते थे। अंग्रेज सामान्यत: उर्वरकों का प्रयोग चाय तथा काफी के बागानों और मसालों की खेती में किया करते थे। अब कृषि की अन्य क्रियाकलापों में भी उर्वरकों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। देश में वर्ष 1951-52 में उर्वरकों का कुल उत्पादन केवल 37000 टन ही था। यह कहते हुए मुझे खुशी है कि आज देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़कर 71.31 लाख टन हो गया है। वर्ष 1951-52 की 60000 टन की तुलना में आज उर्वरकों का प्रयोग 90 लाख टन हो गया है। पहली दो योजनाओं में हमें अपनी आवश्यकता के लिए अधिकांश उर्वरकों का आयात करना पड़ा था। 50 प्रतिशत उर्वरकों का आयात किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान हमने इस आयात को घटाकर 25 से तीस प्रतिशत कर दिया था, और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि वर्ष 1986-87 और 1987-88 में हमें केवल 5 से 7 प्रतिशत उर्वरकों का ही आयात करना पड़ा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री जीवरत्नम और श्री बसवराजू ने किसानों को राज सहायता दिये जाने की बात कही। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि इस वर्ष किसानों को 3000 करोड़ रुपयों की राज सहायता दी जा रही है। उनके असंतोष का कारण यह है कि यह राजसहायता किसानों को नहीं अपितु उर्वरक उद्योग को दी जा रही है। यहां मुद्दा यह है कि नियंत्रण मूल्यों की किसी भी व्यवस्था में राजसहायता या मूल्य नियंत्रण उत्पादक के पास होता है। यह उपभोक्ता के पास नहीं होता क्योंकि इसके समन्वय में समस्या होती है। देश में लगभग उर्वरकों की 1.5 लाख दुकानें हैं अगर हम ऐसी व्यवस्था अपनायें जिसमें किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए राज सहायता दी जाए तो तब हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे। और अखिरकार जो होगा वह यह है कि किसानों को उर्वरक नहीं मिलेंगे, उर्वरकों के उत्पादन में कमी आएगी और कृषि उत्पादन घट जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह और अन्य माननीय सदस्यों ने 7.5 प्रतिशत छूट के बारे में कहा था।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरा कहना यह है कि आज एक बैग अथवा एक टन की लागत किस प्रकार आंकते हैं। जबकि इस मूल्य निर्धारण समिति में किसानों का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है ?

श्री आर. प्रभु : उन्होंने कहा है कि यह छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि इस देश में उर्वरकों की काफी मांग थी। बेशक देश में यूरिया की आवश्यकता के अधिक भण्डार मौजूद हैं। हमारे पास देश में 30 लाख टन यूरिया का भडार है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह छूट भंडार को समाप्त करने के लिए नहीं दी गई थी। यह छूट उन किसानों की सहायता के लिए थी सूखे के कारण जिनकी

आर्थिक दशा खराब हो गई है। हमने पहले भी यह देखा है कि उर्वरकों की कीमतें घटाने से हम उर्वरकों की खपत नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारा यही अनुभव रहा है।

यह सच नहीं है कि भंडारण से उर्वरक खराब हो जाते हैं और क्योंकि निर्माता उसी भंडार को बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गोदामों में पुराना स्टाक तब तक रखा जाता है जब तक कि वह बिक नहीं जाता है।

उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों को अवधारण मूल्य के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। आज उर्वरकों के लिये अवधारण मूल्य योजना है। हमने एक एफ. आई. सी- सी. नाम की समिति बनाई है जोकि प्रत्येक उर्वरक यूनिट के लिए अवधारण मूल्य निर्धारित करती है। यह सच है कि किसानों का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं है क्योंकि मूल रूप से इसका समन्वय सरकार द्वारा किया जाता है। हम मूल्य निर्धारित करते हैं इस समिति में कुछ बाहरी व्यक्ति हैं। परन्तु वे किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं। उर्वरक उद्योग का अवधारण मूल्य 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर आधारित होता है और जिसमें कराधान के पश्चात 12 प्रतिशत का लाभ है 12 प्रतिशत का यह कराधान पश्चात लाभ उन सभी उद्योगों को प्रदान किया जाता है जो नियन्त्रित मूल्य योजना के अन्तर्गत हैं।

महोदय, जिस व्यक्ति ने चर्चा आरम्भ की थी वह यहां पर नहीं है। उन्होंने इस देश में उर्वरकों की कम खपत के बारे में कुछ सवाल उठाये थे। उन्होंने कुछ आंकड़े उद्धृत किये थे जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में 50 कि. ग्राम प्रति हेक्टेयर की खपत है बंगलादेश में 39 कि. ग्राम प्रति हेक्टेयर की खपत है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत में यह खपत औसतन 50 कि. ग्राम प्रति हेक्टेयर है और पंजाब में 150 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर है। अतः हम उर्वरकों की खपत के मामले में पीछे नहीं हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें इस देश में उर्वरकों की खपत बढ़ानी पड़ेगी। इसके कारण राज्य सरकारों और उर्वरक कम्पनियां कई प्रकार के विस्तार को सक्रिय चला रही हैं और किसानों को उर्वरकों के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान कर रहीं हैं और उन्हें यह बता रहीं हैं कि उर्वरकों का अधिक उपयोग करके अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है और लाभ अर्जित किया जा सकता है।

कुछ अन्य बातें भी कहीं गई थीं कि रासायनिक उर्वरकों के अतिरिक्त खाद का भी उपयोग किया जाना चाहिए। इस मुद्दे का भी हम यह कह कर कि यदि वे खाद का उपयोग नहीं करेंगे तो मिट्टी के माइक्रो-पोशकों की कमी हो जायेगी किसानों को शिक्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः उन्हें यह बताया गया है कि खाद का उपयोग करना बेहतर है।

तमिलनाडु से एक सदस्य श्री आर. जीवाथिनम ने कहा है कि तमिलनाडु में नरीमानम और अन्य स्थानों पर गैस पाई गई है और तमिलनाडु में अमोनियम-यूरिया काम्पलैक्स फैक्ट्री स्थापित की जानी चाहिए। मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूं कि वहां एक बड़ी उर्वरक काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस पाई गई है। जैसे ही तमिलनाडु में पर्याप्त मात्रा में गैस पाई जायेगी हम इस प्रार्थना पर विचार करेंगे कि तमिलनाडु में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाए।

आन्ध्र प्रदेश के एक सदस्य प्रो-सोड़े रमैया ने एक वक्तव्य दिया था कि उर्वरक कम्पनियां भारत की स्वतंत्रता की चालीसवीं वर्ष गांठ और पंडित जवाहर लाल नेहरू शताब्दी मनाने के लिए काफी धन कम कर रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार को बहुत गर्व है कि हमें स्वतंत्र

हुए 40 वर्ष हो गए हैं। उर्वरक उद्योग को इस तथ्य पर गर्व है यह भी गर्व का विषय है कि इस देश में उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन उर्वरक उद्योग भी 40 वर्ष पुराना है। हम इसके कारण कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं। हम केवल उन्हीं कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं जो पहले से तय हैं। गांवों को अपनाने वृक्षारोपण गांवों में ट्यूब वैल लगाने, कृत्रिम अंगों के लगाने और बच्चों के लिए खिलौना बैंक जैसी सामाजिक योजनायें हैं। यह कार्यक्रम पहले से विद्यमान हैं। हम इन कार्यक्रमों को भारत की स्वतंत्रता के चालीसवें वर्ष में लागू कर रहे हैं और आगामी वर्ष पण्डित जवाहर लाल नेहरू शताब्दी और इस वर्ष उर्वरक उद्योग का चालीसवां वर्ष मना रहे हैं। महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी कई और सदस्यों को बोलना है। मेरा ख्याल है कि मैंने उन सभी मुद्दों पर विचार व्यक्त किए हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : सहकारी क्षेत्र में एस. एस. जी. फैक्ट्री के बारे में क्या हुआ।

श्री आर. प्रभु : श्री उत्तम राठौड़ ने यह कहा है कि एस. एस. जी. फैक्ट्री सहकारी क्षेत्र में लगाई जानी चाहिए। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम एस. एस. जी. के लिए सहकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के बजाय उर्वरक के लिये होना चाहिये। हम समझते हैं कि गैस का उपयोग तापीय उपयोग के पहले उर्वरक के लिए होना चाहिये।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि देश में उर्वरक उद्योग में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1986-87 में वृद्धि कर 22-8 प्रतिशत थी और 1987-88 में यह 1.2 प्रतिशत थी और इस वर्ष 1988-89 में 20.61 प्रतिशत की आशा है।

मैं सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि उर्वरक उद्योग विस्तार सेवाओं किसानों को शिक्षित करने के कार्यक्रमों और उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि का भरसक प्रयत्न कर रहा है।

आज, दुर्भाग्य से उर्वरकों का प्रतिशत उपयोग खेती के 30 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में होता है और हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं बारानी-खेती क्षेत्र में उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि की जाए। हम विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों द्वारा किसानों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस देश में उर्वरक उद्योग हमेशा इस देश के किसानों के साथ रहेगा और कृषि उत्पादन में अधिकाधिक योगदान प्रदान करेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह : वे दो उद्योग जो ग्रेन्यूलों के स्थान पर पाउडर का उत्पादन कर रहे थे— और जिनके द्वारा विस्फोटक पदार्थ बनाने का प्रस्ताव था क्या हुआ ?

श्री आर. प्रभु : मैं इसका उत्तर कृषि मन्त्री पर छोड़ता है। परन्तु चूंकि उन्होंने यह प्रश्न उठाया है तो मेरा यह कहना है कि दो फैक्टरियां अमोनियम नाइट्रेट बनाती है जो कि विस्फोटक सामग्री के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता है। परन्तु जब कभी हमें यह पता चलता है कि आवश्क वस्तु अधिनियम का उल्लंघन कर इस उर्वरक का विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि उलंघन की स्थिति में हम कार्यवाही करेंगे और यदि इस संबंध में कोई विशेष प्रकार का उल्लंघन किया गया है तो कृपया मुझे इसकी जानकारी दें।

*श्री वी. एस. विजय राघवन (पालघाट) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं । इस वर्ष के बजट में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए धनराशि का 40% अधिक आबंटन किया है । मैं देश में पड़े भीषण सूखे से हुए खाद्यान्नों के अभाव को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये गये सभी कदमों का स्वागत करता हूं । परन्तु मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं । गम्भीर सूखे के बावजूद, खाद्यान्नों का उत्पादन उतना कम नहीं हुआ जितनी कि आशंका थी । यह कृषि क्षेत्र की सक्षमता का परिचायक है और निसंदेह श्रीमती इंदिरा गांधी के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के फलस्वरूप ही कृषि क्षेत्र इतना मजबूत बना रहा । श्री राजीव गांधी और उनकी सरकार इन नीतियों को बड़ी तत्परता और दक्षता से लागू करने का प्रयास कर रही है ।

मैं इस अवसर पर कृषि उत्पादन और उत्पादकता के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

यह सच है कि देश का प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन विश्व के औसत उत्पादन से बहुत कम है । गेहूं और चावल के उत्पादन के मामले में हमारा 31वां स्थान है । सरकार को इस बात पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए । क्यों हम एक हेक्टेयर में 3000 अथवा 4000 किलो ग्राम पैदा नहीं कर सकते ? हम एक हैक्टेयर में क्यों इतना चावल पैदा नहीं कर सकते ? हमारे देश का कृषि विज्ञान बहुत उन्नत है । हमारे कृषि विज्ञानिक विश्व प्रसिद्ध हैं । हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान हैं । इन सबके होते हुए हमारा उत्पादन बढ़ नहीं रहा है । अनुभवी कृषि मन्त्री को इस पर ध्यान देना चाहिए । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाकर उसे प्रति हेक्टेयर कम से कम 4000 किलो ग्राम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायें । दूसरी बात हरित क्रांति के बारे में है, यह सच है कि हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लायी । परन्तु कुछ विशेषज्ञों का मत है कि हरित क्रांति क्षेत्र में उत्पादन अत्यधिक रहा । हम और उत्पादन नहीं बढ़ा सके हैं । उनका तो कहना है कि उर्वरकों और अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों के इस्तेमाल से भूमि की उर्वरता धीरे धीरे नष्ट हो रही है । यदि यह सच है तो सरकार को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए क्योंकि इससे उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा । यदि इन विशेषज्ञों का निष्कर्ष ठीक है तो सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिये और उत्पादन के लिए नयी नीति तैयार करनी चाहिए ।

1.49 म. प.

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इस वर्ष बजट में कृषि और सिंचाई के लिये 1295 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है । यह कहा गया है कि सरकार का 2.05 बिलियन हेक्टेयर का अतिरिक्त मूल-क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाने का विचार है । अभी भी हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर है । हम कृषि योग्य भूमि के 40% क्षेत्र में भी सिंचाई सुविधायें प्रदान नहीं कर सके हैं । देश के विभिन्न भागों में कितनी ही सिंचाई परियोजनायें अधूरी पड़ी हैं । केरल को ही ले लीजिए। केरल का पालघाट क्षेत्र राज्य के अत्यधिक उपज देने वाले क्षेत्र में से है । इस जिले में भी भीषण सूखा पड़ा । कुरियर कुट्टी करपरा परियोजना को भीनजपरा और इस जिले में अन्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिये बनाई गई थी । इस परियोजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है । यह परियोजना कार्यान्वित होगी अथवा नहीं, मैं कह नहीं सकता हूं । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को जितना जल्दी संभव हो लागू करे मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में सभी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करें और सिंचाई सुविधायें बढ़ायें ।

*मूलतः मलयालम में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

अब मैं अपने राज्य की कुछ विशेष समस्याओं की चर्चा करता हूं। केरल में पिछले वर्ष भीषण सूखा पड़ा जिससे फसलों को भारी हानि हुई। केरल बजट पर बोलते हुए मैंने इस समस्या की विस्तार से चर्चा की थी, केरल की आधी भूमि बागान जैसे नारियल, सुपारी, रबड़, काली मिर्च आदि के वृक्ष लगे हैं। इन फसलों को क्षति से इस राज्य की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। राज्य के प्रायः सभी जिलों में पीने के पानी का विकट अभाव उत्पन्न हो गया है। पालघाट जिले में यह समस्या बहुत गंभीर है। केन्द्रीय सरकार ने स्थिति की गंभीरता का जायजा लेने के लिये एक अध्ययन दल भेजा परन्तु राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित जनता को कोई राहत देने के प्रति उत्सुकता नहीं दिखा रही है। सरकार ने इस स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास किया है। केन्द्र द्वारा स्वीकृत धनराशि तक को इस सरकार ने समुचित रूप से खर्च नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये चलाये जा रहे राहत कार्यों की जांच का कार्य केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए।

यह बात कई लोगों को पता नहीं है कि नारियल, सूपारी रबड़ आदि फसलों की क्षति का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई नारियल का वृक्ष क्षतिग्रस्त होता है तो नये वृक्ष से फल प्राप्त करने में उत्पादक को 4-5 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जरा कल्पना कीजिये कि वह गरीब किसान जो इन फसलों पर पूर्णतः निर्भर है किस प्रकार जीवन यापन करेगा। अतः इन फसलों के उत्पादकों की मदद के लिये कोई स्थायी प्रबंध किया जाना चाहिये। इसी प्रकार नगद फसल का नुकसान उठा रहे किसानों को दी जा रही 200 रुपये की राशि बहुत कम है क्योंकि इन फसलों की उत्पादन लागत बहुत अधिक है। अतः मैं मांग करता हूं कि यह राशि बढ़ायी जानी चाहिये।

दूसरी बात ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आबंटन से संबधित है। इस समय श्रमिकों को उनकी मन्जूरी का 50% गेहूं और चावल के रूप में दिया जाता है। केन्द्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को 50:50 के अनुपात में खाद्यान्न प्रदान करता है। केरल के गांवों में गेहूँ कोई नहीं खाता है वहां सभी चावल खाते हैं। अतः सरकार को गेहूं के स्थान पर चावल आवंटित करना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान जिस महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूँ वह कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्य योजना से संबधित है। केरल में धान मुख्य-फसल है। यह ठीक है कि पिछले एक दशक से केरल में धान का उत्पादन घट रहा है हम अभी भी धान का प्रति वर्ष 12 लाख टन उत्पादन करते हैं। परन्तु भारत सरकार ने कृषि के विकास संबन्धी कार्यक्रम में केरल को शामिल नहीं किया है। मुझे पता चला है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 राज्य चुने गये हैं। हमारे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु अथवा कर्नाटक इसमे शामिल किये गये हैं। परन्तु पता नहीं केरल को क्यों छोड़ दिया गया है। यदि केरल के उद्यमी किसानों को समुचित प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता दी जाती है, तो वे निसंदेह उत्पादन में काफी वृद्धि कर सकेंगे। अतः मैं प्रबल रूप से मांग करता हूँ कि केरल को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाये।

मैं अन्त में अपने पालघाट जिले की एक समस्या की चर्चा करना चाहता हूं। इस जिले में अट्टापट्टी आदिवासी क्षेत्र हैं। सूखे से इन आदिवासियों की दशा दयनीय हो गई है। रोजगार के अभाव में यहाँ भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार का दावा है कि उसने आदि वासियों के कल्याण पर 16 करोड़ रुपए का व्यय किया है। अर्थात प्रत्येक आदिवासी परिवार पर 1 लाख रुपए का व्यय किया गया है। लेकिन वहाँ इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। हाल ही

में केरल विधान सभा की लोक लेखा समिति ने इस आदिवासी क्षेत्र का दौरा किया था और आदिवासियों की स्थिति का अध्ययन किया था। समिति का कहना है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं और यहां तक कि पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा पाई है। महोदय, अट्टापाडी पश्चिमी घाट के वर्षा वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए यह क्षेत्र निरंतर सूखे का सामना कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस स्थिति का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। सरकार को आदिवासियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख अपनाना ही चाहिए। चूंकि राज्य सरकार इस मामले में पूर्णतः विफल रही है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को आवश्यक तौर पर आगे आना चाहिए और आदिवासियों के लिए आरम्भ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष रूप से निगरानी रखनी चाहिए। मैं इन मांगों का एक बार पुनः समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जार्ज जोसफ मुन्डाकल (युवत्तुपुजा) : मैं कृषि मंत्रालय के संबंधी अनुदानों की मांगों का समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही मे केन्द्रीय सरकार का रूख हमारे देश के कृषकों और किसानों के हितों का समर्थन करता रहा है। मैं एक किसान परिवार का व्यक्ति हूँ और मैं इस देश के किसानों की कठिनाईयों को समझता हूँ।

केरल में धान की खेती बड़ा करना एक बहुत बड़ा घाटा है। केरल में लोग धान की खेती करना छोड़ रहे हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि धान की खेती को हमारे देश के सघन कृषि कार्यक्रम में शामिल किया जाए। केरल को सघन धान-खेती योजना में शामिल करने की कृपा करें।

देश में सूखे की स्थिति को देखते हुए सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धान की खेती के लिए पेरियर घाटी जैसी योजनाएं पूरी की जानी चाहिए जो केरल में गत 25 वर्षों से पूरी नहीं की जा सकी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि पेरियर घाटी जैसी सिंचाई परियोजनाओं के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाए तथा धान की खेती को बढ़ावा दिया जाए।

जैसाकि अभी मेरे मित्र ने बताया है, नारियल की खेती से आय प्राप्त होने में सात से दस वर्ष तक लग जाते हैं। गत कुछ वर्षों से सूखे की स्थिति के कारण नारियल की खेती खराब हो जाती है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि नारियल की खेती तथा उसकी सिंचाई के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाए।

'टिशू कल्चर' के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने उन्नत किस्म की पौध उगाने का तरीका खोज निकाला है। दुर्भाग्यवश यह तरीका बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया जा रहा है हमारे देश में नारियल की अच्छी पौध की कमी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि नारियल की खेती के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करें तथा इसके लिए टिशू कल्चर कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाए।

डेयरी के विकास के लिए हमारे देश में काफी गुन्जाइश है। विदेशों में डेयरी विकास में बहुत अधिक प्रगति हुई है। मैं मंत्री महोदय से डेयरी विकास के लिए भी और अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

कृषि उत्पादों का अच्छा मूल्य प्रदान नहीं किया जाता, विशेषरूप से नकदी फसलों के जो मूल्य प्रदान किए जाते हैं वे अपर्याप्त होते हैं। हमारे देश में नारियल का तेल, नारियल की गिरि, जायफल तथा लौंगका आयात किया जाता है। और इन वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई

है। अतः, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि फिलहाल इन वस्तुओं का आयात बन्द किया जाए। एक महीने के भीतर इन वस्तुओं के मूल्यों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। अतः, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन कृषि उत्पादों का आयात बन्द किया जाए और इसके स्थान पर हमारे कृषकों को उचित मूल्य उपलब्ध कराया जाए।

कीटनाशकों, उर्वरकों तथा कृषि उपकरणों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में बहुत अधिक हैं। मंत्री महोदय ने हाल ही में उर्वरकों के संबंध में रियायत की घोषणा की है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि उर्वरकों, के कीटनाशकों, आदि के सबन्ध में और अधिक रियायतें प्रदान करके और प्रोत्साहन दिया जाए।

नकदी फसलों के उत्पादकों को भारी कठिनाईयां हो रही है क्योंकि इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही है जैसाकि कारखाने में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच की जाए।

मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि जैसाकि मैंने पहले कहा है, सरकार का वर्तमान रूक किसानों को प्रोत्साहन देने का है।

[हिन्दी]

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदय, बड़ी लम्बी प्रतीक्षा के बाद आपने मुझे चन्द मिनटों का समय दिया जिसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आज कृषि मंत्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। कृषि मंत्री जी ने अभि हाल में ही कृषि मंत्रालय का कार्य सम्हाला है। कृषि मंत्री जी और इनकी टीम के प्रति देश के किसानों के दिल में एक आशा और विश्वास जागृत हुआ है। खाद्यान्न के मामले में हमारे देश की जो पहले स्थिति थी उसमें आदरणीय इन्दिरा जी के विचारों से और उनके द्वारा पहल करने के कारण देश में खाद्यान्न की स्थिति काफी सुधरी है। पहले हम 4-5 करोड़ टन अन्न का उत्पादन किया करते थे लेकिन अब हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन 15 करोड़ टन तक पहुंच गया है। और हमारे मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है उसके अनुसार तो ऐसा लगता है कि इस वर्ष 1 करोड़ 60 लाख टन अन्न का उत्पादन अधिक होने की संभावना है।

सभापति महोदय, कृषि विभाग से सम्बन्धित जितना भी इनफ्रास्ट्रक्चर है-चाहे एन. सी. डी. सी. हो, चाहे सीड कारपोरेशन हो-यह जितनी भी संस्थायें हैं उनके कार्य बड़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं। खासकर नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन जो है वह कोआपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देता है। उसका आप में कोई अन्य उद्देश्य होकर कृषि उत्पादन या औद्योगिक उत्पादन में अपना सहयोग और सहायता प्रदान करना ही है। यही उसका एक मात्र उद्देश्य है। एन. सी. डी. सी. ने बड़े पैमाने पर काम किया है। भारत सरकार से जो उसे पूंजी मिली या बाहर के देशों से भी, वर्ल्ड बैंक या यूरोपियन एकोनामिक कम्युनिटी से सहकारिता के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो किसानों की मदद हुई या मार्केटिंग के क्षेत्र में कोई प्रोसेसिंग यूनिट बनी और सीड कारपोरेशन के द्वारा अच्छा काम हुआ लेकिन मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सीड का उत्पादन देश में और ज्यादा कराया जाना चाहिए। पिछले साल हमारे राज्य में भयंकर बाढ़ और सूखे का प्रकोप हुआ। हम लोग सीड चाहते थे लेकिन नेशनल सीड कारपोरेशन केवल 60 हजार क्वींटल सीड देने में ही सक्षम रहा, बाकी सीड हमें फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया से खाने वाला गेहूं लेकर सीड के रूप में चलाना पड़ा जिसके चलते बिहार में काफी शिकायतें आईं।

एक बात की ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। जितनी भी आप सब्सीडी दे रहे हैं- चाहे उर्वरक के लिए हो या दूसरी चीजों के लिए, मैं अनुरोध करूंगा कि कोआपरेटिव के ग्रू जो आप सब्सीडी,कंपोनेन्ट देते हैं। उसमें आज बहुत आवश्यक हो गया है कि आप सब्सीडी न देकर इन्ट्रेस्ट-कंपोनेन्ट को पूरी सब्सीडी के रूप में दें। किसानों को जो आप लोन देते हैं ट्रैक्टर या पंपिंग सेट के लिए, अगर किसी समय सूखे के कारण या बाढ़ के कारण वह उसकी किस्त नहीं दे पाता है तो आप पीनल इन्ट्रेस्ट तथा अन्य कई प्रकार के इन्ट्रेस्ट उस पर लाद देते हैं। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप जो सब्सीडी कम्पोनेट देते हैं 25 परसेंट, 50 परसेंट या जो भी, जनरल किसान को आप 25 परसेंट देते हैं, उसमें इण्ट्रेस्ट-कांपोनेन्ट को ही सब्सीडी के रूप में दिया जाए और जितने फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स है उसको वह सब्सीडी का पैसा पहले ही दे दिया जाये।

सभापति जी, जब कृषि के विकास की चर्चा कर रहे हैं तो सदन में कोआपरेटिव की बात रखने की मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं समझता हूं कि कृषि के विकास में कोआपरेटिव बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज कृषि के क्षेत्र में इतना विकास हुआ, इतने बड़े पैमाने पर देश में अन्न का उत्पादन होने लगा, इस विकास में सारे देश के कोआपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान है आज सारे देश में तीन लाख पन्द्रह हजार कोआपरेटिव काम कर रहे हैं, जिनमें से एक लाख कोआपरेटिव सोसायटीज गांवों में सेवाओं में लगी हैं। इनकी मारफत गांवों में कोआपरेटिव ऋण, सीड, पैस्टि-साइड्स और फर्टिलाइजर का वितरण हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। नबार्ड में लगभग 3:5 करोड़ किसानों को ऋण मुहैया किया है। आज सारे देश में 15 करोड़ हमारे कोआपरेटिव के मैम्बर हो गए हैं। हमारे माननीय मंत्री जी कृषि मंत्री के साथ-साथ सहकारिता के भी मंत्री हैं। हमारे देश में कोआपरेटिव का संचार हो रहा है, न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी। औद्योगिक क्षेत्र में सारे देश में लगभग 325 शुगर फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। देश के कुल चीनी उत्पादन का 60 प्रतिशत कोआपरेटिव से उत्पादन हो रहा है। फर्टिलाइजर के लिए इफको और क्रिफको जैसे कारखाने लगाए हैं। ये कारखाने कोआपरेटिव सैक्टर में जितनी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है, उससे भी ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी, ने देश के सभी मुख्य मन्त्रियों को एक पत्र लिखा है कि जहां पर को-आपरेटिव सुपरसैशन में है, वहां उनको डैमोक्रेटिक करैक्टर रिस्टोर किया जाए। मद्रास में 13 सालों से कोआपरेटिव सुपरसैशन में हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी यही स्थिति है। आन्ध्र प्रदेश में जब से तेलगू देशम की सरकार आई है, तब से सुपरसैशन में हैं। अभी केरल में भी नई सरकार बनी हैं, वहां पर भी सुपरसैशन में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जितनी भी सुपरसीडेड कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, जिनको आप नाबार्ड और एन. सी. डी. सी. से जो पैसा देते हैं, उनको कहिए कि आप अपने कोआपरेटिव करैक्टर को रिस्टोर करें तब पैसे दिए जायेंगे, नहीं तो नहीं दिए जायेंगे। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव के बढ़ते हुए कार्यक्रम को देखते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिन्दुस्तान में मिक्सड इकोनोमी होगी—प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर काम करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब कोआपरेटिव सैक्टर भी बनेगा। मैं मांग करता हूं कि को-आपरेटिव सैक्टर को भी एक सैक्टर बनाया जाए।

अभी हमारे मित्र श्री बीरेन्द्र सिंह ने चर्चा की कि कृषि के साथ-साथ बात करते हुए सिंचाई की बात भी अपने-आप आ जाती है मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक सीन कैनाल है, जो 115 वर्ष पहले ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाई गई थी। लेकिन उस कैनाल

की सफाई का काम पिछले 15 वर्षों से नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक द्वारा इसके लिए 1200 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई थी, लेकिन अभी तक वह योजना भारत सरकार और बिहार सरकार की फाइलों में अटकी पड़ी हुई है। मैं यह बात सिंचाई की अनुदान की मांगों पर भी कहूंगा, लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी एक डायनेमिक मन्त्री है मैं उन से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।

एक बात और कहूंगा। इस बार पिछले महीने बिहार में बड़े ओले पड़े, जिससे गेहूं की फसल बड़े जोरों से बरबाद हो गई लेकिन जी.आई.सी. से वे इन्शयोर्ड हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि किसानों को इन्श्योरेंस का पैसा जल्दी मिल जाता, तो किसानों का भारत सरकार के प्रति और मंत्री जी के प्रति विश्वास जगता।

इन शब्दों के साथ, कृषि मन्त्री जी ने जो डिमान्ड्स पेश की हैं, मैं उन का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनगीर) : मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। लगभग, एक वर्ष पहले, हमें पूर्ण विश्वास था कि हम कृषि के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। हम कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं और यह हमारे द्वारा अपनाई गई एक समुचित कृषि नीति के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग के कारण संभव हुआ है। खाद्यान्न के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए थे और हम इसका प्रचुर मात्रा में भंडार रख सकते थे, हम खाद्यान्नों का निर्यात भी कर सकते थे। किन्तु गत वर्ष हमें अप्रत्याशित सूखे का सामना करना पड़ा जो बहुत ही गंभीर और व्यापक स्थिति थी और उसकी चपेट में देश का बहुत बड़ा भाग आ गया था, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई और हमें बहुत धक्का लगा। अब हम यह महसूस करते हैं कि अन्ततः कृषि का आधार इतना मजबूत और ठोस नहीं हुआ है कि सूखे की इस स्थिति का सामना किया जा सके। हम समझते हैं कि अभी हमें कृषि के संबंध में विशेष ध्यान देना होगा और उसे उच्च प्राथमिकता देनी होगी तथा पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे ताकि इस क्षेत्र में सतत और त्वरित विकास सुनिश्चित किया जा सके। गत कुछ वर्षों में देखने में आया है कि जलवायु और पर्यावरण में परिवर्तन आया है जिसके परिणाम-स्वरूप मौसम के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन हो गया है तथा अनियमित और कम हो गई है। सूखा हमारी अर्थ व्यवस्था में एक नियमित बात हो गयी है। सबसे प्रभावशाली सूखा-रोधी उपाय सिंचाई का विस्तार है, लेकिन दुर्भाग्य से, इस क्षेत्र में हमारा कार्य संतोषजनक नहीं है। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने पहले ही बताया है कि सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में बहुत समय लगता है तथा जटिल प्रक्रिया के कारण बहुत विलम्ब हो जाता है जिसे दूर करने की जरूरत है। सिंचाई परियोजना को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगता है जिससे प्राक्कलनों में संशोधन करना पड़ता है तथा लागत में वृद्धि हो जाती है और जहां कहीं भी पहले सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई उसका पूरा उपयोग नहीं किया गया है। हमें मालूम है कि जलाशयों का पहले ही निर्माण हो चुका है और ये जल से भरे हुए हैं परन्तु क्योंकि नहरों का निर्माण नहीं किया गया है अतः इस जल का सिंचाई हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारे राज्य में, रेंगाली और पोटारू में बांध हैं, जलाशय जल से भरा हुआ है परन्तु इससे कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। ऐसी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए। हमारे कृषि वैज्ञानिकों और अनुसंधान कर्मियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने खेती की विकसित और वैज्ञानिक तकनीकों का पता लगाया है तथा अधिक

पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों का पता लगाया है लेकिन इस जानकारी को प्रयोगशालाओं से खेतों तक पहुंचाना होगा। यह विस्तार कार्य जैसा किया जाना था वैसा नहीं किया गया हमारे विस्तार अधिकारियों और कृषि विभाग के कैडरों तथा फील्ड वर्करों के पास जानकारी नहीं है, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है अथवा इस विस्तार कार्य को करने में उनकी रूचि नहीं है। अत: उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा समय समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जायें तथा कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाये ताकि वे इस कार्य को कुछ निष्ठा के साथ करें, उसमें कुछ रूचि ले तथा इस विस्तार कार्य की सफलता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हम जानते हैं कि उत्पादन वृद्धि में बीज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुर्भाग्यवश, हम अपने किसानों को बढ़िया किस्म के बीज उपलब्ध नहीं करा सके हैं जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता। कुछ समय पूर्व, राष्ट्रीय बीज निगम हमें बढ़िया किस्म के बीज उपलब्ध कराता था लेकिन कुछ वर्षों से बीजों की गुणवता में कुछ गिरावट आई है। बाजार में बीज की बिक्री करने वाली अनेक फर्में हैं जो नकली, घटिया और कम गुणवत्ता के बीजों की सप्लाई कर रही हैं जिससे बहुत हानि हुई है और किसानों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ा है सरकार और कृषि विभाग को मूल बीजों में वृद्धि करने, उचित मार्ग निर्देश और निरीक्षण के बाद बीज को उचित रूप से प्रमाणित करने तथा किसानों को बढ़िया किस्म के बीज सप्लाई करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये। इस विषय पर कृषि मंत्रालय को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

हम किसानों को संस्थानों से ऋण देने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन यह सुविधा अधिकतर अमीर और ऊंचे वर्ग के लोगों को दी जा रही है और गरीब किसानों के पास गैर-सरकारी स्त्रोतों तथा गैर-सरकारी ऋण सुविधाओं, जिनकी ब्याज दर अधिक है, पर निर्भर करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। इस रुख को बदलना चाहिए तथा इस संबंध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का ऋणग्रस्त होना एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत समय से बकाया ऋण जिस पर बहुत ब्याज जमा हो जाता है, कभी कभी तो यह ब्याज मूल राशि से भी बहुत अधिक होता है, यह इतनी बड़ी राशि हो जाती है जिसे किसानों के लिए लौटाना बहुत कठिन होता है। जब तक वह अपने पुराने ऋणों को नहीं लौटाता, वह नये ऋण प्राप्त करने के योग्य नहीं है। इसीलिए किसानों को कुछ राहत दी जानी चाहिए। उनके ब्याज को माफ कर देना चाहिए और उसे सिर्फ मूल राशि को एक निश्चित समयावधि में लौटाने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि किसानों की ऋणग्रस्तता का अत्यधिक भार कुछ हद तक कम किया जा सके।

कतिपय क्षेत्रों में सूखा प्रत्येक वर्ष पड़ रहा है और किसानों की कमर टूट चुकी है जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। वे ऋण देने में असमर्थ है। किसानों को उस क्षेत्र में पड़ने वाले सूखे की प्रचंडता के आधार पर 50 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने ऋणों को लौटा सकें और संस्थाओं से नये ऋण ले सकें।

मेरा एक नम्र निवेदन है कि अल्पावधि फसल ऋण, जिसका पूंजी निवेश और कृषि उत्पादन पर तुरन्त और सीधा प्रभाव पड़ता है, को ब्याज मुक्त किया जाये ताकि किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन राशि दी जा सके जिससे वे अपने पूंजी निवेश में वृद्धि करेंगे और इसका तुरन्त प्रभाव उत्पादन वृद्धि पर होगा। इससे कृषि को भारी सहायता मिलेगा।

इस सभा के सभी सदस्य किसानों को लाभकारी मूल्य दिये जाने पर सहमत हुए थे। कृषि आदानों के मूल्यों में कृषि उत्पाद के मूल्यों से अधिक दर से वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप, अगर किसान ज्यादा से ज्याद पैदावार करे तो भी उन्हें कम लाभ मिलता है। अपने उत्पादन में वृद्धि करना उनके लिए कैसे संभव है ? बल्कि यह कृषि उत्पादन के लिए निरुत्साहजनक है और इस कमी को दूर किया जाना चाहिए और किसानों को बेहतर मूल्य दिये जायें जो लाभप्रद हों।

महोदय, हम अधिक उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं और इन फसलों को रोग और कीड़ों से खतरा रहता है। फसलों को रोगों से बचाने के लिए काफी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत सी बहुराष्ट्रिक कम्पनियां हैं जो बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का आयात करके हमारे देश में इनका संचय कर लेती हैं। ये बहुत ही जहरीली होती हैं और अन्य देशों में इन पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है तथा इनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु हमारे देश में किसान कीटों के हमले से बचने की उत्सुकता में इन कीटनाशी दवाओं का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। कुछ जहर खाद्यान्नों और तरकारियों में भी शेष रह जाता है जिससे हमारे जीवन को भी खतरा है। अतः इन बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को ऐसी कीटनाशक दवाओं के आयात करने से रोका जाना चाहिए जिन पर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। यह कार्य स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जाना चाहिए।

जहां तक गेहूँ और चावल का सम्बन्ध है, सरकार इन दो फसलों को खरीदती है और किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है। तिलहन, पटसन और कपास के लिए किसान पूर्ण रूप से बिचौलियों और व्यापारियों पर आश्रित है। उत्पादन से हुआ लाभ, वास्तविक उत्पादक, किसान को प्राप्त नहीं होता, बल्कि व्यापारियों बिचौलियों को होता है, इसलिए सरकार को इन वस्तुओं की खरीद पर एकाधिकार होना चाहिये, ताकि किसानों के लिये अच्छे मूल्य सुनिश्चित हो सकें। यह अत्यन्त आवश्यक है।

अब, हम जानते हैं कि हम तिलहनों और दालों के उत्पादन में बहुत कम कर पाते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों को किसानों के बचाव के लिए आना चाहिये और दालों और तिलहनों की अधिक पैदावार करने वाले बीजों का उत्पादन करना चाहिये जिसमें उत्पादकता में वृद्धि होगी। यह हमारे अनुसंधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। यदि वे ऐसा करेंगे, तो लाभ में वृद्धि होगी, और किसान धीरे-धीरे तिलहनों और दालों का उत्पादन आरम्भ कर देंगे और हम कमी को दूर कर पायेंगे।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को प्राकृतिक विपदाओं जैसे सूखा और बाढ़ के समय भारी धनराशि दे रही है किन्तु अभी तक राज्यों को दी जा रही इस धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। परिणाम स्वरुप, धनराशि का उपयोग कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए कुछ अन्य क्षेत्रों में, जो विपदा से प्रभावित नहीं हुए हैं, करने की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। इस लिए, यह पूर्णरूप से आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार को राज्यों को दी गयी केन्द्रीय सहायता के उपयोग पर निकट से निगरानी रखने के लिए एक तकनीक तैयार करनी चाहिये।

हमारे देश में सूखा और बाढ़ रोज की बात हो गयी है और प्रतिवर्ष आने वाली इन विपदाओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए सक्रिय और रचनात्मक विचार किया जाना चाहिये। हमारे

वैज्ञानिक इसमें हमारी मदद कर सकते हैं और कुछ समाधान निकाल सकते हैं ताकि हमें प्रतिवर्ष इन प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने के कार्यों पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता न पड़े।

भूमि सुधारों को इमानदारी के साथ कार्यान्वित नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में धनी और बड़े भू-स्वामियों के अधिकार में सैकड़ों एकड़ बेनामी भूमि है। आय में असमानता और विषमता अब भी है और यह निरन्तर बनी रहेगी।

धनी भूमि मालिकों और भ्रष्ट और बईमान अधिकारियों में सांठ-गांठ है, जो बड़े भू-स्वामियों को भूमिहीन गरीब लोगों में वितरित की गई भूमि को छीनने में मदद करते हैं। वे मेरे राज्य में अतिरिक्त भूमि की सीमांकन कर रहे हैं। फर्जी और तकनीकी आधार पर, इन भू-स्वामियों ने न्यायपालिका से स्थगन प्राप्त कर लिया जिस फालतू भूमि पर किसानों को कब्जा दिया गया था वह वापस ले ली है। इस लिए, मैं कहूंगा कि वहां कुछ ईमानदारी होनी चाहिये, कुछ राजनैतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिये जिससे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लाभ हेतु भूमि सुधार के लिये कार्यवाही कर सके।

सरकार उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और रासायनिक उर्वकों के साथ साथ कार्बनिक खाद के विकास की भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने उल्लेख किया था। इस कार्बनिक खाद से मिट्टी संरचना और बनावट बदल जायेगी और उर्वरकता बनी रहेगी। तभी कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि होगी।

जैसे कि सरकार उर्वरक उत्पादन के लिए कुछ राज सहायता दे रही है, कम्पोस्ट बनाने वाले और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने में सहायक इन कार्बनिक खादों के उत्पादन करने वाले व्यक्तियों को बहुत बड़ी कुछ प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये।

सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के लिए भारी मात्रा में धनराशि दे रही है। प्राकृतिक विपदाओं के लिए भी भारी सहायता दी जा रही है। यदि समस्त धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ की गई सिंचाई परियोजनाओं पर जो एक वर्ष के अन्दर पूरी हो सकती हैं खर्च की जा सकती ताकि जल संरक्षण के लिए वहां सैकड़ों जलाशय बनाये जा सकते हैं जिससे जल के तेजी से सूखते हुए भूमिगत श्रोत भी भर जायेंगे। इससे सिंचाई और कृषि को भी भारी मदद मिलेगी। इसलिए इसे ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए। किसान खेती के औजारों को बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। कृषि यन्त्रों को बनाने वाले उद्योगों को सभी प्रकार के करों में राहत दी जानी चाहिए और इन उद्योगों को कुछ राज सहायता भी की जानी चाहिए ताकि भारी मांग वाले कृषि यन्त्रों का जिनसे कृषि कार्यों में भारी मदद मिलती है, मूल्य पर उत्पादन किया जा सके। इससे कृषि को मदद मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मन्त्री को उनके द्वारा रखी गयी मांगों के लिए बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि इससे कृषि में निश्चित रूप से भारी सुधार होगा।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : सभापति महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय की मांगों के समर्थन में बोलना चाहता हूं।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह कर्नल कृषि के बारे में कैसे

बोल सकता है ? उन्हें कृषि के बारे में बोलने का समय क्यों दिया गया है ? वह कृषि पर कैसे बोल सकता है ? वह अन्य बातों पर बोल सकते हैं कृषि पर नहीं वे पुन: सारी बात को उल्टा.पुल्टा कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : मैं सर्वप्रथम श्री बीरेन्द्र सिंह जी द्वारा कही हुई बातों का समर्थन करता हूं कि जब हम कृषि मंत्रालय की मांगों पर बहस कर रहे हैं तब न केवल कृषि मंत्रालय के माननीय मंत्रियों को ही उपस्थिति होना चाहिए, बल्कि जल संसाधन, नागरिक आपूर्ति और अन्य मंत्रियों को भी उपस्थिति रहना चाहिए।

[हिन्दी]

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : मैं था।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब बहस आरंभ हुई थी। माननीय मन्त्री महोदय, आप यहां पर एक घन्टे से नहीं थे। न ही यादव जी मौजूद थे।

मूलत: माननीय सदस्यों के भाषणों का इस महत्वपूर्ण मंत्रालय से संबंधित मंत्रियों पर प्रत्यक्ष रूप से अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और मैंने महत्वपूर्ण क्यों कहा, क्योंकि बजट में भी यह अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है और देश को पहली बार कृषि पर आधारित बजट देने के लिए सरकार बधाई की पात्र है।

कुछ देर पूर्व जब माननीय मन्त्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि 70% उर्वरक 30% क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है जहां कि सघन सिंचाई की जाती है। मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 2874 के उत्तर में माननीय श्री यादव ने कहा था :

> "60 जिलों में कम खपत वाले. वर्षा पर निर्भर खेती वाले क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग के विकास पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
>
> इस परियोजना के अन्तर्गत (एक) अन्दरूनी और दुर्गम क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा प्रत्येक जिले में 200 अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्र खोलना (दो) उर्वरक सामग्री को 10 टन तक की अधिकतम मात्रा के लिए 3 महीने तक 100 रुपए प्रति टन की दर से सामान ढोने की अदायगी की प्रावधान किया गया है।"

दुर्गम और वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में उर्वरकों का उपयोग न किये जाने का वास्तविक कारण यही है। अत: यह आंकड़े प्रस्तुत करना कि केवल सघन सिंचाई वाले क्षेत्रों उर्वरकों की 70 प्रतिशत खपत है संतोषजनक नहीं है। आप इस बारे में क्या कर रहे हैं ? कृषि मंत्रालय क्या कर रही है ? मैंने यह एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसलिए मैं कहता हूं कि अन्य मंत्रियों को भी यहां होना चाहिए। मैं व्यंग्य नहीं कर रहा हूं अथवा मैं मन्त्री जी को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूं। कृषि मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी के कारण एक ऐसी स्थिति आ गई है कि दुर्गम क्षेत्रों और वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में उर्वरकों का लाभ नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आज 3,000 करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं।

2.32 म. प.

[श्री जैनुल बहार पीठासीन हुए]

आरम्भ में मैं माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अधिकतर स्थानों में सूखे की स्थितियों के कारण किसान ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं है, ऋण की तो बात ही अलग है ब्याज तक देने की स्थिति में नही है; और जिस अवधि के लिये माफी दी गई है, उसे ब्याज के प्रयोजन के लिए गिना जा रहा है। माननीय मंत्री जी से मेरी अपील है कि जिस अवधि के लिए ऋण-वापसी की माफी दी गई है अथवा ब्याज की माफी दी गई है, उस अवधि के लिये ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए। और ब्याज केवल उस अवधि से लगाया जाना चाहिए जबसे माफ किए गए ब्याज की अवधि समाप्त होती है और तभी से अदायगी प्रारम्भ की जानी चाहिये। मुझे विश्वास है, जैसाकि मेरे से पूर्व कई लोग बोल चुके है, मन्त्री जी इस मुद्दे से सहमत होंगे।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह फसल बीमा के बारे में है। इस बात को कई मंचों पर जिनमें माननीय मंत्री जी भी उपस्थित रहे हैं और संसदीय किसान मंच में भी कहा गया है। मूल तथ्य यह है कि बीमे के लिए इकाई, चाहे अदायगी हो अथवा नुकसान आकलन का संबंध हो, कम से कम राजस्व यूनिट होना चाहिये चाहे वह ग्राम पंचायत हो अथवा पटवारी मण्डल हो। ओलावृष्टि से सभी प्रकार की फसलों को हानि हुई है; ओलावृष्टि राजस्व अथवा खंड के अनुसार नहीं होती। ओलावृष्टि और इल्ली जैसी आपदाओं से हुए नुकसान के लिये कोई तरीका होना चाहिये। उसका आकलन करके बीमा प्रदान किया जाना चाहिये—जो कि कृषि मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय, साधारण बीमा का इसमें शामिल करना और उन्हें अदायगी करवाना एक ऊटपटांग काम है जिसके बारे में श्री बीरेन्द्र सिंह ने पहले ही विस्तार से बता दिया है। परन्तु मंत्री जी से मेरी एक छोटी सी अपील है कि सभी प्रकार की घटनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिये और जहां तक फसल का बीमा करने का संबंध है उसके लिए अदायगी का आसान तरीका होना चाहिये परन्तु साथ-साथ आपको इस पर निगरानी भी रखनी होगी ताकि इसका उपयोग उन लोगों द्वारा न किया जाया जिनकी फसल को कोई हानि नहीं पहुंची है।

अब मैं राष्ट्रीय तिलहन विकास योजनाओं की बात करता हूँ। माननीय श्री यादव ने ही मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 5556 का उत्तर दिया था कि : "राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना 17 तिलहन उत्पादक राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना को 50:50 की भागीदारी के आधार पर वित्तीय सहायता दी जा रही है।"

परन्तु जब आप धन देने की बात पर आते हैं तो वर्ष 1987-88 के लिये राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के लिये 33.46 करोड़ रुपये दिये गये थे और वर्ष 1988-89 में इसे घटाकर 14.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। एक ओर आप कहते है कि आप राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के लिये एक योजना कार्यान्वित कर रहे है—यदि मैं अंग्रेजी ठीक तरह से जानता हूं तो जब आप कोई विकास परियोजना आरम्भ करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि जो आज आपके पास है, आप उसका विकास करके उसे अधिक बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर यदि आपका भाग 50 प्रतिशत है और आप बजट में इसे घटाकर आधे से भी कम कर देंगे तो आप इसका विकास कैसे कर पायेंगे ? क्या यह पश्चगामी कदम नहीं है ? अतः माननीय मंत्री जी से मेरी अपील है कि वर्ष 1988-89 में जो धन आवंटित किया गया वह कम से कम 1987-88 के पुनरीक्षित बजट में किये गए आवंटन के

बराबर हो, जो कि 33.46 करोड़ रुपये था। वर्ष 1988-89 के लिये प्रारंभिक प्रावंटन के स्थान पर आपने 14.50 करोड़ रुपये आवंटित किये। यदि केन्द्रीय सरकार इस विकास परियोजना के लिये 50 प्रतिशत वित्त प्रदान करती है तो आपको 50 प्रतिशत पर निगरानी की जिम्मेवारी का भी अधिकार है। आज, राज्य, स्तर पर जो हो रहा है कि एक बार आप धन दे दें तो नौकरशाही में यह सामान्य धारणा है कि आपकी राज्यों से केवल इस बात के आंकड़े प्राप्त करने हैं कि धन का उपयोग किस प्रकार किया गया। आपकी जिम्मेवारी केवल 50 प्रतिशत धन के उपयोग तक ही सीमित नहीं है; आपकी जिम्मेवारी यह भी है कि यह भी देखा जाए कि इसका उपयोग ठीक प्रकार किया गया है और इसका उपयोग राज्य में वहीं किया गया है जहां विकास कार्य हो रहा है।

मेरे राज्य को भी सोयाबीन के उत्पादन वाला राज्य कहा गया है। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं उसे सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। और हमें इस 50 प्रतिशत के बारे में मालूम भी नहीं है। अतः केवल इतना ही ध्यान नहीं रखना है कि परियोजना कार्यान्वित हो वरन् यह भी ध्यान रखना है कि वह अच्छी तरह से कार्यान्वित हो। इसका प्रचार पर्याप्त समय पूर्व किया जाये। अथवा, कुछ राज्य कह सकते हैं कि यह उनकी योजना है और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिये तथा इस विशिष्ट कार्यक्रम के लिये बजट आवटन में वृद्धि की जानी चाहिए।

अब सरकार सीमान्त और छोटे किसानों के विकास और संरक्षण की ओर ठीक और अर्ताय ध्यान दे रही है। छोटे और सीमान्त किसानों की परिभाषा क्या है। इसे यह कहकर सरल बना दिया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास 2½ एकड़ भूमि है और जो एक समुदाय विशेष का है। आज हो यह रहा है कि अधिकांश बड़े किसान भूमि विकास बैंक अथवा राज्य सहकारी विकास बैंक या सरकार से राजसहायता का लाभ प्राप्त करने के लिये नकली किसान बन रहे हैं। इसके लिये कोई निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिये; इसके लिये भी उसी तरह छापे मारे जाने चाहिए जैसे वित्त मंत्रालय बड़े व्यापारिक घरानों पर मारते हैं। आपको अवश्य ही कुछ बड़े कृषि घरानों पर, नकली कृषि घरानों पर छापे मारने चाहिए; इनमें से अधिकांश व्यापारिक गृह हैं।

प्रो. एन. जी. रंगा : (गुन्टूर) : वे बड़े कृषि घराने हैं, वे नियमित घराने नहीं हैं।

श्री अजय मुशरान : महोदय, वे व्यापारिक घराने हैं और वे सीमान्त किसानों से कुछ भूमि खरीद लेते हैं और वे सेब आदि के फार्म और उद्यान बना लेते हैं और वे ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उन्होंने एक साल में 15-20 लाख रुपए कमाये हैं, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया होता। ये फार्म और कुछ नहीं, उद्योगपतियों के काले धन को श्वेत धन में बदलने की यूनिटें हैं और वे छोटे किसान हैं। यदि आप उनकी गणना करें, तो आपको पता चलेगा कि आप वाजिब तौर पर और प्रधान मंत्री जी के अत्यन्त सक्रिय नेतृत्व के अन्तर्गत वास्तविक छोटे किसानों के लिए जिन अधिकांश लाभों की व्यवस्था करते हैं, वे इन लोगों को मिलते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर के लिए ऋण देने की बात लीजिए। मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या वर्षा पर निर्भर 5 अथवा दस एकड़ भूमि वाला किसान ट्रैक्टर का ब्याज तक दे सकता है? वह एक ट्रैक्टर खरीदता है, किन्तु वस्तुतः कोई और व्यक्ति 5 अथवा 7½ एकड़ भूमि उसके नाम पर, किसी और के नाम पर, अपने नौकर के नाम पर अथवा उसके कुत्ते के नाम पर या आया के नाम पर कर देता है और 50 प्रतिशत राजसहायता प्राप्त कर लेता है; और यदि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का है, तो उसे 90 प्रतिशत राजसहायता मिल जाती है। उन्हें स्प्रिंकलर मिल जायेंगे जो

लगभग डेढ़ लाख रुपए का होता है। आज एक ट्रैक्टर की लागत 1 लाख 25 हजार रुपए है। ये सहकारी समितियों को ही दिए जाने चाहिए। सरकार ने कहा है कि वह चार अथवा पांच छोटे और सीमान्त किसानों की सहकारी समितियों को देगी। किन्तु ये छोटे और सीमान्त किसान भी वे हैं जिन्हें बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा सीमान्त किसान बनाया गया। मुझे इस तथ्य की निजी तौर पर जानकारी है कि ये ट्रैक्टर बनों की अवैध कटाई करने और लकड़ी लाने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं।

एक और समस्या है जो मेरे क्षेत्र में गंभीर होती जा रही है। जबलपुर और ऐसे ही अनेक शहर बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं और पहले उनके चारों ओर कृषि भूमि थी। जैसा कि श्री वीरेन्द्र सिंह ने ठीक ही कहा था, पहले ये कस्बे और शहर ऐसे क्षेत्रों में बनाए गए थे जहां काफी पानी था और लोग शहरों और कस्बों के आस-पास के क्षेत्र में खेती करते थे। आज भी उन गांवों के आस-पास खेती की जाती है जहां किसान रहते हैं। मूलतः जल का स्रोत मुख्य आकर्षण होता था।

अब बड़े व्यापारिक घराने अथवा नगर निगम अथवा छावनियां या सेना अपने विभिन्न प्रयोजनों और आवश्यकताओं के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से भूमि अर्जन कर रही है और इनमें से कुछ भूमि कानून के अनुसार जबरन अर्जित की जाती है। किन्तु दिया गया हर्जाना भूमि की शहरी दरों के अनुसार नहीं दिया जाता, बल्कि उन दरों के अनुसार दिया जाता है जो जिलाधीश कृषि भूमि के रूप में इस भूमि विशेष के लिए निर्धारित करता है। यदि भूमि का वास्तविक मूल्य 40,000 रुपए प्रति एकड़ है, तो किसान को केवल पांच अथवा छः हजार रुपए प्रति एकड़ दिया जाता है जो कि नगर से 50 किलोमीटर दूर की भूमि की दर है। मैं निजी तौर पर यह महसूस करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी को इसे ध्यान में रखना चाहिए और विशेष रूप से राज्य सरकारों और रक्षा मन्त्रालय को यह निर्देश देने चाहिए कि जहां कहीं भूमि अर्जित की जाय इसका उचित मूल्य दिया जाये। पिछली कई पीढ़ियों से छोटे और मंझले किसान इस भूमि पर खेती करते आए हैं। यदि इस भूमि का अर्जन किया जाता है, तो इसे शहरी भूमि की दर पर ही अर्जित किया जाना चाहिए जिस पर भवन पर भवन बनाये जाते हैं और जिससे लोग प्रतिशत में नहीं बल्कि दस, बीस अथवा सौ गुना अधिक धन प्राप्त कर रहे हैं।

अन्त में मैं दुग्ध क्रान्ति के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। एक स्थिति वह थी जब हमने सातवें दशक में हरित क्रान्ति शुरू की थी। अब स्थिति यह है कि हम अपनी हरित क्रान्ति विकास के चरम पर हैं और इक्कीसवीं सदी तक एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि हम, जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हम अपनी भूमि से जो भी उपज प्राप्त कर सकते हैं, उसके वास्तविक अभिष्ट स्तर तक पहुंच चुके होंगे। सरकार ने आठवें दशक के प्रारम्भ में 'आपरेशन फ्लड' योजना, जिसे मैं दुग्ध क्रान्ति की दिशा में पहला कदम कहता हूं, प्रारम्भ करके ठीक ही किया था। किन्तु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अथवा इस परियोजना विशेष से सम्बद्ध निगमों में सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा। मेरा माननीय कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे सभी कामों को एक ही एक ही व्यक्ति को न सौंपे, ठीक वैसे ही जैसे रक्षा के क्षेत्र में आप कहते हैं कि सभी अण्डे एक टोकरी में मत रखो। जहां तक राष्ट्रीय डेरी विकास का प्रश्न है इस समय यह धारणा बनाई जा रही है कि मैं बोर्ड अथवा निगम नहीं कहूंगा—डेरी, सुअर पालन अथवा कुक्कुट उद्योग की देश में केवल एक ही व्यक्ति को जानकारी है। ऐसा नहीं है। इसी समय से हम योजना को प्रत्येक राज्य में चलाया जाना चाहिए और जिस प्रकार तिलहन उद्योग का विकास कर रहे हैं, आपको उसी प्रकार समान अनुपात में

डेरी उद्योग का भी विकास करना चाहिए। जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में विशेष डेरी-क्रान्ति का संरक्षक कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि इन परियोजनाओं के क्षेत्र में और भी शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी हैं।

आज हमें विदेशों से बहुत से आदान प्राप्त हो रहे हैं। आपने 'टाइम्स आफ इण्डिया' में श्री लक्ष्मण का एक व्यंग्यचित्र अवश्य देखा होगा जिसमें व्यापक आलोचना दिखाई गई थी। व्यंग्यचित्र में विस्फोट होते दिखाया गया था।

समाचार पत्र में प्रकाशित कार्टून में एक विस्फोट दिखाया गया है। विस्फोट में उन्होंने कोई शुद्ध परमाणु ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया है बल्कि उसमें आयरलैंड के बटर मिल्क का प्रयोग किया गया है। यह एक मजाक हो सकता है लेकिन इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए क्यों कि कार्टून और समाचार पत्रों की कतरने पढ़ने के बाद मुझे यह मालुम हुआ कि दक्षिण-पूर्व एशिया के 6 देशों ने इसे लेने से इन्कार कर दिया है लेकिन हमने इसे लिया है और इसे प्रयोग में ला रहे हैं। आज दिल्ली में यद्यपि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किया जाने वाला दूध सस्ता है। लोगों ने अन्य स्रोतों से दूध खरीदना शुरू कर दिया है जो उन्हें 100 गुना मंहगा पड़ता है। दर असल इस पर केवल आज ही एक पूरक प्रश्न पूछा गया : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं से तथा देश में डेरी विकास के प्रबन्ध विशेषज्ञों से यह सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज एक औसत नागरिक, जो मंहगाई के कारण बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका चला पा रहा है, 7 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाला दूध खरीदना चाहता है तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध को जो केवल 3 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर मिलता है, नहीं खरीदना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि वे आयरलैंड के बटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इसे माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं और आज के सन्दर्भ में यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है जिस पर उन्हें स्वयं गौर करना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सहकारी बैंक कुएं खोदने और सतही नलकूपों के लिए ऋण देते हैं। यदि खुदे हुए कुओं से पानी नहीं मिल पाता तो किसान को और आगे कुआं खोदने के लिए ऋण लेना पड़ता है ताकि उसे पानी मिल सके। यह उचित नहीं है। श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने अभी एक सार्थक बात कही कि जब आप उर्वरक क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में उद्योगपतियों को राज-सहायता दे रहे हैं तो बैंकों द्वारा एक मुश्त रूप से तथा प्राप्त ब्याज में से इस प्रकार की सहायता किसानों को क्यों नहीं दी जाती। जब किसान को पानी नहीं मिल पाता तो उसके द्वारा ली गई राशि को राजसहायता के रूप में माना जाना चाहिए चाहे वह राशि उसने खुदे हुए कुओं के लिए ली हो अथवा अन्य कुओं के लिए ली हो।

अन्त में, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय कृषि मंत्री जी हमारे मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : सभापति जी, मैं आज भरे हुए मन से कृषि मंत्रालय की बहस में भाग ले रहा हूं। जिस भारतवर्ष के किसान 8 घंटे नहीं, 16 घंटे हर रोज कड़कती सर्दी में और तपती हुई गर्मी में इस मुल्क के लिए अनाज पैदा किया, सब को खाने के लिए दिया, आज 40 बरस करीब एक ही पार्टी के राज्य को हो गए, हम उसको क्या दे पाए हैं—उसके गले में वही फटी हुई कमीज और पांव में उसको जूती भी नहीं दे पाए हैं, नंगे पांव वह अपने खेत में काम करता है।

बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि 40 बरस पहले जो बहुत स्कीमें कृषि के लिए बनाई गई, लेकिमें आज तक हम कोई स्कीम नही ला पाए जिससे उस गरीब की कहीं कोई सुनवाई की जा सकती। आज भी वही सिलसिला जारी है।

और तो और, मिनिस्ट्री आफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स वाले भी यहां बैठे हुए हैं, ये भी इस मिनिस्ट्री के साथ इस तरह की बातें करते हैं कि यहां इसे समय कम देते हैं, समय-समय पर सभापति महोदय को घण्टी बजानी पड़ती है। मैं कहूंगा, बीबी जी, इसके लिए कुछ समय ज्यादा दिया करो।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : यह समय बिजनस एडवाइजरी कमेटी की तरफ से निर्धारित किया गया है। 7 घण्टे इसके लिए दिये गये हैं। लेकिन बोलने वाले मैम्बर काफी हैं :

श्री शमिन्दर सिंह : आपको इसका समय बढ़ा देना चाहिए। इस मुल्क के 70 परसेंट लोगों का इससे ताल्लुक है : आप विकटेमाइजेशन तो मत करिए। कुछ तो ऊपर वाला करता है और कुछ आप कर देते हैं। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है।

श्रीमती शीला दीक्षित : यदि आपकी बातों से इसका हल निकल आता तो पूरा स्पैशन इसमें लगा दिया जाता।

सभापति महोदय : आपके पास बोलने का समय कम है। आप अपनी बात करिए।

श्री शमिन्दर सिंह : यह तो मुझे पहले ही मालूम था। जैसे किसान की ऊपर वाला नहीं सुनता वैसे ही आप ऊपर बैठे हैं और आप भी नहीं सुनेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ा करते थे कि भाखड़ा डैम बन जायेगा तो पंजाब व हरियाणा में न पानी की दिक्कत रहेगी और न ही बिजली की दिक्कत रहेगी। थोड़े दिन पहले यह भी सुना था कि हमारे पास इतना अधिक अनाज हो गया है और हम इतने अधिक आत्मनिर्भर अनाज के मामले में हो गये हैं कि आने वाले वर्षों में अनाज की कोई कमी नहीं रहेगी। एक साल सूखा पड़ने के बाद ही हम यह देख रहे हैं कि भाखड़ा डैम में पानी बन्द हो गया है और अनाज के स्टोर खाली हो गये हैं। क्या यह हमारा अन्दाजा है ? क्या 40 वर्षों में हमारी सरकार ये सब कुछ कर पाई है ? मैं तो ऐसा समझता हूं कि वह कुछ भी नहीं कर पायी है। जब तक दफ्तरों में बैठ कर कृषकों की तकदीर का फैसला किया जाता रहेगा तब तक उनका यही हाल रहेगा। एक अकेला किसान ही है जिसकी पैदावार का भाव सरकार द्वारा तय किया जाता है। यह बदकिस्मती हमारे इस देश के किसान की है। इसके साथ ही उसका इनपुट्स की कीमत और कोई निर्धारित करता है और आऊटपुट की कीमत सरकार की तरफ से निर्धारित की जाती है। इसका नजीजा यह हो रहा है कि किसान दिनोदिन पीसता जा रहा है। मैं आपको एक स्टेट की मिसाल देना चाहता हूं। ग्रीन रैवोल्यूशन को आये हुए 20 वर्ष हो गये हैं। लेकिन पिछले 20 वर्षों से पंजाब के किसानों ने चार हजार करोड़ रुपया कोआपरेटिव बैंक और दूसरे बैंकों से कर्जा ले रखा है जिसको कि मैं चुका नहीं पाया है। उनका यह सारा पैसा कहां गया ? आप तो जानते हैं कि किसान ने न तो कोई कार खरीदी है और न ही कोई हवाई जहाज खरीदा है। इनपुट्स के भाव ज्यादा थे और आऊटपुटस के कम थे। इस वजह से उसके ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ता गया। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन उसकी सांस निकल जायेगी। अगर उसकी सांस निकल गई तो उसको न तो हिन्दुस्तान का बजट बचा पायेगा और न ही कोई मिनिस्टर बचा पायेगा।

सरकार तो केवल मात्र एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का नाम बदल देती है। नाम बदलने से किसान की तकदीर नहीं बदलती। आप उसके नुमाईंदों को इसमें बैठायें और वे किसानों के काम में आने वाली चीजों के भाव तय करें। मैं यह कहना चाहता हूं चाहे आप जो कुछ भी फैसला करें लेकिन वह किसान के हित में ही करें। आप जिस तरह से मिनिस्टरों और एम. पीज के वेतन बढ़ाते हैं वैसे ही किसानों द्वारा उत्पादित की हुई चीजों के भाव समय-समय पर बढ़ाइए। भारत के किसान को हर बार एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की तरफ देखना पड़ता है। आपने तो किसान को भिखारी बना कर रखा हुआ है। किसान ने ही पी. एल. 480 का ठूठा उठाया था। क्या उसके बदले में आप उसे यह दे रहे हैं। कभी कमीशन उसे 5 रुपये दे रहा है, कभी 2 रुपये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और कभी 17 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। क्या वह भिखारी है ? सरकार को यह फैसला करना चाहिए कि इस भाव पर खाद मिलेगी और इस भाव पर अनाज दिया जायेगा। इस भाव पर अनाज लिया जायेगा और तुमको 10 से 15 परसेण्ट प्रोफिट दिया जायेगा, तुमको जिन्दा रहने के लिए जो काफी है, अगर आप इतना कर दें तो वह भी काफी है लेकिन मेरे ख्याल से करने के वजाय जब तक कोई आता है, पिछले 3 वर्षों में मैंने देखा है, यह तीसरे मंत्री आये हैं। हम दुआ करते हैं कि अभी यही चलते रहें तो अच्छा है। यह कोई स्कीम बनायें तो लागू तो हो जाय, कब कोई स्कीम बनायेगा और कब कोई लागू करेगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं रहम की कि किसान को छोड़ दीजिए और किसी के साथ जो करना है कर दीजिए। इसके लिए आप कोई अच्छी स्कीम बनायें और अभी बहुत कुछ हमारे करने के लिए पड़ा है, कभी हमारे देश में बारिस की कमी हो जाती है, कभी हमारे पास जो साधन हैं वाटर रिसोर्सेज के, वह अभी तक पूरे नहीं हो पाये और खेतों के लिए सबसे जरूरी चीज पानी चाहिए और इसके लिए हमें बारिस की तरफ देखना पड़ता है। इसके लिए हमें ऐसे प्रोजैक्ट्स बनाने चाहिए, पिछले 20 वर्ष से थीन डैम प्रोजैक्ट अभी लटक रहा है जब वह शुरु हुआ था तो वह 400-500 करोड़ रुपये का था और आज वह 4-5000 करोड़ का हो गया मगर कम्पलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं स्पेशल प्रोजैक्ट बनाकर अभी से तारीख घोषित कर दें कि इस डेट तक यह मुकम्मल हो जायेगा। यदि वह मुकम्मल हो जायेगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को बहुत राहत मिलेगी। इससे पानी भी मिलेगा और बिजली भी मिलेगी और इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे हिन्दुस्तान की बेहतरी, बहबूदी होगी। इसमें आपको कोई स्पेशल प्रोजैक्ट बनाकर डेट फिक्स करनी चाहिए और हमारे डवलपमैंट के लिए भले कोई कुएं से पानी निकालता है, कोई ट्यूबवैल से पानी निकालता है या कोई नहर से पानी लेता है तो सीपेज बहुत होती है। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, कि अगर आप वाटर कोर्सेज पक्के बना देंगे, भले ट्यूबवैल का हो या नहर का हो, भले तालाब का हो, 20 से 25 परसेण्ट पानी बचाया जा सकता है और उससे 25 परसेण्ड ही प्रोड्यूस इन्क्रीज हो सकता है।

रही सीड की बात, कारपोरेशन भले कितने भी बड़े हों, हमारी यूनिवर्सिटीज ने और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले दिनों में और खास कर मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी किस्में निकालीं और हमारे लिए दीं मगर वह सीड कारपोरेशन हमें नहीं दे पाया, पंजाब का सीड कारपोरेशन काफी अच्छा, तगड़ा और मजबूती से काम करता था फिर भी आज तक 5 से 8 परसेण्ट से ज्यादा सीड नहीं दे पाया। 68 लाख हैक्टेयर व्हीट अकेले पंजाब में बोया जाता है, उसका 8 परसेंट तक बीज वह पैदा नहीं कर सके। हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छा सीड निकालते हैं मगर जमींदार तक जाते-जाते बाद में वह बदल जाता है उसके लिए गवर्नमैंट को चाहिए कि 3-3, 4-4 स्टेटों के सैपरेट, जैसे फूड कारपोरेशन के

डिवीजन बनाये हैं, ऐसे बड़े-बड़े गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरह से सीड कारपोरेशन के डिवीजन बनाये जायें जो 3-3, 4-4 स्टेटों में मिलकर काम करें, उनकी एक-एक यूनिट बनाकर काम करें।

जैसे जैसे अच्छा सीड जमींदार को मिलेगा उसकी बेहतरी होगी। इसके साथ हमारे मुल्क में दूध की इतनी कमी है कि जितना दूध एक बच्चे को चाहिए एक फौजी को चाहिए, एक साइन्टिस्ट को चाहिए, उसका 10 परसेंट दूध भी नहीं मिलता है, दूध है ही नहीं हमारे पास ज्यादा। दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अभी तक कोशिश तो की है मगर वह ज्यादातर पेपरों में ही रही है, कोई ज्यादा स्कीमें हमारे सामने नहीं आई, कुछ प्रान्तों ने इसमें अच्छा काम किया है···जिन स्टेट्स में कुछ अच्छा काम हुआ है, उनके आधार पर दूसरी स्टेट्स को भी मिल्क प्रोडक्शन के लिए खास स्कीमें दी जानी चाहिए ताकि मुल्क में मिल्क की सप्लाई ठीक हो सके।

3.00 म प.

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसको मंत्री जी जरा ध्यान से सुन लें। हमारे मुल्क में जो ट्रैक्टर बनते हैं वह प्राइवेट फर्मों द्वारा बनाए जाते हैं। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ट्रैक्टर क्यों नहीं बनाती है? ट्रैक्टर किस लिए है? इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स वगैरह क्यों? ट्रैक्टर न तो कार है न हवाई जहाज है। ट्रैक्टर हिन्दुस्तान के लिए है, जमींदार के लिए नहीं है। ट्रैक्टर में जितना लोहे का भार होता है उसके साथ पुरजे बनाने पर जो लेबर आती है, उसी को चार्ज करना चाहिए। 20 हजार से बढ़कर आज 1 लाख 20 हजार तक एक ट्रैक्टर की कीमत हो गई। सिर्फ दो-चार प्राइवेट फैक्टरीज ही ट्रैक्टर बना रही हैं। मैं कहता हूं एलैक्शन लड़ने के लिए कहीं और प्रबन्ध कर लीजिए लेकिन ट्रैक्टर के ऊपर रहम कीजिए। मैं गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से दरख्वास्त करूंगा कि ट्रैक्टर बनाने का काम खुद ही करना चाहिए और एक ट्रैक्टर की कीमत 50 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रैक्टर के ऊपर सेल्स और एक्साइज ड्यूटी भी नहीं लगनी चाहिए। अगर आप खुद ट्रैक्टर नहीं बना सकते हैं तो साल, दो साल के लिए ट्रैक्टर की इम्पोर्ट को आप खुला कर दीजिए, ताकि जमींदारों को जितने चाहिए उतने ट्रैक्टर मंगा लें। ट्रैक्टर से तो एग्रीकल्चर का ही डेवलपमेन्ट होगा। ट्रैक्टर अगर बाहर से भी आते हैं तो आप आने दीजिए। किसी भी तरह से ट्रैक्टर के दाम कम होने चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, खादी-बोर्ड वगैरह को आप साढ़े 4 या ढाई परसेंट इन्ट्रेस्ट पर लोन देते हैं, उसी तरह से एग्रीकल्चरिस्ट को भी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के साथ मिलाकर, उसे भी उसी दर पर लोन दिया जाना चाहिए। अभी कामर्शियल बैंक एक ट्रैक्टर के लिए 18 परसैन्ट इन्ट्रेस्ट पर लोन एग्रीकल्चरिस्ट को देती है। उसके ऊपर वह डेढ़ परसेन्ट खर्चा चार्ज करती है। यह तो सरकारी रेट है। इसके अलावा जो है वह अलग। इसलिए आप मेहरबानी करके एग्रीकल्चरिस्ट पर इन्टेस्ट की दर को कम कीजिए ताकि किसान भी अपने फटे-पुराने कपड़े उतार कर अच्छे कपड़े पहन सकें, अपने पैरों में जूती भी डाल सकें, क्योंकि वह अपने लिए नहीं सारे देश के लिए अन्न पैदा करता है।

इतना ही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जब आपने मेरा नाम पुकारा तो मुझे आश्चर्य भी हुआ मैं चार दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं। महोदय मैं कृषि मंत्रालय

से संबंधित अनुदानों की मांगों का विशेषकर जबकि उनको उस समय लाया गया है जबकि देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हमारे प्रधान मंत्री जी ने "शताब्दी का सूखा" के रूप मे उल्लेख किया है, समर्थन करता हूं। हमारे कुछ मंत्री विभिन्न स्रोतों से उद्धृत करने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिये मैं सरकारी दस्तावेजों, वित्त मंत्री, उड़ीसा के मुख्य मंत्री योजना आयोग और मध्यावधि मूल्यांकन से उद्धृत करता हूं। अपने आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री जी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस वर्ष आर्थिक कार्यकलापों तथा प्रबन्ध व्यवस्था पर सूखे तथा बाढ़ की प्राकृतिक आपदाओं का प्रभुत्व रहा। इस वर्ष के सूखे और बाढ़ से बहतर स्थिति इसलिये और भी अधिक बहतर हो गई क्योंकि लगातार तीन वर्ष से बहुत कम मानसून आ रहा है जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। यह सब योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में बताया गया है जिस पर योजना आयोग में भी चर्चा हुई हैं तथा मध्यावधि मूल्यांकन में यह भी कहा गया है कि इससे कृषि उत्पादन में 2.5 मिलियन टन की कमी आ जाएगी। विशेषकर जबकि अर्थव्यवस्था 5 प्रतिशत विकास दर की ओर बढ़ रही है, कृषि उत्पादन में गिरावट आने से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ऐसा मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, यह मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार है। इसलिये महोदय हमें इसे आधार मानना होगा जबकि विशेषत: हमारी कृषि केवल मानसून पर ही निर्भर है। हमने मोनेक्स परीक्षण किये हैं, अन्तरराष्ट्रीय परीक्षणों के आधार पर हमने कई अन्य परीक्षण किये हैं, लेकिन अभी तक न तो ज्योतिष विज्ञान, न मौसम विज्ञान और न ही ये मोनेक्स परीक्षण किसी निश्चित समय के साथ मानसून आगमन का पूर्वानुमान कर पाये हैं। इसलिये मध्यावधि-मूल्यांकन को अत्याधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि कृषि उत्पादन की पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए, जिसे हम प्राप्त करने जा रहे हैं—175 मिलियन टन इस योजना के अन्त तक तथा 225 टन इस शताब्दी के अन्त तक—इस देश की पूरी सिंचाई क्षमता को प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त मध्यावधि मूल्यांकन में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई है कि सिंचाई क्षमता उस लक्ष्य तक प्राप्त नहीं की जा सकी है जो लक्ष्य योजना आयोग तथा सरकार ने निर्धारित किये थे। महोदय, कृषि क्षेत्र में वर्ष 1866 से आज तक एक लम्बा रास्ता तय किया है जबकि उपनिवेशवादी तथा साम्राराजवादी सरकार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल (उस समय अविभाजित बंगाल) के भयंकर अकाल के कारण अकाल आयोग का गठन करना पड़ा था और आज 1988 में हम अकाल की वही स्थिति देख रहे हैं जिसे इस शताब्दी का भयंकर अकाल बताया गया है और आज की कृषि अत्यन्त जटिल और वैज्ञानिक कार्यकलापों से घिर गई है जिसे हम पूर्णतया एक साधारण किसान पर ही नहीं छोड़ सकते। आज हमें अपने वैज्ञानिकों तथा अपने किसानों पर बहुत गर्व है कि उन्होंने हमें खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। यह हमारा वह आधारभूत उद्योग है जो हमें भोजन मिलता है, जिससे हमें रोजगार मिलता है तथा जो हमें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। यह सब मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। मैं नई दिल्ली में मार्च 1988 में राष्ट्रीय विकास परिषद की हुई बैठक में अपने मुख्य मंत्री के कथन को उद्धृत करता हूँ। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद को यह बताया मैं उसको उद्धृत करता हूँ :—

"कई विख्यात अर्थशास्त्री अब इस बात से सहमत हैं कि कृषि क्षमता का पूरा उपयोग किये बिना और कृषि उत्पादों की मांग को पूरा किये बिना औद्योगिकरण नहीं लाया जा सकता। यह विशेषकर हमारे जैसे देश के सन्दर्भ में सत्य है जहां 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उद्योग को उन्हीं में अपना बाजार ढूंढना होगा। यह बात तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक जनसंख्या का यह वर्ग पर्याप्त उपार्जन नहीं कर लेता और आवश्यक खरीद क्षमता प्राप्त नहीं कर लेता।"

इस समय कृषि मौसम पर आधारित है। यह कोई नई बात नहीं है। हमारे धर्मग्रन्थों, हमारे ऋग्वेद, हमारे अथर्वेद, महाभारत, रामायण, चाणक्य के अर्थशास्त्र—प्रत्येक धर्मग्रन्थ, ग्रीकवासी, रोम के लोग फोनेशियन लोग, मिश्रवासी—प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि मौसम पर आधारित किसी भी प्रक्रिया के लिए जलवायु और मौसम एक प्राकृतिक संसाधन है और कृषि भी मौसम पर निर्भर रहती है। इसलिये फसलों को उगाने का तरीका, फसलों की किस्में, फसलों की अवधि, फसल की कटाई ये सभी मौसम और मानसून की विभिन्नता पर निर्भर करती है। अतः हम जानते है कि सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, वे दूरदर्शी थे, चाहे यह पंडित जी का समय था अथवा श्रीमती गांधी का समय था, चाहे यह लाल बहादुर शास्त्री का समय था, यह वह राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागशाला थी तब कृषि के लिए विभिन्न वैज्ञानिक परिवर्तनों पर विशेष परियोजना लागू की जाएगी और इस समय हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री ने भी पांच प्रौद्योगिकी मिशनों में से एक तिलहनों पर और दूसरा जल पर प्रौद्योगिकी मिशन प्रस्तुत किया है। जल जीवन के लिए अमृत है क्योंकि हमने देखा, जब हमने सूखे पर चर्चा की थी, जब जल संसाधन मंत्री आसानी से जा रहे थे, सभा में एक साथ शोर मचा कि जल संसाधन मंत्री, जब सूखे पर चर्चा हो रही है, बाहर जा रहे है। आज भी, हम देखते हैं कि विशेष रूप से जब सूखे पर चर्चा की जा रही है, इस पर समेकित दृष्टिकोण नहीं हैं। इस देश में कृषि के लिए जिम्मेवार न केवल कृषि मंत्रालय है बल्कि अन्य मंत्रालय भी हैं। हमें जल संसाधन मंत्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय और इसके बाद ऊर्जा के वैकल्पित स्रोतों में समन्वित, समेकित और व्यवस्थित दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता है, लेकिन ये अपने अलग-अलग तरीके से चल रहे हैं। आज यदि हम पिछले वर्ष के सूखे के बुरे प्रभाव को नियन्त्रित अथवा कुछ कम करने में समर्थ रहे हैं, तो यह व्यवस्थित दृष्टिकोण के कारण ही है जिसे सरकार ने पिछले वर्ष तुरन्त अपनाया। जब हम सूखे के बारे में चर्चा कर रहे थे तो प्रधान मन्त्री ने सूखे पर मन्त्री मंडलीय उपसमिति, सूखे पर सचिवों की समिति की तुरन्त घोषणा की और मुख्य मन्त्रियों, कृषि मन्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया और सूखे पर नियन्त्रण के लिए योजना व्यय में अधिकतम सीमाएं रखी गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता तकलीफ न पाए, अनेक नियमों और विनियमों में नौकरशाही को भी समाप्त किया गया। इस समय, इस वर्ष के लिए सूखा एक बार समाप्त हो गया है—क्योंकि औसत कानून के अनुसार, ऐसी बात नहीं है कि प्रत्येक वर्ष हमारे यहां सूखा पड़ेगा—यह व्यवस्थित दृष्टिकोण एक बार पुनः ऋटिपूर्ण है और हम विचार करेंगे कि यह भूतकाल की बात है। इसलिए, पुनः कृषि को वर्षा पर और किसानों की पटुता पर छोड़ दिया जाएगा। जब कि हमारे किसानों, वैज्ञानिकों और सरकार की पटुता और स्रोतों के परिणाम स्वरूप गेहूं में हरित क्रान्ति, आप्रेशन फ्लड में दुग्ध क्रान्ति और मत्स्य पालन में नील क्रान्ति आई लेकिन तथ्य यह है कि हमारी योजना प्रक्रिया की तरह, जो ऊपर मजबूरी में थोपी गई योजना है, जिसमें स्थानीय सामान, स्थानीय मानव संसाधनों, स्थानीय संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया गया है और सम्पूर्ण गतिविधियों में क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है। यदि आप खाद की प्रति व्यक्ति खपत. प्रति व्यक्ति कीटनाशकों की उपलब्धता, बीज और सिंचाई क्षमता जो कृषि में मुख्य आदान हैं, अथवा, कृषि ऋण की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और वितरण भी लेते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ राज्य जो उन्नत हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, कृषि ऋण लेना, उर्वरक खरीदना, बीज खरीदना और सिंचाई क्षमताएं, यदि अखिल भारत औसत से अधिक नहीं हैं, तो इसके समीप है।

मैं उड़ीसा राज्य से आया हूं जिसने अपना नाम उड़ीसा के वानास्पतिक नाम से ग्रहण किया है जो चावल के लिए दूसरा नाम है। यह भी एक विरोधाभास है। यह एक ऐसा राज्य है जो सभी दृष्टिकोणों से अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आंकड़े से कम है, चाहे

यह आधारभूत ढांचे का प्रश्न हो अथवा सिंचाई का प्रश्न हो। 48.8% की अखिल भारतीय औसत की तुलना में हमारी औसत केवल 27.7% है और मेरे जिले की औसत केवल 15.2% हमारे जल संसाधनों का 80% व्यर्थ जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने जल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की नियुक्ति की है जो हमारे देश में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। इसी तरह उर्वरकों की खपत के प्रश्न पर माननीय उर्वरक राज्य मन्त्री पंजाब को उद्धृत कर रहे थे। ठीक है पंजाब उर्वरकों की खपत के मामले मे उन्नत राज्य है। किसी ऐसे राज्य के आंकड़े हमें देने का कोई लाभ नहीं है जो अखिल भारतीय औसत से अग्रणी हो। किसी को भी उत्तरी राज्यों पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी राज्यों की ओर अवश्य देखना चाहिए जो पिछले 25 से 30 वर्षों से मौसम पर निर्भर है। जहां प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण नहीं हो सकता क्योंकि बाढ़ केवल कुछ ही दिनों के लिए आती है यह 90 दिन से कम हो सकती है जहां 55 इंच से 60 इंच तक वर्षा होती हैं। इसलिए, आप बीजों की अच्छी किस्म अच्छी किस्म की प्रौद्योगिकी रख सकते हैं लेकिन जब तक यह उस क्षेत्र के लिए लागू नहीं किया जाता, जो अखिल भारतीय औसत से बहुत कम है और जो यह विशेष प्रौद्योगिकी स्वीकार करने में समर्थ नहीं रहा है, यह प्रौद्योगिकी व्यर्थ है बंगाल, बिहार पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों और उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है जहां आपने कृषि जलवायु स्थिति के अनुसार 15 उपमंडल गठित किये हैं। वहां विद्यमान स्थितियों आधारभूत ढांचे त्रुटि प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने की क्षमता तथा वहां रह रहे लोगों की सादगी की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी युग में परिणामों का अनुपालन करने उनका अवलोकन करने से सीखता है। केवल सिद्धान्त अथवा उपदेश बघारने से ही आप किसानों को विशेष रूप से, सारे किसान नहीं बना सकते हैं जो काफी समय से परम्परा से बंधे रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्वीकार करते रहे हैं जब तक वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी अथवा अनुसंधान और विकास के उपयोग के परिणामों को नहीं देख लेते उनके लिए स्वीकार करना कठिन होगा क्योंकि उनमें से अधिकांश सीमान्त और छोटे किसान है जिनके पास 2 अथवा 2½ हैक्टेयर भूमि से भी कम है और जो पूर्णतय वर्षा पर निर्भर है और जिन्हें किसी भी प्रकार की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मौसम और फसलें. मिट्टी, जल संसाधन भूमि का उपयोग मिट्टी और जल संरक्षण और फसल उत्पादन में जल प्रबंध मिट्टी की उर्वरता और उर्वरक का उपयोग फसल लेने का तरीका, अपतृण नियन्त्रण फसलों की बीमारी फसलों को लगने वाले कीड़ें ग्लेमकृमि कृषि इन्जिनियरिंग कृषि बाजार और भण्डारण फार्म प्रबन्ध कृषि अनुसन्धान विस्तार और शिक्षा, मानव संसाधन विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण कृषि संबंधी कानून कृषि भूमि वाणिज्यिक फसलें, बागवानी फसलें चारा फसलें और घास मसाले चिकित्सीय और सुगन्धित पौधे रेशम के कीड़े पालना और मुर्गी पालन जैसे तथ्य सब कृषि से संबंधित गतिविधियां जिसमें एक साधारण किसान को समझने और स्वीकार करने में समय लगता है। मैं इसलिए कृषि मन्त्रालय से यह निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किये जहां जहां पिछले 15 अथवा 20 वर्षों से हरित क्रांति और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं जो भूमिहीन मजदूरों अथवा समाज के धार्मिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए और छोटे और सीमान्त किसानों के लिए बने थे। आप उन्हें इस क्रय शक्ति का लाभ देते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ स्थायी सम्पत्ति पैदा करने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों को अवश्य चालू रखा जाना चाहिये। यदि कोई पीछे की ओर देखता है तो भारी धनराशि व्यय की गई है। केवल इसी वर्ष जैसाकि माननीय वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है कृषि क्षेत्र में 40 प्रतिशत से

अधिक की क्रय शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धि की जा रही है क्योंकि वे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में अधिक निवेश करना चाहेंगे। लेकिन, हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो सम्पत्ति पैदा की गई है, वह स्थायी प्रवृति की होगी और चाहे उन्हीं सड़कों उन्हीं टैंकों उन्हीं जलाशयों की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निधि और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम निधि और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम निधि से मरम्मत की जा रही है जिसका भुगतान जनता द्वारा किया जा रहा है और उस परिसम्पत्ति के रखरखाव मरम्मत और टिकाऊपन के लिए क्या किया जा रहा है ? मैं नहीं समझता कि इन बातों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। इसीलिए हम प्रतिवर्ष वही धनराशि जमा करते रहते हैं और प्रत्येक वर्ष हम चर्चा करते हैं कि वही क्षेत्र सूखे से प्रभावित है अथवा उसमें सिंचाई सुविधाओं का अभाव है।

विशेष रूप से कृषि विज्ञान केन्द्रों के बारे में एक या दो बातें हैं साधारण किसानों द्वारा अपने खेतों और फार्मों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के परिवर्तनों को सीखने इनका पालन करने और लागू करने के लिए इन्हें तैयार किया गया है। लेकिन मैं देखता हूं कि कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो पुराने सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए है अथवा इस बागवानी विकास संस्थान अथवा राज्य सरकारों ने जहां कहीं बागवानी संस्थानों का गठन किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा कृषि मन्त्रालय इसका प्रचार पर्याप्त मात्रा में करने में समर्थ नहीं रहा है। जहां कहीं भी कोई संस्थान रहा है वहां के लोग लाभान्वित हुए हैं जबकि उन्हें उन क्षेत्रों में जहां उनकी आवश्यकता है स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि जहां तक सिंचाई सम्भावनाओं और जानकारी जैसी आधारभूत सुविधाओं का संबंध है वे पिछड़े हुए हैं और वहां इसने कोई कार्य नहीं किया है। अतः जैसाकि मैं पूर्व उल्लेख कर चुका हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों सहित इन पांच और छह राज्यों में जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कृषि विज्ञान केन्द्र और सूखा प्रवण कृषि क्षेत्र कार्यक्रम और बागवानी अनुसंधान केन्द्र जैसी इन संस्थानों को स्थापित किया जना चाहिए।

देश में आर्थिक क्रियाकलापों संबंधी सभी पहलुओं को कार्यान्वित करके इन निर्धन किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है तथा योजना में परिलक्षित 5 प्रतिशत विकास को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कृषि जो हमारा आधारभूत उद्योग है, को गतिशील बनाया जाए। मैं यहां प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. पी. सी. महालानोबीस के विचार उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :—

> "विशुद्ध रूप से आर्थिक मामलों और पूर्णतः आर्थिक दृष्टिकोण से देखने से कृषि में निवेश किये गए प्रति हजार रुपये से 57 लाख रुपये का राजस्व मिलता है और साथ ही 5000 लोगों को काम मिलता है जबकि, जहां तक उपभोक्ता वस्तु उद्योग का प्रश्न है, यदि इतनी ही धनराशि भारी उद्योग में लगाई जाए तो 500 और लगभग 1200 लोगों को रोजगार ही मिल पाएगा।"

अतः महोदय कृषि हमारे देश की आयु-रेखा है। कृषि में सफलता के लिए और आवश्यक खाद्य सुरक्षा तथा आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सिंचाई की क्षमता में न केवल वृद्धि करनी पड़ेगी वरन् जहां कहीं भारी पूंजी निवेश किया गया है, जैसे मेरे राज्य में जहां अपर इन्द्रावती, रेंगाली और अपर कोलाब जैसी तीन विशाल बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। साधनों की कमी और हमारे जैसे राज्य में, जिसमें वर्ष 1964 से सूखे बाढ़ और चक्रवातों के कारण

हुई हानि के कारण संसाधन नहीं जुटाए जा सकें हैं, वहां पर हम ऐसी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि वहां पर पानी उपलब्ध है लेकिन वह किसानों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां पर नहर-प्रणाली नहीं है। अतः महोदय मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां कहीं सिंचाई की क्षमता विद्यमान हो, वहां बड़ी, मध्यम अथवा छोटी परियोजनाओं के द्वारा उसका उपयोग किया जाए। मंत्री महोदय पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। मैं इस बात के लिये उनका अत्यन्त आभारी हूं कि उनके समयोचित निजी हस्तक्षेप के कारण पिछले 30 वर्षों से निर्माणाधीन मात्र 8 करोड़ रुपये की मध्यम परियोजना को स्वीकृत और पर्यावरणगत मंजूरी दी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे एक प्रेरक के रूप में कार्य कर कर सकते हैं और इस बात को देखेंगे कि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों की परियोजनाएं, जो प्रशासनिक अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लम्बित पड़ी हैं, तत्काल स्वीकृति दी जाए और उड़ीसा, बिहार असम, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों, जिनकी संसाधन जुटाने की क्षमता नहीं है, को पर्याप्त मात्रा में आसान शर्तों पर ऋण दिया जाए, ताकि इन्हें समय पर पूरा किया जा सके और इनमें किये गये भारी पूंजी निवेश का किसानों को मिल सके।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (वाह्य दिल्ली) : सभापति जी, मुझे कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलने का आपने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कृषि से जैसे आप जानते हैं कि सारा देश प्रभावित होता है। कृषि की पैदावार अच्छी होती है सिंचाई से, फर्टीलाइजर से, अच्छे बीज से और कीटनाशी दवाइयों से। हमारे यहां सिंचाई का प्रतिशत पहले से बढ़ा है, अच्छे बीज भी मिले हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग भी बढ़ा है और पैदावार भी बढी है, लेकिन पैदावार जिस अनुपात में बढ़ी है, जनसंख्या उससे अधिक अनुपात में बढ़ गई है। इसलिए उसका पूरा लाभ देश को नहीं मिल सका है।

खेती की पैदावार इस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए एक सुझाव यह मैं देना चाहूंगा कि जितने गंदे नालों का पानी यमुना नदी में आकार गिरता है और झील नजफगढ़ में, इसको रोका जाना चाहिए जहां से ये गन्दे नाले आते हैं वहां पर 4-4 फुट के बांध बना देने चाहिए और पानी को रोक कर सिंचाई के काम में लाना चाहिए। इसे यमुना नदी का प्रदूषण कम होगा, झील नजफगढ़ में मच्छरों में कमी आएगी, जो मच्छर शायद दिल्ली तक भी पहुंचते होंगे और इससे अनाज की पैदावार में भी बढ़ौतरी होगी। इससे किसानों को काफी लाभ होगा।

हमको अच्छे बीज प्राप्त हुए हैं, इसमें दो राय नहीं हैं। पहले देशी गेहूं का बीज मिला करता था जो कि ज्यादा पानी से और हवा से झड़ जाया करता था, खराब हो जाता था। आज वह बात नहीं है क्योंकि नए किस्म के बीज आ आ गए हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा खाद डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी देते हैं जिससे अच्छी पैदावार होती है। ऐसे बीच भी होने चाहिए जो सूखे के समय या कम बारिश के समय में ज्यादा पैदावार दे सकें। यह बात ठीक है कि जितनी खाद डालेंगे उतनी ज्यादा पैदावार होगी। गेहूं का भाव बहुत थोड़ा और फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा, तो डालेंगे कैसे। वैसे आपने आठ रुपए बोरी कम किया है, इससे भी लाभ हुआ है। अभी भाई बीरेन्द्र सिंह ने बताया था कि किसानों को ज्यादा खाद दो जायेगी तो पैदावार भी ज्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इस बार दिल्ली के किसानों को सूखे का मुकाबला करना पड़ा। सरकार ने ट्यूबवेल लगाए, अच्छे बीज दिए और साठ रुपए क्विंटल चारा दिया, इससे किसानों ने सूखे का डटकर मुकाबला किया है। सिंचाई के लिए जिस तरह नहरों का पानी खेतों में आता

था, अब आधा पानी भी नहीं मिलता। पहले एक महीने पानी मिलता था तो अब एक सप्ताह भी नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खेतों के लिए पानी दिया जाना चाहिए। जिस तरह पहले हरियाणा से पानी मिलता था खेतों की सिंचाई के लिए, उसी तरह से पूरा पानी मिलना चाहिए जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ा सकें। फसल की पैदावार अच्छी होती है तो उसको ले जाने की समस्या आती है क्योंकि कच्चे रास्ते होते हैं। बैलगाड़ी के लिए पक्के रास्ते होने चाहिए जिससे आसानी से खलिहान को इकट्ठा कर सकें और सूखा गेहूं निकालकर मार्किट में ले जा सकें। तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अनाज मार्किट में जाता है लेकिन उसके पैसे कम मिलते हैं और किसान जो औजार खरीदता है वह महंगे मिलते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को गेहूं और चावल की सही कीमत मिलनी चाहिए। हम यह नहीं कहते कि उनको सबसिडी या कुछ और दो। जैसे बिजली की मशीन या पानी के लिए इन्जिन खरीदते हैं या और औजार खरीदते हैं तो वह ठीक रेट पर मिलने चाहिए। किसान की हालत सुधारने के लिए यह जरूरी है कि उसको ठीक रेट पर औजार मिलने चाहिए। अनाज आदि रखने के लिए आप कमरा बोलते हैं और हम गोदाम कहते हैं। चारे के लिए या मुर्गी फार्म के लिए जो सामान काम में आता है उसको रखने के लिए कमरा बनाते हैं। बनाते वक्त कोई नहीं आता लेकिन जब बन जाता है तो कहते हैं कि इसको गिराओ। उसमें सात-आठ हजार रुपया किसानों का खराब हो जाता है। मैं यह कहता हूँ कि उसको न गिराया जाए। आजकल फसल का समय है। किसानों ने फसल इकट्ठी करके ट्यूबवैल पर रखी हुई है। हम चाहते हैं कि जैसे हर साल किसानों को बिजली मिलती है उसी तरह से उनको बिजली दी जाए जिससे वे बारिश होने से पहले सूखा अनाज निकाल लें, बाजार में पहुंचा दें, अपने घर में रख लें और खरीदने वालों को भी दे दें, उससे बीज खराब नहीं हो सकता। अनाज सूख जाता है तो वह बीज अगले साल खराब हो जाता है। किसान जिस समय अपनी फसल बेचता है तो कम कीमत पर बेचता है और बीज लेता है तो दुगने पैसे में लेता है मेरा कहना है कि किसान को ठीक रेट पर बीज मिलना चाहिए, जो बाजार भाव हो उस कीमत पर मिलना चाहिए। उसको बिजली इतनी मिलनी चाहिए जिससे वह अपना ट्यूबवैल चला सके, शैलर चला सके। भारत में करीब 80 प्रतिशत लोग किसान हैं वह हर तरह से यह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो, इसी में वह दिन-रात लगे रहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो दवाओं का इस्तेमाल होता है जैसे मच्छर मारने की दवा है उसका लेबोरेट्रीज में परीक्षण कराया जाये। बहुधा देखने में आया है कि जो दवायें किसान डालता है खेत में जैसे मच्छर मारने की दवा है उसका कोई असर नहीं होता, उल्टे मच्छर और ज्यादा मोटे हो जाते हैं। इसलिए कृषि के इस्तेमाल में जो दवायें आती हैं उसकी जरूर चैकिंग की जाये और किसान को सही दवायें मिलनी चाहिए। जो सबको फायदा पहुँचाता है उस किसान को थोड़ी कीमत में यह दवायें उपलब्ध कराई जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैंने जो दो-तीन पाइन्ट बतायें हैं मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

[अनुवाद]

श्री एम. वाई. घोरपडे (रायचूर) : सभापति महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं इस देश में विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि दो तिहाई जनता कृषि पर निर्भर है और एक तिहाई जनता अब भी गरीबी की रेखा से नीचे है, कृषि ही सन्तुलित विकास की कुंजी है।

महोदय, मुझे संक्षेप में यह बात याद दिलानी है कि पं. जवाहर लाल नेहरू ने सिंचाई को

अत्यधिक महत्व दिया था। हम सब जानते हैं, वह सिंचाई-बांधों को आधुनिक मन्दिर कहा करते थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में उन्होंने यह जान लिया था यदि इस बढ़ती आबादी को सीमित रखना है, तो कुछ और करना होगा। इसलिये उन्होंने हरित क्रान्ति पर जोर दिया हालांकि यह सच है कि इससे सिंचित क्षेत्रों को अधिक लाभ पहुँचा था। आज हम देश के कृषि के इतिहास के उस क्षण पर आ पहुँचे हैं जबकि हमें अपनी आबादी को जीवित रखने के लिये एक और बड़ी कोशिश करनी होगी ; हमें इस पेश के कोने-कोने में आधुनिक खेती के लाभों को पहुंचाने के क्षेत्र में एक नये दौर की शुरूआत करनी होगी।

महोदय, संक्षिप्त:, पिछले 40 बरसों में जो कुछ भी किया गया है, उस सबके बावजूद कृषि की औसत विकास दर 2·6 प्रतिशत है। और अनुभव से हमें साफ पता चलता है कि यदि इस वृद्धि दर में तीन अथवा साढ़े चार प्रतिशत तेजी न लाई गई, तो हम देश की पांच प्रतिशत की समग्र विकास दर को नहीं बनाये रख सकेंगे। हम आठ प्रतिशत से अधिक औद्योगिक विकास दर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह एक आधार भूत तथ्य है। योजना आयोग ने सातवीं योजना में चार प्रतिशित कृषि विकास पर और खाद्य के क्षेत्र में पांच प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा है। दुर्भाग्यवश निरन्तर सूखा पड़ने के कारण हमारी विकास दर पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और हम सबको पता है कि वर्ष 1985-86 में जहाँ 1500 लाख टन अनाज हुआ था, 1787-88 में घटकर वह 1350 लाख टन ही रह गया और इसे अगले दो वर्षों में 1750 लाख टन तक लाना होगा। यह मुख्य बात है। अत: प्रधान मंत्री जी और योजना आयोग ने कहा है कि इस योजना के पिछले दो वर्षों में समग्रत: कृषि पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा, ऐसा इसलिये कि यदि हम 1750 लाख टन अनाज, 180 लाख टन तिलहन का उत्पादन नहीं करेंगे, तो हमें 5 प्रतिशत विकास दर की बात को भूल जाना होगा। समय की कमी के कारण किन्ही अन्य पहलुओं पर बोले बिना मुझे दुर्बल क्षेत्रों की बात कहनी है। मध्यवर्ती मूल्यांकन में इस बात को पहले ही बता दिया गया है कि सिंचाई बीज, उर्वरक, सहकारी ऋण और उसके विस्तार में कमी हुई है। मैं इन पाँच बातों पर संक्षेप में टिप्पणी करना चाहता हूँ।

कृषि सुविधा में वृद्धि के बारे में सातवीं योजना में। यह बताया गया है कि इसे 100 लाख हैक्टेयर अधिक होना चाहिये, अर्थात् इसे प्रति वर्ष 20 लाख हैक्टेयर होना चाहिये। उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि पहले दो वर्षों में यह केवल 18 लाख हैक्टेयर की जिसके मापने यह हुये कि अगले तीन वर्षों में सिंचाई में 24 लाख हैक्टेयर की वृद्धि करनी पड़ेगी। यह बात स्पष्ट है। हम मंत्री जी से यह आशा करते हैं कि वे बतायें कि प्रतिवर्ष 24 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये वास्तविक तथा वितीय नीति क्या है।

क्षमता और उसके उपयोग के बीच के अन्तर की बात भी सभी जानते हैं। किन्तु हमें स्पष्टत: यह निर्धारित करना है कि इस अन्तर को कम करने के लिये अगले दो वर्षों में क्या किया जायेगा। इस संदर्भ में, सिंचाई के लिये वित्तीय परिव्यय में वृद्धि करने के बारे में ए एक रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूँ कि कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अपर कृष्णा परियोजना जैसी महत्वपूर्ण बड़ी सिंचाई परियोजना के बारे में सरकार को उन्हें समवर्ती अथवा केन्द्रीय परियोजनाएं बनाने पर विचार करना चाहिए, ताकि वे समय पर पूरी की जा सकें और वहां तिलहन तथा ऐसी अन्य चीजें उगाई जा सकें। मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता, इसलिए यदि विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय हो सकती है, तो कतिपय सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय अथवा कम से कम समवर्ती परियोजनाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। यह एक ऐसा विषय है कि यदि इसे समवर्ती विषय

बनाया जा सके तो बना दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि आप यह लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर छोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार इसे अपने बलबूते पर नहीं कर पाएगी। निस्सदेह, राज्य सरकार को लघु सिंचाई और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

पनधारा विकास के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है; लेकिन पानी की प्रत्येक बूंद का सही तरीके से उपयोग करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा का होना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ भूमि जल के बारे में जो कुछ किया गया है उससे बहुत अधिक किया जा सकता है। भूमि जल की आपूर्ति करने के लिए वनों की रक्षा करनी होगी। यहां पचास लाख हैक्टेयर परती भूमि में वनरोपण किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री के परती भूमि विकास कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस लक्ष्य का केवल एक छोटा भाग ही प्राप्त हुआ है। हम आशा करते हैं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में हमें बताएंगे कि एक विशाल परियोजना को पूरा करने के लिए उनका समय वह कार्यक्रम क्या है।

उर्वरक के सम्बन्ध में सातवीं योजना के लिए 14 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1986-87 में 902 मिलियन टन उर्वरक का उत्पादन किया गया है। योजना के अन्त तक इसके लगभग केवल 12.5 मिलियन टन यक पहुँच पाने की आशा है। यह केवल मूल्य का प्रश्न नहीं है हाल ही में दी गई छूट से उर्वरकों का मूल्य कम हो गया है। लेकिन इससे स्वतः ही यह सुनिश्चित नहीं होगा कि उर्वरक वहां पहुंच जायें जहां वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में विशेषरूप से इसे पहुँचना चाहिए।

मंत्री महोदय ने बीच में बोलते हुए यह स्वीकार किया था कि मूल्य कम हो जाने पर भी खपत अधिक नहीं होती है। इससे पूरी तरह सिद्ध होता है कि कोई खामी है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में और वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों को जो भारतीय कृषि का 70 प्रतिशत भाग है, के लिए संस्थागत ऋण और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है।

योजना आयोग के मध्यवर्ती मूल्यांकन से पता लगता है कि सातवीं योजना के लिए अच्छी किस्म के बीज उत्पादन का लक्ष्य 11.7 मिलियन क्विंटल निर्धारित किया गया था जबकि वर्ष 1986-87 में केवल 5.5 मिलियन क्विंटल बीज का ही उत्पादन हुआ। वे अच्छी किस्म के बीजों की अपर्याप्तता स्वीकार करते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि अच्छी पैदावार देने वाले बीजों की किस्में आदि अपर्याप्त है।

सहकारी समितियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सहकारी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। उनमें सुधार लाना होगा और उन्हें पुनर्गठित करना होगा। फसल बीमा को एक गहन कार्यक्रम बनाना होगा और उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना होगा।

अन्त में मैं विस्तार कार्यों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। मैं इसे काफी महत्व देता हूं क्योंकि मैंने जवाहर लाल नेहरु के कार्यकाल में जब सामुदायिक विकास खन्ड आरंभ किए गए थे, विस्तार कार्य के अभियान में भाग लिया था। आरम्भ में हरित क्रान्ति की सफलता के लिए विस्तार कार्य भी उत्तरदायी था मेरा कभी यह पूछने का मन करता है कि वह भावना अब कहां गई और विस्तार कार्य का वह अभियान कहां गया ? मुझे यह भावना आज अधिक दिखाई नहीं देता। जब तक इस भावना और विस्तार कार्य की प्रणालो में सुधार नहीं किया जाता, तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमें न केवल कृषि के हित में बल्कि पूरे राष्ट्र के हित में भी प्राप्त करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि राष्ट्र इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति और लोगों की भागीदारी तथा संस्थागत और प्रशासनिक ढांचे और व्यवस्था में सुधार करके इसे कर सकने में सक्षम है। जब तक हम प्रशासनिक और संस्थागत व्यवस्थाओं में सुधार नहीं करते तब तक हम वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में छोटे किसानों को आधुनिक कृषि के लाभ प्रदान नहीं कर पाएंगे।

मैं प्रधानमंत्री और योजना आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में नीति विषयक पत्र तैयार किए जाने के निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि इस मामले में कृषि तथा संस्थाओं के संबंध में नीति विषय पत्रों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

[हिन्दी]

अब्दुल रशीद काबूली (श्रीनगर) : जनाब चेयरमैन साहेब पहली बात तो मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो आबादी है देहातों की वह तकरीबन 80 फीसदी के करीब है। वह हमारी इकनौमी की बुनियाद है। ताहम इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी यहां इन्डस्ट्रीज में बड़ी तरक्की हुई लेकिन जहां तक एग्रोकल्चर का ताल्लुक है मिनिस्टर साहब चूंकि खुद किसान हैं वे किसानों की समस्या समझते हैं, अगर आज इस मुल्क के अन्दर किसानों की हालत अच्छी होती और उनकी रोजमर्रा की आमदनी इस कद्र होती कि वे दो वक्त की रोटी इज्जत के साथ कमा सकते तो फिर क्या वजह है कि लाखों की तादाद में गांव से एक्सोडस हो रहा है और किसान बिना जमीन के या जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास जमीन बहुत कम है वे अपना गुजारा उसके ऊपर नहीं कर सकते जिसके कारण वे लोग लाखों की तादाद में हिजरत करके बम्बई कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों के आस पास सैटेलाइटट टाउन बना रहे हैं और इस तरह से गांवों से हजारों लाखों की तादाद में मजदूरी के लिए लोग आ रहे हैं और जो कारखाने शहरों में या शहरों के आस पास है उनके पास ये लोग डेरा जमाते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अल्मिया है। बहुत बड़ी ट्रेजडी है कि हम देहात में किसान के गुजारे के लिए कोई तवाज्जुन कोई वैलेंस नहीं कर पाये। मैं साफ अलफाज में मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि देहात में यह हालात इस लिए भी है कि वहां एक्सप्लाटेशन बहुत बढ़ गई है बड़े किसान जोतदार जमीन पर काबिज हो चुके हैं और छोटे किसान जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनकी जिन्दगी हराम कर दी गई है और आज लाखों की तादाद में हिन्दुस्तान के गांवों में बेजमीन किसान और बंधुआ मजदूर हैं, जो कि आजादी के नाम पर बहुत बड़ी बेइन्साफी है। हमारे यहां आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उस तरफ जा रहा

है जहां पर उनकी मेहनत मशक्कत का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी जिन्दगी तबाही की तरफ ले जायी गई है। मैं इस सिलसिले में आनरेबल मिनिस्टर साहब से सवाल पूछूंगा कि क्या वजह है कि आजादी के बाद भी सोशलिज्म का दावा करने के बावजूद मसावात का नारा लगाने के बवाजूद आजतक हमने बड़े रकबाजात पर काबिज जमींन को तकसीम क्यों नहीं करा दिया ? जो असल में मेहनतकश मजबूर और किसान हैं उनको जमीन का मालिक क्यों नहीं बना दिया ? मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हमारी अपनी रियायत जम्मू काश्मीर में अपने फैसले पर हमने 1948 में ही लैंड रिफार्म कर दिया। मुझे फख्र के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी जम्मू-कश्मीर रियासत में ऐसा कोई मसला नहीं है किसान की हालत बेहतर है उसके और कोई मसायल हो सकते हैं लेकिन इस मामले में उसका एक्सप्लायटेशन नहीं उसको बंधुआ मजदूर बनने की कोई जरुरत नहीं उसको गांव से शहर की तरफ भागकर मजदूरी हासिल करने की जरुरत नहीं हैं। मैं ईमानदारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि ऊपर एक छोटी रियासत जम्मू कश्मीर इन्कलाबी कदम उठा सकती है। तो क्या वजह हिन्दुस्तान जिसकी सोशलिज्म के लिए कमिटमैंट है जिसमें 80 प्रतिशत लोग गांव में रहने वाले हैं, आप वहां इस किस्म का कोई इलाज नहीं कर पाए ? मैं कहना चाहता हूं कि तनाव और टैंशन बढ़ती जा रही है और गाँवों में बराबर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मेहनत कर रहा है, वह मुनाफा नहीं पा रहा है और उसके मुकाबले शहरों में दौलत बढ़ती जा रही है और बड़े बिजनेसमैन जो खुद काम नहीं करते उन्होंने मुआश एक अदमे तवाज्जून कायम कर दिया है और सारी दौलत खिचकर शहरों की तरफ आरही है और किसान जो इस वतन की देता है जो अपने जिगर का खून बहा रहा है, लेकिद उसके साथ अभी तक इस मुल्क में इन्साफ नहीं हो रहा है।

मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आपको इस मुल्क के अन्दर से जागीरदारी और जौतदारी का निजाम मिटाना होगा तभी आप सोशलिज्म की तरफ बढ़ पाएंगे।

मैं अपनी रियासत के बारे में एक बात कहूंगा। आपने मुल्क के हर मकां पर कुछ न कुछ रिसर्च सैंटर बना दिये एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उसकी तरक्की करने के लिए लेकिन जम्मू काश्मीर जैसों पहाड़ी रियासत जिसकी टोपोग्राफी और क्लाइमेटिव कंडीशन सारे हिन्दुस्तान से मुख्तलिफ हैं, हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहां 20 और 40 टैम्परेचर हो जाता है जिस जदीद तकनीक और टैक्नोलाजी की मदद से डैवलप किया जा सकता है लेकिन मैं आपसे गुजारिस करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर हिमाचल और वैस्टर्न यू. पी. को नजरदाज न कीजिए और काश्मीर में भी एक रिसर्च सैंटर बना दीजिए। पहाड़ी इलाकों में बीज इम्प्लीमैंट्स और खाद के बारे में जो वहां की रिक्वायरमैंट्स हैं, जंरुरियात हैं वह उस जैसी नहीं है जो मैदानी इलाके में हैं पंजाब दिल्ली और यू. पी. में हैं। हमारे मसायल मुख्तलिफ हैं, हमारी एग्रेगेरियन प्राबलम मुख्तलिफ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज तक जो आपने हमारे नार्दन एरिया पहाड़ी क्षेत्र को जो बिल्कुल नजरन्दाज कर दिया हैं। उसकी तरफ आप सोचें और वहां भी एग्रीकल्चर रिसर्च सैंटर बना दें और वहां पर भी बीज और जो आपका माडर्न विज्ञान है, साइन्स और टैक्नालाजी हैं, जो योरोपियन कन्ट्रीज जैसे रूस, चीन, अमेरिका और बर्तानिया जसे सर्द इलाकों की तरक्की के लिए जरई तरक्की के लिए

इस्तेमाल की जा रही है उस सारी को आप यहां भी लाइये और उसका इस्तेमाल यहा भी करा दीजिए। उस सारे नालेज का फायदा उठा लीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के नार्दन एरियाज में अभी तक एक भी फर्टिलाइजर कारखाना नहीं बना ? मैं आनरेबल मिनिस्टर जी से यह कहना चाहूंगा कि आप इस असमानता को खत्म कीजिए और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बना दीजिए।

मुल्क के अन्दर सूखे की बात तकरीबन सभी सदस्यों ने की है। बड़े दुख की बात है कि सदी का सबसे बड़ा भयंकर सूखा पिछले वर्ष पड़ा। इस सूखे ने मुल्क को तबाह कर दिया है और बहुत अधिक नुकसान इससे हुआ है। उसको दूर करने के लिये और किसानों को रियायत देने के लिये कोई भी लापरवाही सरकार द्वारा नहीं बरती जानी चाहिए। इसके साथ ही जो सैलाब वाले इलाके हैं, उनकी तरफ भी आप तवज्जह दें। 1987 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर में सैलाब पड़ा। 400 करोड़ रुपये का नुकसान कश्मीर घाटी के किसानों को हुआ है। इसमें डल झील का इलाका भी शामिल है। यहां हजारों मकान गिर गये गैर करोड़ों रुपये की सब्जी तबाह हो गई। अब इस तबाही के कारण सब्जी उतनी पैदा नहीं हो रही है जितनी कि वह पहले हुआ करती थी। गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने रिलीफ कार्यों के लिये एक भी पैसा नहीं दिया है। हांलाकि एक कमेटी नुकसान का अन्दाजा लगाने के लिये यहां से भेजी गई थी। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप इस तरफ तवज्जह दें।

अब मैं वहां के फ्रूट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां ऐप्पल बहुत बड़ी तादाद में होता है। यह ऐप्पल हिमाचल प्रदेश में भी बहुत अधिक तादाद में होता है। इसके द्वारा कैमिंग इन्डस्ट्री को बढ़ाया जा सकता है। फ्रूट इन्डस्ट्री ग्रोअर्स को आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है जिससे जम्मू कश्मीर की तरक्की और विकास हो सकता है इसके साथ ही वहां की बेरोजगारी और पिछड़ापन दूर हो सकता है। इस इन्स्ट्री को बढ़ाने से करोड़ों रुपये का फ्रूट जहां देश के अन्दर भेजा जा सकता है। वहां विदेशों में भी भेज कर करोड़ों रुपये का फारेन एक्सचेंज कमाया जा सकता है। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप ग्रोअर्स की जो प्राबलम्स हैं, उनको आप साल्व करें और वहां के फ्रूट के डेवलपमेंट के लिये जम्मू काश्मीर और हिमाचल प्रदेश को खास तौर से एक नजर में रखिए। यह हमारे इकानमी का एक बुनियादी जरिया बन सकता है और इसके द्वारा हमारे तरक्की के साधन बढ़ सकते हैं।

फ्रूट ग्रोअर्स को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग रियायत और लोन दीजिए ताकि वह उसे एक इडस्ट्री के तौर पर डेवलप कर सके। जहां आप और इलाकों की तरफ तवज्जह दे रहे हैं वहां पर हमारे पर्वतीय क्षेत्र को रजरअन्दाज मत करिए और खास तौर से जम्मू कश्मीर की इकानमी जो कि टूरिज्म और फ्रूट इन्डस्ट्री पर है मैं चाहूंगा कि आप उस पर तवज्जह दें। मुझे पूरी आशा है कि आप हमारी तसल्ली के मुताबिक जरूर कोई न कोई कदम उठायेंगे।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : جناب چیئرمین صاحب - پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہونگا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو آبادی ہے دیہاتوں کی وہ تقریباً ۸۰ فیصدی کے قریب ہے - وہ ہماری اکنامی کی بنیاد ہے - تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں انڈسٹریز میں بڑی ترقی ہوئی لیکن جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے منسٹر صاحب جو کہ خود کسان ہیں وہ کسانوں کی سمسیا سمجھتے ہیں - اگر آج اس ملک کے اندر کسانوں کی حالت اچھی ہوتی اور ان کی روزمرہ کی آمدنی اس قدر ہوتی کہ وہ دو وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کھا سکتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں گاؤں سے ایکسوڈس ہو رہا ہے اور کسان جو زمین کے یا جو چھوٹے کسان جن کے پاس زمین بہت کم ہے وہ اپنا گذارہ اس کے اوپر نہیں کر سکتے جس کے کارن وہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر گئے بمبئی کلکتہ اور دہلی جیسے شہروں کے آس پاس سیٹیلائٹ ٹاؤن بنا رہے ہیں اور اس طرح سے گاؤں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مزدوری کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور جو کارخانے شہروں میں یا شہروں کے آس پاس ہیں ان کے پاس یہ لوگ ڈیرہ جماتے ہیں - یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا المیہ ہے - بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم دیہات میں کسان کے گذارہ کے لیے کوئی توازن کوئی بیلنس نہیں کر پائے - میں صاف الفاظ میں منسٹر صاحب سے کہنا چاہونگا کہ دیہات میں یہ حالات اس لیے بھی ہیں کہ وہاں ایکسپلائٹیشن بہت بڑھ گئی ہے - بڑے کسان جو تعداد زمین پر قابض ہو چکے ہیں اور چھوٹے کسان جن کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی زندگی حرام کر دی گئی ہے اور آج لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے گاؤں میں بے زمین کسان اور بندھوا مزدور ہیں جو کہ آزادی کے نام پر بہت بڑی بے انصافی ہے - ہمارے یہاں آبادی کا بہت بڑا حصہ اس طرف جا رہا ہے جہاں پر ان کی محنت مشقت کا استحصال کیا جا رہا ہے اور ان کی زندگی تباہی کی طرف لے جائی

گئی ہے۔ میں اس سلسلے میں آنریبل منسٹر صاحب سے سوال پوچھونگا کہ کیا وجہ ہے کہ آزادی کے بعد بھی سوشلزم کا دعویٰ کرنے کے باوجود مساوات کا نعرہ لگانے کے باوجود آج تک ہم نے بڑے رقبہ جات پر قابض زمین کو تقسیم کیوں نہیں کرا دیا۔ جو اصل میں محنت کش مزدور اور کسان ہیں ان کو زمین کا مالک کیوں نہیں بنا دیا۔ میں عرض کرنا چاہونگا کہ ہماری اپنی ریاست جموں کشمیر میں اپنے فیصلے پر ہم نے ۱۹۴۸ میں ہی لینڈ ریفارم کر دیا۔ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری جموں کشمیر ریاست میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسان کی حالت بہتر ہے۔ اس کے اور کوئی مسائل ہو سکتے ہیں لیکن اس معاملہ میں اس کا ایکسپلائٹیشن نہیں۔ اس کو بندھوا مزدور بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو گاؤں سے شہر کی طرف بھاگ کر مزدوری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انکساری کے ساتھ اس سدن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چھوٹی ریاست جموں کشمیر انقلابی قدم اٹھا سکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہندوستان جس کی سوشلزم کے لیے کمٹڈ ہے جب [illegible] ۸۰ پرسنٹ لوگ گاؤں میں رہنے والے ہیں آپ وہاں اس قسم کا کوئی [illegible] نہیں کر پائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دباؤ اور ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اور گاؤں میں برابر کسانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو محنت کر رہا ہے وہ منافع نہیں پا رہا ہے اور اس کے مقابلے شہروں میں دولت بڑھتی جا رہی ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو خود کام نہیں کرتے انھوں نے معاش میں ایک عدم توازن قائم کر دیا ہے اور ساری دولت کھینچ کر شہروں کی طرف آ رہی ہے اور کسان جو اس وطن کو دیتا ہے جو اپنے جگر کا خون بہا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ابھی تک اس ملک میں انصاف نہیں ہو رہا ہے۔

میں پھر گزارش کرونگا کہ آپ کو اس ملک کے اندر سے جاگیرداری اور

جوتداری کا نظام مٹانا ہوگا۔ تبھی آپ سوشلزم کی طرف بڑھ پائینگے۔

میں اپنی ریاست کے بارے میں ایک بات کہونگا۔ آپ نے ملک کے ہر مقام پر کچھ نہ کچھ ریسرچ سینٹر بنا دیے۔ ایگریکلچر کا اتپادن بڑھانے کے لیے اور اس کی ترقی کرنے کے لیے لیکن جموں کشمیر جیسی پہاڑی ریاست جس کی ٹوپوگرافی اور کلائمیٹک کنڈیشن سارے ہندوستان سے مختلف ہیں ہمارے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ۲۰- اور ۴۰- ٹمپریچر ہو جاتا ہے جسے جدید تکنیک اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے لیکن میں آپ سے گزارش کرونگا کہ آپ جموں کشمیر ہماچل پردیش اور ویسٹرن یوپی کو نظرانداز نہ کیجیے اور کشمیر میں بھی ایک ریسرچ سینٹر بنا دیجیے۔ پہاڑی علاقوں میں بیج امپلیمنٹس اور کھاد کے بارے میں جو وہاں کی ریکوائرمینٹس ہیں ضروریات ہیں وہ اس جیسی نہیں ہیں جو میدانی علاقوں میں میدانی علاقے میں ہیں پنجاب دلی اور یوپی۔ ہمارے مسائل مختلف ہیں ہماری ایگریرین پرابلم مختلف ہے اس سلسلے میں چاہونگا کہ آج تک جو آپنے ہمارے نادرن ایریا پہاڑی کشمیر کو جو بالکل نظرانداز کر دیا ہے اس کی طرف آپ سوچیں اور وہاں بھی ایگریکلچر ریسرچ سینٹر بنا دیں اور وہاں پر بھی بیج اور آپ کا جو ماڈرن وگیان ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو یورپین کنٹریز جیسے روس چین امریکہ اور برطانیہ جیسے سرد علاقوں کی ترقی کیلیے ندی ترقی کیلیے استعمال کی جا رہا ہے اس ساری کو آپ ہمارے یہاں بھی لائیے اور اس کا استعمال یہاں بھی کرا دیجیے۔ اس ساری نالیج کا فائدہ اٹھا لیجیے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جموں کشمیر میں، نادرن ایریا میں ابھی تک ایک بھی فرٹیلائزر کارخانہ نہیں بنا۔ میں آنریبل منسٹر جی سے یہ کہنا چاہونگا کہ آپ اس اسمانتا کو ختم کیجیے اور اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر میں ایگریکلچرل ریسرچ سینٹر بنا دیجیے۔

ملک کے اندر سوکھے کی بات تقریباً سبھی سدسیوں نے کی ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ صدی کا سب سے بھینکر سوکھا پچھلے ورش پڑا۔ اس سوکھے نے ملک کو تباہ کر دیا ہے اور بہت ادھک نقصان اس سے ہوا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے اور کسانوں کو رعایت دینے کے لیے کوئی بھی لاپرواہی سرکار دوارا نہیں برتی

جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو سیلاب والے علاقے ہیں انکی طرف بھی آپ توجہ دیں۔ ۱۹۸۲ میں میرے نرواچن شیتر سری نگر میں سیلاب چڑھا ۔ ۴۰۰ کروڑ کا نقصان کشمیر گھاٹی کے کسانوں کو ہوا ہے۔ اسمیں ڈل جھیل کا علاقہ بھی شامل ہے یہاں ہزاروں مکان گر گئے اور کروڑوں روپئے کی سبزی تباہ ہو گئی۔ اب بھی اس تباہی کے کارن سبزی اتنی پیدا نہیں ہو رہی ہے جتنی کہ وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے ریلیف کاریوں کے لئے ایک بھی پیسہ نہیں دیا ہے حالانکہ ایک کمیٹی نقصان کا اندازہ لگانے کیلیے یہاں سے بھیجی گئی تھی۔ میری آپ سے یہ گذارش ہے کہ آپ اس طرف توجہ دیں۔

اب میں وہاں کے فروٹس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایپل بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے یہ ایپل ہماچل پردیش میں بھی بہت ادھک تعداد میں ہوتا ہے۔ اس کے دوارا کیننگ انڈسٹری کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ فروٹ انڈسٹری گروورس کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے جموں کشمیر کی ترقی اور وکاس ہو سکتا ہے۔ اسکے ساتھ ہی وہاں کی بیروزگاری اور کچھ حد تک دور ہو سکتی ہے۔ اس انڈسٹری کو بڑھانے سے کروڑوں روپیے کا فارن ایکسچینج کمایا جا سکتا ہے میری آپ سے یہ گذارش ہے کہ آپ گروورس کی جو پرابلمس ہیں انکو آپ سالو کریں اور وہاں کے فروٹ کے ڈیولپمنٹ کیلیے جموں کشمیر اور ہماچل پردیش کو خاص طور سے ایک نظر میں رکھیے۔ یہ ہماری اکنامی کا ایک بنیادی ذریعہ بن سکتا ہے اور اس کے دوارا ہمارے ترقی کے سادھن بڑھ سکتے ہیں۔

فروٹ گروورس کو زیادہ سے زیادہ بینکنگ رعایت اور لون دیجیے تاکہ وہ اسے ایک انڈسٹری کے طور پر ڈیولپ کر سکیں۔ جہاں آپ اور علاقوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں وہاں آپ ہمارے پچھڑے شیتر کو نظر انداز مت کریے اور خاص طور سے جموں کشمیر کی اکنامی جو کہ ٹورزم اور فروٹ انڈسٹری پر ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر توجہ دیں۔

مجھے پوری آشا ہے کہ آپ ہماری تسلی کے مطابق ضرور کوئی نہ کوئی قدم اٹھائینگے۔

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, कृषि एवं ग्रामीण विकास की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। इस वर्ष भारत-वर्ष में भयंकर सूखा पड़ा और सबसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात सूखे से प्रभावित हुए। गुजरात से भी ज्यादा सूखे से प्रभावित राजस्थान है। वैसे आप गुजरात के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान में जो सूखे की स्थिति है, वैसी कहीं भी नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्र राजस्थान को नवम्बर से लेकर मार्च तक के लिये 137 करोड़ की राशि रोजगार के लिए मुकर्रर की है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि हमारे यहां अध्ययन दल आया था। और अध्ययन दल ने 195 करोड़ की रिकमैण्डेशन की है और कृषि विभाग ने 137 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, ऐसा कभी कहीं पर भी नहीं हुआ। ज्यादा करनी चाहिए थी वह तो दूर रही परन्तु 58 करोड़ रुपये कम दिए। मेरा यह निवेदन है और मुख्य मंत्री जी ने भी आपसे निवेदन किया है बार-बार कि 58 करोड़ रुपये आप हमें तुरन्त दीजिए क्योंकि हमारी स्थिति भयंकर से भयंकरतम है। दूसरे स्थिति यह है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक के लिए हमारे प्रतिवेदन के बिना आपसीमा फिक्स कर दी और एम्पलायमैण्ट की आपने 77.50 करोड़ फिक्स कर दी जबकि उससे पहले साल भी 84 करोड़ रुपए की सीमा फिक्स की थी, इस साल हमारे यहां उससे भी भयंकर सूखा है, इस स्थिति को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अध्ययन दल जल्दी भेजिए, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अध्ययन दल भेजने का आपने निर्णय ले लिया है, वह अध्ययन दल उन क्षेत्रों में जाये और स्थिति को देखें और जो वाजिब मदद हमें मिलनी चाहिए वह हमें मिले ताकि हम अकाल राहत कार्यों में लोगों को मजदूरी देकर संतोष दिला सकें। गुजरात में यह स्थिति है, मुझे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई है, कि जिस परिवार में 5 सदस्य हैं उनमें से दो और कहीं-कहीं 3 सदस्यों को मजदूरी मिलती है और जिन परिवारों में 8 सदस्य हैं उनमें से 4 सदस्यों को मजदूरी मिलती है परन्तु राजस्थान के अन्दर अभी भी अगर 10 सदस्यों का परिवार है, उसमें भी ऐसे जिले हैं कि जहां एक सदस्य मजदूरी चाहता है और उसको मजदूरी नहीं मिली, हमारे भीषण से भीषणतम प्रभावित क्षेत्र बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, जोधपुर जिला, जालौर जिला, चूरू जिला हैं और केन्द्र सरकार ने उनको भीषण से भीषणतम घोषित भी कर दिया है। उसके अन्दर भी स्थिति इस प्रकार की है कि 10 में से परिवार के एक सदस्य को मजदूरी मिली है। हम चाहते हैं कि अब जो स्थिति आ रही है भयकरतम, उस सूखे का मुकाबला करने के लिए, मैं अभी अप्रैल में अपने क्षेत्र में गया था, वहां भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर लू चल रही है, पानी का भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है और मई और जून में स्थिति भयंकर से भयंकरतम होगी। रिपोर्ट के अनुसार स्थिति यह है कि "डैजर्ट मैडीसन रिसर्च सैण्टर" जो "इण्डियन कौंसिल आफ मैडिकल रिसर्च" का एक सैण्टर है, उसकी रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

[अनुवाद]

"इन क्षेत्रों में कैलोरी की कमी, विटामिन ए की कमी, अनीमिया (अरक्तता) में बी कम्प्लेक्स की कमी से पोषक तत्वों की भारी कमी से क्षमता में कमी हो जाती है। आंकड़ों से पता लगता है कि जबकि बाड़मेर जैसे कुछ क्षेत्रों के निवासी पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं, कुछ अन्य क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में सामने आ रहे हैं।"

[हिन्दी]

कहने का अर्थ यह है कि स्थिति इस प्रकार की है 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए उनको 1200 कैलोरी मिल रही है और उस कैलोरी के कारण कार्य करने की शक्ति, क्षमता उनकी

बिल्कुल खत्म हो गई है, अभी वह गर्मी के दिनों में काम कर रहे थे, विशेष तौर से जो औरतें काम कर रही हैं उनकी कार्य करने की क्षमता खत्म होने के कारण वह कार्य नहीं कर सकतीं फिर भी राजस्थान के अन्दर टास्क फिक्स किया है और टास्क के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी उसको 60 परसेण्ट उन्होंने मान लिया है। लेकिन उनकी क्षमता 60 परसेण्ट कार्य करने की भी नहीं और उनको डिफिकल्ट क्षेत्रों में भी 4-5 रुपए मिलते हैं। हम यह चाहते हैं कि इन एरियाज में जो इस प्रकार की स्थिति है उन एरियाज के अन्दर अभी आपने असहाय सहायता दी है, काफी लोगों को, उनकी संख्या बढ़ाकर आप असहाय सहायता देंगे तभी वह बच सकेंगे अन्यथा आपने जो बार-बार एलान किया है कि भुखमरी से नहीं मरे, मैल न्यूट्रीशन से अब बीमार होकर मर रहे हैं···मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर हम उनको भूख से बचाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए। मजदूरों की संख्या 18 लाख है जिसको गवर्नमेन्ट 80 लाख तक और बढ़ाना चाहती है। 3 करोड़ जनसंख्या अकाल से प्रभावित है। अगर आप 10 परसेन्ट लोगों को भी एम्पलायमेन्ट नहीं देते हैं तो उनके साथ आप न्याय नहीं करेंगे।

4.00 म. प.

दूसरी बात जो मैं बार-बार कह रहा हूं वह यह है कि हमारे यहां भयंकर स्थिति होने से गेहूं 1 रुपया 55 पैसे प्रति किलो के भाव पर दिया जाना चाहिए। आप आदिवासी क्षेत्रों में इस भाव पर गेहूं दे रहे हैं। हमारे यहां तो आदिवासी क्षेत्रों के मकाबले अधिक भयंकर स्थिति है। 1 रुपया 55 पैसे में आपने 9 पैसे और बढ़ा दिया है, इस तरह से अब वह 1 रुपया 64 पैसे का भाव हो गया है मेरा निवेदन है कि अप्रैल से लेकर 30 सितम्बर तक, जब तक कि नयी फसल नहीं आ जाती, इस भाव पर गेहूं देना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसी परमानेन्ट व्यवस्था कर दीजिए। आदिवासी क्षेत्रों में आपने जो व्यवस्था की है वह बहुत अच्छी व्यवस्था की है है, उसी तरह की व्यवस्था हमारे वहां भी आपको करनी चाहिए क्योंकि वहां पर लोगों में गेहूं खरीदने की शक्ति नहीं रह गई है। उनकी परचेजिंग पावर बिल्कुल घट गई है। इसलिए यह आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैंने आपसे भी निवेदन किया है और प्रधान मन्त्री जी से भी निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में आज सम्भवतः केन्द्रीय सरकार की मीटिंग भी होने जा रही है, उसमें ऐसा निर्णय लेकर वहां की जनता को संतुष्ट किया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां किसानों के पास जमीन तो बहुत है लेकिन वह लाभदायक नहीं है। आज स्थिति इस प्रकार की बन गई है बाड़मेर और जेसलमेर जिले में कि वहां 80 प्रतिशत किसान गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आप की लघु कृषक व सीमान्त कृषक की जो डेफनीशन है, उसके अन्तर्गत हमारे बाड़मेर जिले में 27 परसेन्ट किसान ही आ पाते हैं। और जो लाभ मिलता है वह भी अधिकांश लघु कृषकों व सीमान्त कृषकों को ही मिलता है। आज अगर टींकों का निर्माण हो रहा है तो उससे लघु व सीमान्त कृषकों को ही लाभ होता है। सिंचाई के लिए कुओं के बारे में भी आपने काम किया है, हमारे राजस्थान के बहुत से क्षेत्रों में अकाल की स्थिति में उससे बहुत सहायता भी मिली है। हमारे यहां बहुत परमानेन्ट वर्क्स हुए हैं। टींकों का निर्माण हुआ है जिससे पीने की पानी की समस्या के हल के लिए परमानेन्ट काम हुआ है मकानों के निर्माण भी किए जा रहे हैं। दो-दो हजार रुपया दे करके मकानों का निर्माण हो रहा है। यह भी परमानेन्ट वर्क हो रहा है। इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं उनसे अवश्य हमारे किसानों की स्थिति सुधरेगी। परन्तु ये जितने भी लाभ हैं वह लघु व सीमान्त कृषकों को ही मिल रहे हैं। हमारे यहां बाड़मेर जिले में 1 लाख 62 हजार खातेदार है जिसमें 44 हजार ही लघु व सीमान्त कृषक की परिभाषा के अन्तर्गत

पाते हैं। ये केवल 27 परसेन्ट ही होते हैं। हमारे यहां आपने जो सीमा बांधी है वह 10 हेक्टर है। भूमिहीन किसान 50 बीघे का होता है। एलाटमेन्ट जो किए जाते हैं वह 75 बीघे के होते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में रिक्वेस्ट की है, रिप्रेजेन्टेशन भी दिया है कि आप 10 हेक्टर की सीमा को बढ़ाकर 20 हेक्टेयर कर दें और सिंचाई के क्षेत्र में जो डेढ़ हेक्टर है उसको बढ़ाकर 3 हेक्टर किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके।

फ्लड की स्थिति में केन्द्र सरकार 75 परसेन्ट नान-प्लान्ड एक्सपेंडीचर खर्च करते हैं परन्तु फेमीन, ड्राउट के लिए पहले 5 परसेन्ट एडवान्स मार्जिन मनी हो उसके बाद आप जाकर मदद करते हैं और मदद भी जो आप करते हैं उसमें 50 परसेन्ट लोन और 50 परसेन्ट सब्सिडी देते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहां तो फ्लड से भी अधिक भयंकर स्थिति होती है। फाइनेन्स कमीशन का जो निर्णय है उसके बारे में हम भी मूव कर रहे हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी मूव करे, रिप्रेजेंटेशन दे ताकि हमारे यहां जैसे जो डेजर्ट एरियाज हैं उनको फेमीन की स्थिति में फ्लड की तरह से ट्रीट किया जाए ताकि उन क्षेत्रों को कुछ मदद मिल सके।

4.05 म. प.

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जोधपुर में एरिडजोन सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट कायम हुआ है, मैं चाहता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर में भी कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हों, ताकि हम उनका लाभ उठा सकें। आप जानते हैं कि जोधपुर जिले के 350 किसानों ने खिजड़ी दरख्त को बचाने के लिए अपने आपको आत्म-समर्पित कर दिया और उन्होंने खिजड़ी दरख्त को बचाया। उस खिजड़ी दरख्त के बारे में रिसर्च हो रही है। उस रिसर्च में मैं यह चाहता हूं कि वह 12 वर्षों में तैयार होता है, वह छः वर्षों में तैयार हो। हमारे यहां तुम्बा की रिसर्च के बारे में भी कहा गया है कि उसका भी सीड तैयार किया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह स्थिति आ गई है कि बाजरे का सीड नहीं मिलेगा और ग्वार का सीड भी नहीं मिलेगा। यदि बाजरे और ग्वार का सीड नहीं मिला तो कोई भी काश्तकार काश्त नहीं कर सकेगा। जब काश्त की यह स्थिति है, तो एक बात आएगा कि उनको तकावी लोन देना पड़ेगा। अगर विशेष तौर से तकावी लोन नहीं दिया तो किसान किसी भी तरीके से काश्त नहीं कर सकेंगे। पीने के पानी के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां अभी तक बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती है। उनको पीने के पानी के लिए आप प्राथमिकता दें, ताकि वहां के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। हमारे यहां नाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जो एक उपयोगी कार्यक्रम नहीं है। रोड्स जो बन रही है, मैटिरियल कम्पोनेंट न होने से रोड्स का काम लाभदायक नहीं है। मैटिरियल कम्पोनेंट के बारे में फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि मैटिरियल कम्पोनेंट का प्रोवजीन करिए, ताकि उपयोगी कार्य हो सकें। उपयोगी कार्य होंगे तो उनका लाभ उठाया जा सकेगा। इस संबंध में भी कोशिश करने की आवश्यकता है।

अब मैं एक क्राप इन्शोरेंस के बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने क्राप इन्शोरेंस की स्कीम को समाप्त कर दिया है। उन्होंने यह स्कीम विदड्रा कर ली है। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वह राजस्थान सरकार को प्रेरित करे कि वह इस स्कीम को लागू करे, क्योंकि यह स्कीम डेजर्ट क्षेत्र में, अकाल पीड़ित क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। इन क्षेत्र के लोगों के लिए यह योजना आवश्यक और जरूरी है। आपका

फैमिन कोर्ड काफी पुराना बना हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको नए सिरे से बनायें, ताकि इसका लाभ अच्छी तरह से उठा सकें। इसका लाभ उठा कर हम प्रगति कर सकें।

कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ऐसी स्थिति में किसानों ने बड़ी मदद की है। यदि दूसरी जगह से गेहूँ नहीं आता तो हमारी हालत बहुत ही बुरी होती। हमारे किसानों ने जो उत्पादन किया है; उस उत्पादन से हमारे अकाल से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को लाभ मिला है। हमारा बचाव उनसे हुआ है, उन किसानों के लिए हम सुविधायें दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन्टरैस्ट उनसे कम से कम लिया जाए और जो अकाल से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनसे किसी तरह का इन्टरैस्ट न लिया जाए। हम उनको सुविधायें देंगे तो देश का उत्पादन बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुन: कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : कृषि संबंधी मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ मुद्दे सामने रखना चाहता हूं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर आधारित है। हमारी सत्तर प्रतिशत जनता कृषि पर आश्रित है और इन सभी लोगों के लिए यह जीविका का साधन है; हमारी राष्ट्रीय आय का 42 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है, और ग्रामीण निर्धनता कम करने में यह एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। हमारी अर्थव्यवस्था का मूल बिन्दु कृषि है, क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास में योगदान देती है। इसलिए, इसके लिए पहले से अधिक धनराशि आवंटित की गई है, और आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में इसे उच्च प्राथमिकता भी दी गई है।

हम देखते हैं कि वर्ष 1985-86 में 150.44 मिलियन लाख टन उत्पादन हुआ। इसके पश्चात् सूखा और बेमौसम की वर्षा हुई, और 1986-87 में उत्पादन में गिरावट आ गई और यह 144.7 मिलियन टन हुआ। वर्ष 1987-88 में 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक और गिरावट आई तथा उत्पादन में पुन: गिरावट आ गई। वर्ष 1988-89 के लिए 166 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और सातवीं योजना के अन्त तक के लिए मूल लक्ष्य 178 मिलियन से 183 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; लेकिन इसके बाद मध्यवर्ती मूल्यांकन के पश्चात् यह 175 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि यह गिरावट केवल मानसून के समय पर न आने के कारण आई है अथवा अन्य कारणों से आई है। इस पहलू की जांच करनी होगी, और हमें देखना होगा कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों में कोई सुधार हुआ है या नहीं। ये तथ्य ध्यान में रखने होंगे।

दो वर्षों के भीतर, अर्थात सातवीं योजना की समाप्ति से पहले, एक बहुत बड़े अन्तर को पूरा करना होगा। क्या ऐसा किया जा सकता है, इस मामले की जांच की जा जानी है।

सरकार ने किसानों को, विशेषरूप से सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और साथ ही लघु सिंचाई निर्माण कार्यों, अर्थात तालाब आदि, के लिए सहातता दी है। भूमि विकास, ईंधन और फलों के वृक्ष लगाने, भूमि संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, अधिक पैदावार देने वाले बीजों तथा उर्वरकों के वितरण के

लिए समुचित प्रावधान किए गए है। ऋण सुविधाओं मे भी वृद्धि की गई है। अनुसंधान कार्य में तेजी लाई गई है।

कृषि के क्षेत्र में हमारे प्रयासो की विश्व भर में प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि कम अवधि के भीतर हमारे कृषि उत्पादन में तीन गुना वृद्धि हुई है। लेकिन हम अपने विगत कार्य-निष्पादन से आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा :—

(1) अन्य देशों की तुलना में हमारा प्रति इकाई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है;

(2) खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बहुत कम है;

(3) उर्वरकों तथा खाद की प्रति इकाई—क्षेत्र खपत बहुत ही कम हैं;

(4) मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि वर्तमान उत्पादन और सातवीं योजना के अन्त तक अनुमानित उत्पादन के बीच का अन्तर भी समाप्त करना है;

(5) बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि करनी होगी; और

(6) कृषि के क्षेत्र में बेहतर तथा प्रभावी उपाय भी करने होगे।

वर्ष 1985 के आंकड़ों के अनुसार भारत में धान का प्रति इकाई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2179 किलोग्राम है, जबकि अमरीका मे यह 6095 किलोग्राम है तथा कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य में यह 6667 किलोग्राम है।

लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रमाणन फार्मों के अनुसार, अन्य देशों के उत्पादन से इसकी तुलना की जा सकती है। पंजाब में यह 6989 किलोग्राम है; पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह 5,500 किलोग्राम है।

हमारे देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता भी बहुत कम है। सोवियत संघ का उत्पादन हमारे उत्पादन से अधिक है। उनकी जनसख्या हमारी जनसंख्या की तुलना में कम है, लेकिन वे विदेशों से खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। सोवियत संघ में क्रय शक्ति अधिक है।

कृषि के क्षेत्र में और अधिक सहायता देनी होगी। खेती के नए तरीके से इसमें सुधार लाना होगा। पहले पारम्परिक तरीके से खेती की जाती थी। अब हमारे कृषक वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं। अब उन्हें अधिक पैदावार देने वाले बीजों तथा उर्वरकों के साथ साथ ऋण की भी आवश्यकता है। उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ ही सहकारी समितियों तथा अन्य स्त्रोतों से सम्पर्क करना होगा। ये चीजें निश्चित स्थानों तथा व्यक्तियों तक पहुचनी चाहिए ताकि वे इनका शीघ्र लाभ उठा सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की श्रेणी और किस्म के अनुकूल वहां अनुसंधान केन्द्र खोले जाने चाहिए; और अनुसंधान के परिणामों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित तथा लागू किया जाना चाहिए।

कावेरी जल तथा अन्य मामलों जैसे अन्तर्राज्यीय जल विवाद का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए। यदि इसका शीघ्र निपटान नहीं किया गया तो इसका खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अनेक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में वर्षों लगे हैं। इस पहलू को ध्यान में रखना होगा।

हरित क्रांति के संबंध में कतिपय क्षेत्रों में बाधा आई है। हालांकि वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है, अर्थात सिंचाई ग्रामीण विद्युतीकरण तथा अन्य बातों की अतिरिक्त सुविधा है, फिर भी दक्षिण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं ताकि उन्हें भी हरित क्रांति का लाभ प्राप्त हो सके।

देश में उर्वरक कारखाने अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक की उत्पादन लागत अधिक है और इसलिए उर्वरक का मूल्य भी अधिक है।

भारत मछली का उत्पादन करने वाला विश्व में एक प्रमुख देश है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय के पश्चात मत्स्य उत्पादन में चार गुना वृद्धि हुई है। हमारे देश में पश्चिम तथा पूर्व में दोनों ओर, 5000 किलो मीटर की तटीय रेखा है। इस बड़ी रेखा को देखते हुए, हमने समुद्र में उपलब्ध संसाधनों का अभी तक पूर्णत: विदोहन नहीं किया है, मछली पकड़ने में, विशेष रूप से समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में हम पिछड़े हुए हैं और हम इसमें इसलिए अधिक समर्थ नहीं हुए हैं। क्योंकि हमारे पास मछली पकड़ने वाली नौकाएं कम संख्या में हैं, और चूंकि हमारे पास मछली पकड़ने वाली कम नौकाएं हैं इसलिए विदेशी पोतों द्वारा अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ी जाती हैं। अत: गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य बहुत प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए। सभी मछुआरे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। वह तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में मत्स्य बन्दरगाह के बारे में है। कन्याकुमारी में एक मत्स्य बंदरगाह की स्थापना करनी होगी।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : मैं माननीय मंत्री महोदय और केन्द्रीय सरकार का ध्यान तीस्ता बांध, जोकि एक राष्ट्रीय परियोजना है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका निर्माण कार्य तब आरम्भ किया गया था जबकि सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री थे और श्री ज्योति बसु सिंचाई मन्त्री थे। इसकी आधार शिला 22 मार्च, 1975 को रखी गई थी और उस दिन यह कहा गया था कि यह परियोजना लगभग चौदह वर्षों के बाद चालू हो जाएगी। लेकिन अब तेरह वर्षों के बाद भी यह योजना पूरी नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना पर केवल लगभग 5 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं अथवा दिए गए हैं भाखड़ा नांगल बांध के पश्चात् यह एक दूसरी राष्ट्रीय परियोजना है यह आशा की गई थी है कि मन्त्रालय इस परियोजना की ओर ध्यान देगा और इसे तत्काल अथवा कम से कम, समय पर पूरा करेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनेक पत्र लिखे जाने और अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद इसको शीघ्र पूरा नहीं किया जा रहा है इससे केवल पश्चिम बंगाल के प्रति सरकार के पक्षपातपूर्ण तथा भेदभाव पूर्ण रवैया का पता चलता है। यदि यह किसी अन्य राज्य की परियोजना होती तो शायद यह अब तक पूरी हो गई होती। जरा कल्पना कीजिए कि तेरह वर्षों में केवल पांच करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसके लिए मैं किसे दोष दूं ? यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के पास कोई साधन नहीं है। अभी तक 250 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। यदि यह परियोजना पूरी होती है तो इससे 950,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी जिसमें उत्तर बंगाल के मालदा पश्चिम दिनाजपुर, जलपईगुडी और कूच बिहार जिलों का क्षेत्र सम्मिलित होगा।

हम सदैव आदिवासी क्षेत्रों के विकास की बातें करते हैं। इस परियोजना से इस क्षेत्र के आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को फायदा होगा। इससे उन्हें बहुत अच्छी जीविका प्राप्त

करने में सहायता मिलेगी। जैसाकि मैंने बताया है यह भाखड़ा नंगल बांध के बाद सबसे बड़ा बांध है। अतः मेरा आपसे बार-बार यह अनुरोध है कि इसे तुरन्त स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए तथा इस कार्य को शुरू कराया जाना चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय को अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि यह तीस्ता बांध कितने समय में पूरा हो जायेगा और इसके लिए इतनी धनराशि निर्धारित की जायेगी। इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए।

हम देख रहे हैं कि देश में लघु उद्योग कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग भी रुग्ण होते जा रहे हैं। कुटीर उद्योग कृषि पर आधारित हैं। इस परियोजना से कृषि को सहायता मिलेगी और इसके फलस्वरूप कुटीर उद्योगों को भी सहायता मिलेगी। मैं इसे फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि यह एक राष्ट्रीय परियोजना है।

महोदय, कृषि के विकास की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। वहां पर बहुत से खंड विकास अधिकारी मौजूद हैं लेकिन वहां पर अधिकारी बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे हैं। वहां पर सुअर पालन मुर्गी पालन, मछली पालन, पशु पालन जैसे विभाग मौजूद हैं लेकिन इनका जिम्मेदारी किसी पर नहीं है, तथा यह भी जानकारी नहीं है कि किस प्रकार का कार्य चल रहा है। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि खंड विकास अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। अन्यथा हमें खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर होने में और 40 वर्ष लग जायेंगे। मन्त्री जी एक पत्र भेज देते हैं और राज्य सरकार दूसरा पत्र भेज रही है। पत्र केवल फाइलों में ही रह जाते हैं। अतः हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाये जाने चाहिए।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों में आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, न भोजन है, न मकान है और न ही कपडा है। गांवों के प्रति उनमें कोई लगाव नहीं है क्योंकि वे वहां पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। हमारे ग्रामीण भारत की यह दशा है।

हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है तथा कृषि पर निर्भर है। अतः हमारी धनराशि का बड़ा भाग कृषि उत्पादन पर व्यय किया जाना चाहिए ताकि हमारे देश के लोगों की कम से कम भोजन कपड़ा और मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो सकें। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना चाहिए तथा कृषि के विकास हेतु और अधिक धन-राशि आबंटित करनी चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि आजादी के 40 वर्षों बाद भी हम भूमि सुधारों की बात कर रहे हैं। कुल घोषित 76,06,131 एकड़ फालतू भूमि में से केवल 12,54,000 एकड़ भूमि का पश्चिम बंगाल में वितरण किया गया था। जब तक भूमि सुधार कार्य नहीं किये जाते तब तक हम अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि की किस प्रकार आशा कर सकते हैं। भूमि का बड़ा भाग केवल जमींनदारों के पास है और गरीब कास्तकार छोटे से भूमि के टुकड़े पर गुजारा करते हैं। अतः कृपया यदि आप कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो भूमि सुधारों की ओर अधिक ध्यान दीजिए।

किसान चावल धान, गेहूं आदि का केवल अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन कर रहे हैं। प्रत्येक किसान को कम से कम 10 परिवारों के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करना चाहिए तभी आप सपूर्ण देश को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक धनराशि दी जावे।

महोदय, कई सदस्यों ने ग्रामीण लोगों के शोषण के बारे में बताया है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों को देश के अन्य सदस्यों के बराबर समझा जाना चाहिए। केवल तभी वे समझेंगे कि भारत उनसे प्रेम करता है और वे भारत से प्रेम करते हैं। तभी हम शांतिप्रिय भारत की स्थापना कर पायेंगे जिसमें कोई समस्या नहीं होगी। और तभी हमारे देश में अच्छे नागरिक होंगे। अगर कुछ लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कानून और व्यवस्था की समस्य को हल करना कठिन होगा। यदि आप कानून और व्यवस्था की समस्या को हल करना चाहते हैं तो कृषि पर बल दिया जाना चाहिए तथा कृषि का विकास किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : हिन्दुस्थान एक कृषि प्रधान देश है। यहां की 75 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। यहां तक कि हमारी सारी अर्थ व्यवस्था हमारी उपज से प्रभावित होती रहती है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने विरोधी पक्ष की तरफ से, यह आरोप लगाया है कि चालीस वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी भारत में कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूं या तो उन्होंने अपनी नजरें खोलकर नहीं देखीं या उन्होंने विवेक से ध्यान नहीं दिया। हिन्दुस्तान नंगा-भूखा जो विरासत में मिला था आधुनिक भारत के निर्माता जवाहर लाल जी को जहां हिन्दुस्तान में पचास से ज्यादा फीसदी आबादी को एक वक्त भी खाने को अनाज नहीं मिलता था, चालीस बरस की स्वतंत्रता के बाद देश ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की, हरित क्रान्ति के माध्यम से और तमाम ऐसी योजनायें चालू की गई जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो। नयी तकनीक, नई वैराइटीज इंट्रोड्यूस की गई। खेती चार मुख्य तत्वों पर निर्भर करती है खाद, बीज, सिंचाई और पैस्टीसाइड्स। जहां तक फर्टिलाइजर्स का सवाल है केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं हैं। जो खाद आयात की जाती है किसानों के खेतों में उपज बढ़ाने के लिए हमने देखा है सरकार का उस पर पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं है। एफ. सी. आई. जैसी संस्था आयातित खाद को बांट नहीं पाई है। दो-तीन साल से वह पड़ी हुई है। खाद पुरानी हो जाती है तो उसकी ऐफिशियेंसी कम हो जाती है, वह शक्ति नहीं बढ़ा पाती। मुझे शक है कि वह आउट डेटेड खाद है उसमें ऐफिकशियेंसी नहीं है वह किसानों को दी जा रही है, वह नहीं दी जानी चाहिए। जहां तक फर्टिलाइजर का सवाल है उसमें मिलावट बड़े पैमाने पर की जाती है। मैं चाहूंगा कृषि मन्त्री जी कि जो सेम्पल लिये जाते हैं विश्लेषण के लिए उसको प्रभावी बनाया जाए ताकि यह खाद कृषकों को न मिले जो कि मिलावटी है। यह समस्या हमारे सामने न रहे इस पर आपको ध्यान देना होगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कृषि विशेषज्ञों की राय में यह भी है कि कृषि के उत्पादन में जहां केमिकल्स फर्टिलाइजर्स की अपनी विशेषता है वहीं इसके प्रभाव से खेती नष्ट भी हो सकती है। एक ओर मेकेनाइज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो रहा है जानवरों की संख्या में कमी हो रही है। आर्गेनिक मेन्यार कम हो रहे है। मैं चाहूंगा ग्रीन मेन्योर की ओर खेतों में उर्वरा शक्ति कम न हो इस दिशा में प्रयत्न किया जाना च हिए। जो रिपोर्ट प्रस्तुत है उससे पता चलता है कि जितना किसानों की उर्वरा शक्ति के लिए ग्रीन मेन्योर चाहिए उस पर उनका ध्यान नहीं दिया गया है। इसी के साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रोडक्शन आफ प्लसेज एण्ड आयल सीड्स के ऊपर सरकार बराबर ध्यान नहीं देती है, लेकिन इस क्षेत्र में भी दलहनों और तिलहनों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हम नहीं हैं। पचास से ज्यादा फीसदी हमारी मांग विदेशों से आयातित तेलों से पूरी की जाती है पता नहीं क्यों इस वर्ष भयंकर सूखे के बावजूद, सरकार के नोटिस में यह रहने के बावजूद कि किसानों की क्रय-शक्ति कम हो गयी है, पार्टिकूलरली पल्सेज और आयल-सीड के जो मिनी-किटस किसानों को मुफ्त बांटे जाते थे, उन्हें भारत सरकार ने कम क्यों कर दिया इसका कारण मुझे आज तक समझ में

नहीं आया। चाहिए तो यह था कि सूखे के इस वर्ष में किसानों को प्रति ब्लाक जो 200 या 300 किटस फ्री बांटे जाते थे, उनकी संख्या बढ़ा दी जाती ताकि इस देश का किसान तेजी से आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ सके। मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष के सीजन में मिनी किटस की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि हमारे किसान सुखी और समृद्ध हो सकें, आत्म-निर्भर हो सकें।

महोदया, जहां तक उत्पादन का सवाल है, वैराइटी का सवाल है, क्वान्टिटी का सवाल है, निस्संदेह सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किया है लेकिन गवर्नमेंट की जो प्राइसिंग पौलिसी है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किसान मेहनत करके जब किसी चीज का उत्पादन बढ़ा देता है, जैसे इस साल आलू की खेती बहुत अच्छी हुई है, आलू की पैदावार ज्यादा हो जाने के कारण आज आलू को 50 पैसे किलो पर खरीदने वाला कोई नहीं है। वैसे ही जिस किसी क्रौप की पैदावार किसी वर्ष ज्यादा हो जाती है तो उसका भूल्य बाजार में इतना गिर जाता है कि लगता है किसान का घर बिक जाएगा जब कि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार तरह-तरह के इन्सैन्टिव देती है, तमाम कोशिश करती है। मैं चाहता हूँ कि सरकार ने जो सपोर्ट प्राइस पौलिसी एडौप्ट की है, उसमें आप जो रैप्यूनरेटिव प्राइस तय करते है, समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान के गरीब किसान के द्वारा उत्पादित क्रौप का मूल्य आप कैसे निश्चित करते हैं, जिसके पास न तो पूंजी है, न सिंचाई के साधन हैं और न वह डिजायर्ड क्वान्टिटी में अपने खेत में खाद डाल सकता है। आप 173 रुपये सपोर्ट प्राइस तय करके कहते हैं कि यह रैप्यूनरेटिव प्राइस है जब कि दूसरी तरफ आप जो फार्मिंग करते हैं, स्टेट फार्मिंग के अन्तर्गत, उसमें 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भी गेहूं बिकवाकर आपका फार्म नुकसान में चलता है। फिर आप उस गरीब किसान के लिए 173 रुपए क्विंटल प्राइस फिक्स करके उसे रैप्यूनरेटिव कैसे कहते हैं जिसके पास किसी तरह के साधन या सुविधा नहीं है। इस गुत्थी को मैं आज तक समझ नहीं सका। आखिर कौन इस कास्ट को डिसाइड करता है, कैसे करता है। हमारे कृषि मंत्री जी को काफी अनुभव है, आपको किसी चीज का मूल्य निर्धारित करने से पहले सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। वैसे तो आपने मूल्य निर्धारण हेतु कमीशन फार एग्रीकल्चरल कास्ट एण्ड प्राइस नाम की बौडी बनायी हुई है और प्रसन्नता की बात है कि उसमें आपने एक की जगह तीन नौन-औफीशियल्स सदस्य के रूप में रखे हैं परन्तु उस बौडी में 70 प्रतिशत मैम्बर्स ऐसे होने चाहिएं जो एग्रीकल्चरिस्ट हों, जिनका किसी न किसी रूप में खेती से सीधा सम्बन्ध हो। मैं यहां कुछ माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत हूँ कि दिल्ली की एअर कण्डीशन्ड बिल्डिंगों में बैठकर, जिन्होंने कभी खेत नहीं देखे, जिन्होंने कभी किसानों की समस्याओं को नहीं देखा, जिन्होंने कभी यहां की परिस्थितियों का अध्ययन नहीं किया, यदि इनपुट कास्ट निर्धारित की जाए, किसानों के द्वारा उत्पादित चीजों के मूल्य निर्धारित किए जाएं तो वे किसी भी रूप में किसानों के हित में नहीं कहे जा सकते।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इस वर्ष शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा, जिसे इस सदन ने भी स्वीकार किया और सारे देश ने माना और सूखे के दिनों में खरीफ की फसल को जो मुफ्त पानी उपयोग में लाकर पैदावार करनी थी, उसके लिए किसानों ने पम्पसैट इस्तेमाल किए, बिजली इस्तेमाल की, अतिरिक्त इनपुट कास्ट बढ़ी परन्तु खेद है कि उस एडीशनल इनपुट कास्ट को मद्देनजर रखते हुए प्रोक्योरमैंट प्राइस निश्चित नहीं की गयी जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा माननीय मंत्री जी एक निवेदन करूंगा, जो प्रोक्योरमेंट पालिसी है, गेहूं की हो, पैंडी की हो या चाहे जिस चीज की हो, उसमें कुछ लकुनाज हैं। मिडिल मैन गेहूं खरीदता है और वह ले जाकर आपके सेंटर्स पर बेचता है। जब किसान से

जाता है, तो परचेजिंग सेंटर वाले उसको तबाह करते हैं, क्वालिटी का व्हीट नहीं है और तमाम नुक्स निकालकर उसको वापस करते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे मिडिल मेन किसानों से सस्ते दामों पर खरीदकर मंहगे दामों पर परचेज सेंटर पर न बेचे।

महोदय, एक यह भी शिकायत मिली है कि गेहूँ या अन्य धान वगैरह का मूल्य, जो बेचे गए हैं, बैंक या विभागों द्वारा समय से नहीं दिया जाता है जिससे किसान को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इन्हीं सुझावों के साथ, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में काला नमक एक अतिरिक्त, बहुत उम्दा किस्म का चावल पैदा होता है जिसे एक्सपोर्ट कर के फारेन एक्सचेंज कमाया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि उसको डिवेलप करने के लिए, उसकी वैरायटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्तर से कार्यक्रम शुरू करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा काला नमक नामक चावल पैदा कर हम विदेशों को भेज कर फारेन-एक्सचेंज कमा सकें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री डी. पी. यादव (मुंगेर) : सभापति महोदया, माननीय सदस्यों द्वारा इस गरिमामय सभा में पहले ही अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। महोदया, जहां तक कृषि की स्थिति का संबंध है, आज की स्थिति के अनुसार जब हम इसकी पिछली स्थिति की ओर ध्यान करते हैं आज निश्चित रूप से ही हमें यह मालूम होता है कि बहुत उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं और हमें यह खुशी है कि यह उपलब्धि नये आधुनिक भारत के निर्माताओं के द्वारा बहुत ही सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से योजना बनाकर कार्य करने से संभव हुई हैं। यदि हम वर्ष 1952 को आधार वर्ष मानें तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे आदानों की सप्लाई की गयी है और सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में की गई है। उर्वरक सप्लाई की बात को ही लें। जब हम वर्ष 1952 की स्थिति पर गौर करते हैं तो सारे भारत मे मुश्किल से 0.69 लाख टन उर्वरक की खपत हुई थी। आज भारत में उर्वरक की खपत 91 लाख टन है। क्या यह एक विशेष वृद्धि नहीं है ? ऋण देने का मामला लें। 1952 में इसकी राशि मुश्किल से 24 करोड़ रुपये थी। लेकिन अब इस समय भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की राशि बढ़कर 7203 करोड़ रुपये हो गयी है। सिंचाई में वृद्धि के मामले को लें। वर्ष 1952 में 230 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी और अब यह बढ़कर 730 लाख हेक्टेयर हो गयी है तथा सहकारी ऋणों की राशि 24 करोड़ रुपये से बढ़कर 4344 करोड़ रुपये हो गयी है। हमारे संविधान निर्माताओं और हमारे देश के नेताओं ने इस बात पर बल दिया है और हमें इस बात पर गर्व है। हमें वैज्ञानिकों पर गर्व है, हमे प्रशासकों पर गर्व है जिन्होंने सिंचाई और कृषि की योजनाओं को तैयार किया जिससे हमने देश में 1510 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यद्यपि खराब मौसम होने के कारण हम इस वर्ष 1350 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होने की आशा कर रहे हैं। हमें इस आंकड़े की अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिए और हमें इसके बारे में निराश होने की जरुरत नहीं है। हमें साहसी होना चाहिए।

हमारे देश के नेतृत्व ने इस बात पर जोर दिया है तथा उन्होंने यह निर्देश दिया है कि वर्ष 1988-89 में हमारा उत्पादन लक्ष्य 166 मिलियन टन होना चाहिए। और सन् 2000 तक हमारा यह लक्ष्य 225 मिलियन टन तक पहुंच जाना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

महोदया, चूंकि महत्वपूर्ण सुझाव पहले ही दिये जा चुके हैं, इसलिये मैं आदानों के बारे में

विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं कृषि उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। हमने उर्वरक को आदान के रूप में लिया है। हमने बीज को आदान के रूप म लिया है। लेकिन मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारी योजना में एक बात की कमी है जिसे मैं स्वयं मससूस करता हूं—वह है प्रौद्योगिकी का अन्तरण। यदि आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आवंटन आकड़ों को देखें तो आपको-पता चलेगा कि इसके लिए बहुत ही कम राशि आवंटित की गई है। केवल राजसहायता के रूप में हम कृषि पर 3000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और वह भी केवल हम उर्वरक के लिए ही कर रहे हैं। इस 3000 करोड़ रुपये में से यदि आप 30 करोड़ रुपये किसानों को शिक्षित करने में लगा दें तो भजनलाल जी इसके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी उक्त संस्थानों को अत्यधिक संख्या में स्थापित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं उसकी विश्व में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सस्थान से तुलना की जा सकती है और हमें विश्व में सर्वोत्तम संस्थान अर्थात दिल्ली स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के होने का गर्व है। हमें इस पर गर्व होना चाहिये। लेकिन प्रौद्योगिकी अन्तरण का प्रतिधान वैसा नहीं मिल पाया है जैसा मिलना चाहिए था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और हमें इस बात पर सविस्तार ध्यान देना चाहिए कि इसका प्रतिफल क्यों नहीं मिल पाया। जब आप जायें, तो इसका गहन अध्ययन करें। जिससे मैं इस परियोजना से सम्बद्ध रहा हूं और मैंने अपने क्षेत्र में प्राप्त अनुभव से यह पाया है कि आपके वैज्ञानिक भूखे मर रहे हैं। यदि आप अपने वैज्ञानिकों को भूखे रखोगे, यदि आप अपने वैज्ञानिकों को कमजोर रखोगे, तो हम अच्छी पैदावार अथवा फसलों की अच्छी उपज की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिये मैं यह अनुरोध करता हूं कि कृषि वैज्ञानिकों तथा अन्य प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को एक समन्वित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं है बल्कि वे अगली पीढ़ी के निर्माता भी हैं। लेकिन मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आपको इस संस्थान की ओर अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी प्रयोगशालाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं इसकी संख्याओं को गिनना नहीं चाहता वे पुस्तकों में हैं और मैं तो केवल उन क्षेत्रों का जिक्र करूंगा जहां आपको जाना चाहिए। आपको वहां क्या करना चाहिए—आपको बाधाओं वाले क्षेत्र का पता लगाना चाहिए—कृषि संबंधी बाधायें—कृषि संबंधी बाधाओं के विभिन्न पहलू है। क्षेत्र-वार बाधायें भी हैं। कुछ सामाजिक बाधायें हैं, कुछ तकनीकी बाधायें हैं, लेकिन क्षेत्र-वार बाधाओं का पता लगाना तथा उनका समाधान ढूंढ़ निकालने का प्रारुप तैयार करना होगा यह पहली बात है। विविध प्रकार के मृदा स्त्रोतों को सूचीबद्ध करने के साथ-साथ उक्त क्षेत्र का विस्तृत आकृतिमूलक एवं भू-आकृतिमूलक अध्ययन किया जाना चाहिए। इसे शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए। अन्यथा प्रगति के मामले में हम पिछड़ जायेंगे। तद्उपरान्त किसानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विश्वास जगाइये। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मैं वैज्ञानिकों को प्रेरणा देने की बात पहले ही कह चुका हूं। उसके बाद समूचे जिले के कार्यक्रम को लेकर चलिए। पैबन्द लगाने वाला काम न कीजिए। यदि आप समूचे जिले को लेकर चलना चाहते हो जैसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा किया जाता है, तो आप ऐसा कीजिए, समूचे जिला कार्यक्रम को अपनाइये, उसकी रुपात्मकता का अध्ययन कीजिए, जलवायु संबंधी स्थितियों का अध्ययन कीजिए, तद्उपरान्त इसके कार्यक्रम को कार्यान्वित कीजिए, और जिले में जनशक्ति का समन्वय भी आवश्यक है। मैंने पाया है कि जहां तक जिले में कृषि तथा वैज्ञानिक जनशक्ति का सम्बन्ध है, इनमें कोई भी समन्वय नहीं हो पाया है। इन कमियों को एक बड़ी बाधा के रूप में लिया जाना चाहिए जिन्हें मैंने प्रौद्योगिकी बाधाओं के रूप में, कृषि-सेवाओं

तथा सच्चाई संबंधी बाधाओं, सामाजिक-आर्थिक समस्या संबंधी बाधाओं तथा प्रौद्योगिकी अन्तरण संबंधी बाधाओं के रूप में पाया है और महोदया, प्रौद्योगिकी बाधाओं में, जो हमारे क्षेत्र में है, बाढ़ और सूखे का भारी खतरा है। सांस्कृतिक प्रथायें भी काफी वैज्ञानिक नहीं हैं। पोषक तत्वों की प्रबन्ध व्यवस्था एक अन्य क्षेत्र है जहां आपको विशेष बल देने तथा इसकी खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। तद्उपरान्त जल संबंधी व्यवस्था पौध संरक्षण, कृषि संबंधी उपकरणों, तैयार फसल के बाद की प्रौद्योगिकी, बागवानी, पशुधन संबंधी व्यवस्था—ये वे क्षेत्र हैं जहां आपको किसानों की समस्या को जानने की आवश्यकता है। इन बाधाओं की एक सूची बनाइये, तथा राज्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रौद्योगिकी का अन्तरण कीजिए ताकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के संयुक्त क्षेत्र एक साथ मिलकर कार्य करें। मैंने देखा है कि हमारे वैज्ञानिकों को विशेषकर केन्द्रीय प्रयोगशालाओं में राज्य की प्रयोगशालाओं के बजाय बेहतर उपकरण सामग्री उपलब्ध है। राज्यों की प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को इन वैज्ञानिकों से संबद्ध करके उन्नत किया जाना चाहिए। मैं इस प्रकार के सुझाव देना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में खेतीवाड़ी और कृषि के धन्धे में पिछले 40 बरस में हमारे किसानों ने जो महान योगदान किया है, उससे इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, विदेशों में इज्जत है और लोगों को खाने-पीने के लिए देश में से ही अनाज प्राप्त हुआ है। लेकिन पिछले 40 वर्षों से लगातार किसानों के अन्दर बैचेनी बढ़ती जा रही है। और बातों के लिये तो हम यह कह सकते हैं कि विदेशी तत्व का इसमें हाथ है या सी. आई. ए. का हाथ है। मगर किसानों में बढ़ रही बैचेनी के पीछे किसी का हाथ नहीं है। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि किसानों में बढ़ रही बैचेनी के पीछे किसी पोलिटिकल पार्टी का भी हाथ नहीं है।

हमारे भजन लाल जी काम करने लायक आदमी हैं और इनके हाथ में एक बहुत अच्छा महकमा है। श्री यादव जी जो कल तक हमारे साथी थे, अब मंत्री बन गये हैं। उसके लिए मैं उन्हें मुबारकवाद देना चाहता हूं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने कि "जय जवान जय किसान" का नारा दिया था उनके लायक सुपुत्र भी इस विभाग के मंत्री बन गए हैं। इसके साथ श्री जनार्दन पुजारी जी के हाथों में भी यह विभाग है।

मैं यह कह रहा था कि किसानों में बेचैनी क्यों है ? बैचैनी इसलिए है कि पिछले 40 वर्षों से किसानों की भलाई के लिए कोई भी प्लैनिंग ठीक ढंग से नहीं हुई है। अगर आप उस प्लानिंग की पूरी तरह से जांच-पड़ताल करेंगे तो मालूम हो जायेगा। आप जिस तरह से अन्धों का और विकलांगों का साल मानते हैं इसी तरह से एक साल 'किसान ईयर' के तौर पर मनाइए। किसान की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी समस्याओं की तरफ आप विशेष ध्यान दें। आप यह भी देखें कि उसको पानी, बीज और खाद आदि समय पर मिल रहा है या नहीं। जैसे किसी मरीज को देखने के लिए आप पांच डाक्टरों का एक बोर्ड बनाते हैं और उसको एक-एक चीज चैक करते हैं, उसी तरह से किसान की एक-एक प्राबलम को देखने के लिए "किसान ईयर" में एक बोर्ड बनायें। इससे किसानों का बड़ा भला होगा और उत्पादन भी अधिक होगा।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि पंजाब यू. पी. और हरियाणा ये स्टेट्स ऐसे हैं जहां के लोग खेती की व्यवस्था में सैचुरेशन प्वाइन्ट पर आ गये हैं। इसके लिए वह मुबारकवाद के मुस्तहक

हैं। सूखे के टाइम पर भी पंजाब, हरियाणा, यू. पी. और गंगानगर वगैरह ने इतना अधिक उत्पादन किया है कि शायद सरकार को इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे "जय जवान जय किसान" का स्लोगन था यह "जय किसान" वाली बात को हम नये साल में लें। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जो कि अनाज उत्पादन में सैचुरेशन प्वाइन्ट पर आ गये हैं, उसके लिये सरकार को हाई पावर्ड कमेटी या कमीशन मुकर्रर करना चाहिए। कि अब उन किसानों को कैसे अगुवाई देनी है, अब उन किसानों के लिए क्या किया जाना है। जैसे दूध का उत्पादन है, अब उन किसानों के लिए क्या किया जाना है। जैसे दूध का उत्पादन है, अभी दूध के उत्पादन में पंजाब, हरियाणा में व्हाइट रैवोल्यूशन आ रहा है लेकिन सभी मिल्क प्लाण्टों ने कीमतें कम कर दी हैं। गर्मी में 5-5, 10-10 पैसे करके, जो फी फैट मेयर के हिसाब से नीचे चली गई हैं, बढ़ेंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि पंजाब, हरियाणा और यू. पी. जहां सैचूरेशन पाइण्ट आ गया है, उन किसानों को गांवों में एग्रो वेस्ड क्या देना है, इसके लिए बहुत बड़ी योजना बनाई जाय। अगर इण्डस्ट्री फारेन एक्सचेंज कमाकर देती है तो उसके लिए हम विशेष सुविधाएँ देते हैं मगर खेती रा मैटीरियल है मगर खेती के जरिये जो करोड़ों रुपया आता है और विदेशी मुद्रा की बचत होती है उसमें से किसानों को कुछ भी नहीं दिया जाता इसलिये मेरे यह दो सुझाव हैं, किसान ईयर का और वे इलाके जहां सैचूरेशन पाइण्ट आ गया है अनाज का, उनके लिए विशेष तौर से सोचा जाय।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : क्या मैं बीच में थोड़ा बोल सकती हूँ ? कुछ माननीय सदस्य आज की सभा की कार्यवाही सायं देर तक चलाने को कह रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी आज ही जवाब देंगे।

प्रो. मधु दन्डवते (राजापुर) : वे उत्तर कब देंगे :

श्रीमती शीला दीक्षित : वे अभी उत्तर देंगे।

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उत्तर सायं 5.30 बजे शुरू किया जा सकता है।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आज ही आरम्भ की जानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सी. माधव रेड्डी : नहीं।

श्रीमती शीला दीक्षित : मुझे आपका मार्गनिर्देश चाहिए। हमें गृह मंत्रालय पर चर्चा नहीं करनी है तथा इसके लिये 6 घन्टे का समय नियत किया गया हैं। हमारे पास केवल कल का दिन ही बचा है। जबलपुर फैक्टरी विस्फोट पर भी हमें नियम 193 के अधीन चर्चा करनी है, बीच में काफी छुट्टियाँ पड़ने के कारण मेरे विचार से यह असंभव है होगा। इसलिए मैं सभा से मार्गनिर्देश चाहती हूं कि हम इसके बारे में क्या कह रहे हैं। यदि आप देर तक नहीं बैठना चाहते हैं और यदि आप इन सभी विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं तो क्या आप निर्धारित समय के अनुसार ही करना चाहते हैं अथवा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय लेना चाहते हैं ? मुझे इन मामलों में आपको मार्ग निर्देश चाहिए।

श्री सी. माधव रेड्डी : मार्ग निर्देश प्राप्त करने में आपने बहुत विलम्ब कर दिया है। हम

पहले ही कृषि मंत्रालय पर सारा दिन लगा चुके हैं । हमें कृषि मंत्रालय पर अब ही चर्चा समाप्त कर लेनी चाहिए ।

श्रीमती शीला दीक्षित : हमें गृह मंत्रालय पर आज ही चर्चा शुरू करनी है ।

श्री सी. माधव रेड्डी : नहीं आप गृह मंत्रालय पर आज चर्चा कैसे प्रारम्भ कर सकती है ?

प्रो. मधु दंडवते : आज आप कृषि मंत्रालय पर चर्चा पूरी कीजिए उसके बाद हम घर जायेंगे

श्री सी. माधव रेड्डी : हम गृह मंत्रालय पर कल चर्चा करेंगे ।

श्रीमती शीला दीक्षित : नहीं मैं सभा से अनुरोध करती हूं कि आज हमें सायं 7 बजे तक बैठना चाहिए ।

श्री सी. माधव रेड्डी : हम तब तक बैठेंगे जब तक मंत्री महोदय अपना उत्तर पूरा न कर लें ।

श्रीमती शीला दीक्षित : गृह मंत्रालय पर चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है । क्या आप चाहते हैं कि गृह मन्त्रालय पर चर्चा के लिए नियत घटों में कटौती की जाये ?

श्री सी. माधव रेड्डी : जी, हां हम इन सभी मांगों पर चर्चा करना चाहते हैं । यदि आवश्यकता हुई तो हम निश्चित रूप से समय में कटौती करेंगे ।

श्रीमती शीला दीक्षित : ठीक है । माननीय मंत्री जी अपना उल्लेख सायं 5.30 बजे देंगे ।

(व्यवधान)

5.00 म. प.

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर) : माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्री द्वारा जो कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। भारत की जो जनसख्या है, उसका 80 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है। वे लोग खेती किसानी का कार्य करते हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार हमारे प्रधान मंत्री जी आज कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा हमारे किसानों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। 40 वर्ष आजादी के हो गए आजादी के पहले हमें किस तरह का भारत मिला था, एक नंगा-भूखा भारत मिला था इस बात को हमारे सभी विरोधी पक्ष के साथी जानते हैं। मुझे इस बात को कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है कि उस समय हमारे प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दरा गांधी किस तरह से सारे देश की जनता को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते थे, हर खेत को पानी बिजली देना चाहते थे हर झोपड़ी में बल्ब जलाना चाहते थे। यही नहीं हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु चाहते थे कि छोटे-छोटे उद्योगों को लगाकर देश का विकास किया जाए, यहां के लोगों का विकास किया जाए। किसानों का विकास किया जाए। आज हमारा देश विकास की गति पर चल रहा है। आज हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी इस देश को तीव्र गति से विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने लखनऊ में बीस लाख किसानों का रैली को संबोधित किया था बेगम हजरत महल पार्क में और वहां पर उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि किसानों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो किसान है उनके हित के लिए उनके विकास के लिए विशेष योजनायें बनाकर

लागू करना चाहते हैं। मैं इस बात को कृषि मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज निश्चित रूप से जिस तरह से विकास की गंगा बहाई जा रही है उसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है, देश की जनता को मिल रहा है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हमारे देश में इतना भयंकर सूखा पड़ा और उसमें आपने जो घोषणा की, हम भी सभी इस बात की घोषणा करते हैं कि देश में कोई भी व्यक्ति खाने के बगैर नहीं मरने पाया। कहीं से भी कोई इस प्रकार की बात नहीं आई। आज सूखे की वजह से कठिनाई और परेशानी तो है लेकिन उसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा हर तरह की योजनायें चलाई जा रही हैं और उनका विकास किया जा रहा है।

मैं यहां पर कीटनाशक दवाओं की बात करना चाहता हूं। सूखे के समय में जब मैं अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो वहां पर मैंने हरे-हरे कीड़े देखे जिनके सूड़ थी जोकि पत्ते, गन्ना, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा खा रहे थे। जनता ने प्लास्टिक की थैली में उन कीड़ों को लाकर मुझे दिया जो कि मैंने जाकर अधिकारियों को दिखाया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर सूखे में कहीं भी कुछ अनाज पैदा होने की संभावना थी तो उसको कीड़ों ने खा लिया इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कीटनाशक दवायें दी जाती हैं इन दवाओं का पैसा उन किसानों से नहीं लेना चाहिए उसको फ्री रूप में देनी चाहिए।

सूखे में हम जिस तरह से जनता के विकास का कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है इसके लिए मैं अपने प्रधान मन्त्री और सारे लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले गरीब भाईयों उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए बहुत सी योजनायें बना रखी हैं उनको इस स्थिति से ऊपर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सम्पर्क मांग बनाने की योजना चालू की थी। यह योजना उन्होंने इसलिए

5.06 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बनाई कि किसान अपनी पैदावार गन्ना, गेहूं, धान, ज्वार, और बाजरा सम्पर्क मांग से होते हुए मुख्य मार्ग से बाजार ले जाए ताकि उसको उचित मूल्य मिल सके। पहले यह सुविधा न होने से किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था। इस सुविधा से किसान जो सामग्री पैदा करते हैं उसका उसको उचित मूल्य मिलेगा और किसानों को लाभ होगा इसलिए सम्पर्क मार्गों का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं एन, आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. योजना के तहत बहुत से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आर. एल. ई. जी. पी. योजना के तहत जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उन पर मिट्टी का कार्य होने के बाद मिट्टी का कार्य नहीं होता है। मेरी राय है कि जो कार्य पैडिंग स्टेज पर हैं, उन कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम इन्दिरा आवास बनाकर गरीब भाइयों को आवाज देने की सुविधायें दे रहे हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में जाकर घड़ल्ले के साथ कहते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी हो जो पेड़ के नीचे रहता है, जिसके पास रहने का स्थान नहीं है, उसके लिए हमारी सरकार मकान बनाकर देती है। मगर इस तरह की कोई बात हमें दिखाई नहीं देती है कि कोई आदमी पेड़ के नीचे रहता हो। इन योजनायें के माध्यम से इन्दिरा आवास बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं, इससे उनको बहुत लाभ है। उनको रहने की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित ढंग से मिल रही है। उनसे पानी और बिजली की सुविधायें भी दी जा रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा है, 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है और उनको निश्चित रूप से शहरों का अभाव नहीं खटकता है। उनके

लिए निश्चित रूप से स्वच्छ शौचालय बनाकर दिए जा रहे हैं। बिजली दी जा रही है और वे पंखा चलाकर रहते हैं।

अब मैं उसर बंजर भूमि के विश्वास की बात कहना चाहता हूं। ग्राम समाज की भूमि जो हमारे गरीब भाइयों को आवंटित की गई है, उसका लाभ उनका ठीक से नहीं मिल पा रहा है। मैं आज इस बात को कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो उसर-बंजर भूमि है, उसको लवलिंग होनी चाहिए। उसके विकास के लिए उस पर खेती बाड़ी करने के लिए कृषि यन्त्र उनको मुफ्त दिए जाने चाहिए। खाद और बीज भी उनको मुफ्त दी जानी चाहिए ताकि वे अपना कार्य ठीक से कर सकें। मैं आज इस बात को भी कहना चाहता हूं कि जो आपने कृषि वर्कशाप बनाए हुए हैं, इनको बनाने में आपके लाखों-लाख रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन इन वर्कशाप्स पर किसानों को लाभ देने वाली कोई चीज तैयार नहीं होती है। इसलिए आपको देखना चाहिए। आपको सही ढंग से योजना बनानी चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि में बहुत से लोगों के पास बैल नहीं होते हैं। कृषि वर्कशाप में ट्रेक्टर्स और थ्रेसर होते हैं और किसान उन को मढ़ाई के लिए किराये पर ले जाना चाहता है लेकिन वर्कशाप में जो ट्रैक्टर्स और थ्रेसर्स होते हैं वे बेकार पड़े रहते हैं और किसान को उस की जरूरत के समय नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कृषि वर्कशाप में ट्रेक्टर्स और थ्रेसर्स ठीक ढंग से रहें और वे ठीक ढंग से कार्य कर सकें ताकि किसान को जरूरत के समय वे किराये पर उपलब्ध हो सकें।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो डिमान्ड्स प्रस्तुत की हैं उन का मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि मुख्य वक्ता ने मन्त्रालय की मांगों के बारे में कह दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप छोटे वक्ता हैं,

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बात यह है कि—मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अनुसंधान संस्थानों विशेषकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर ध्यान दें जिसने वैज्ञानिकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं यह बात राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के श्री आर. आर. पात्रा द्वारा 11 मई, 1986 को की गई आत्महत्या के संदर्भ में कह रहा हूं।

हम सब कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान की महत्ता को जानते हैं। हम इस बात को भी समझते हैं कि भूतकाल में इसने हमारे देश में कृषि की बढ़ोतरी के लिए क्या योगदान दिया था तथा भविष्य में आने वाली आपदाओं का सामना करने हेतु कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनुसंधान कितना आवश्यक है। मन्त्रालय में कई गतिविधियां चल रही हैं। उनमें से कुछ के बारे में यहां सदन में भी चर्चा हुई है कि आप देश को कैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक नए तरीके से विभाजित करने जा रहे हैं तथा यह भी कि आप कैसे कृषि मन्त्रालय से सम्बद्ध कई क्षेत्रों जैसे डेयरी, मत्स्यपालन आदि का विकास करने जा रहे हैं ताकि लोगों की दूध तथा मांस की आवश्यताएं पूरी की जा सकें। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं।

श्री पात्रा ने एक पत्र लिख छोड़ा था—मन्त्री महोदय इसे जानते होंगे। उन्होंने लिखा है कि—निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान विकास, तथा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर किया है।" आत्महत्या-स्वीकारोक्ति पत्र में ऐसा लिखा हुआ है। इस प्रश्न को 28 जुलाई, 1986 को सदन में उठाया गया था। उस समय श्री मकवाना जी मन्त्री थे परन्तु अब वह मन्त्री नहीं हैं। उन्होंने श्री नागपाल-जो अब मन्त्री हैं, को उत्तर दिया था—लेकिन उत्तर सही नहीं था और यह विशेषाधिकार का हनन है। मैंने सोचा था कि चूंकि श्री मकवाना अब यहां नहीं हैं इसलिए मुझे उनके विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं उठाना चाहिए—मुझे इस बात का दुख भी है। उत्तर कुछ इस प्रकार था" श्री पात्रा के मामले में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अधिक सहानुभूति दिखाई थी लेकिन उनके परिवार से सम्बन्धित कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें मैं उनके परिवार के हित में यहां बताना नहीं चाहता हूं। और इसलिए, मेरा यह कहना है कि इस वैज्ञानिक ने व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या की है।

इसी प्रश्न के संदर्भ में दूसरे सदन में एक अन्य मन्त्री श्री ढिल्लों ने उत्तर दिया था। मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं। मैं दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समिति की हाल की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "श्री पात्रा के मामले में रिपोर्टिंग अधिकारियों ने उनकी वार्षिक रिपोर्ट को कई सालों तक इस आधार पर तैयार नहीं किया कि वैज्ञानिक ने स्वयं मूल्यांकन प्रपत्रों को नहीं भरा था। यह संस्थान की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक गलती की जो छः वर्षों से अधिक समय तक चलती रही।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक, श्री आर. नागरेंकर को गोपनीय रिपोर्ट को बिना एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के तैयार करने का आदेश देना चाहिए था अब समिति यह अनुभव करती है कि इस संदर्भ में गलती करने वालों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने श्री पात्रा के द्वारा भेजे गए उनके प्रपत्रों को प्रभाग प्रमुख द्वारा खो देने के आरोप की जांच करने के लिए कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की, यहां जो बात उभर कर सामने आती है वह यह है कि मेधावी वैज्ञानिक जो हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, डेयरी आदि में अनुसंधान के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं लेकिन उनका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में दम घुट रहा है। संस्थान में शैक्षणिक अयोग्यता का बोलबाला है। वहां प्रतिस्पर्धा व्याप्त है। एक प्रकार की मैं नहीं जानता की वहां पर क्या हो रहा है जिससे यहां आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह तथ्यों को छिपाए और सदन में यह कहे कि यह सब व्यक्तिगत कारणों की वजह से हुआ है।

उनके परिवार के सदस्य हमारे पास आते हैं। मुझे पता नहीं कि उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं वे आते हैं और रोने लगते हैं। मैं इस बारे में नहीं बोलता क्योंकि अन्य सदस्यों ने कृषि पर बोला है। लेकिन मैं उन्हें क्या कहूं यह मुझे पता नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए की, इस बारे में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? मैं श्री ढिल्लों और श्री मकवाना की निंदा नहीं करता बल्कि मुझे उन पर तरस आता है। इस बारे में कुछ तो होना चाहिए था। लेकिन अब आपको कुछ करना चाहिए।

यह किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत विद्वेश नहीं है। कृपया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थिति ठीक करें यह बहुत आवश्यक है। इससे न केवल कई परिवारों दुख और दुर्दशा से बचेंगे बल्कि इससे हमारे अनुसंधान कार्य में वास्तव में प्राप्ति होगी।

मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात को गम्भीरता से लेंगे और सदन में इस बारे में स्पष्टीकरण करेंगे और कृषि से सम्बन्धित इन संस्थाओं में स्थिति को ठीक बनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

चौधरी रामप्रकाश (अम्बाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन डिमाण्डस का समर्थन करते हुए, मैं प्रधान मन्त्री जी का बहुत आभारी हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कृषि का बहुत तजुर्बेकार मिनिस्टर बनाया। चौधरी भजन लाल जी को मिनिस्टर बनाया। जिस दिन भजनलाल जी ने ओथ ली थी, उसी दिन बारिस शुरू हो गयी थी। पहले लोग चिल्लाते-चीखते थे, बोलते थे लेकिन बारिस नहीं हो रही थी। उनके मिनिस्टर बनते ही बारिस हो गयी और लोगों की बेचैनी भी बंद हो गयी।

भजनलाल जी हरियाणा में भी कृषि मन्त्री रहे और बड़े कामयाब मन्त्री रहे। उसी का फल था कि ये बाद में हरियाणा के मुख्य मन्त्री रहते हुए भी इन्होंने कामयाबी के साथ काम किया। अब मैं इनसे यही उम्मीद करूंगा कि हमारे यहां जो देश में अनाज की थोड़ी सी कमी है वह आपके एफर्ट्स से अनाज की कमी दूर हो जाएगी। मुझे ऐसा विश्वास है।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मुल्क में, हमारे देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। बेरोजगारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमारी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल होगा। तभी बेरोजगारी दूर हो सकती है।

हमारे देश में 80 परसेंट आबादी का दारोमदार कृषि पर है और इस 80 परसेंट को यदि काम पर लगा दिया जाए तो बेकारी की समस्या हल हो सकती है। वह किस तरह से हो ? हमारे बहुत सारे साथी और मेम्बरान सरकार से बहुत सी डिमाण्ड्स करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जब तक इस देश में लैंड रिफार्म्स का काम नहीं होगा तब तक यह बेकारी की समस्या कायम रहेगी। हमारे बहुत सारे मेम्बरान साथी बहुत सारी बातें करते है लेकिन एक बात इन्हें ध्यान में रखनी चाहिए—लैंड टू दी टिल्लर।' जब तक जमीन जोतने वाले की नहीं होगी तब तक यह बेकारी दूर नहीं होगी। आप जमीन जोतने वाले की कर दीजिए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और हमारे देश के अन्दर दुगनी पैदावार हो जाएगी। जब तक आप यह नहीं करेंगे यह काम खत्म नहीं होगा। इन्डस्ट्रीज आप कहां तक लगाएंगे, इससे सब लोगों को रोजगार मिलने वाला नहीं है।

सूखाग्रस्त इलाके की बात कही गई, मैं कहना चाहता हूं कि सारे मुल्क में, सब राज्यों को इसके लिए इमदाद दी गई, इसके लिए हम प्रधान मंत्री जी के और कृषि मंत्री जी के आभारी हैं, लेकिन जहां तक हरियाणा का सवाल है वहां पर जो भी इमदाद दी गई, वह सब बीच के लोग ही खा गए, मिनिस्टर खा गए, लोग चिल्लाते रहे लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। आज भी वहां पर लोग दुखी हैं, बीज ब्लैक में बिक जाता है, खाद ब्लैक मार्केट में बिक जाती है, दिन को डिपो में माल आता है, रात को डिपो खाली हो जाता है। जब तक इस तरह का करप्शन रहेगा, किसानों

के साथ नाइन्साफी होगी तो मुल्क चल नहीं सकेगा। आज हम किसान की दुहाई देते हैं, लेकिन किसान को न्याय नहीं मिलता। जो पैदा करने वाला है वह भूखा मर रहा है, जब किसान को ही अनाज नहीं मिलेगा तो फिर गरीब आदमी को अनाज कौन देगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसका उचित प्रबंध होना चाहिए, खासकर हरियाणा में आप देखिए डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया है। खेती का ही नहीं हर चीज का, चाहे सड़क हो, इन्डस्ट्री हो पत्थर-रोड़ी तक आज वहां की सड़कों पर नहीं है। हमारी सरकार करती क्या है, झूठे केस बनाकर सच्ची बात करने वालों को बंद करवा देती है। अपोजीशन के लोग वहां जाकर बात कर के देख लें, उनको भी बंद करवा दिया जाएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक जमीन को गरीबों में तकसीम नहीं किया जायेगा, तब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होगा। जब हरियाणा में चुनाव हुए तो कर्जे माफ करने की बात कही गई, उसके साथ-साथ बिजली और पानी का प्रबन्ध करने के लिए भी कहा गया, करप्शन मिटाने के लिए कहा गया, लेकिन हुआ क्या, करप्शन तो बढ़ गया और बाकी सुविधाओं का कोई पता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप परमात्मा के लिए हरियाणा की तरफ ध्यान दें, नहीं तो वहां दो साल के अन्दर लोग भूखे मर जाएंगे, वहां पर उनको इन्साफ देने वाला कोई नहीं है। एक हमारे पास चौधरी भजनलाल जी हैं जो बेईमानों, चोरों और करप्ट आदमियों का मुकाबला करते हैं, स्टेट की नजर भी इनके ऊपर है, सेंटर की नजर भी इनके ऊपर है। इनसे बेहतर आदमी न तो हरियाणा के अन्दर कोई और है और न ही आगे होगा।

आज हम अधिक उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा की आई. एस. वाई. केनाल काफी अरसा हुआ है, अभी तक कम्प्लीट नहीं हो सकी है। जब तक यह कैनाल पूरी नहीं होगी, वहां पर पूरी पैदावार नहीं हो सकती। इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

थोड़ी सी बात अपने क्षेत्र अम्बाला के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर न तो कोई नहर है, न वहां पर बिजली का पता है, न वहां पर पानी का पता है। किसान पूरी मेहनत करता है, लेकिन जब तक उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसकी सिर्फ मेहनत क्या करेगी। अगर हमारे लिए सारे रेसोर्सेस का प्रबन्ध कर दिया जाए तो हम दावा करते हैं कि हम सारे मुल्क के लिए अनाज पैदा कर सकते हैं। लेकिन सारे रिसोर्सेस पता नहीं कहां चले गए हैं। बीज भी अच्छे नहीं मिलते। खराब बीज मिलते हैं, उनसे पैदावार भी कुछ नहीं होती। अभी दवाईयों का जिक्र किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैलूसी होती है जिससे गेहूं के अलावा और सब गन्दगी भर जाती है। वह दवाई भजनलाल जी के समय में 80 रुपए किलो मिलती थी, अब 160 रुपए किलो मिलती है। गरीब किसान उस दवाई को बिल्कुल नहीं खरीद सकते। वहां पर आधा घास और आधा गेहूं होता है, वहां पर यह बहुत जरूरी है। प्रधान मन्त्री जी को, भजन लाल जी को और शीला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : जनाब मोहतरम् डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कृषि के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की की है, यह वाकई तारीफ के काबिल है। अगर सन् 50 से लेकर आज तक का अन्दाजा लगाएं तो हमने काफी तरक्की की है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं खासकर राजस्थान के बारे में बोलना चाहूंगा। राजस्थान में अकाल की बहुत गम्भीर स्थिति है। 27 में से 26 जिलों में अकाल है। वहां आज सौन करोड़ जनता अकाल से पीड़ित है। वहां आज ऐसी स्थिति है कि लोगों को एक-एक दिन

काटना मुश्किल पड़ रहा है। हमारा पशुधन आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। उसकी देख-रेख करने के लिए किसान के पास हिम्मत नहीं है। वह जूझ रहा है कि किस तरह से पशुधन को बचाए और किस तरह से अपने आदमियों की देख-रेख कर सके। 58 करोड़ रुपए की जो राशि राजस्थान सरकार को दी जानी है, वह जल्दी ही उनको दी जाए। चार महीने के लिए चार सौ करोड़ रुपए की राशि जल्दी से मंजूर करके वहां भेजी जाए क्योंकि आने वाले चार महीने राजस्थान के लिए बहुत बड़े संकट के महीने होंगे, क्योंकि पशु धन की समस्या और आदमियों के लिए खाने-पीने की समस्या है इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा धन दें। वहां टीम भेजकर जायजा लें कि किस तरह से लोग जिन्दगी जी रहे हैं। "जय-जवान-जय-किसान" की मिसाल राजस्थान में ही देखने को मिलती है। वहां के ज्यादातर लोग फौज में भर्ती होते हैं और फौज में सर्विस करना अपना अधिकार समझते हैं। वहां का किसान लगातार अकाल की परिस्थितियों में अपनी मेहनत से जूझ रहा है। सीमित साधनों के बावजूद राजस्थान सरकार हर मुमकिन सहायता देने की कोशिश कर रही है। अगर आप योगदान देंगे तो लोगों की हालत कुछ सुधर सकेगी। मैं अपने जिले झुन्झुनू की बात करना चाहता हूँ। एन. आर. इ. पी. योजना के तहत कुएं खोदने के लिए सहायता मिलती है, गड्ढे खोदने के लिए नहीं मिलती · (व्यवधान) उस सहायता से क्या फायदा जब तक ट्यूबवैल लगाकर पानी बाहर नहीं आ जाता। नौ हजार रुपया सहायता के तौर पर और नौ हजार रुपया लोन के रूप में किसानों को मिलता है। अगर मोटर लगाने के लिए बीस हजार रुपया चाहिए तो वह कहां से लायेगा। यह पूरा खर्चा एन. आर. इ. पी. के तहत दिया जाना चाहिए। दस-दस साल से कुएं खुदे हुए हैं लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। उन कुओं को खोदने का फायदा क्या जिनको अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है। मेरा कहना है कि जितने कुएं अकाल राहत केतहत खोले गए हैं उनको तुरन्त बिजली का कनेक्शन देने के आदेश करें ताकि लोग अपनी उपज बढ़ा सकें। मेरे क्षेत्र में एक खेतड़ी प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसको चलाने के लिये प्रति दिन नौ मिलियन गैलन पानी चाहिए। पानी जमीन से लिया जाता है, एक तो वहां बारिश नहीं और दूसरे पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और काफी मुश्किल आती है। इस प्रोजेक्ट से मात्र 13 किलो मीटर की दूरी पर जहां हरियाणा की सीमा है वहां पर जवाहरलाल नेहरू कैनाल है। उस कैनाल से पानी ले लिया जाए तो वहां पर जो कुएं हैं उनका जल स्तर ऊपर आ जायेगा और किसानों को राहत मिल जाएगी। सब्सिडी जो किसान को मिलती है उसमें बहुत भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है, अगर इस भ्रष्टाचार को आप नहीं रोकेंगे तो किसान का विकास नहीं हो पायेगा। किसान चाहता है कि उसको भले ही फायदा कम हो, लेकिन करप्शन नहीं हो। अगर आप इस पर रोक लगायेंगे तो किसान को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। आज हमारे राजस्थान का किसान अकाल से जूझ रहा है आज हम कहें कि लोन माफ कर दो। यह एक अजीब बात लगेगी, लेकिन आप बतायें कि हमारा किसान कैसे लोन देगा, जबकि उसके पास पैसा ही नहीं है। तो कुछ न कुछ ऐसा बन्दोबस्त हो कि उस पर ब्याज नहीं लगे जब तक अकाल रहे ताकि वह यह महसूस कर सकें कि हमें कुछ राहत मिली है। मैं माननीय रामूवालिया जी की इस बात का समर्थन करता हूँ कि जिस तरह से इस साल का बजट किसान और जनता का बजट कहलाया है यह जरूरी बात है कि हम किसान का साल भी कहलायें ताकि हम किसान की तमाम समस्याओं को देखें और उन्हें हल करने की कोशिश करें। खासकर जहां अकाल और बाढ़ है। मेरे क्षेत्र में उदयपुर वाटी और खेतड़ी ऐसा ही क्षेत्र है जहां पानी का नाम नहीं है, पानी खत्म हो गया। उन क्षेत्रों में भी वही सुविधायें मिलनी चाहिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती हैं, क्योंकि यह दोनों क्षेत्र पहाड़ी हैं। उस क्षेत्र से पचहत्तर फीसदी लोग फौज मे हैं। वहां पर एक भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है। मेरा क्षेत्र 150 किलोमीटर

तक हरियाणा से मिला हुआ है। उनके क्षेत्र के लोगों के पास नहरें हैं, बिजली के बल्ब जलते हैं जबकि हमारा क्षेत्र सुनसान जंगल की तरह है, रेगिस्तानी इलाके की तरह है। हमारे क्षेत्र में भी कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाये। जल धारा योजना के तहत जो सहायता मिलती है वह राजस्थान में भी लागू हो। हमारे किसानों को इस योजना के तहत सुविधा मिले। जिनके पास ट्यूबवैल हैं उनको मोटरों के खर्चे के मिलें ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। हरियाणा में चारों तरफ कैनाल है, हमारे क्षेत्र की तरफ से इन्दिरा गांधी नहर निकल रही है। हमारे क्षेत्र का विकास तभी होगा जब झुंझुनू क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर का पानी पहुंचे जवाहरलाल कैनाल का पानी पहुंचे और गंगा-यमुना का पानी वहां पहुंचे ताकि झुंझुनू, सीकर और जयपुर होकर यह आगे पानी पहुंच सके।

प्रो, मधु दण्डवते : महात्मा गांधी को भी याद रखना।

श्री मोहम्मद अयूब खां : मेरे क्षेत्र में दो डाक क्षेत्र हैं चिरावा और उदयपुर वाटी। डाक जोन होने की वजह से अकाल की सहायता नहीं मिल सकती, उनको अकाल से राहत से सम्बन्धित सभी सहायता मिलनी चाहिए। वहां पर पानी है। अगर आप ट्यूबवैल का बन्दोबस्त कर देंगे तो उनको फायदा मिल जायेगा। हमारे क्षेत्र में एक काटली नदी है जो कि बरसाती नदी है। एक जगह है पचलंगी वहां पर कालीदाह पर बांध बना दिया जाये तो वहां पर लोगों को पानी मिलेगा क्योंकि वहां पर पानी रूकेगा और जो जल स्तर नीचे चला गया है उससे लोगों को राहत मिलेगी। कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए मेरी गुजारिश है कि बासविसना में पांच सौ एकड़ जमीन है यहां आप कृषि विज्ञान केन्द्र खोल सकते हैं। जिससे वहां के लोगों को कृषि के बारे में तामील दी जा सके। वहां का जो किसान अकाल से जूझ रहा है उसको इससे सहायता मिल सकती है। हमारी जो 400 करोड़ रुपए की मांग है उसको मंजूर किया जाए और जो 58 करोड़ बकाया है उसकी मंजूरी कराकर राजस्थान को भेजा जाए।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद आपने मुझे थोड़ा समय बोलने के लिए दिया···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए भी आपको कुछ तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप तुरत प्राप्त नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री रणवीर सिंह : आपके इस उपदेश से मेरे हृदय में धैर्य और उपज रहा है, अब आगे से मैं और ज्यादा धैर्य रखा करूंगा, अब और ज्यादा प्रतीक्षा कर लिया करूंगा।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : आपने कितने दिनों तक प्रतीक्षा की है।

श्री रणवीर सिंह : मैं तो हर डिमाण्ड पर कहता आया हूं लेकिन आपने इस डिमाण्ड पर स्वीकृति दी है और उसके लिए दो दिनों से देख रहा हूँ कि कब आप को फुरसत मिले।

श्रीमती शीला दीक्षित : कल तो हाउस ही नहीं बैठा था।

श्री रणवीर सिंह : दो-तीन दिन जब हाउस नहीं बैठा था, वह समय भी तो प्रतीक्षा में ही बीता था।

श्रीमती शीला दीक्षित : जी नहीं, आपकी प्रतीक्षा केवल दो-तीन घण्टे की है।

श्री रणवीर सिंह : और जो माननीय मंत्री जी ने समय दिया है, वह इस प्रतीक्षा में चला जा रहा है।

सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने संकट की घड़ी के वक्त एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो ऐसे लोगों को सौंपा है जो धरती से जुड़े हैं : उनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा को हिन्दुस्तान के मानचित्र में कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थान पर ला दिया था दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पहली पीढ़ी ने देश को "जय जवान जय किसान" का नारा दिया था और तीसरे व्यक्ति वह हैं जिन्होंने बनारस से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तमाम धरती को एकदम परिवर्तित करके खेती में क्रान्ति लाने की कोशिश की है। (**व्यवधान**) जो कुछ बाकी रह गया, वह मैं आप के लिए छोड़ता हूं। जब इस तरह के तीन व्यक्तियों का इस मन्त्रालय में संगम हुआ है तो मैं समझता हूं कि उससे किसानों की समस्याओं से जूझने की हमें अच्छी शक्ति मिली है।

उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं अपने देश के कृषकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने श्रम और पसीने से हमें सूखे की भयंकर स्थिति से उबारा, हम उनका अभिवादन करते हैं। एक समय पूरा देश इस बात से शंकाकुल हो गया था इस संकट की घड़ी से कैसे उबरा जाए। परन्तु जिस मुस्तैदी से हमारे कृषकों ने श्रम किया, उसके लिए नतमस्तक होना पड़ा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि केवल कृषकों के श्रम के कारण ही हम कठिनाइयों से नहीं उबर सकते थे, हमारे इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने भी कृषकों के श्रम के साथ यदि अपने ज्ञान को न जोड़ा होता तो स्थिति कुछ दूसरी ही होती। इसलिए हमें अपने वैज्ञानिकों के ज्ञान और कृषकों के श्रम पसीने दोनों का आभार व्यक्त करना होगा। दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ही भारत संकट की घड़ी से उबरने में सफल हुआ।

उपाध्यक्ष जी, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर को शीघ्र ही इण्डस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा। वैसे तो कृषि के सम्बन्ध में यहां दुनिया-भर की मांग की जाती हैं परन्तु मैं सिर्फ सरकार से एक ही मांग करना चाहता हूं कि आप कृषकों को कुछ दें परन्तु कृषि की इंडस्ट्री का दर्जा अवश्य दे दीजिए उससे हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब हम कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने की बात करते हैं। उससे ऐसा आभास मिलता है जैसे कृषि और इण्डस्ट्री दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि इण्डस्ट्री और कृषि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और भारत की इकोनोमी में इनकी उसी तरह आवश्यकता है जैसे धनुष और डोरी का साथ नितान्त आवश्यक है, एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

भारत में बार-बार मांग किए जाने के बावजूद कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने की बात कभी नहीं सोची जाती। हमारे मंत्री जी कृषि से भली प्रकार अवगत हैं, उन्होंने कृषि को करीब से देखा है। यदि वे कृषकों को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दें जो एक इण्डस्ट्री को उपलब्ध कराई जाती हैं तो मेरे ख्याल में हमें कुछ मांगने की आवश्यकता रहीं रह जाएगी और हम तेजी से विकास कर सकेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति हमारे देश में टैक्सी या ट्रक खरीदना चाहता है तो वह उसी ट्रक या टैक्सी को रहन रखकर, गिरवी रखकर, कर्जा ले लेता है परन्तु जब कृषक ट्रैक्टर के लिए कर्जा मांगने जाता है तो उसके बदले उसकी सारी सम्पत्ति

और भूमि को गिरवी रख लिया जाता है। क्या हम ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकते कि मात्र ट्रैक्टर को ही रहन रखकर उसे कर्जा उपलब्ध करा सकें। यदि हम ऐसा कर सके तो उससे किसानों के मन में यह भावना उत्पन्न होगी कि हमें सरकार इण्डस्ट्रियलिस्ट के समान मानती है। क्या ट्रक वाला या टैक्सी वाला ही आपके इतना करीब है, जिसकी टैक्सी या ट्रक को रहन रखकर आप उसे कर्जा दे सकते हैं, उसके ट्रक टैक्सी पर ही आपको इतना विश्वास है, दूसरी तरफ हमारी इतनी विस्तृत धरती को जब तक वह रहन न रखे तो क्या उससे आपको हमेशा यह डर लगा रहता है कि वह अपने ट्रैक्टर को लेकर कहीं चला जाएगा और आपको उस पर विश्वास नहीं क्या आपके द्वारा दिया हुआ कर्जा डूब जाएगा। मंत्री जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत का कृषक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह बेईमान कभी नहीं होता है, हमेशा उसके हृदय में यह भावना रहती है कि हमने जो कर्जा लिया है, इस पीढ़ी में न सही, दूसरी पीढ़ी में हमें देना है, तो कम से कम यह तो उसके लिए कराईए। बैंक की लिमिट कृषकों के लिए नहीं है। अगर हमने कभी ट्रैक्टर ले लिया, उसके लिए कर्जा ले लिया जाए तो हमारी दस-बीस लाख की जमीन जो होती है वह सारी की सारी रहन रख ली जाती है। अगर दुबारा हमें उसके लिए कोई साधन लेना होता है, तो हमें नहीं मिल पाते हैं। अगर हमारी बैंक की लिमिट हो, तो हमें उन सीमाओं के अन्दर अपने सुधार के लिए कुछ और कर्ज ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये काम आप जरूर कराईए।

आयल सीड की जब आप बातें करते हैं, तो वैल्यू आफ पेमेंट को लेकर काफी परेशान रहते हैं। बाहर से आप तिलहन मंगाते हैं, तो बड़ी परेशानी होती है। इस सम्बन्ध में मैं आपको दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस दिशा में वैज्ञानिकों को एक काम करना चाहिए कि शार्ट ड्यूरेशन का एक आयल सीड निकलना चाहिए। हमारी दिक्कत इसमें यह है कि आयल सीड की तरफ हमारा कृषक क्यों नहीं बढ़ रहा है इसलिए कि हमारा पैटर्न आफ क्रापिंग, रोटेशन आफ क्रापिंग या फसलों का चक्रीकरण जिसे हिन्दी में कहते हैं, उसमें तिलहनों की फसल नहीं आती है। हम जब धान की फसल लेते हैं, तो हम उसके बाद गेहूं की फसल आसानी से ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब धान की फसल लेट हो जाती है, तो अभी तक तिलहन की कोई लेट वैरायटी नहीं निकाली है, जिसको हम अपना सकें।

दूसरी बात मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि तमाम रुपया विदेशों को दे देते हैं, लेकिन आपकी जो बीमे की पालिसी है, जिसका आप कृषकों को वायदा किया करते हैं, यह बड़ी निष्क्रिय है और जब तक इस प्रकार डेलीकेट फसलों को, जो नाजुक फसलें होती हैं तिलहन वगैरह की, उनको आप इन्श्योरेंस पालिसी के अन्दर पूरी तरह से कर कवर नहीं करोगे, तब तक हमारे वैज्ञानिक कितनी ही अच्छी प्रजाति लाएं, कृषकों को उनकी तरफ चिन्ता रहेगी। आपकी इन्श्योरेंस पालिसी के अन्दर उन फसलों को इन्श्योर किया जाता है, जो आलरेडी नेचर की तरफ से इन्श्योर्ड हैं, जैसे गन्ना और दूसरी फसलें। लेकिन जब तक इन डेलीकेट फसलों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, तब तक इस इन्श्योरेंस का किसानों को कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उसकी इंश्योरेंस को आप ज्यादा सक्रिय और ठोस बनाएं, ताकि डेलीकेट फसलों को कवर कर सकें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि में खाली उत्पादन बढ़ा देना ही काफी नहीं है। यह काम तो हमारे कृषकों ने और वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन जब अधिक उत्पादन हो जाता है, तो उसकी भी बड़ी भारी समस्या होती है, उसके विषय में हम विचार नहीं कर रहे हैं।

जो हमारी पैरीशेवल कमोडिटीज हैं, हमने उनकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक पैरीशेवल कमोडिटीज का बोर्ड होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें,

श्री रणबीर सिंह : मैं खराब होने वाली वस्तुओं की बात कर रहा हूं। अगर आप मुझे बात समाप्त करने को कहेंगे तो मैं खराब हो जाऊंगा कृपया मुझे कुछ समय और दें।

प्रो. मधु दंडवते : वह आपको कोल्ड स्टोरेज में रखवा देंगे।

[हिन्दी]

श्री रणबीर सिंह : अभी जो गन्ने का अधिक उत्पादन होता है और आपकी मिलों की क्षमता उसको पेरनी की नहीं होती, गन्ना खेतों में सूखता रहता है और हम मधु दंडवते की सरकार की तरह से नहीं कह सकते कि जाओ और गन्ने को जला दो। मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके साथ जो कृषि मंत्री थे, अब स्वर्गवासी हो गए, वह कहा करते थे कृषको हमारे सिर पर गन्ना बो लो।

[अनुवाद]

हमारा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गर्व का उपयोग किया जाए।

[हिन्दी]

कृषकों को अगर यह पता हो जाए कि यह हमारी क्षमता है इससे अधिक वह गन्ना न बोए, तो कम से कम उन्हें नुकसान तो न उठाना पड़ेगा।

आप देखें, उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन बहुत हुआ है। मैं जब अपने क्षेत्र में चलता हूं, लखनऊ तक मीलों लंबी लाईन लगी है, ट्रक लोड और ट्राली लोड की, आप उनको खरीदने की क्षमता नहीं रखते। किसान उन ट्रालीज पर लेटा है। आलू सड़ रहा है, बदबू आ रही है और कोल्ड स्टोरेज के लोग उसकी इस बेबसी का लाभ उठा रहे हैं। और मजबूर होकर मिट्टी के भाव बेच देता है,

[हिन्दी]

उसको आपसे दो पैसे चार पैसे की मदद मिलनी नहीं है और उसके आलू को खरीदने की आप में क्षमता नहीं है। अगर आज आपका यह बोर्ड होता, तो आप उन्हें बता सकते थे कि हमारी शीतगृह भण्डारों में इतनी क्षमता है, तो शायद कास्तकार की इतनी क्षति नहीं होती वह आलू इतनी मात्रा में नहीं बोता। इस वजह से उसे इस वक्त कठिनाई का जिस प्रकार से सामना करना पड़ रहा है, वह कठिनाई, उसे नहीं होती।

राजस्थान के हमारे मित्र ने जैसे अभी पानी की कमी का, जिक्र किया उसी तरह मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हरेक प्रदेश में यह कठिनाई आ रही है। सूखे के बाद क्षेत्र में भी बाराबंकी और बहराइच के जिलों का मैंने दौरा किया है, वहां भी पेयजल का संकट हो रहा है। आप बड़े-बड़े नलकूपों के निर्माण की बात करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में प्रत्येक गांव के किनारे क्लस्टर और सिंगिल ट्यूबवेल लगाएं सरकार की ओर से, जिससे जानवारों और देहात के लोगों के पीने के लिए पानी और कृषि की जो जायज फसलें हैं उनके लिए

पानी का इन्तजाम हो सके। इसे हमें बार-फूटिंग पर करना चाहिए, नहीं तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

नहरों के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं और उन्हें अधूरा छोड़ रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं। इसमें हमारी कमजोरी होती है। पहले का शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट बिल्कुल आरफन होता है। मान लीजिए श्री श्याम लाल यादव ने कोई नहर शुरू की है और उनके बाद कोई दूसरा मन्त्री आ जाता है तो वह नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा, चाहे पहला हो या न हो। इसी तरह से हमारे बहराइच जनपद में नहर बिल्कुल बड़ी बड़ी चाइना वाल बनकर रह गई है जो कि तमाम हमारे जिले के जल-प्लावन का कारण है, जिन्होंने पानी की फोर्स को बदल दिया है और कृषकों की बड़ी उपजाऊ भूमि उसमें लग गई है, लेकिन उसे पूरा करने में आप समर्थ नहीं हैं सेंटर से कहेंगे तो वह राज्य का विषय है, राज्य से कहेंगे तो केन्द्र की मदद की जरूरत है और इन दोनों के बीच में किसान पिसता रहता है। मैं चाहूंगा कि जितनी भी अन-कंप्लीट योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं उन्हें पूरा कीजिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो कि मेरे लिए आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय आप इसे महत्वपूर्ण समझें, गृह मंत्रालय पर तो बहस ठीक है अच्छी होगी, लेकिन हमें भी कुछ कह लेने दें, मेरी आवश्यक बात है।

सरकारी मूल्यों की बात अभी तक हम तय नहीं कर पाये कि कृषक को क्या मूल्य दें। कभी भी आप इस प्रश्न को तय नहीं कर पाते। अपनी समझ में आप बड़े उदार हैं और खूब दान दे देते हैं, लेकिन कम से कम कृषक को इतना तो मूल्य दें कि वह अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। आपके मूल्यों से ना उत्पादक को कुछ लाभ होता है और ना उपभोक्ता को लाभ होता है। लाभ मिडिल मैन को होता है। अगर आप कीमतें इस वक्त नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम थोड़ा अन्ट्राइ टू इलिमिनेट दिस मिडिलमैन। उत्पादक से सीधे कंज्यूमर को तो फायदा हो ताकि वह तो हमारी जय बोले, वह तो हमसे कहे कि तुमने ठीक काम किया है। कम से कम इतना तो कीजिए कि मूल्यों को कुछ अधिक करें।

आपने डेरी की स्कीम गांव के लिए निकाल दी। मैं कल गांव में घूम रहा था, हरेक आदमी जिसने गाय-भैंस ली थी, उन्होंने अपने घर में भैंस का कटा कान सूखा टांग रखा था या गाय का कान टांग रखा था। हमने कहा कि यह क्या बात है, तो कहने लगे कि जानवर मर गया था, ऊपर से कहा गया था ये इन्श्योर्ड है इसकी कीमत मिलेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कृपा कर के ऐसी योजना बनाइए कि उनके दूध को खरीदने के केन्द्र हों और तरह-तरह की स्कीमों से उनको फायदा हो ताकि जानवर मरे और इस तरह की दुर्घटना हो जाए तो उसको लाभ हो सके।

मैं अन्त में आपसे यही कहूंगा कि इन जैसे योग्य मंत्री के हाथ में जब कृषि हो तो भारत को पूरा विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे। और चीजें इन्तजार कर सकती हैं, कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती है, इसमें शीघ्रता की जानी चाहिए।

श्री जगन्नाथ चौधरी (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। कृषि विभाग से संबंधित बजट और इसकी मांगों का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

कृषि विभाग एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिस पर सारे देश की जनता निर्भर करती है। वैसे हर विभाग अपने अपने स्थान पर महत्व रखता है, लेकिन देश में सबसे पहले आवश्यकता होती है, भोजन की, कपड़े की और मकान की। यही विभाग देश के करोड़ों-करोड़ों को भोजन की व्यवस्था कर रहा है।

आजादी के 40 बरस में इस विभाग ने क्या प्रगति की है, मुझे इस सम्बन्ध में कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने बचपन की याद आती है, आजादी से पहले देश में कभी अकाल पड़ता था तो सरकार को अमेरिका और आस्ट्रेलिया के सामने हाथ फैलाना पड़ता था लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सरकार के नेतृत्व में, पं. जवाहर लाल नेहरू की देख-रेख में कृषि हमारे देश में इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि आज 40 बरस में हम अन्न के मामले में अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। इतना भीषण अकाल पड़ा, लेकिन सौभाग्य की बात है कि किसी देश के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। हमारे प्रधान मंत्री जी ने तो यहां तक बयान दे दिया कि संकट की घड़ी में अपने देश की जनता को भरपूर भोजन देने के बाद यदि हमारे पड़ोसी मुल्क पर कोई अकाल पड़ता है तो हम उसकी भी मदद करने के लिये तैयार हैं। यह हमारे किसान की ही मेहनत का फल है कि इतने भीषण अकाल के बाद भी हमारे देश में एक भी मृत्यु अन्न के बिना नहीं हुई जिससे हमारे देश की मर्यादा बढ़ी है।

देश की पैदावार को बढ़ाने के लिये हमको चन्द चीजों की विशेष आवश्यकता होती है। उसमें हमको पहले अच्छे किस्म के बीज, अच्छी खाद, सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था और कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इन सब की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हमारे कृषि मंत्रीगण इन चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं तो निस्संदेह हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और अपने देश को काफी मात्रा में अन्न देगा। यदि पड़ोसी मुल्क पर दिक्कत आती है तो उसको भी भरपूर मदद दे सकेगा। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ने खाद, बीज और बिजली की व्यवस्था किसानों के लिये की है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी उचित व्यवस्था नहीं हो पायी है। मैं उस तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, दुर्भाग्यवश मैं उत्तर प्रदेश के उस बलिया जिले से आता हूं जहां गंगा और घाघरा दोनों नदियां बलियां से होकर गुजरती हैं। हमारा बलिया जिला कभी बाढ़ से तो कभी कटाव से प्रत्येक वर्ष पीड़ित रहता है। इसके साथ ही बीच में टौंस नदी है। वह भी उसे तबाह करती है। खरीफ की फसल हमारी बिल्कुल मारी जाती है। रबी का जहां तक सवाल है उसकी भी कोई अच्छी फसल नहीं हो पाती है। हमारे जिले में सिंचाई की व्यवस्था मात्र 30 और 40 प्रतिशत की है और बाकी की भूमि असिंचित है। कुछ लोग तो प्राइवेट नलकूप लगा लेते हैं। मुझे याद है कि 1976 में असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शारदा केनाल का निर्माण प्रारम्भ किया गया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदा केनाल को अभी तक पूरा नहीं किया। यदि शारदा केनाल का निर्माण कार्य पूरा हो जाये तो मैं समझता हूं कि बलिया जिले के किसान भरपूर गल्ला पैदा करेंगे और शायद किसी दूसरी तरफ देखने की नौबत नहीं आयेगी। मैं कृषि मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में शारदा केनाल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाये जिससे बलिया जिले के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके और अपनी पैदावार को बढ़ा सकें।

यहीं पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक सुरतीपार केनाल है। लेकिन मुझे खेद के

साथ कहना पड़ता है कि समय पर पानी नहीं मिल पाता है। कभी नहरों की सप्लाई ठीक नहीं है तो कभी ट्यूबवेल बन्द रहते हैं। इधर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। समय-समय पर नहरों की सफाई हो, समय पर पानी मिले और जो ट्यूबवेल खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत समय पर हो, इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। आप नये ट्यूबवेल तो लगाते जा रहे हैं लेकिन जो खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। अतः इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

आप रेडियो और टेलिविजन पर बड़े जोर-शोर से यह प्रचार करते हैं कि आप किसानों की फसलों को बचाने के लिये कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था जिला स्तर और ब्लाक स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बलिया में खरपतवार मारने वाली दवा सस्ते दामों पर और समय पर नहीं मिल पाती है। मैं चाहूंगा कि आप उस दवाई की व्यवस्था करायें जिससे कि पूरे देश के किसान उससे लाभ उठा सकें।

आखिर में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे पूर्व कृषि मंत्री जी ने बलिया जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिये मुझे आश्वास दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं कृषि विज्ञान केन्द्र खोलूंगा तो उत्तर प्रदेश में बलिया जिला पहला होगा लेकिन मुझे दुख है कि आज वह इस कुर्सी पर मौजूद नहीं हैं लेकिन एक मिनिस्टर जो वचन दे देता है, जहां तक मेरी जानकारी है, तो उस कुर्सी पर बैठने वाले मन्त्री की पूरी-पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस वचन को पूरा करे। मैं माननीय भजन लाल जी से मिलकर निवेदन कर चुका हूँ और पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पूर्व बुजुर्ग कृषि मंत्री ने हमको जो वचन दे दिया है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि उसका पालन करें और पूरा करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री जी की आज्ञानुसार फैजाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बलिया में गये थे, उनको 50 एकड़ भूमि दी जा चुकी है वह उसका निरीक्षण भी कर चुके हैं और अपनी रिपोर्ट आपके मंत्रालय में भी भेज चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बलिया में शीघ्र कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना चलकर अपने हाथों से कर दें ताकि बुजुर्ग कृषि मंत्री की आत्मा को शान्ति मिले कि मैंने किसी को वचन दिया, उसको उन्होंने पूरा किया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

*श्री ए. बी. वी. बी. महेश्वर राव (अमलापुरम): उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि किसान को हमारी अर्थ व्यवस्था की रीढ की हड्डी के रूप में माना गया है लेकिन फिर भी उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा इन सभी वर्षों में उनके सुधार के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया है हमारे देश दूरस्थ गांवों के किसानों को विभिन्न कल्याण कार्यों के लाभ नहीं मिल पाए हैं। गरीब किसान के के कल्याण के लिए किये गये विभिन्न उपाय केवल कागज तक ही सीमित रहे हैं। किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए किये गए विभिन्न बजट प्रस्ताव केवल चर्चा के विषय ही रहे हैं। अभी तक किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किये 40 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है। लेकिन किसान अभी भी गरीब और असहाय बना हुआ है। स्थिति इतनी खराब है कि किसान दुःख झेलने में असर्थ होने के कारण आत्म-हत्या कर रहे हैं। यदि कल्याण सम्बन्धी

*मूलतः तेलुगु में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उपायों को कार्यान्वित किया जाता तो किसानों की स्थिति में सुधार होने में सहायता मिलती। अन्यथा, उसकी स्थिति हमेशा दयनीय रहेगी।

महोदय, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी जाती तो आंध्र प्रदेश में आज स्थिति इतनी खराब नहीं होती। यदि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को, जैसाकि हमारी राज्य सरकार ने सुझाव दिया था, मंजूरी दी होती है। तो इससे आंध्र प्रदेश में सैकड़ों एकड़ भूमि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत लाने में सहायता मिलती। केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को केवल इस कारण से मंजूरी नहीं दी गई कि उस राज्य में विपक्ष की सरकार गद्दी पर बैठी है। इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में दलगत विचार आड़े आता है।

यह भी कहा गया है कि देश में हरेक जगह मिट्टी की जांच की जा रही है। लेकिन, महोदय, सच यह है कि यह काम देश में कुछ क्षेत्रों और शहरों तक ही सीमित है। देश में दूरस्थ गांवों में रहने वाले छोटे और सीमान्त किसान इससे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। चूंकि वे अपनी मिट्टी की प्रकृति नहीं जानते इसलिए वे ठीक किस्म की उर्वरक का प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। ठीक किस्म की उर्वरक और कीटनाशक औषधियों के प्रयोग के बारे में उन्हें अब सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। परिणाम यह है कि ये गरीब किसान अपनी सभी फसलों की हानि उठा रहे हैं। चूंकि भूमि परीक्षण के आधुनिक तरीके और इसके द्वारा उपयुक्त किस्म के उर्वरकों और कीटनाशकों का ठीक प्रकार से प्रयोग करने की जानकारी अभी भी न होने के कारण पुरानी परिपाटी से अपनी भूमि पर कृषि कर रहे हैं और अपनी सारी फसलों की हानि उठाते हैं। आज स्थिति इतनी खराब है कि किसान आत्म हत्याएं कर रहे हैं।अतः, मैं सरकार से इस समस्या पर विशेष ध्यान देने के लिए अपील करता हूं। सरकार के पास पूरे देश में कोई भू-परीक्षण के लिए उपयुक्त और कारगर तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए और उर्वरकों और तथा कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में किसानों को उपयुक्त परामर्श देना चाहिए। पूरे कृषि समुदाय की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए यह काम बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

महोदय, जो किसान फल उगाते हैं, उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास अपने फलों को, जो वे उगाते हैं, देश के अन्य भागों में जहां बाजार सुविधाएं हैं, भेजने के लिए उपयुक्त सुविधाएं नहीं हैं। फलों के लिए स्थानीय बाजार उपलब्ध नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप, उनका काफी उत्पाद नष्ट हो जाता है। फल उत्पादकों को इसके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः फलों जैसी नाशवान वस्तुओं के भण्डारण की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उन सभी स्थानों पर जहां फल उगाए जाते हैं बड़े पैमाने पर शीत भण्डारण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसी प्रकार, जूस को टीनबन्द करने की सुविधाएं बड़े पैमाने पर हरेक जगह प्रदान की जानी चाहिए जिससे ताजा जूस सुरक्षित रखा जा सके और सबको सप्लाई किया जा सके। किसानों की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किये जाने चाहिए। इससे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। कृषि उन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए कृषि पर आधारित ये उद्योग अवश्य ही स्थापित किये जाने चाहिए।

महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में नारियल और केले की काफी खेती होती है। पिछले पांच और छह वर्षों से नारियल की फसल एक विशेष रोग से प्रभावित हुई है जिससे संपूर्ण फसल को क्षति पहुंची है नारियल उत्पादक, बिना किसी अपवाद के, इस रोग के कारण वर्ष प्रति वर्ष भारी नुकसान उठा रहे हैं। मैंने इसे सरकार के ध्यान में लाया है। इस रोग के कारण को जानने के

लिए अभी तक कोई उचित अनुसंधान नहीं किया गया है। और न ही इस रोग की रोकथाम के लिए किसी उपाय का सुझाव दिया गया है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में किसान को भी केले की फसल की हानि हो रही है। वहीं पर केले के पौधे अम्रितपानी की विशेष किस्त है जिसकी जड़ों में इसी प्रकार एक रोग लग गया था। जिसका उपचार अभी तक नहीं ढूंढा गया है। पिछले एक वर्ष से इस रोग से बर्बादी हो रही है और किसानों की पूरी फसल नष्ट हो चुकी हे इन रोगों के कारण सभी केला उत्पादकों को भारी हानि हुई है। जिसका अभी तक पता नहीं लगाया गया है। अतः, मैं सरकार से यह अपील करता हूँ कि वह इन फसलों के रोगों के बारे में अनुसंधान कार्य करे और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों का सुझाव देकर किसानों की सहायता के लिए आगे आए।

महोदय, हमारे देश में पौष्टिक आहार की प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है। जब हम दूसरे देशों से इसकी तुलना करते है तो इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। इसी प्रकार, देश में दूध की खपत भी बहुत कम है। हम प्रति व्यक्ति दूध की खपत में अन्य देशों से बहुत पीछे हैं।

महोदय, देश में मत्स्य-उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो किसान मत्स्य-पालन कार्य में लगे हुए हैं उनको हानि हो रही है और वे अपनी निवेश की गई राशि वापस लेने में समर्थ नहीं हैं। देश मे अनेक किसान मत्स्य-पायन में अत्यधिक रुचि दिखा रहे हैं। वे मत्स्य-पालन के लिए आवश्यक टैंकों और फार्मों की खुदाई कर रहे हैं। उन्हें सरकार से समय पर सहायता की आवश्यकता है। उन्हें सहकारी समितियों और मत्स्य-उद्योग विभाग द्वारा उदार वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले किसान मत्स्य-पालन में विशेष रुचि रखते हैं इससे पूरे तटीय क्षेत्र मे मछली पकड़ने के कार्य में सहायता मिलेगी। बहुत ही कम ब्याज पर दीर्घावधि ऋण देने के लिए प्रबन्ध किये जाने चाहिए।

इसी प्रकार सरकार को उन लोगों को उदार सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो मुर्गी पालन और डेरी विकास के कार्य में लगे हुए हैं।

महोदय, मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद सकता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

6.00 म.प.

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि अभी दो वक्ता और हैं जिनके बोलने की सम्भावना है। यदि आप सहमत हैं तो 15 मिनट के लिए समय बढ़ा देते हैं और चर्चा पूरी कर सकते हैं। माननीय मन्त्री कल उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, आज भी उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है वहां कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र पर प्रति व्यक्ति सबसे कम धन व्यय किया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो पूरे देश के लिए चावल पैदा करने की क्षमता रखता है, वहां आज भी प्रति हैक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे कम है। बुन्देलखन्ड का इलाका है जहां दलहन और तिलहन की फसलें बहुतायत में हो सकती थीं वहां उसके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जो देश के लिए फल और सब्जी का भन्डार हो सकते थे वहां सब्जी और फलों के विकास की तरफ भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अन्दर तीन कृषि विश्व विद्यालय है और तीनों कृषि विश्व-विद्यालय अलग-अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन हालत यह है कि हमारा फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय है उसके अलावा पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय ने कुछ काम ऐसे किए है जिससे किसानों का कल्याण हुआ है लेकिन उसका गौरव जिस एरिया के अन्दर वह विश्वविद्यालय स्थित है, वहां के लोगों के काम नहीं आ पाया। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी वहां के किसान परम्परागत तरीके से खेती करते हैं। न केवल वहां परम्परागत फसले ही पैदा होती है बल्कि उनके उत्पादन का पूरा तौर तरीका पर क्वींटल ईल्ड तक वही है जोकि आज से बरसों पहले थी। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय से यह कहा जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में वह ध्यान दें। हमने इस मामले को बार-बार उठाया है उनके साथ परन्तु आज कुछ पराम्परा ऐसी हो गई है कि जब तक कृषि वैज्ञानिक उस विश्वविद्यालय के प्रशासन के साथ जुड़ हुए थे तब तक वे लोग इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान देते थे लेकिन जब से रिटायर्ड प्रशासकों को वहां पर नियुक्त करने की परम्परा चली है और यह केवल उसी विश्वविद्यालय के साथ नहीं है दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ भी है तबसे वहा पर शिक्षा और प्रशिक्षण का स्तर गिर रहा है। से कृषि मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बात चीत करके यह बात तय होनी चाहिए कि कृषि विश्वविद्यालयों के अन्दर कृषि वैज्ञानिकों को ही महत्व दिया जायेगा उन्हें ही वहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में विवेकानन्द अनुसन्धान केन्द्र है जोकि आई. सी. ए. आर. के साथ सम्बद्ध है। हमको उम्मीद थी कि यह केन्द्र उन क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत कुछ काम करेगा लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, मैं शास्त्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा वह केन्द्र उस क्षेत्र में जहां है, वहां के लिए एक मक्का की फसल का एक ऐसा बीज निकाला है, जो कि अच्छा है। इसके अतिरिक्त उसने ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है, जिसको हम वहां एक्सटेंशन के काम में देख सकें और जिसको उदाहरण के तौर पर पेश कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय में मेरे मित्रों ने कहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य था कि हर जिले के अन्दर हम कृषि विज्ञान केन्द्र खोलेंगे लेकिन तकलीफ की बात यह है कि पिछले एक साल से इसके लिए कोई बजट ही निर्धारित नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम दूर दराज के क्षेत्र व जिले हैं, वही पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के विषय में जो कृषि के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, वहां के विषय में तवज्जह दी जानी चाहिए और इसके लिए बजट का निर्धारित किया जाना चाहिए।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी का इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हम ऐसी फसलों को तरजीह दे सकते हैं जो फसलें न केवल वहां के आर्थिक विकास में योगदान दें बल्कि देश के लिए भी उसका फायदा उठा सकें। जैसे तिलहन दलहन आदि की फसलें और सोयाबीन का विकास वहां पर किया जा सकता था। जैतून के डवैलपमेंट के लिए भी बहुत कार्य किया जा सकता था। सूरजमुखी की फसल वहां पर उगाई जा सकती है। इन क्षेत्रों एक्सप्लायट करने के लिए इन क्षेत्रों में काम करने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए है। मछली उत्पादन पर भी सरकार बहुत जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट पिश के उत्पादन की बहुत संभावना है। मैंने बहुत पहले एक सुझाव दिया था कि यहां पर कोल्ड वाटर

फिशरीज सैन्टर खोलना चाहिए जिससे वहां जितनी हिमानी नदियां और नाले हैं वहां हम ट्राउट फिश का उत्पादन कर सकें और वहां के लोगों को आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।

मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए उसका उपयोग करते हुए मैं सुझाव के तौर पर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में मशरूम के कल्टीवेशन के लिए बहुत संभावना है। हमारा नेशनल सेन्टर फार मशरूम डवलपमेंट सोलन में है उसको कहना चाहिए कि इन क्षेत्रों में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कम से कम इन क्षेत्रों के बीच कोई सैन्टर खोलें। वहां भी कोई ऐसा केन्द्र होना चाहिए जिसके चारों तरफ हम मशरूम ग्रोअर्स की को-आपरेटिव बनाकर उनको प्रोत्साहित कर सकें। वर्ल्ड बैंक सहायता से यहां पर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं विशेषतौर पर होर्टिकल्चर है। लेकिन मुझे तकलीफ है कि जो भी योजनायें शुरू की गई हैं चाहे आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ बातचीत करके शुरू की गई हो बुलगारिया की सरकार के साथ और इटली की सरकार के साथ बातचीत करके कुछ योजनायें शुरू की हैं लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का जो नेट रिजल्ट है वह दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार सेब का पर हैक्टेयर उत्पादन जम्मू-कश्मीर के बराबर भी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है। जबकि क्वालिटी वाइज वहां का सेब बहुत अच्छा है, लेकिन क्वान्टिटी वाइज कम उत्पादन होने के कारण उन क्षेत्रों के किसानों को हम प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए जिससे हम कम से कम उनको प्रोत्साहित कर सकें। इस बारे में आई. सी. आर. को भी कहा जाना चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में टेम्प्रेस फ्रूट रिसर्च सैन्टर खोलने का प्रस्ताव है। मैं माननीय हरिकिशन शास्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि उसके लिए रानीखेत आइडल जगह हो सकती है। मेरी प्रार्थना है कि इसको रानीखेत में स्थापित कर दिया जाए। पालमपुर हिमाचल प्रदेश के अन्दर डा. परमार के नाम से हार्टिकल्चर युनिवर्सिटी है। जम्मू कश्मीर में भी है लेकिन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह का कोई इन्स्टीयूट नहीं है। यदि टैम्प्रेस फ्रूट रिसर्च सैन्टर वहां पर खोल दिया जाए तो वहां के लोगों को काफी फायदा होगा।

साइट्रस फलों के विकास के लिए उन क्षेत्रों में काफी संभावनायें निहित हैं। इस तरफ हमारे जोपरम्परागत बागान हैं, वह भी अब नष्ट होते जा रहे हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ बातचीत करके इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बेमौसमी सब्जियां हैं उनके उत्पादन में भी यह क्षेत्र योगदान दे सकते हैं। केवल जरूरत इस बात की है कि कन्ट्रोल कंडीशन्स के अन्दर सीड उगाकर वहां के किसानों को दें तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में काम हो सकता है। ऐसी सब्जियां जैसे टमाटर, गोभी, देगी मिर्च का उत्पादन कर सकते हैं और उस समय कर सकते हैं, जबकि देश के दूसरे भागों में ये चीजें उत्पादित नहीं हो रही हैं। आल इन्डिया का आर्डीनेटेड पोटेटो इम्प्रूमेंट प्रोजेक्ट के तहत, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर इस प्रोजेक्ट की एक शाखा खोलनी चाहिए और विशेषकर उत्तर प्रदेश का जो सीमान्त जनपद है पिथौड़ागढ़, वहां पर आलू उत्पादन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, वहां पर इसका एक सेन्टर खोला जाना चाहिए।

भेड़ पालन में इन क्षेत्रों के लोगों को नेचुरल रुझान है। उसके लिए आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ बातचीत करके एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित हुआ था। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि उस को भी परसू करने की जरूरत है। वहां अंगोरा रेबिट की तरफ लोगों का रुझान इस समय है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि जर्मनी की सरकार के साथ इसके लिए बातचीत की जाए क्योंकि जो जर्मन रेबिट है, न केवल उसका वंश जल्दी फैलता है बल्कि वह ऊन भी बहुत ज्यादा देता है।

यदि उनके साथ बातचीत करके कोई प्रोजेक्ट वहां के लिए बनाया जा सके, तो वहां की इकोनोमी में उससे बहुत ज्यादा योगदान होगा।

डयेरी डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैं आप निवेदन करना चाहता हूं कि लिक्युड नाइट्रोजन प्लांट उन क्षेत्रों में लगने चाहिए ताकि वहां पर जो सेन्टर हैं, उनमें हम आर्टीफिशल इन्सेमीनेशन को बढ़ावा दे सकें। इस समय जो वहां गाय, भैंस इत्यादि हैं, उनकी दूध की ईल्ड बहुत कम है। उसको बढ़ाने के लिए सेन्टर तो खोल दिये हैं लेकिन आधुनिकतम इक्युपमेंट न होने के कारण, कैरइंग कैपेसिटी कम होने के कारण, नाइट्रोजन प्लांट में नाइट्रोजन का उत्पादन बहुत कम होने के कारण और सीमेन का उत्पादन बहुत कम होने के कारण वह इन्फ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से बेकार सा पड़ा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार से बातचीत करके इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

दो बातें मैं ड्राऊट प्रोन एरिया प्रोग्राम के विषय में कहना चाहता हूं। हमारी जो प्लानिंग कमीशन की टास्क फोर्स थी, उसने बहुत पहले कुछ एरियाज को रिकमेंड किया था और कुछ ब्लाक्स उसमें लिये थे लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत कम ब्लाक्स उस ड्राऊट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत लिए गए हैं। आज भी, जिनके विषय में प्लानिंग कमीशन में आखीर तक कंसिडरेशन हुआ था और जिनके विषय में समझा गया था कि वे तो इन्क्लूड हो ही जाएगें, वे प्रोजेक्ट्स भी उससे बाहर रह गये हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के ऐसे एरियाज के अन्दर, जिन एरियाज में बरसात कम होती है और परम्परागत तरीके से कम हाती है, उन एरियाज को, उन ब्लाक्स को ड्राऊट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए। आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आर. ई. पी. के अन्दर, वहां जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो फार्मर है, जिसके पास 5 हैक्टेयर जमीन भी है, वह भी मार्जीनल फार्मर है क्योंकि उसका उत्पादन कम है, उसकी इन्कम कम है कृषि के आधार पर और हमने जो आधार रखा है, क्राइटीरिया रखा है जनसंख्या का, उससे उसका लाभ उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को ही नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में एन. आर. ई. पी. और उसका एलोकेशन वहां के टोटल उत्पादन के आधार पर होना चाहिए और जो मापदण्ड है, उसको बदला जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपने उन दोस्तों के साथ अपनी इस भावना को जोड़ता हूं, जिन्होंने यह कहा है कि आज कृषि मंत्रालय को उसका ड्यू मिला है। माननीय भजन लाल, जहां आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, वहां आप को एक अच्छा टीम भी चार राज्य मंत्रियों की मिली है और हमको उम्मीद है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो इधर तवज्जह दी है, उसका लाभ हमें मिलेगा और कृषि के विकास के साथ-साथ पहाड़ों की इकोनोमी और उसके विकास की तरफ भी आप तवज्जह देंगें।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहती हूं। माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बात कही है कि कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि बोफोर्स संबंधी संयुक्त संसदीय समिति अमरीका जाने की योजना बना रही है, प्रकाशित नहीं होना चाहिए था। मुझे अभी सूचित किया गया है कि बोफोर्स संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की एक बैठक आगामी शुक्रवार को होनी निश्चित हुई है जिसमें समिति द्वारा श्री बिन चढ्ढा से पूछ ताछ की जाएगी। मैंने यह निवेदन केवल रिकार्ड स्पष्ट करने के लिए किया है।

[हिन्दी]

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूँ कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया। मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। चूंकि समय बहुत कम है और और कृषि से सम्बन्धित बहुत सी बातों के बारे में काफी चर्चा भी हो चुकी है इसलिए मैं अपने को सिर्फ एक ही बिन्दु पर रखूंगा। वह यह है कि हिन्दुस्तान के जिस क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड से मैं आता हूँ वह बहुत ही पिछड़ा इलाका है। जब मैं यहां देश के दूसरे भागों के प्रतिनिधियों को सुनता हूं जैसे हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश के आगे बढ़े हुए क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि कितना जमीन और आसमान का अन्तर उन के इलाकों और मेरे इलाके के बीच है। इस जमीन और आसमान के अन्तर को दूर किया जाना चाहिए। एक देश में अगर इस तरह की असमानता हो कि कुछ क्षेत्र इस तरह से विकसित हो चुके हो कि सेचुरेशन प्वायंट तक पहुंच चुके हों और कुछ क्षेत्र ऐसे ही पड़े हो जहां शुरुआत ही विकास की न हुई हो तो यह बहुत चिंताजनक बात है। मैं समझता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों के साथ अन्याय हो रहा है और माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे इस असमानता को दूर करें।

कृषि के लिए सब से जरूरी चीज है सिंचाई। कृषि मंत्रालय जो जल संसाधन मंत्रालय पर दबाव डालना चाहिए कि वह जिन स्थानों पर सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां वह एक टाईम बाऊंड नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए ताकि वहां का भी विकास हो सके और हमारे देश में कृषि का उत्पादन और अधिक बढ़ सके। जिन स्थानों पर इस तरह के साधनों का सेचुरेशन प्वायंट पहुंच चुका है उन स्थानों पर और साधन पहुंचाने के बजाए ऐसे स्थानों पर ये साधन उपलब्ध किए जाने चाहिए जहां ये अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

मैं अपने क्षेत्र बांदा की बात कर रहा हूं। हमारा यह सौभाग्य है कि जिस जनपद बांदा से मैं आता हूं उस जनपद की एक एम. एल. ए. कांस्टीच्युएंसी को हमारे कृषि राज्य मंत्री जी हरिकृष्ण शास्त्री जी रिप्रेजेन्ट कर रहे हैं। इससे मुझे आशा होती है कि हमारे क्षेत्र बांदा की तरफ अब विशेष ध्यान दिया जायेगा। मैं उनसे विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि वे अपने क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दें कि वहां पर कैसे तरक्की हो सकती है और वहां कि किस तरह से कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

माननीय कृषि मंत्री जी आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां जो असिंचित भूमि है उसमें एक एकड़ में तीन क्विंटल अनाज पैदा होता है। यानी एक बीघे में एक मन : क्या कोई यह सोच सकता है ? आज जो छोटे किसान हैं जिनको पट्टे पर भूमि दी जाती है, भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत दो-दो तीन तीन-बीघे दे दी जाती है और इसलिए दे दी जाती है कि फेमिली प्लेनिंग में उनका सहयोग पाना है। आप देखिये वे तीन बीघे जमीन में केवल 9 मन अनाज पायेगा। यह 9 मन अनाज एक साल में उसके अकेले के खाने के लिए तो पर्याप्त हो सकता है लेकिन उसके परिवार के और लोग क्या खायेंगे। वे क्या करेंगे ? इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं सेचुरेशन प्वाइन्ट वाली बात नहीं कर रहा हूं। यह मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यह मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। जब आप भूमि सुधार की तरफ ध्यान दें तो इसका भी ख्याल करें कि अनइकोनोमिक होल्डिंगज न हो। क्योंकि कुछ लोग खेती से ही बंध कर रह जाते हैं और फिर वे गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। ऐसी अनइकोनोमिक होल्डिंगज को डिसकवरेज किया जाना चाहिए। इन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए।

श्रीमन्, किसान बड़ा अशिक्षित है। हम लोगों ने जिन नये नये तरीकों की खोज की है वह किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम यहां योजना पत्रिका पढ़ते हैं लेकिन गांव का आदमी उसको नहीं पढ़ पाता है। ड्राई लैंड फार्मिग के लिए क्या हो रहा है, यह मैंने स्वयं ने उस समय जाना जब मैं पार्लियामेंट में आया और मैं हैदराबाद में वर्कशाप में गया। तब मुझे ...लूम हुआ है कि ड्राईलैंड फार्मिंग में भी कुछ हो रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में इस तरह के लोग भी रहते है कि उन तक इसका ज्ञान नहीं पहुंचता क्योंकि उन तक प्रचार नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस चीज पर ध्यान दे और किसानों के लाभ के लिए जो कुछ हो रहा है उसका ज्ञान किसानों तक पहुंचाए। अगर हम नहीं पहुंचा सकते तो उस खोज का उस वैज्ञानिक उपलब्धि का कोई अर्थ नहीं हो सकता। बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन समय कम होने की वजह से सारांश में कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, खेती में सबसे अधिक जरूरी है पानी इसलिए हर खेत को पानी पहुँचाने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए और खेती के लिए जो कुछ उन्नति हो रही है जो खोज हो रही है उसकी जानकारी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। हर गांव को पक्की सड़क से आज वैदर रोड से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वहां पर यातायात के साधन उपलब्ध हो और ज्ञान गांव तक पहुंच सके। इसी तरह से जहां पर जल स्त्रोत है, कोई नाला इत्यादि है, वहां पर किसान को बिजली का प्वाइन्ट अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि किनारे का किसान उस पानी का उपयोग अपनी खेती के लिए कर सके। जब तक बड़ी परियोजनाओं का प्रबंध नहीं हो पाता तब तक इन चीजों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी तरह से गांवों में किसानों के लिए शिक्षा का प्रबंध अवश्य किया जाना चाहिए जिससे उसको देश में क्या हो रहा इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई साधनों की बढ़ोतरी के लिए जल संसाधन मंत्रालय पर अधिक दबाव डाला जाना चाहिए।

समय कम है, अतः मैं इतना कह कर ही अपनी बात समाप्त करूंगा और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय कल उत्तर देंगे।

6.22 म.प

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 12 अप्रैल, 1988/23 चैत्र, 1910 शक के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, साईकिल मार्किट दिल्ली-6